भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

1984-85

(सिविल)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां ..		(vii)
पहला अध्याय		
सामान्य		
लेन-देनों का सारांश ..	1.1	1—6
टिप्पणियां और टीकाएं ..	1.2	7—9
दूसरा अध्याय		
विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण		
सामान्य ..	2.1	10
विनियोग लेखा परीक्षा परिणाम ..	2.2	10—15
नई सेवा पर व्यय ..	2.3	15—17
वसूलियों में कमी/आधिक्य ..	2.4	17—18
विवेकहीन पुनर्विनियोजन ..	2.5	18—19
विभागीय आंकड़ों का मिलान ..	2.6	19
बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना ..	2.7	19—20
प्रत्यक्ष प्रगति के साथ व्यय का आपसी संबंध ..	2.8	20
आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण ..	2.9	20
तीसरा अध्याय		
सिविल विभाग		
कृषि विभाग—		
बायोगैस विकास कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना तथा सामुदायिक संस्थागत बायोगैस संयन्त्र ..	3.1	21—31
उन्नत उत्पादन किस्मों का कार्यक्रम ..	3.2	31—39
शिक्षा विभाग—		
6–14 आयु वर्ग में सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा ..	3.3	39—51

		अनुच्छेद	पृष्ठ
15–35 आयु वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा	..	3.4	51—65
वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग—			
ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधारोपण सहित वनी करण, सामाजिक तथा फार्म वानिकी	..	3.5	65—79
परिहार्य व्यय	..	3.6	80—82
राजस्व विभाग—			
प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की सहायता	..	3.7	83—94
उद्योग विभाग—			
उद्योगपतियों को अनावश्यक लाभ	..	3.8	94—95
परिहार्य अदायगी	..	3.9	95
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला	..	3.10	95—98
ग्रामीण विकास विभाग—			
अपव्यय	..	3.11	99
अनियमित व्यय	..	3.12	99—100
योजनाओं का अतिव्यापन	..	3.13	100
सामान्य—			
बेकार उपकरण	..	3.14	100—104
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन	..	3.15	104—109
दुर्विनियोजन, व्यपहरण आदि	..	3.16	109

चौथा अध्याय

निर्माण कार्यों पर व्यय

लोक निर्माण विभाग—			
प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न विपत्ति से राहत	..	4.1	110—117

		अनुच्छेद	पृष्ठ
खाल्ला क्यार—कोटी धीमन सड़क	..	4.2	117—118
बकाया वसूलियां	..	4.3	118—119
ईंधन की अधिक खपत	..	4.4	119
कॉरेंस्टोफन परिसम्पदा का जीर्णोद्धार	..	4.5	119—120
करछम–शौंग—सांगला सड़क	..	4.6	120—121
पुल की गढ़ाई	..	4.7	121—122
सरकारी देयों की वसूली में विलम्ब	..	4.8	122
विधायकों के लिए बहुमंजिला आवास भवन	..	4.9	122—123
कुंगरी में पटवारखाना भवन (पट्टी भवन)	..	4.10	123—124
चौहड़ा में राहदारी की समाप्ति में विलम्ब	..	4.11	124—125
अपूर्ण निर्माण कार्य	..	4.12	125
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग—			
वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	..	4.13	125—138
66 दायाँ तट प्रवाह सिंचाई योजना, हुलिंग	..	4.14	138
निष्फल व्यय	..	4.15	138—139
अलाभकारी दर पर कार्य सौंपना	..	4.16	139
बौछारी सिंचाई योजना	..	4.17	139—140
चम्बा शहर के लिए अपूर्ण योजना	..	4.18	140
जल आपूर्ति योजना, काजा	..	4.19	140—141
टांडी-सुनम कूहल	..	4.20	141—142
रोकड़ समाधान उचंत लेखा	..	4·21	142—143

पांचवां अध्याय

भण्डार एवं स्टॉक

कृषि विभाग—			
भण्डार लेखे	..	5.1	144—148
उद्यान विभाग—			
भण्डार एवं स्टॉक	..	5.2	149—153

		अनुच्छेद	पृष्ठ
ग्रामीण विकास विभाग—			
अविवेकपूर्ण क्रय	..	5.3	153
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—			
घटिया ब्लीचिंग पाऊडर की खरीद	..	5.4	153—154
लोक निर्माण विभाग—			
सीमेंट के क्रय पर परिहार्य व्यय	..	5.5	154—156
फर्जी समायोजन	..	5.6	156
आर० सी० सी० पाइपों का क्रय	..	5.7	156—157
भण्डारों में कमी	..	5.8	157—158
अनावश्यक क्रय एवं उनको लेखाबद्ध न किया जाना	..	5.9	158
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग—			
अप्रयुक्त भण्डार	..	5.10	158—159
कम वसूलियां	..	5.11	159
भण्डारों में कमियां	..	5.12	159

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

अनुदान तथा उनका उपयोग	..	6.1	160—162
प्रवर्ग–I नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा			
कृषि विभाग—			
इन्डो-जर्मन कृषि विकास परियोजना एजैंसी, पालमपुर	..	6.2	162—169
प्रवर्ग–II नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा			
उद्यान विभाग—			
अनुदान तथा ऋण	..	6.3	169—173

		अनुच्छेद	पृष्ठ
पंचायती राज विभाग—			
अनुदान एवं ऋण	..	6.4	173—175
समाज एवं महिला कल्याण विभाग—			
अनुदान	..	6.5	175—177
ग्रामीण विकास विभाग—			
अनुदान	..	6.6	177—179

सातवां अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक तथा व्यापारिक कार्यकलाप

प्रवर्ग क–सामान्य	..	7.1	180
प्रवर्ग ख–सांविधिक निगम	..	7.2	180
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	..	7.3	180—199
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	..	7.4	199—200
हिमाचल पथ परिवहन निगम	..	7.5	201—203
प्रवर्ग ग–सरकारी कम्पनियां	..	7.6	204—209
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	..	7.7	209—221
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम सीमित	..	7.8	222—247
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	..	7.9	247—251
हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित	..	7.10	251—252
प्रवर्ग घ– विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक एवं अर्धवाणिज्यिक उपक्रम	..	7.11	252—253

परिशिष्ट

		पृष्ठ
2.1	वर्ष 1984–85 के दौरान कुल अनुदान/विनियोग पर व्यय का आधिक्य	254 – 255
2.2	भौतिक उपलब्धियां एवं व्यय	256—257
2.3	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	258
4.1	अपूर्ण कार्यों की विवरण तालिका	259—263
5.1	प्राप्त न हुए वार्षिक लेखाओं का विवरण	264
7.1	सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम	266—267
7.2	सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	268—271

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह मुख्यत: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय लेनदेनों की लेखा परीक्षा से उद्भूत अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1984–85 के विनियोग लेखाओं से प्रकट हुए मामलों से सम्बधित है। इसमें वर्ष 1984–85 के वित्त लेखे से उद्भूत कुछ रुचिकर प्रसंग भी सम्मिलित हैं ।

2. राजस्व प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम एक पृथक् खण्ड में प्रस्तुत किए जाते हैं ।

3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वर्ष 1984–85 में नमूना लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों तथा पूर्ववर्ती वर्षों में दृष्टिगोचर हुए लेकिन पिछले प्रतिवेदनों में स्थान न पा सकने वाले मामलों में से हैं । आवश्यकतानुसार वर्ष 1984–85 से उत्तरवर्ती अवधि के मामलों को भी शामिल किया गया है ।

पहला अध्याय

सामान्य

1.1 लेन-देनों का साराँश

वर्ष 1984-85 के वित्त लेखे से प्रकट हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे की संक्षिप्त स्थिति निम्नांकित विवरणियों में इंगित है।

1. 31 मार्च 1985 को हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति की विवरणी

(करोड़ रुपयों में)

31-3-1984 को धन राशि	दायित्व	31-3-1985 को धन राशि	31-3-1984 को धन राशि	परिसम्पत्तियां	31-3-1985 को धन राशि
1	2	3	4	5	6
38.98	अर्थोपाय अग्रिमों (बाजार ऋण, जीवन बीमा निगम तथा अन्य से ऋण) सहित आन्तरिक ऋण	39.49	523.94	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय कम्पनियों, निगमों आदि के अंशों में निवेश 72.70 अन्य पूंजीगत परिव्यय 527.81	600.51
216.15	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम वर्ष 1979-80 से पूर्व के ऋण 67.56 आयोजनेतर ऋण 117.91 राज्य की योजनागत योजनाओं के लिए ऋण 49.55	250.54	164.21	ऋण एवं अग्रिम ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण 168.87 अन्य विकास ऋण 27.28 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण 8.57	204.72

1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये ऋण 0.09				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये ऋण 15.43				
87.14	लघु बचत	105.17	0.05	अन्य अग्रिम	0.04
12.14	जमा	16.34			
21.24	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	40.94	13.98	उचंत एवं विविध शेष	12.46
6.35	आरक्षित निधियां	4.37			
0.50	आकस्मिकता निधि	0.50	3.00	नकद	6.02
11.12	प्रेषण शेष	14.81		कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद (–) 1.79	
311.56	सरकारी लेखे पर अधिशेष	351.59		स्थाई अग्रिमों (–) 0.23 सहित विभागीय नकद शेष	
				नकद शेष निवेश 8.04	
	विगत वर्ष का शेष 318.07				
	चालू वर्ष का अधिशेष 37.58				
	355.65				
	घटाइए 4.06				
	समायोजन 351.59				
705.18		823.75	705·18		823.75

1. वर्ष 1984-85 के वित्त लेखे की विवरण सं० 14 के अनुसार सरकारी लेखे में राजस्व अधिशेष 355.65 करोड़ रु० है। (–) 4.06 करोड़ रु० के अन्तर की व्याख्या निम्नलिखित है :—

(i)	"768 अन्तर्राज्यीय समाधान" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी धनराशि	(–) 1.43
(ii)	"880–विविध सरकारी लेखा" शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित प्रगामी धनराशि	(–) 2.57
(iii)	निदर्श समायोजित शुद्ध धन राशि	(–) 0.06
	शुद्ध योग	(–) 4.06

वर्ष 1984-85 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां		संवितरण			
		I. प्रवर्ग-क--राजस्व			
I. राजस्व प्राप्तियां	381.73	I. राजस्व व्यय			344.17
		खण्ड	आयोजनेतर	योजनागत	योग
(i) कर राजस्व	68·72	(i) सामान्य सेवाएं	94·37	3·19	97·56
(ii) कर-भिन्न राजस्व	43·57	(ii) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	99·14	28·40	127·54
(iii) संघीय करों में राज्य का भाग	25·62	(iii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	2·81	3·02	5·83
(iv) आयोजनेतर अनुदान	93.49	(iv) कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	31.73	52.64	84.37
(v) राज्य की योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	115·60	(v) उद्योग और खनिज	1.15	8.79	9.94
(vi) केन्द्र एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये अनुदान	34.73	(vi) जल एवं ऊर्जा विकास	0·58	2·18	2·76
		(vii) परिवहन तथा संचार	10.54	3.74	14.28
		(viii) सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.89	..	1·89
			242.21	101·96	344·17
		II प्रवर्ग-ख में ले जाए गए राजस्व अधिशेष			37.56
	381.73				381.73

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां		संवितरण	योजनागत	योग
		प्रवर्ग–ख–अन्य		
(III) स्थाई अग्रिम तथा नकद शेष निवेश सहित आदि नकद शेष	3.00	(III) भारतीय रिजर्व बैंक से आदि ओवर ड्राफ्ट		21.24
(IV) विविध पूंजीगत प्राप्तियां		(IV) पूंजीगत परिव्यय		76.57
		(i) सामान्य सेवाएं	3.03	
		(ii) सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	26.71	
		(iii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.94	
		(iv) कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	6.65	
		(v) उद्योग एवं खनिज	1.69	
		(vi) जल एवं ऊर्जा विकास	1.80	
		(vii) परिवहन और संचार	34.75	
(V) ऋणों अग्रिमों की वसूलियां	4.32	(V) संवितरित ऋण एवं अग्रिम		44.83
(i) सरकारी कर्मचारियों से 1.54		(i) ऊर्जा परियोजनाओं के लिए	39.90	
(ii) अन्य से 2.78		(ii) सरकारी कर्मचारियों के लिए	2.04	
		(iii) अन्य के लिए	2.89	

1	2	3	4	5	6
(VI) कम किया गया राजस्व अधिशेष	37.56				
(VII) लोक ऋण प्राप्तियां	137.27		(VII) लोक ऋणों की वापसी		102.37
(i) अर्थोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त आन्तरिक ऋण	11.53		(i) अर्थोपाय अग्रिमों के अतिरिक्त आन्तरिक ऋण	9.25	
(ii) अर्थोपाय अग्रिम	81.57		(ii) अर्थोपाय अग्रिम	83.34	
(iii) केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	44.17		(iii) केन्द्र सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की वापसी	9.78	
(VIII) लोक लेखा प्राप्तियां		337.62	(VIII) लोक लेखा संवितरण		309.68
(i) लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	29.28		(i) लघु बचतें तथा भविष्य निधि	11.25	
(ii) आरक्षित निधियां	0.50		(ii) आरक्षित निधियां	2.48	
(iii) उचन्त तथा विविध	39.32		(iii) उचन्त तथा विविध	35.32	
(iv) प्रेषण	225.55		(iv) प्रेषण	221.87	
(v) जमा एवं अग्रिम	42.97		(v) जमा एवं अग्रिम	38.76	

1	2	3	4	5	6
(IX) भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट		40.94	(IX) अन्त में नकद शेष		6.02
			(i) कोषागारों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	(—) 1.79	
			(ii) स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	(—) 0.23	
			(iii) नकद शेष निवेश	8.04	
		560.71			560.71

विवरणी-II

वर्ष 1984-85 के लिए स्रोत तथा निधियों की प्रयुक्ति

I. स्रोत

		(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां		381.73
2. लोक ऋण लघु बचतों, निक्षेपों तथा अर्थोपाय अग्रिमों में वृद्धि		57.14
3. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्टस में वृद्धि		19.70
		458.57
समायोजन—		
घटाएं उचन्त शेष में वृद्धि	4.00	
घटाएं आरक्षित निधियों में संकुचन	(—) 1.98	
जोड़े प्रेषण शेषों पर प्रभाव	3.68	5.70
		464.27

II. प्रयुक्ति—

राजस्व व्यय	3.44.17	
पूंजीगत व्यय	76.57	
विकास तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये उधार देना	40.51	
अन्त शेष में वृद्धि	3·02	464.27

1.2 टिप्पणियां और टीकाएं

1.2.1. वाणिज्यिक लेखा पद्धति के प्रोद्भूत आधार के विरुद्ध सरकारी लेखे नकद के आधार पर होने के कारण विवरणी I में प्रदर्शित सरकारी लेखे पर अधिशेष नकद आधार की स्थिति को इंगित करता है ।

1.2.2. पूर्वगामी विवरणियों के संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे की विवेचना एवं व्याख्या सहित पढ़े जाने हैं ।

1.2.3. लेखा शीर्ष "रिजर्व बैंक के पास जमा" के अन्तर्गत लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों (—4093.81 लाख रु०) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों (—4013.02 लाख रु०) के मध्य —80.79 लाख रु० का असमायोजित अन्तर था । —184.97 लाख रु० के अन्तर का समाधान किया जा चुका था और शेष अन्तर (104.18 लाख रु०) का समाधान अभी (जनवरी 1986) प्रतीक्षित था ।

1.2.4. इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य सरकार का शेष 153 दिवसों पर अनुबंधित न्यूनतम (20 लाख रु०) से कम रहा । इसी कमी को 92 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम (81.57 करोड़ रु०) तथा 61 अवसरों पर ओवरड्राफ्ट्स (55.20 करोड़ रु०) लेकर पूर्ण किया गया । प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट्स को इसी वर्ष के दौरान ही समाशोधित किया गया था । अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट्स पर प्रदत्त ब्याज 27.81 लाख रु० था ।

1.2.5. विकास तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए संवितरित 40.51 करोड़ रु० के शुद्ध अतिरिक्त ऋणों व अग्रिमों के प्रति इस वर्ष के दौरान संगृहीत शुद्ध अतिरिक्त लोक ऋण (प्रेषण तथा उचंत शेषों पर प्रभाव तथा आरक्षित निधियों से आहरण द्वारा समायोजन के उपरान्त) 62.84 करोड़ रु० था। 22.33 करोड़ रु० का यह शेष 37.56 करोड़ रु० के राजस्व अधिशेष को मिलाकर 76.57 करोड़ रु० के कुल पूंजीगत व्यय से 16.68 करोड़ रु० कम रहा । इस अन्तर को वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक से अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट (19.70 करोड़ रु०) लेकर पूर्ण किया गया । इसके परिणामस्वरूप भी 3.02 करोड़ रु० का अन्तिम नकद शेष रहा ।

1.2.6. वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संगृहीत राजस्व (112.29 करोड़ रु०) कुल राजस्व प्राप्तियों (381.73 करोड़ रु०) का 29 प्रतिशत था ।

1.2.7. विगत वर्ष की अपेक्षा कर–भिन्न राजस्व में 4.81 करोड़ रु० का ह्रास मुख्यतः वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं (3.46 करोड़ रु०) तथा विविध सामान्य सेवाओं (1.47 करोड़ रु०) के अन्तर्गत प्राप्ति में ह्रास के कारण था ।

1.2.8. बजट में प्रत्याशित 50.56 करोड़ रु० के राजस्व अधिशेष के प्रति यह वर्ष 37.56 करोड़ रु० के राजस्व अधिशेष पर समाप्त हुआ ।

1.2.9. वर्ष के अंत में राजस्व की बकाया पड़ी धन राशि 34.78 करोड़ रु० थी जैसे कि 17 विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया था जबकि विगत वर्ष यह राशि 30.28 करोड़ रु० थी ।

1.2.10. 31 मार्च 1985 को प्रदत्त ऋणों के प्रति जिनके विस्तृत लेखे लेखा कार्यालय में रखे गए थे 3.35 लाख रु० के ब्याज सहित वसूली हेतु अतिदेय कुल धनराशि 6.14 लाख रु० थी। विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले ऋणों की वसूली के विस्तृत लेखे से सम्बन्धित बकाया धन राशियां प्रतिवेदनानुसार मूल धन एवं ब्याज स्वरूप क्रमश: 363.07 लाख रु० तथा 190.42 लाख रु० थीं । इसमें मुख्य दोषी उद्योग तथा कृषि विभाग थे ।

1.2.11. ऋण तथा अन्य दायित्वों पर भुगतान किया गया ब्याज 25.31 करोड़ रु० था। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज प्राप्ति 1.87 करोड़ रु० थी। इस प्रकार शुद्ध ब्याज दायित्व 23.44 करोड़ रु०* था ।

1.2.12. केन्द्र सरकार से राज्यीय केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान स्वरूप प्राप्त सहायता 150.33 करोड़ रु० थी । इस प्रकार की योजनाओं पर राज्यांश सहित व्यय 180.28 करोड़ रु० था ।

1.2.13. राजस्व के अन्तर्गत 138.10 करोड़ रु० तथा पूंजी के अन्तर्गत 131.99 करोड़ रु० के योजनागत प्रावधान के प्रति योजनागत योजनाओं पर वर्ष के दौरान राजस्व के अन्तर्गत 101.96 करोड़ रु० तथा पूंजी के अन्तर्गत 78.32 करोड़ रु० का वास्तविक व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के अन्तर्गत 36.14 करोड़ रु० तथा पूंजी के अन्तर्गत 53.67 करोड़ रु० की गिरावट आई । आयोजनेतर राजस्व व्यय भी बजट आकलनों (265.54 करोड़ रु०) से 23.33 करोड़ रु० (8.79 प्रतिशत) कम रहा। कर एवं कर-भिन्न राजस्व से आय (112·29 करोड़ रु०) कुल आयोजनेतर राजस्व व्यय (242·21 करोड़ रु०) को वित्त-पोषित करने हेतु भी पर्याप्त नहीं थी ।

1.2.14. आयोजनेतर राजस्व व्यय वर्ष 1983-84 के 206.19 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 242.21 करोड़ रु० हो गया । 36.02 करोड़ रु० की वृद्धि मुख्यत: विविध सामान्य सेवाओं (20.32 करोड़ रु०) तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं (10.07 करोड़ रु०) के अन्तर्गत हुई ।

1.2.15. विभिन्न निगमों/कम्पनियों/सहकारी संस्थाओं में चालू वर्ष के दौरान 9.40 करोड़ रु० के नए निवेशों सहित 31 मार्च 1985 को शेयरों तथा ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश 72.70 करोड़ रु० था । ऐसे निवेशों पर वर्ष के दौरान ब्याज और लाभांश 0.03 करोड़ रु० था ।

---

*0.07 करोड़ रु० के लाभांश को लेखे में लेकर वर्ष 1984-85 में राजस्व पर ब्याज का निवल दायित्व 23.37 करोड़ रु० था ।

1.2.16. 31 मार्च 1985 को सांविधिक निगमों/कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों आदि के द्वारा ऋणों इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का आकस्मिक दायित्व (216.31 करोड़ रु० की अधिकतम प्रत्याभूत धनराशि के प्रति) 6.45 करोड़ रु० के ब्याज सहित 155.88 करोड़ रु० था । वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति की याचना नहीं की गई थी ।

31 मार्च 1985 को 6 मामलों में 15.80 लाख रु० का प्रत्याभूति कमीशन वसूली हेतु देय था । इसमें मुख्य दोषी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (7.31 लाख रु०) था ।

राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर सरकार द्वारा दी जा सकने वाली प्रत्याभूतियों की सीमा को निहित करने हेतु संविधान की धारा 293(1) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा कोई भी कानून पारित नहीं किया गया है ।

दूसरा अध्याय

विनियोग लेखापरीक्षा तथा व्यय पर नियन्त्रण

2.1. सामान्य

2.1.1. वर्ष 1984-85 के दौरान अनुदान/विनियोगों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नांकित प्रकार से है :—

	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक	योग	वास्तविक व्यय	विभिन्नता (—) बचत (+) आधिक्य–
				(करोड़ रुपयों में)	
I. राजस्व					
दत्तमत	344.84	30.07	374.91	383.69	+8.78
प्रभारित	27.11	1.62	28.73	27.59	—1.14
II. पूंजीगत					
दत्तमत	81.00	11.74	92.74	89.14	—3.60
प्रभारित	..	0.14	0.14	0.09	—0.05
III. लोक ऋण					
प्रभारित	96.75	51.24	147.99	157.56	+9.57
IV. ऋण तथा अग्रिम					
दत्तमत	38.22	12.26	50.48	44.83	—5.65
कुल योग	587.92	107.07	694.99	702.90	+7.91

2.2· विनियोग लेखा परीक्षा से मोटे तौर पर निम्नांकित परिणाम प्रकट हुए :—

2.2.1· वर्ष के दौरान प्राप्त पूरक प्रावधान मूल बजट प्रावधान का 18 प्रतिशत बना।

2.2.2· मार्च 1985 के दौरान 8 मामलों में प्राप्त 3.44 करोड़ रु० का पूरक प्रावधान (प्रत्येक 10 लाख रु० से अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ। 14 और मामलों में 30.07 करोड़ रु० के पूरक अनुदान के प्रति अपेक्षित अतिरिक्त राशि केवल 20.01 करोड़ रु० थी।

प्रत्येक मामले में बचत 10 लाख रु० से अधिक थी ।

11 मामलों में 60.53 करोड़ रु० का पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में 10 लाख रु० के आधिक्य से अपर्याप्त सिद्ध हुआ और कुल 32.26 करोड़ रु० का आधिक्य अनावृत्त रहा ।

2.2.3. 33 अनुदानों तथा विनियोगों में कुल मिलाकर 25.02 करोड़ रु० की बचत थी । दूसरी ओर 17 अनुदानों/विनियोगों में कुल आधिक्य (परिशिष्ट 2.1) 32.93 करोड़ रु० था जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमन अपेक्षित था ।

2.2.4. निम्नांकित अनुदानों/विनियोगों में प्रत्येक में व्यय बजट प्रावधान से 50 लाख रु० से भी कम रहा तथा प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कम रहा :—

अनुदान संख्या	अनुदान का विवरण	बचत की राशि (लाख रुपयों में) (प्रावधान की प्रतिशतता)	बचत के मुख्य कारण
11.	कृषि (पूंजीगत)	1,71.18 (20)	किसानों से मशीनरी तथा उपकरण की कम मांग।
19.	सामाजिक सुरक्षा कल्याण व जेलें (राजस्व)	75.36 (10)	वृद्ध आयु पेंशन की अंतिम तिमाही किश्त के भुगतान का स्थगन ।
20.	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति (राजस्व)	5,23.87 (15)	माल का कम उपार्जन ।
22.	सहकारिता (पूंजीगत)	84.23 (33)	सरकार द्वारा हिम विधायन के पुनर्स्थापन हेतु अनुमोदन न होना ।
23.	खाद्य एवं पोषाहार (पूंजीगत)	3,37.96 (39)	गेहूं के कम उपार्जन (2,17.15 लाख रु०) तथा चावल के उपार्जन तथा वितरण कार्य को हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम को सौंपना (1,39.05 लाख रु०)।

2.2.5. उपरोक्त अनुच्छेद 2.2.4 उल्लिखित में मामलों के अतिरिक्त निम्नांकित मामलों में भारी बचतें (प्रत्येक में 25 लाख रु० से अधिक) हुईं :—

क्रम संख्या	अनुदान अथवा विनियोग	योजना का नाम	बचतों की राशि (लाख रुपयों में)	बचतों की प्रतिशतता
1.	7–पुलिस तथा अग्निशमन	अपराध पुलिस 255–च (i)	27.74	79
2.	9–चिकित्सा तथा परिवार नियोजन	स्वास्थ्य परामर्श योजना 281–(i)	27.52	35
		भवन 480–क (ख) (i)	33.09	47
3.	10–लोक निर्माण कार्य	अन्य प्रशासन 459–ख (ix)	72.80	72
4.	12–लघु सिंचाई	क्रय 306–ङ (ii)	1,97.91	62
5.	16–वन	वन कृषि योजना 313–छ (i)	26.35	14
		सरकारी अभिकरण द्वारा वनों से उठाई गई इमारती लकड़ी व अन्य उत्पादन 313–ज (i)	29.71	53
6.	17–सड़कें तथा पुल	केन्द्रीय सड़क निधि से राजकीय प्रदान द्वारा सड़क विकास पर व्यय 337–ज (i)	30.08	79
		सामरिक महत्व की सड़कें 537–ग (i) (i)	40.93	51
		लोक निर्माण विभाग 537–ग (iv) (i)	71.16	37
		पिछड़े क्षेत्र की सड़कें 537–ङ (iv)	86.96	97

क्रम संख्या	अनुदान अथवा विनियोग	योजना का नाम	बचतों की राशि (लाख रुपयों में)	बचतों की प्रतिशतता
		मुख्य पुल 537–ञ (viii)	39.62	21
		पांच लाख से बीस लाख तक की लागत वाले पुल 537–ठ (xiv)	45.18	20
7.	19–सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेलें	वृद्ध आयु पैंशन 288–ख (i)	69.75	21
8.	24–जल एवं विद्युत विकास	अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए ऋण 734–(क) (i)	3,78.41	48
9.	33–वित्त	8.25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 1999 249–क.क (xv) (प्रभारित)	27.33	100
		भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों व बैंक ड्राफ्टों पर ब्याज 249–क–ग (vii) (प्रभारित)	32.19	54
		लघु बचत संग्रहणों के प्रति ऋण 604–च.क (i)	1,23.90	100
10.	35–जन जातीय विकास	मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास पर व्यय 308–क (i)	32.00	21
		न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय 537–क (iv)	42.05	20
		जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर व्यय का नैन्तर्य (केन्द्रीय प्रायोजित योजना) 537–क (viii)	63.10	100

2.2.6. निम्नांकित अनुदानों/विनियोगों में निरन्तर 10 प्रतिशत तथा इससे अधिक की स्थाई बचतें ध्यान में आई थीं :—

अनुदान अथवा विनियोग	राशि (लाख रुपयों में)	प्रति-शतता	राशि (लाख रुपयों में)	प्रति-शतता	राशि (लाख रुपयों में)	प्रतिशतता
17–सड़कें तथा पुल—						
पूंजीगत						
प्रभारित	11.08	96	2.58	27	3.60	36
19–सामाजिक सुरक्षा,						
कल्याण तथा जेलें—						
राजस्व	69.37	11	141.04	19	75.36	10
22–सहकारिता—						
पूंजीगत	64.75	31	37.33	21	84.23	33
23–खाद्य एवं पोषाहार—						
पूंजीगत	365.31	30	819.15	52	337.96	39
28–पर्यटन—						
राजस्व	8.06	22	6.42	19	5.88	11

2.2.7. निम्नांकित अनुदानों/विनियोगों में व्यय कुल बजट प्रावधान के प्रत्येक में 20 लाख रु० तथा 5 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा । उसके कारण प्रतीक्षित हैं (जनवरी 1986)।

(राशि लाख रुपयों में)

अनुदानों का विवरण	आधिक्य की राशि	आधिक्य की प्रतिशतता
8–शिक्षा, कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक अनुसंधान—		
पूंजीगत	21.52	15
10–लोक निर्माण कार्य—		
राजस्व	12,72.84	35
12–लघु सिंचाई —		
राजस्व	1,84.05	16
17–सड़कें तथा पुल—		
राजस्व	1,21.45	10
पूंजीगत	1,37.67	5
32–अन्य प्रशासनिक सेवाएं—		
पूंजीगत	38.33	55
33–वित्त—		
राजस्व	1,36.21	13
पूंजीगत (प्रभारित)	9,57.47	6

2.2.8. अनुदान संख्या–8 शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 से 1984–85 के दौरान चिरस्थायी आधिक्य ध्यान में आए (1982-83: 8.67 लाख रु० —10 प्रतिशत, 1983-84: 5.47 लाख रु० 5 प्रतिशत तथा 1984–85: 21.52 लाख रु०—15 प्रतिशत)

2.3. नई सेवा पर व्यय

नई सेवा का तात्पर्य उस सेवा से है जिस पर व्यय प्राधिकृत व्यय की अनुसूची में अभिप्रेत नहीं है। विधान मण्डल के पूर्व अनुमोदन के बिना नई सेवा पर कोई व्यय नहीं किया जा सकता किन्तु आकस्मिक मामलों में व्यय विधान मण्डल द्वारा इस प्रकार के व्यय के प्राधिकार दिये जाने तक आकस्मिकता निधि से प्राप्त करके अथवा पूरक अनुमानों के माध्यम से निधियों को प्राप्त करके किया जा सकता है।

2.3.1 निम्नांकित मामलों में वर्ष 1984–85 के दौरान व्यय अन्य शीर्षों से पुनर्विनियोजित निधियों द्वारा पूरा किया गया यद्यपि सेवाएं या तो वर्ष के लिये प्राधिकृत व्यय की अनुसूची (अनुसूचियों) में अभिप्रेत नहीं थी अथवा इतनी महत्वपूर्ण थी कि इन्हें "नई सेवा" के रूप में समझे जाने के लिये विधान मण्डल का अनुमोदन अपेक्षित था।

क्रम संख्या	अनुदान तथा लेखा शीर्ष का विवरण	प्रावधान: अनुमान (मूल/पूरक)	प्रावधान: पुनर्विनियोजन की राशि	योग	वास्तविक व्यय	उद्देश्य
		(लाख रुपयों में)				
1	9—चिकित्सा तथा परिवार नियोजन 281—परिवार कल्याण					
	(घ) प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य					
	(घ) (iii) रोग क्षमताकरण प्रतिषेधोपचार तथा पोषाहार योजना के अधीन भारत सरकार से औषधियों का उपार्जन	0.30	9.00	9.30	9.60	अनिर्णीत बिलों के भुगतान करने हेतु।

क्रम संख्या	अनुदान तथा लेखा शीर्ष का विवरण	प्रावधान अनुमान (मूल/पूरक	प्रावधान पुर्नवि-नियोजन की राशि	योग	वास्तविक व्यय	उद्देश्य
	(ट) अन्य व्यय					
	(ट) (i) अमरीकी सहायता के अंतर्गत क्षेत्र विकास परियोजना					
	(ट) (i) (vi) पारम्परिक दाइयों का प्रशिक्षण	1.18	8.24	9.42	9.41	एक माह की बजाय 6 माह के लिये प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान न करने हेतु ।
2	23–खाद्य एवं पोषाहार 289–प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत क–विशेष राहत					
	(क) (i) वृद्ध तथा कमजोरों के लिये विशेष पोषाहार योजनाएं	0.01	24.99	25.00	25.00	प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित वृद्ध तथा कमजोर व्यक्तियों को राहत प्रदान करना ।

2.3.2. निम्नाँकित मामलों में व्यय बिना प्रावधान के किया गया :—

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	लेखा शीर्ष	व्यय
1	9—चिकित्सा एवं परिवार नियोजन	481—परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
		(क) कल्याण केन्द्र—	
		(क) (i) भवन	29.71
2	17—सड़कें तथा पुल	537–सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	
		(1) (ङ) जिला तथा अन्य सड़कें	
		(ङ) (i) जिला सड़कें	8.41
		(2) (i) अन्य व्यय	
		(i) (vi) नये पुलों का सुधार	11.75

क्रम संख्या	अनुदान का विवरण	लेखा शीर्ष	व्यय
3	31–नागरिक विकास	284–नागरिक विकास— क–सामान्य— (क) नगरपालिकाओं/निगमों आदि को सहायता (क) (xviii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को देय विद्युत बिलों के भुगतान हेतु नगर निगमों को सहायता	17.36

2.4. वसूलियों में कमी/आधिक्य

सरकार द्वारा अनुकरण की नई कुल बजट की प्रणाली के अन्तर्गत विधान मण्डल में प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगें कुल व्यय के लिये होती हैं जो उन सभी क्रेडिट एवं वसूलियों से मुक्त होती है जिनका समनुदेशन लेखाओं में व्यय की कमी करके किया जाता है। सम्भावित वसूलियों तथा क्रेडिट बजट अनुमानों में अलग से दर्शाये जाते हैं। वर्ष 1984–85 के दौरान इस प्रकार की वसूलियां 64.54 करोड़ रु० (राजस्व) तथा 17.13 करोड़ रु० (पूंजीगत) सम्भावित थीं। किन्तु वर्ष के दौरान वास्तविक वसूलियां 67.11 करोड़ रु० (राजस्व) तथा 12.66 करोड़ रु० (पूंजीगत) हुई। परिणामस्वरूप राजस्व के अन्तर्गत 2.57 करोड़ रु० का आधिक्य तथा पूंजीगत के अंतर्गत 4.47 करोड़ रु० की कमी रही। अनुमानों की तुलना में कमी/आधिक्य के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की वसूलियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं। उनके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जनवरी 1986):—

क्रम संख्या	अनुदानों की संख्या तथा नाम	बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियां		अनुमानों की तुलना में वसूलियों में आधिक्य (+) कमी (—) की राशि	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
		(करोड़ रुपयों में)					
1	10–लोक निर्माण कार्य	31.31	..	38.75	..	(+)7.44	..
2	11–कृषि	..	6.50	..	3.65	..	(—)2.85
3	12–लघु सिंचाई	7.67	..	9.09	..	(+)1.42	..

क्रम संख्या	अनुदानों की संख्या तथा नाम	बजट अनुदान		वास्तविक वसूलियां		अनुदानों की तुलना में वसूलियों में आधिक्य (+) कमी (—) की राशि	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	20–जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति	21.46	..	14.22	..	(—) 7.24	..
5	23–खाद्य एवं पोषाहार	..	8.23	..	6.71	..	(—) 1.52
6	35–जन-जातीय विकास	3.10	..	4.23	..	(+) 1.13	..

2.5. विवेकहीन पुर्नविनियोजन

एक अनुदान में एक विनियोग इकाई से दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो निधियों का स्थानान्तरण पुनर्विनियोजन होता है। राज्य बजट नियमावली में व्यादिष्ट है कि पुनर्विनियोजन केवल तभी अनुमत्य है जब यह ज्ञात अथवा प्रत्याशित हो कि जिस इकाई से निधियों को प्रत्यावर्तित किया जायेगा वहां विनियोजन पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं होगा अथवा उस इकाई के लिये विनियोजन में बचतें की जा सकती हैं। छानबीन से कुछ अनुदानों के सम्बन्ध में पुर्नविनियोजन आदेशों की इस आवश्यकता की अनदेखी व्यक्त हुई जैसा कि निम्नांकित है :—

अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल जमा पूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य	पुनर्विनियोजन (कमी)
		(लाख रुपयों में)			
8–शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वैज्ञानिक अनुसंधान	277–क (ख) (i)	28,13.74	29,94.32	1,80.58	27.99
9–चिकित्सा तथा परिवार नियोजन	280–क (ख)(i)	4,35.01	4,53.84	18.83	8.56

अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल जमा पूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य	पुनर्विनियोजन (कमी)
20–जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति	282–ख (च) (i)	3,15.00	3,46.82	31.82	13.83

(ख) निम्नांकित मामलों में अनुदान संख्या 35 के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के बराबर भी नहीं हुआ :—

लेखा शीर्ष	मूल जमा पूरक	वास्तविक व्यय	बचत	पुनर्विनियोजन (अतिरिक्त)
		(लाख रुपयों में)		
277–ख (क) (i)	78.41	68.43	9.98	19.37
506–(क) (i)	61.82	55.71	6.11	3.76

2.6. विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय पर उचित नियन्त्रण बनाये रखने के लिये विभागीय अधिकारियों को सरकार के स्थायी निर्देश हैं कि वे अपनी पुस्तकों में अभिलिखित व्यय का मिलान महालेखाकार की पुस्तकों में अभिव्यक्त व्यय से समय–समय पर करते रहें। वर्ष 1984–85 के दौरान यद्यपि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मिलान में विलम्ब की सीमा समय–समय पर सरकार के ध्यान में लाई गई थी किन्तु एक नियन्त्रण अधिकारी ने सितम्बर 1984 से मार्च 1985 तक के आंकड़ों का मिलान (दिसम्बर 1985 तक) नहीं किया। अत: 3.97 लाख रु० का व्यय बिना मिलान के पड़ा रहा।

मामला सरकार को जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

2.7. बचतों/आधिक्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होना

प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात् विस्तृत विनियोग लेखे जिनमें अन्तिम अनुदान/विनियोग, वास्तविक व्यय तथा परिणामी भिन्नताएं दर्शाई जाती हैं, नियन्त्रक अधिकारियों को भेज दिये जाते हैं, जिन्हें भिन्नताओं को सामान्य रूप से एवं महत्वपूर्ण शीर्षों के अन्तर्गत भिन्नताओं को विशेष रूप से स्पष्ट करना होता है। बहुत से महत्वपूर्ण शीर्षों के सम्बन्ध में नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा भिन्नताओं के कारण लेखापरीक्षा विभाग को समय पर नहीं भेजे गये थे।

वर्ष 1984–85 के विनियोग लेखाओं के सम्बन्ध में 409 शीर्षों में से 255 के बारे में विभिन्नताओं के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुये थे (जनवरी 1986)। विनियोग लेखाओं में समाविष्ट करने के लिये सूचना न भेजने के फलस्वरूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपूर्ण रहा।

यह मामला सम्बद्ध नियन्त्रण अधिकारियों तथा सरकार को भी समय–समय पर प्रतिवेदित किया गया ।

2.8. प्रत्यक्ष प्रगति के साथ व्यय का आपसी सम्बन्ध

2 योजनाओं में निष्पादन की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि यद्यपि व्यय (एक मामले के सिवाय) प्रावधान से बढ़ गया किन्तु वास्तविक प्रगति लक्ष्यों से काफी कम रही जैसा कि परिशिष्ट 2·2 में इंगित है ।

यह मामला सरकार को जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

2.9. आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण

सरकार के वित्तीय नियमों में निर्दिष्ट है कि किसी भी धन राशि का खजाने से आहरण तब तक नहीं होना चाहिये जब तक वह तुरन्त भुगतान के लिये आवश्यक न हो अथवा इसका भुगतान स्थाई अग्रिम में से पहले ही न हो चुका हो। निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु जिनकी पूर्णता को पर्याप्त समय लगना है, खजाने से अग्रिमों का आहरण भी अनुमत्य नहीं है। किसी भी अव्ययित शेष को खजाने में तुरन्त प्रत्यर्पित किया जाना अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, सहकारिता तथा सामाजिक एवं महिला कल्याण विभाग के लेखाओं की नमूना जांच (जनवरी 1984 से जनवरी 1985) के दौरान यह देखा गया कि 1977-78 तथा 1984-85 के दौरान सिंचाई एवं जलापूर्ति सुविधाएं प्रदान करने, विकास योजनाओं के निष्पादन तथा सूखा राहत, पटवारखाना भवनों का निर्माण तथा आवास और अन्य सहायता आदि के भुगतान के लिये आहृत 35.77 लाख रु० की कुल निधियों में से 16.52 लाख रु० की राशि उनके पास या तो रोकड़, बैंक ड्राफ्टों के रूप में अथवा डाकखानों, बैंकों तथा पंचायत समितियों के निजी लेखा खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। आगामी ब्यौरा परिशिष्ट 2.3 में विवरणित है ।

यह मामला सरकार को सितम्बर/नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

तीसरा अध्याय

सिविल विभाग

कृषि विभाग

3.1. बायोगैस विकास कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना तथा सामुदायिक/ संस्थागत बायोगैस संयंत्र

3.1.1. प्रस्तावनात्मक

गोबर तथा कृषि अवशेषों से खाना पकाने, रोशनी करने, डीजल इंजन चलाने तथा विद्युत उत्पन्न करने हेतु सस्ता और अधिक अच्छा ईंधन प्राप्त करने तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को अनुपूरित करने तथा अनुकूलतम बनाने हेतु अच्छी किस्म की खाद की प्राप्ति के उद्देश्य से राज्य में वर्ष 1981-82 से बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्य उद्देश्यों में (i) ईंधन के प्रति वृक्षों का विवेकहीन कटान तथा अनुवर्ती निर्वनीकरण को कम करना, (ii) ग्रामीण स्वच्छता में सुधार, (iii) ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में नेत्र रोगों की घटनाओं को कम करना तथा (iv) आसान और सुचारू खाना बनाने की व्यवस्था सम्मिलित हैं।

यह कार्यक्रम बायोगैस विकास प्रधान तीन जिलों (कांगड़ा, सोलन तथा मण्डी) में केन्द्रित होने के साथ राज्य के 12 में से 10 जिलों में क्रियाशील है।

मई 1982 में बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना की राज्य स्तर की समन्वय समिति ने राज्य को स्थलीय रूपरेखा तथा जलवायु सम्बन्धी स्थितियों को ध्यान में रखते हुये "जनता" प्रकार का मॉडल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया।

लाभान्वितों को उपदान का भुगतान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, लघु एवं औपान्तिक किसानों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास लाभान्वितों को संयंत्र की मानक अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत की दर से तथा अन्य श्रेणियों के लाभान्वितों को 60 प्रति-शत की दर से किया जाना था।

3.1.2. संगठनात्मक ढांचा

वर्ष 1981-82 के दौरान यह योजना ग्रामीण एकीकृत विकास विभाग (वर्तमान ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा कार्यान्वित की गई थी। वर्ष 1982-83 से यह योजना कृषि विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थीं।

कृषि निदेशक राज्य में मुख्य समन्वय अधिकारी है तथा संयुक्त कृषि निदेशक और उर्वरक प्रदर्शन अधिकारी योजना को कार्यान्वित करने में उसकी सहायता करते हैं। जिला स्तर पर योजना के प्रत्येक जिले में विस्तार कर्मचारियों की सहायता से उप कृषि निदेशक/परियोजना अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

3.1.3. व्याप्ति क्षेत्र

इस कार्यक्रम के कार्यचालन की समीक्षा अप्रैल 1985 में 5 जिलों (सिरमौर, सोलन, ऊना, कांगड़ा तथा मण्डी) में की गई थी जिसे कृषि निदेशक से प्राप्त की गई सूचना द्वारा अनुपूरित किया गया। नमूना जांच के दौरान ज्ञात हुई महत्वपूर्ण बातें अनुगामी अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

3.1.4. वित्तीय प्रारूप तथा व्यय

वर्ष 1981–82 से 1984–85 के दौरान 170.90 लाख रु० के बजट प्रावधान के प्रति कार्यक्रम पर 210.21 लाख रु० व्यय किये गये। इसमें 108.02 लाख रु० की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में थी।

3.1.5. लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(क) निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के पास वर्ष 1981–82 के दौरान 78 संयंत्रों के लक्ष्य के प्रति वास्तव में निर्माण किये गये संयंत्र के विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

वर्ष 1982–83 से 1984–85 तक के कालांतर में कृषि विभाग द्वारा 3250 संयंत्रों के लक्ष्य के प्रति वास्तव में 3580 संयंत्रों का निर्माण किया गया किन्तु कुछ जिलों में लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके और वर्ष 1982–83 के दौरान सिरमौर, ऊना, कांगड़ा तथा चम्बा जिलों में, वर्ष 1983–84 के दौरान हमीरपुर जिले में तथा वर्ष 1984–85 के दौरान कांगड़ा, शिमला, सिरमौर, ऊना तथा बिलासपुर जिलों में न्यूनता की सीमा 8 से 87 प्रतिशत के बीच रही।

वर्ष 1982–83 से 1984–85 के दौरान सिरमौर, सोलन, कांगड़ा तथा मण्डी जिलों में निर्मित 2437 संयंत्रों में से 922 संयंत्र चालू हालत में नहीं थे तथा 301 संयंत्रों के चालू होने के सम्बन्ध में विभाग को कोई जानकारी नहीं थी।

जिला सोलन में वर्ष 1983–84 के दौरान निर्मित 4 संयंत्र निदेशक को भेजे गये 1983–84 तथा 1984–85 दोनों वर्षों के प्रगति प्रतिवेदनों में दर्शाये गये थे।

योजना में यह परिकल्पित था कि लक्ष्यों को क्रमबद्ध किया जाये (अप्रैल से जून 25 प्रतिशत, जुलाई से सितम्बर 10 प्रतिशत, अक्तूबर से दिसम्बर 30 प्रतिशत तथा जनवरी से

मार्च 35 प्रतिशत)। चार जिलों में 1982–83 से 1984–85 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों का अधिकांश भाग अन्तिम तिमाही में पूरा किया गया था।

कृषि निदेशक ने बताया (नवम्बर 1985) कि राज्य में कृषि तथा जलवायु सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों, लाभान्वितों में रुचि के अभाव तथा सीमेंण्ट की अनुपलब्धता के कारण समय सारणी का अनुपालन नहीं किया जा सका।

योजना में यह परिकल्पित था कि संयंत्र उपदान के भुगतान के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। यह देखा गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित 40 संयंत्रों को पूरा करने में 1 से 28 महीने तक का विलम्ब हुआ।

(ख) राज्यीय मुख्यालय तथा जिला स्तर पर बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के लिये बायोगैस कक्षों के गठन को भारत सरकार ने जुलाई 1983 में अनुमोदित किया था। यद्यपि भारत सरकार ने जुलाई 1984 में कक्षों में नियुक्ति किये जाने वाले कर्मचारियों के वेतन के प्रति 0.30 लाख रु० के अनुदान का निस्तार कर दिया था लेकिन कक्षों का स्थापन अभी तक (जून 1985) नहीं हुआ था तथा धन राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

कृषि निदेशक ने जून 1985 में बताया कि पदों के सृजन का मामला राज्य सरकार को भेजा जा चुका था (मई 1985) और संस्वीकृति प्रतीक्षित थी।

यद्यपि बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 1981–82 से कार्यान्वित की जा रही थी लेकिन राज्य सरकार ने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु 10 कनिष्ठ अभियन्ता, 60 बायोगैस पर्यवेक्षक, 2 सहायक और 1 लिपिक के पदों की संस्वीकृति नवम्बर 1984 में ही दी थी। इनमें से 3 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद तथा 8 पर्यवेक्षकों के पद अभी भी खाली पड़े थे (जून 1985)। परियोजना अधिकारी पालमपुर ने मई 1985 में बताया कि स्टाफ की कमी के कारण कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित था।

3.1.6. सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र

(i) भारत सरकार ने जगरिया गांव (जिला कांगड़ा) में स्थापित किये जाने वाले एक सामुदायिक बायोगैस संयंत्र का सितम्बर 1982 में अनुमोदन किया था। इस संयंत्र का निष्पादन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाना था तथापि जून 1985 में की गई नमूना जांच से प्रतीत हुआ कि ऐसे किसी संयंत्र का निर्माण नहीं किया गया था यद्यपि सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका था।

(ii) भारत सरकार ने मार्च 1982 में सरकारी जर्सी प्रजनन फार्म कोठीपुरा f में 60 घन मीटर क्षमता वाले एक संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का अनुमोदन कया, किन्तु 2 लाख रु० की वित्तीय संस्वीकृति के अनुसार संयंत्र को "प्रयोगात्मक

सामुदायिक बायोगैस संयंत्र'' की संज्ञा दी गई और संयंत्र के निर्माण हेतु 100 प्रतिशत उपदान की अनुमति दी गई।

कार्य को सितम्बर 1983 में प्रारम्भ करके मार्च 1985 में पूरा किया गया। राजकीय पॉलिटैकनिक सुन्दरनगर (निष्पादन अभिकरण) द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के अलग लेखे तथा कार्य का माप व सामग्री का उपयोग इत्यादि दर्शाने वाली माप पुस्तिकायें नहीं रखी गई थीं परन्तु राजकीय पॉलिटैकनिक सुन्दरनगर द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रयुक्ति प्रमाण पत्र के अनुसार दिसम्बर 1984 तक प्राप्त 1.95 लाख रु० के अनुदान के प्रति 1.99 लाख रु० व्यय किये दर्शाये गये थे। यद्यपि निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार 1.45 लाख रु० का व्यय भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्तियोग्य था।

3.1.7. केन्द्रीय सहायता

108.02 लाख रु० की देय केन्द्रीय सहायता के प्रति भारत सरकार द्वारा 115.33 लाख रु० दिये गये। अतः 7.31 लाख रु० की राशि अधिक दी गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अतिरिक्त तथ्य ज्ञात हुये :—

(i) केन्द्रीय सहायता का अन्तिम भुगतान तथा समायोजन पूर्ण किये गये संयंत्रों के समेकित दावों के भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने पर किया जाना था। आरम्भ से अभी तक (जून 1985) ऐसा कोई समायोजन नहीं किया गया किन्तु कृषि निदेशक ने बताया (नवम्बर 1985) कि संशोधित उपदान दावे भारत सरकार को अगस्त 1985 में भेजे जा चुके थे। अन्तिम समायोजन प्रतीक्षित था।

(ii) वर्ष 1984–85 के दौरान सामान्य श्रेणी के लाभान्वितों को उपदान का भुगतान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरें उन दरों से कम थी जिन पर केन्द्रीय सहायता अनुमत्य थी तथा मांगी गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :—

संयंत्र की क्षमता (घन मीटर)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई उपदान की दरें	दरें जिन पर केन्द्रीय सहायता मांगी गई
	रुपये	रुपये
2	2220	2940
3	2750	3660
4	3840	4390
6	4920	5350

इसके परिणामस्वरूप 5 जिलों में 279 संयंत्रों पर लाभान्वितों को 2.05 लाख रु०

के उपदान का अल्प भुगतान हुआ यद्यपि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता ली गई थी। कृषि निदेशक ने नवम्बर 1985 में बताया कि उपदान का संशोधन सरकार के विचाराधीन था।

(iii) अप्रैल 1984 से भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कार्यक्रम में आवृत्त बायोगैस प्रधान जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों के लिये कर्मचारी अवलम्बन के बदले में सेवा प्रभारों का भुगतान बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत के 24 प्रतिशत की दर से किया जाना था। वर्ष 1984–85 के दौरान निर्मित 2510 संयंत्रों से सम्बन्धित 3.07 लाख रु० (4900 रु० प्रति संयंत्र की औसत दर पर) की राशि के सेवा प्रभारों की भारत सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा कोई दावा नहीं किया गया था (जून 1985) जिसके प्रति कोई कारण अभिलिखित न थे। तथापि विभाग ने बताया (नवम्बर 1985) कि वर्ष 1984–85 से संबंधित दावे अगस्त 1985 में भारत सरकार को भेजे जा चुके थे।

3.1.8. उपदान व्यवस्था

(क) योजना के अंतर्गत मार्च 1982 तक लाभान्वितों द्वारा 78 संयंत्रों का स्थापित किया जाना परिकल्पित था। इस उद्देश्य हेतु ग्रामीण विकास विभाग के लिये 4 लाख रु० का प्रावधान किया गया था किन्तु विभाग ने 0.31 लाख रु० प्रति संयंत्र की अनुमानित लागत पर 5 पशुपालन केन्द्रों में प्रदर्शन/प्रशिक्षण के उद्देश्य से 35 घन मीटर क्षमता के पांच के०वी०आई०सी० माडल के संयंत्रों के निर्माण के लिए 1.55 लाख रु० पशुपालन निदेशक के व्ययन हेतु रखे (मार्च 1982)। पशुपालन विभाग ने जून 1982 से मार्च 1983 तक के कालांतर में 0.87 लाख रु० की अनुमानित लागत के प्रति 1.49 लाख रु० की लागत से 9 "जनता मॉडल" संयंत्रों का निर्माण किया और फलतः 0.62 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। किये गये कार्य के उपयुक्त अभिलेख नहीं रखे गये थे।

(ख) 1.49 लाख रु० में से 0.19 लाख रु० पशुपालन केन्द्र कमन्द (0.17 लाख रु०) तथा कोठीपुरा (0.02 लाख रु०) स्थित संयंत्रों पर निर्माणोपरान्त सीमेंट तथा इक पहिया-ठेलों की खरीद पर किये गये व्यय का प्रत्यर्पण नहीं किया गया।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि प्रदर्शन/प्रशिक्षण के वांछित उद्देश्य की पूर्ति हुई है किसी भी केन्द्र पर आगंतुक पुस्तिका /दैनिक कार्य पंजियां नहीं रखी गई थीं।

(ग) 17 ब्लॉकों के प्रति ग्रामीण विकास विभाग को आबंटित 2.45 लाख रु० की शेष राशि में से मार्च 1982 में आहृत 0.35 लाख रु० का कृषि विभाग से तकनीकी सहायता प्राप्त न होने, निधियों की अपर्याप्तता इत्यादि के कथित कारणों से अभी तक (जून 1985) उपयोग नहीं हुआ।

यद्यपि 5 ब्लॉकों (बंगाणा, रिवालसर, धर्मपुर, रामपुर तथा करसोग) में 13 लाभान्वितों को उपदान की निर्धारित दर से 0.15 लाख रु० तक का अधिक भुगतान किया

गया था जब कि चार ब्लॉकों (चौंतड़ा, मण्डी सदर, रिवालसर तथा सुन्दरनगर) में 16 लाभान्वितों को 0.12 लाख रु० की सीमा तक उपदान का निर्धारित दर से कम भुगतान किया गया था। उपदान की अधिक/न्यून अदायगी के कारण अभिलिखित नहीं थे।

(घ) सहायक विकास अधिकारी (मसाले) ददाहू (जिला सिरमौर) ने मार्च 1983 में लाभान्वितों को उपदान की अदायगी करने के लिये 1.36 लाख रु० का आहरण किया था। इस समूची राशि को लाभान्वितों के प्रति रोकड़ आदेशों में परिवर्तित कर दिया गया और भुगतान मार्च 1983 में दर्शाया गया था किन्तु यह देखा गया कि 20 मामलों में 0.49 लाख रु० का भुगतान वास्तव में अगस्त 1983 से सितम्बर 1984 के बीच किया गया था जब कि 34 मामलों में 0.87 लाख रु० के रोकड़ आदेशों को लाभान्वितों में बायोगैस संयन्त्रों के निर्माण में रुचि के अभाव के कारण मार्च 1984 और नवम्बर 1985 के बीच निरस्त करवा दिया गया था।

(ङ) धर्मशाला इकाई में वर्ष 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान 8.17 लाख रु० के उपदान के प्रति निर्मित 225 संयंत्रों में से 169 मामलों में (1983-84: 10, 1984-85 159) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति वांछित थी। अन्य 22 मामलों में लाभान्वितों के आवेदन-पत्र अभिलेखों में उपलब्ध न थे। कुछ क्षेत्रों के धर्मशाला इकाई को स्थानान्तरण पर, पालमपुर इकाई द्वारा जुलाई 1983 में भेजे गये लाभान्वितों के 14 आवेदन-पत्र अधीनस्थ विस्तार कर्मचारियों को कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु वापिस किये गये थे। यद्यपि ये आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त सितम्बर 1983 में पुनः प्राप्त हो गये थे फिर भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जून 1985)।

(च) लाभान्वितों के आवेदन पत्रों के निपटान हेतु कोई समरूप पद्धति निर्धारित नहीं की गयी थी। जिला सोलन में बायोगैस संयंत्रों के निर्माण हेतु खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार से 22 मार्च 1984 को लाभान्वितों के 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उनकी व्यवहार्यता देखे बिना ही 22 मार्च 1984 को संयंत्रों के निर्माण हेतु 0.16 लाख रु० की संस्वीकृति दे दी गई और संयंत्रों के निर्माण के उपरान्त दिये जाने वाले उपदान (0.16 लाख रु०) का भुगतान भी उसी दिन कर दिया गया था।

(छ) जिला सोलन में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान 224 अनुसूचित जाति/जन जाति के लघु तथा औपांतिक कृषक लाभान्वितों को राजस्व अधिकारियों/पंचायतों द्वारा दिये जाने वाले प्राप्त प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण के बिना ही अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत की दर से 5.11 लाख रु० के उपदान का भुगतान किया गया था।

(ज) संस्वीकृति खाते ठीक प्रकार से नहीं रखे गये थे। मुख्यालयों में उपदान दावों का आहरण करते समय जांच पड़ताल करने के लिए कोई क्रमबद्ध अभिलेख नहीं थे। छानबीन समिति के गठन न किये जाने तथा उपदान निस्तारित करने से पूर्व संयंत्रों का निरीक्षण न किये जाने के फलस्वरूप कुछ मामलों में उपदान का दो बार भुगतान किया गया था।

(झ) मण्डी जिला में लाभान्वितों के खातों में उन को दिये गये सामान और उनकी

ओर से की गयी राजगीरी प्रभारों की अदायगी की प्रविष्टियां न होने के कारण लाभान्वितों के 996 लेखे (1983-84 : 86, 1984-85 : 910) अभी अन्तिम किये जाने बाकी थे (जून 1985)। इस प्रकार लाभान्वितों के प्रति देय वसूली योग्य शेष उपदान की स्थिति की विभाग को कोई जानकारी न थी।

(ञा) सिरमौर, सोलन, ऊना, कांगड़ा तथा मण्डी जिलों में 23.64 लाख रु० (1982-83 : 0.45 लाख रु०, 1983-84 : 0.98 लाख रु० तथा 1984-85 : 22.21 लाख रु०) की वास्तविक आदाताओं की रसीदें लेखा परीक्षा को प्रस्तुत/दिखाई नहीं गयी।

3.1.9. निर्माण सामग्री

(i) योजना में गोबर गैस संयंत्रों के निर्माण के लिये लाभान्वितों को लेवी सीमेंट की आपूर्ति परिकल्पित थी।

तथापि यह देखा गया कि वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान कांगड़ा जिले की पालमपुर (2.37 लाख रु०) तथा धर्मशाला (0.61 लाख रु०) इकाइयों, सिरमौर जिला (0.09 लाख रु०) तथा सोलन जिला (0.49 लाख रु०) में 3.56 लाख रु० के लेवी सीमेण्ट की 6508 बोरियां बायोगैस कार्यक्रम को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए जारी कीं गई जिससे लाभान्वितों को इस सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

इसके विपरीत 1984-85 के दौरान सिरमौर जिले में 63.30 रु० प्रति बोरी की दर से 1573 बोरी गैर उगाही (नान-लेवी) सीमेण्ट उपार्जित किया गया और 66 लाभान्वितों को जारी किया गया। सोलन जिले में गैर-उगाही सीमेंट की 225 बोरियां 66.36 रु० से 70 रु० की दर से उपार्जित की गई जिन्हें 10 लाभान्वितों को जारी किया गया था। इन दोनों जिलों में 174 लाभान्वितों को कोई सीमेण्ट नहीं दिया गया।

(ii) यद्यपि लेवी सीमेण्ट का उपार्जन ऊर्जा मन्त्रालय/राज्य सरकार के आवंटित कोटे के प्रति क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक द्वारा जाना था परन्तु यह देखा गया कि प्राधिकरण प्रोफार्मा बिलों के आधार पर कृषि निदेशालय/जिला इकाइयों द्वारा अग्रिम भुगतान किये जा रहे थे। उनके समायोजन की पड़ताल के लिये न तो कोई पेशगी रजिस्टर बनाये गये थे और न ही सीमेण्ट की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये कोई समाधान किया जा रहा था। कांगड़ा और ऊना जिलों में सीमेण्ट के दो कारखानों को जनवरी 1984 तथा सितम्बर 1984 के बीच भुगतान की गई पेशगी के प्रति 0.42 लाख रु० (ऊना 0.11 लाख रु० और कांगड़ा 0.31 लाख रु०) की वसूली बकाया थी। 26 मामलों में सीमेंट कारखानों से भुगतान किये गये अग्रिमों के प्रति अंतिम बिल (33.72 लाख रु०) प्राप्त नहीं हुए थे और पेशगियां असमायोजित पड़ी थीं। मण्डी जिले में 7.17 लाख रु० की अग्रिम राशि का समायोजन केवल दिये गये अग्रिम की पावती के आधार पर ही कर दिया गया था।

(iii) सार्वजनिक प्रयोग के लिये क्रय की गई सामग्री के मामले में फार्म "डी" पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से बिक्री कर देय है। यह देखने में आया है कि सीमेंट के आपूर्ति आदेशों को देते समय विभाग द्वारा फार्म "डी" जारी नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप 5

जिलों (सिरमौर, सोलन, ऊना, कांगड़ा और मंडी) में 1982-83 तथा 1984-85 के बीच 0.35 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(iv) कांगड़ा जिले की धर्मशाला तथा पालमपुर इकाइयों में 428 लाभान्वितों को 2.87 लाख रु० की लागत की 5,221 सीमेंट की बोरियां (धर्मशाला 2,776 बोरियां, पालमपुर 2,445 बोरियां) निर्धारित मानकों से अधिक जारी की गई।

(v) मंडी जिले में गोबर गैस संयंत्र के निर्माण के लिये क्रमशः 838 रु० तथा 665 रु० प्रति हजार की दर से मशीनीकृत तथा गैर-मशीनीकृत ईंटें खरीदी गई परन्तु लाभान्वितों से इनका प्रभार एक समान दर से वसूल किया गया जिसके परिणामस्वरूप लाभान्वितों पर जिन्हें 1984-85 में गैर मशीनीकृत ईंटें जारी की गई थीं, 0.41 लाख रु० का अतिरिक्त भार पड़ा और उन लाभान्वितों को जिन्हें मशीनीकृत ईंटें जारी की गई थीं 0.29 लाख रु० का अकारण लाभ हुआ। कृषि निदेशक ने बताया (नवम्बर 1985) कि मामला जांचाधीन था।

(vi) विस्तृत विज्ञापन देने के पश्चात् प्रतिस्पर्धा वाली दरों का लाभ लेने के लिये खुली निविदाओं को मंगवाने की कोई पद्धति नहीं थी तथा संयंत्रों के भंडारों का क्रय व्यक्तिगत सौदे द्वारा किया गया। कृषि निदेशक ने बताया (नवम्बर 1985) कि मामले की जांच की जायेगी।

(vii) योजना के शुरु होने से ही निदेशालय तथा इसकी अधीनस्थ संरचनाओं द्वारा सीमेण्ट, ईंटों तथा गोबर गैस उप-साधनों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

3.1.10 प्रशिक्षण

राष्ट्रीय गोबर गैस विकास योजना तथा संयंत्रों के अनुरक्षण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि दिशामान कोर्स, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कोर्स, राजगीरों के लिये प्रशिक्षण कोर्स, उपयोग करने वाले के लिये प्रशिक्षण (महिला शिक्षा कार्यक्रम) तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कोर्स की व्यवस्था थी। प्रशिक्षण पर किया गया व्यय पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

(क) मण्डी जिले तथा कांगड़ा जिले की पालमपुर इकाई में वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के बीच 241 प्रशिक्षित राजगीरों में से केवल 98 राजगीर कार्यरत बताये गये थे। इस अवधि के दौरान अन्य जिलों में 814 राजगीर प्रशिक्षित बताये गये और आवश्यकतानुसार काम पर लगाये गये थे।

(ख) प्रत्येक राजगीर को 21 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाना था। वर्ष 1984-85 के दौरान 66 राजगीर जिनको पहले ही प्रशिक्षण दिया गया था (सिरमौर : 13, सोलन : 35, ऊना : 6 तथा धर्मशाला : 12) अनुवर्ती कैम्पों में प्रशिक्षण के लिये सूचीबद्ध किये गये जिसके फलस्वरूप 0.40 लाख रु० का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ग) विभिन्न आकारों के गोबर गैस संयंत्रों के अनुमानों में राजगीरी प्रभार सम्मिलित

थे (2 घन मीटर संयंत्रों के लिये 300 रु०, 3 घन मीटर के लिए 360 रु०, 4 घन मीटर के लिये 400 रु० और 6 घन मीटर के लिये 600 रु०) था । विभाग द्वारा प्रशिक्षण कैम्पों के दौरान वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के कालांतर में विभिन्न आकारों और नामों के 474 संयंत्रों को बनाया गया (सिरमौर: 94, मण्डी: 86, सोलन: 112, ऊना: 62, धर्मशाला इकाई: 51 तथा पालमपुर इकाई: 69) । चूंकि लाभान्वितों द्वारा राजगीरों पर कोई व्यय नहीं किया गया था इसीलिये लाभान्वितों के उपदान दावों से राजगीरी प्रभारों को काट लेना चाहिये था। किन्तु लाभान्वितों को पूरे उपदान का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.41 लाख रु० (अनुमानत:) का अदेय लाभ हुआ।

कृषि निदेशक ने नवम्बर 1985 में बताया कि लाभान्वितों को प्रशिक्षण के दौरान राज-गीरों के रहने/खाने-पीने की व्यवस्था के प्रबंध पर इससे भी अधिक व्यय करना पड़ा था।

3.1.11. प्रबोधन तथा मूल्यांकन

(i) कार्यक्रम में परिकलित राष्ट्रीय गोबर गैस विकास कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और प्रबोधन के लिये गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सामान्य त्रैमासिकी बैठकों के प्रति केवल दो बैठकें हुई (जून 1982 तथा जनवरी 1984) जबकि जिला स्तरीय समितियों की कोई नियमित मासिक बैठकें नहीं हुई।

(ii) गोबर गैस संयंत्रों के निर्माण के लिये लाभान्वितों के आवेदनों की समीक्षा/छान-बीन के लिये किसी उप-मंडलीय समिति का गठन नहीं किया गया था।

(iii) सितम्बर 1982 में भारत सरकार ने सूचित किया कि कुछ ग्रामों के आकस्मिक दौरे से गोबर गैस संयंत्रों के संबंध में निरुत्साहित स्थिति ध्यान में आई और उन्होंने गांव गांव का निरन्तर प्रबोधन करने के लिये अनुदेश जारी किये (सितम्बर 1982) ताकि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के शत प्रतिशत उपदान के संबंध में सार्वजनिक हितों को बचाया जा सके और इस संबंध में की गई कार्यवाही पर प्रतिवेदन मांगा। कोई ऐसा प्रबोधन हाथ में नहीं लिया गया।

(iv) इस कार्यक्रम के प्रभाव के निर्धारण की दृष्टि से अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था (जून 1985)।

3.1.12 अन्य रुचिकर बातें

पांच जिलों तथा निदेशालय में वर्ष 1981-82 तथा 1984-85 के कालांतर में खजाने से 76.76 लाख रु० की सकल अग्रिम राशि उपदान के भुगतान, प्रशिक्षण कैम्प लगाने और सामग्री को खरीदनों के लिये आहृत की गई जिसमें से 32.84 लाख रु० की राशि (1982-83 5.24 लाख रु०, 1983-84: 3.45 लाख रु०, 1984-85: 24.15 लाख रु०) अभी समायोजन के लिये प्रतीक्षित थी (नवम्बर 1985)।

(ख) सोलन, कांगड़ा और मण्डी जिलों में विस्तार कर्मचारियों को उपदान के भुगतान

हेतु दिये 13.99 लाख रु० के अग्रिमों में से भुगतान करने के पश्चात् 4.40 लाख रु० के समायोजन तथा उपयोगीकरण में 2 से 29 मास के बीच की देरी थी जबकि 2.21 लाख रु० का अभी समायोजन अपेक्षित था (जून 1985) ।

(ग) योजना के अनुसार राज्य सरकार को ग्राम कार्यकर्ताओं का अभिज्ञान करना था जिनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करना खंड स्तर की योजना बनाना लाभान्वितों को प्रोत्साहित करना, तकनीकी दिशानिर्देश उपलब्ध करवाना, संयंत्रों के निर्माण का पर्यवेक्षण आदि कार्य करके कार्यक्रम में सहायता देना था । ऐसे कार्यकर्ताओं को 30 रु० प्रति संयंत्र की दर से नकद प्रोत्साहन दिया जाना था । राज्य में ऐसे कार्यक्रम की बढ़ौतरी के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिज्ञान नहीं किया गया (जून 1985) ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अभिज्ञात तथा भारत सरकार द्वारा सूचित निगम निकाय/पंजीकृत समितियों द्वारा "प्रवर्तन" (टर्न की) आधार पर स्थापित गोबर गैस संयंत्र पर 200 रु० प्रति संयंत्र की दर से फीस अनुमत्य थी (1984-85 में 300 रु० बढ़ाई गई) । राज्य में ऐसे निकायों/समितियों का कोई अभिज्ञान नहीं किया गया । निदेशक ने नवम्बर 1985 में बताया कि ऐसा कोई निकाय/समितियां आगे नहीं आयी ।

सारांश

—वर्ष 1981-82 से 1984-85 के दौरान 170.90 लाख रु० के बजट प्रावधान जिसमें केन्द्रीय सहायता के 115.33 लाख रु० थे, के प्रति कार्यक्रम पर 210.21 लाख रु० की राशि खर्च की गई ।

—वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान सिरमौर, सोलन, कांगड़ा और मंडी जिलों में 2437 निर्मित संयंत्रों में से 922 संयंत्र चालू नहीं थे तथा 301 संयंत्रों के चालू होने के सम्बन्ध में स्थिति विभाग को ज्ञात नहीं थी ।

—पशु पालन विभाग द्वारा "जनता" टाइप मॉडल प्लांट के निर्माण के लिये 0.87 लाख रु० की अनुमानित लागत के प्रति 1.49 लाख रु० का व्यय हुआ । परिणामस्वरूप 0·62 लाख रु० का अधिक व्यय हुआ ।

—सोलन जिले में 224 लाभान्वितों को पात्रता प्रमाण पत्र लिये बिना 5.11 लाख रु० के उपदान का भुगतान किया गया ।

—जबकि 3.56 लाख रु० की लागत के 6508 लेवी सीमेण्ट की बोरियों को 1982-83 तथा 1984-85 के कालांतर में चार इकाइयों को राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम की बजाये अन्य उद्देश्यों के लिए जारी किया गया था, 1984-85 के दौरान दो इकाइयों में 76 लाभान्वितों को गैर उगाही का सीमेण्ट आपूरित किया गया । कांगड़ा जिले में 428 लाभान्वितों को निर्धारित मानकों से अधिक 2.87 लाख रु० की लागत की 5221 सीमेण्ट की बोरियां जारी की गईं ।

--पांच इकाइयों में वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के कालांतर में प्रशिक्षण के दौरान राजगीरों द्वारा निर्मित 452 संयंत्रों के राजगीरी प्रभारों का समायोजन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप लाभान्वितों को 1.41 लाख रु० का अदेय लाभ हुआ ।

--कार्यक्रम के मूल्यांकन का आरम्भ नहीं किया गया था।

--वर्ष 1981-82 से 1984-85 के बीच खजाने से 76.76 लाख रु० की आहृत राशि में 32.84 लाख रु० का समायोजन अभी अपेक्षित था।

मामला सरकार को जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

3.2. उन्नत उत्पादन किस्मों का कार्यक्रम

3.2.1. प्रस्तावनात्मक

(i) हिमाचल प्रदेश के निवासियों का कृषि एक सबसे बड़ा व्यवसाय और मुख्य धन्धा है तथा यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुल कार्यशील जन-संख्या के 72.4 प्रतिशत को सीधा रोजगार उपलब्ध करवाता है तथा राज्य के कुल घरेलु उत्पाद का 45 प्रतिशत है। तथापि पहाड़ी क्षेत्र के कारण 55.7 लाख हैक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 8.80 लाख हैक्टेयर कृषि के अन्तर्गत रखा गया है। कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र का 80 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है और 20 प्रतिशत को आश्वासित सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

(ii) राज्य को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रदेश के गुणशील क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीक तथा कृषि निवेशों को अपना कर 1966-67 से गेहूं, मक्की तथा धान की उन्नत उपज की किस्मों को लागू करने और लोक प्रिय बनाने के लिये उन्नत किस्म की उपज के कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है।

(iii) इस कार्यक्रम को कृषि विभाग द्वारा इसकी जिला तथा खंडस्तर पर संरचना द्वारा लागू किया जाता है।

3.2.2. कार्यक्षेत्र की गुंजाइश

अप्रैल से जून 1985 के दौरान छः जिलों (बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा तथा मण्डी) के कार्यक्रम की समीक्षा की गई जिसे कृषि निदेशक हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा आपूरित सूचना से अनुपूरित किया गया। ध्यान में आई महत्वपूर्ण बातों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

3.2.3. बजट प्रावधान तथा व्यय

वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान 346.95 लाख रु० के बजट प्रावधान के

प्रति 364.41 लाख रु० का व्यय किया गया। परिणामस्वरूप 17.46 लाख रु० का अधिक व्यय हुआ।

3.2.4. लक्ष्य तथा उपलब्धियां

निम्नलिखित तालिका तथा उन्नत उपज की किस्मों के अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्र के संबंध में निश्चित लक्ष्य और उपलब्धियों तथा वर्ष 1974-75 से 1984-85 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन की स्थिति को दर्शाती है।

वर्ष	अधिक उन्नत किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र		खाद्यान्नों का कुल उत्पादन	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
	(लाख हैक्टेयरों में)		(लाख हैक्टेयरों में)	
1974–75	3.20	2.69	11.40	10.17
1975–76	3.75	3.32	10.50	11.27
1976–77	3.50	3.58	11.00	9.25
1977–78	4.38	4.01	11.50	10.63
1978–79	4.00	4.02	12.00	10.50
1979–80	4.18	4.04	12.31	8.73
1980–81	4.30	4.14	12.00	11.80
1981-82	4.40	4.42	12.00	10.53
1982–83	4.54	4.51	12.60	9.72
1983–84	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	13.00	10.50
1984–85	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	13.50	10.12

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि :—

(i) यद्यपि विभाग द्वारा व्यय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई थी किन्तु अधिकतर वर्षों में उन्नत उत्पादन किस्मों के अन्तर्गत आवृत्त क्षेत्र तथा खाद्यान्नों की उपज के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे।

(ii) जबकि उन्नत उत्पाद किस्मों से आवृत क्षेत्र की 1974-75 में 2.69 लाख हैक्टेयर से 1982-83 में 4.51 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हुई परन्तु खाद्यान्नों का उत्पादन इस अवधि के दौरान 10.17 लाख टन से घटकर 9.72 लाख टन रह गया यद्यपि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में 1973-74 में 1046.65 लाख टन से 1982-83 में 1283.50 लाख टन की वृद्धि हुई जो इस अवधि में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। विभाग ने उन्नत उत्पाद किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि होते हुए भी उत्पादन में कमी को सूखे की स्थिति तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सम्बद्ध बताया।

3.2.5 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

(क) निम्नलिखित तालिका वर्ष 1978–79 से 1982–83 के दौरान उन्नत किस्मों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र उन्नत किस्मों के बीजों की मांग विभाग द्वारा उत्पादकों को उपलब्ध की गई बीजों की वास्तविक मात्रा तथा कुल आवश्यकताओं के प्रति उपलब्ध बीजों की प्रतिशतता को दर्शाती है :—

वर्ष	उन्नत किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र	अपेक्षित बीज की मात्रा	विभाग द्वारा वास्तव में उपलब्ध की गई बीज की मात्रा	प्रतिशतता
	(लाख हैक्टेयरों में)		(मीट्रिक टनों में)	
1978–79	4.02	40000	856	2
1979–80	4.04	40000	1037	3
1980–81	4.14	41000	1742	4
1981–82	4.42	44000	1432	8
1982–83	4.51	45000	2153	5

विभाग द्वारा उपलब्ध बीज की मात्रा कुल अपेक्षित मात्रा के 2 तथा 5 प्रतिशत के बीच थी। बाकी का क्षेत्र बिना किसी आधार के उन्नत किस्मों के अन्तर्गत लाया गया था।

(ख) भारत सरकार ने किसानों को बीजों के बढ़िया स्तर की व्यवस्था एवं वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 को लागू किया जिसके अनुसरण में राज्य सरकार को अधिसूचित करके स्तर नियंत्रण निरीक्षकों द्वारा व्यापारियों से बीजों के नमूनों को एकत्र करना तथा उनकी उपयुक्तता की जांच करने के लिये अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजना अपेक्षित था। यद्यपि सोलन में बीज जांच करने के लिये सरकारी प्रयोगशाला थी किन्तु कोई

निरीक्षण अधिसूचित नहीं किया गया था। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी बीज नियन्त्रण आदेश 1983 भी लागू नहीं किये गये थे। उप-कृषि निदेशक हमीरपुर ने जून 1985 में बताया कि इन कानूनी प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अधिसूचना 1984 के अन्त में जारी की गई थी। उसके पश्चात् भी उपरोक्त अधिनियम तथा आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया।

(ग) छः जिलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1740 क्विंटल बीज (मूल्य 6.48 लाख रु०) मक्की, गेहूं तथा धान बुआई के मौसम की समाप्ति के पश्चात् पड़ा रहा तथा 1475 क्विंटल (लागत : 5.67 लाख रु०) (मक्की, गेहूं तथा धान) क्षतिग्रस्त हो चुके थे और बोने योग्य नहीं रहे थे। 1475 क्विंटल अयोग्य बीजों में से 560 क्विंटल (लागत: 2.34 लाख रु०) बीज वर्ष 1981–82 कृषि उप-निदेशकों बिलासपुर, सोलन, तथा ऊना द्वारा निजी दलों को बेचे गये अथवा पशुओं के आहार के लिये प्रयोग किये गये तथा 639 क्विंटल (मूल्य : 2.43 लाख रु०) विभाग द्वारा बट्टे खाते में डाले गये। शेष 276 क्विंटल बीज (मूल्य: 0.90 लाख रु०) अभी तक विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ा था (जून 1985)।

(घ) विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली में यह प्रावधान है कि गेहूं (सोनालिका, एच.डी. एम. 1553 तथा यू.पी. ओ. 8 को 15 अक्तूबर से 15 दिसम्बर के बीच और धान (आर.टी. 42 तथा चाइना 988) 15 मई से 15 जून के बीच बोया जाना चाहिये। वर्ष 1981 से 1985 के दौरान तीन जिलों में 8160 किलोग्राम गेहूं तथा 680 किलोग्राम धान अनुसूचित जातियों के किसानों में बोये जाने की अवधि के पश्चात् बेचे गये।

3.2.6 सिंचाई

इंडो जर्मन कृषि परियोजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा कांगड़ा जिले में 49 नल-कूपों (ट्यूबवैलों) का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया था और वर्ष 1973–74 तथा 1984–85 के बीच उस पर 104.53 लाख रु० का व्यय किया गया था। इनमें से 1973–79 के बीच 32.24 लाख रु० की लागत से तैयार किये गये 17 नलकूप (ट्यूबवैल) वर्ष 1977 तथा 1980 के बीच लोक निर्माण विभाग को सौंपे गये थे। इनमें से 5.10 लाख रु० की लागत से सुजाल और नेरना में तैयार किये गये दो नलकूप (ट्यूबवैल) चालू नहीं थे। शेष 32 नलकूपों (ट्यूबवैलों) में से 7 को पानी के कम निकास एसैम्बली के साथ केसिंग पाइप की रुकावट के कारण परित्यक्त कर दिया गया। जबकि इन चार नलकूपों (ट्यूबवैलों) पर 5.64 लाख रु. का व्यय किया गया था [अन्य तीन नलकूपों (ट्यूबवैलों) पर किया गया व्यय उपलब्ध नहीं करवाया गया]।

विभाग के पास अभी 25 नलकूपों (ट्यूबवैलों) में से केवल तीन ठीक प्रकार से कार्य कर रहे थे और बाकी के 22 जो फरवरी 1978 तथा अगस्त 1983 के मध्य निष्पादन के लिये हाथ में लिये गये थे और जिन पर आइ.ए.डी.पी. परियोजना अधिकारी पालमपुर द्वारा 44.03 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था, वितरण निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण चालू नहीं किये जा सके।

(ii) वर्ष 1982-83 के दौरान कांगड़ा जिले में हाथ में लिये गये 12 माइक्रो जल शैड में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इनमें से केवल एक शैड मई 1985 में 0.33 लाख रु. की लागत से पूरा किया गया था। निधियों की कमी के कारण बाकी के शैडों का निष्पादन हाथ में नहीं लिया जा सका।

3.2.7. बीज गुणक फार्म

(क) कृषकों को वितरण के लिये उचित स्तरीय बीज के उत्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश में 28 बीज गुणक फार्म स्थापित किये गये हैं। इन फार्मों के कुछ अभिलेखों से प्रकट हुआ कि ये फार्म कुल बीज की आवश्यकताओं का अंश मात्र ही उपजाते हैं। इन फार्मों में कुल उपज के आंकड़ों के अभाव में केवल सोलन, बिलासपुर तथा ऊना जिलों में उन्नत किस्मों के बीजों की आवश्यकता और वितरण तुलना इन जिलों में बीज फार्मों की उपज से की गई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान उन्नत किस्मों के बीज के 88,860 क्विटल गेहूं, मक्की तथा धान के बीज की आवश्यकता के प्रति-इन जिलों में स्थित फार्मों में केवल 1,012 क्विटल बीज का उत्पादन किया गया जो कि उन्नत किस्मों के बीज की कुल आवश्यकता का लगभग एक प्रतिशत था। विभाग द्वारा बीज के वास्तविक वितरण की तुलना में फार्म का योगदान केवल 20 प्रतिशत पाया गया। शेष 80 प्रतिशत को अन्य राज्यों से अथवा स्थानीय उपार्जन से प्राप्त किया गया था।

(ख) इन फार्मों के पूर्णतया यंत्रचालित होने के कारण और सभी सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के कारण कार्यक्षमता तथा उत्पादन के तौर पर एक नमूना माने जाते हैं। ऊना जिले की पेखुबेला फार्म में (राज्य की सबसे बड़ी फार्म) वर्ष 1980-81 के दौरान गेहूं का उत्पादन बहुत कम अर्थात् प्रति हैक्टेयर 3.80 क्विटल था। इस फार्म में अन्य वर्षों में उत्पादन 10 से 15 क्विटल प्रति हैक्टेयर एक साधारण बात थी। सामान्यतः ऐसी पूर्णतया सिंचित, पूर्णरूप से यंत्र चालित तथा तकनीकी रूप से अच्छी तरह पर्यवेक्षित माडल फार्मों का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 40-50 क्विटल होना चाहिये। इस फार्म के विस्तार की विभागीय योजना के विपरीत खेती के अन्तर्गत इसका क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष कम होता जा रहा था जिस का कारण रेत का जमा होना बताया गया। जबकि वर्ष 1973-74 के दौरान इसके कुल 372 एकड़ क्षेत्र में से 129.15 एकड़ कृषि के अन्तर्गत था वर्ष 1984-85 के दौरान धीरे धीरे घट कर 86 एकड़ हो गया। इस गिरावट को रोकने के लिये समय पर कोई कारगर पग नहीं उठाये गये थे।

वर्ष 1975-76 के दौरान सोलन जिले के दो फार्मों में गेहूं, मक्की तथा धान का उत्पादन 330 क्विटल से घट कर वर्ष 1983-84 के दौरान 170 क्विटल रह गया। उत्पादन में कमी के कारणों की जांच नहीं की गई थी (अक्तूबर 1985)।

3.2.8. गुणन फार्मों के पास मशीनरी

भारत जर्मन कृषि परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1972 के दौरान प्राप्त चार ट्रैक्टरों में से दो, एक गेहूं गाहने वाला तथा डिस्क हैरो जिन्हें ऊना जिले में पेखुबेला बीज गुणक फार्म

को उपलब्ध करवाया गया था, एक से पांच वर्षों की अवधि से बेकार पड़े हुये थे। बहु चालित फसल काटने वाले का कार्य चालन वर्ष 1974 से 201 घण्टे से घट कर वर्ष 1984 में 82 घण्टे कर दिया गया था। इसे औसतन प्रति दिन 8 एकड़ की कार्य क्षमता के प्रति वर्ष भर में केवल 150 एकड़ में फसल काटने के लिये प्रयुक्त किया गया था। इस की पूर्णक्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु इसे कृषकों को किराये पर भी नहीं दिया गया था वर्ष 1974-75 के दौरान एक लाख रुपये से ऊपर की लागत का निर्मित बीज इक्ट्ठा करने का गढ्ढा कभी प्रयुक्त नहीं किया गया था। जिसके कारण बताये नहीं गये थे (अक्तूबर 1985)

(ii) छः फार्मों (पपरोला, जाछ, पेखुबेला, भंगरोटू, जोगेन्द्रनगर तथा भढ़यार-लहर) में लगाये गये 20 में से 13 ट्रैक्टर एक वर्ष से 6 वर्षों की अवधि से खराब पड़े थे। पपरोला फार्म के लिये जून 1974 में खरीदा गया एक ट्रैक्टर (लागत: 0.14 लाख रु०) कभी प्रयोग में नहीं लाया गया क्योंकि यह खराब था और काम नहीं करता था। इस की मरम्मत करने के लिये कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाये गये थे। सितम्बर 1973 के दौरान जाछ फार्म के अधिकार में कांगड़ा जिले का एक पैट्रोल इंजन (जर्मन) पालमपुर सरकारी कार्यशाला को मरम्मत के लिये भेजा गया था। मरम्मत के पश्चात् अभी तक यह वापिस प्राप्त नहीं हुआ था (मई 1985)।

3.2.9. अप्रयुक्त भंडार

पपरोला फार्म में बाड़ लगाने के लिये 1968 में खरीदी गई 60 क्विंटल कांटेदार तार को (लागत ज्ञात नहीं) एंगल आयरन की अनुपलब्धता के कारण प्रयुक्त नहीं किया गया था। इससे केवल सरकारी धन का ही अवरोध नहीं हुआ अपितु फार्मों में उगाई जाने वाली फसलें भी असुरक्षित रहीं।

3.2.10. स्थापना पर अनियमित व्यय

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 से 1984-85 के दौरान ऊना तथा हमीरपुर जिले में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 4 पदों पर (5 लाख रु०) सोलन जिले में सहकारी उप-निरीक्षकों के 5 पदों पर (3.19 लाख रु०) और बिलासपुर जिले में कृषि उप-निरीक्षक एक पद तथा बेलदारों के पांच पदों (1.13 लाख रु०) के वेतन तथा भत्तों पर 9.30 लाख रु० की राशि व्यय किया गया था यद्यपि वे इस के कार्यान्वियन से संबंधित नहीं थे।

3.2.11. अनुसन्धान तथा नयो किस्मों का सूत्रपात

कृषि के अनुसंधान तथा फसलों के नये किस्म के विकास से संबंधी क्रियाकलाप 1970-71 से लेकर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को सौंपे गये हैं। जबकि राज्य योजना के अन्तर्गत गेहूं के अनुसंधान के प्रति कोई योजना संस्वीकृत नहीं की गई थी, शीघ्र तैयार होने वाली उन्नत किस्म की तथा रोग विरोधक मक्की के विकास पर वर्ष 1967-68 के दौरान जारी किया गया अनुसंधान का कार्य प्रगति में था। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय द्वारा 1982 में विकसित धान की "एच.पी.यू. 741" और "एच.पी.यू. 8020" की दो अधिक उन्नत किस्मों को जिन्हें खेतों में परीक्षण के दौरान सफल पाया गया था

उन्हें सरकार बीज फार्म प्रबोधन में विलम्ब तथा राज्य में वर्षों से वेराइटी रिलीज कमेटी की बैठकों के न होने के कारण जारी नहीं किया गया था।

3.2.12. उर्वरक तथा पौध संरक्षण सामग्री

राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 32 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की उर्वरक की उपयोगिता के प्रति राज्य की खपत केवल 18 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान क्रमशः 29,000 टन तथा 23,000 टन खादों के आवंटन के प्रति दोनों वर्षों में उर्वरकों की कमी की शिकायतों के बावजूद केवल 18,000 टन का क्रय किया गया।

(ii) कांगड़ा और ऊना जिलों में उर्वरकों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि इतने अधिक समय से उर्वरकों का उपयोग/निपटान का कार्य नहीं हो रहा था इस लिये उर्वरकों के दुर्विनियोजन/क्षति की सम्भावना को रद्द नहीं किया जा सकता था।

(iii) 1.71 लाख रु० के मूल्य की 127 टन पुरानी तथा घटिया उर्वरकों को या तो कृषकों को बेचा गया था अथवा ऊना व मंडी जिलों की सरकारी फार्मों में प्रयुक्त किया गया था।

3.2.13. परीक्षण प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग द्वारा जिला स्टाफ को छोटी किटों तथा अन्य निवेशों के साथ-साथ कृषकों के क्षेत्र में कुछ एक परीक्षण प्रदर्शनों का कार्य सौंपा गया था। वर्ष 1983 तथा 1984 के दौरान कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र में 1,277 प्रदर्शनियां की गई थीं। किन्तु यह देखा गया कि ऐसी परीक्षण प्रदर्शनियों के परिणामों को विभाग विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित पदचिह्नों पर अभिलिखित तथा प्रबोधित नहीं किया गया था जिससे ऐसे परीक्षकों का मुख्य उद्देश्य अप्राप्त रहा। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों ने मई 1985 में बताया कि उन्हें अन्य क्रियाकलापों में पूर्वव्यस्तता के कारण उनके पास ऐसी प्रदर्शनियों की ओर ध्यान देने के लिये कोई समय नहीं था।

3.2.14. उधार बिक्री

सरकार ने 1969 में आदेशों को जारी करके कृषकों को बीजों, उर्वरकों, औजारों, कृमिनाशक दवाइयों की उधार बिक्री की मनाही की थी। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि ऐसी मदों की उधार बिक्री विभागीय अधिकारियों द्वारा जारी रखी गई जिसके परिणामस्वरूप 1971-72 से आगे ऐसी उधार पर बेची वस्तुओं के कारण 67.89 लाख रु० की लागत अभी वसूल होनी बाकी थी (अप्रैल–जून 1985)। विभागीय अधिकारियों ने बताया (जून 1985) कि उधार बिक्री की अनुमति अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सरकारी आदेशों के प्रति अपने जोखिम तथा दायित्व पर की गई थी। उधार बिक्री के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के प्रति की गई कार्यवाही यदि कोई थी, सूचित नहीं की गई।

3.2.15. औजारों का क्रय

वर्ष 1974 तथा 1984 के बीच 2.08 लाख रु० की लागत के औजार विभिन्न इकाइयों के भंडार में पड़े थे। पुनश्च 1967 से आगे पालमपुर परियोजना में 1.20 लाख रु०

की लागत से खरीदे गये मोटर वाहनों के आयातित कल पुर्जों और मशीनरी को कभी प्रयुक्त नहीं किया गया था । इसी प्रकार वर्ष 1981-82 से लेकर पालमपुर परियोजना के भंडारों में 21.31 लाख रु. की लागत के अनुपयोगी पुर्जे, मशीनरी, वाहन आदि भी पड़े हुये थे ।

न तो आवश्यकताओं के बिना क्रयों के कारणों की जांच की गई और न ही अधिशेष अनुपयोगी भंडारों के निपटान के लिये कोई पग उठाये गये थे (जुलाई 1985) ।

3.2.16 कार्यक्रम का प्रभाव

राज्य में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से अधिक उन्नत किस्मों का कार्यक्रम वर्ष 1966-67 के दौरान चालू किया गया । किन्तु इन सभी वर्षों के दौरान आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका । कृषि विभाग का पूर्ण व्यय जो कि मुख्यत: राज्य कृषि क्रियाकलाप पर कार्यरत है 363.82 लाख रु० (1975-76) से 1334.26 लाख रु० (1984-85) तक 370 प्रतिशत बढ़ा जबकि खाद्यान उत्पादन में 11.27 लाख मीट्रिक टन (1975-76) से 10.12 लाख मीट्रिक टन (1984-85) की गिरावट हुई । यद्यपि 19 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा आधारभूत कार्यक्रम चालू किया गया परन्तु इसके प्रभाव को जांचने के लिये अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था (जुलाई 1985) ।

सारांश

——यद्यपि वर्ष 1974-75 में उन्नत उत्पादन किस्मों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र में 2.69 लाख हैक्टेयर से वर्ष 1982-83 में 4.51 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हुई, परन्तु खाद्यान्नों के उत्पादन में 10.17 लाख मीट्रिक टन से 9.72 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई ।

——उचित स्तर के बीज के उत्पादन के लिये 28 बीज गुणन फार्म स्थापित किये गये जिनका उत्पादन कुल आवश्यकताओं का केवल 20 प्रतिशत था । विभाग द्वारा उपलब्ध बीज की मात्रा की प्रतिशतता कुल आवश्यकताओं की 2 तथा 5 के बीच रही ।

——सोलन स्थित बीज जांच के लिये सरकारी प्रयोगशाला में बीज के एक भी नमूने की जांच नहीं की गई थी । अधिक उन्नत किस्म के बीजों की काफी मात्रा अप्रयुक्त पड़ी रही तथा अनुचित भंडारण के कारण खराब हो गई ।

——कांगड़ा जिले में निर्माणकार्य के लिये हाथ में लिये 49 नलकूपों में से 7 को 5.64 लाख रु० का व्यय करने के पश्चात् कम पानी फैंकने तथा पाइपों के बन्द आदि होने के कारण परित्यक्त कर दिया गया था ।

——20 ट्रैक्टरों में से 13 ट्रैक्टर 1 वर्ष से 6 वर्षों की सीमा अवधि से खराब पड़े थे । पपरोला फार्म के लिये जून 1974 में खरीदा गया एक ट्रैक्टर कभी प्रयुक्त नहीं किया गया ।

—वर्ष 1978–79 से 1984-85 के दौरान कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर 9.30 लाख रु० का व्यय किया गया था जो कार्यक्रम के कार्यान्वियन से संबंधित नहीं था।

—गेहूं की नई किस्म के बीज लगाने के लिये कोई अनुसंधान संस्वीकृत नहीं किया गया था। उन्नत उत्पाद/शीघ्र तैयार होने/रोग अवरोधक मक्की के बीजों को विकसित करने का अनुसंधान कार्य वर्ष 1967–68 में शुरू किया गया था अभी प्रगति में था। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो खेत में परीक्षण के द्वारा विकसित धान की दो उन्नत उत्पाद किस्मों को 1982 मे सफल पाये गये सरकारी बीज फार्मों द्वारा परिणामों के प्रबोधन में देरी के कारण तथा राज्य की वेराईटी रिलीज कमेटी की कई वर्षों से बैठक न होने के कारण जारी नहीं किया गया था।

—1.71 लाख रु० मूल्य की 127 टन घटिया खाद या तो किसानों को बेची गई या ऊना तथा मण्डी जिलों के सरकारी फार्मों में प्रयुक्त हुई।

—सरकारी निर्देशों के विपरीत बीजों की उधार बिक्री के फलस्वरूप 67.89 लाख रु० 1971–72 से बकाया थे।

—1974 तथा 1984 के बीच 2.08 लाख रु० के मूल्य के उपकरण बिना जरूरत के खरीदे गये थे।

—पालमपुर परियोजना में 22.51 लाख रु० के फालतू अनुपयोगी भण्डार के निपटान के संबंध में कोई भी पग नहीं उठाये गये थे।

—1966–67 में आरम्भ किये गये कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं किया गया। मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अपेक्षित है (मार्च 1986)।

शिक्षा विभाग

3.3. 6–14 आयु वर्ग में सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा

3.3.1 प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1979–80 में प्रारम्भ किया गया था तथा 1990 तक 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पूर्णतया आवृत्त करने के उद्देश्य से उसी वर्ष राज्य के बारह जिलों में आरम्भ किया गया। कार्यक्रम के अधीन लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी थी। छठी योजना (1980–85) में इस कार्यक्रम को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी जोकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है।

14 वर्ष तक की आयु तक सर्वव्यापकता प्राप्त करने के उद्देश्य से 6–14 आयु वर्ग समूह में औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा तथा 9–14 आयु वर्ग में अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा दो अलग–अलग चरणों में 10 वर्ष में प्राप्त करना था।

कार्यक्रम में और बातों के अलावा—

(i) विद्यमान सुविधाओं का गहन प्रयोग, साथ ही पाठशाला समय का समायोजन करना जोकि स्थानीय सुविधाओं के अनुसार तीन घण्टे प्रतिदिन से ज्यादा होगा,

(ii) नई सुविधाओं का प्रावधान जोकि आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी तथा शिक्षा प्रासंगिक हों और

(iii) शिक्षण की अनौपचारिक प्रणाली की उन्नति सम्मिलित करना था।

3.3.2. संघटनात्मक ढांचा

कार्यक्रम शिक्षा निदेशक हिमाचल प्रदेश के नियन्त्रण में कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि औपचारिक शिक्षा प्रणाली की देखभाल जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा तथा खण्ड स्तर पर खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का परिचालन निदेशालय स्तर पर उपनिदेशक वयस्क शिक्षा द्वारा जिला स्तर पर जिला वयस्क शिक्षा अधिकारी/परियोजना अधिकारी (वयस्क शिक्षा) द्वारा होता है जिन की सहायता प्रारम्भिक स्तर पर साक्षरता निरीक्षकों/क्षेत्र शिक्षकों द्वारा की जाती है।

3.3.3. आवृत्ति क्षेत्र

कार्यक्रम के कार्यान्वियन का पुनरीक्षण मई–जून 1985 में चार जिलों (किन्नौर, कुल्लू, सोलन तथा सिरमौर) में किया गया था जिसको निदेशक शिक्षा तथा उप-निदेशक वयस्क शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों द्वारा पूरित किया गया है। अभिलेखों की नमूना जांच में ध्यान में आये तथा अनुगामी अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

3.3.4. सर्वेक्षण

ऐसे क्षेत्रों की जहां पाठशाला प्रणाली के अधीन गैर–नामांकित अनुपस्थिति तथा पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का केन्द्रीयकरण हो विशेषकर लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों वाले क्षेत्र पहचान करने में संतोषजनक स्तर की तैयारी ही योजनाओं के आरम्भ करने की पूर्वापेक्षा है। फिर भी राज्य में सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया और योजना इस क्षेत्र में बिना समुचित तैयारी के आरम्भ की गई।

निदेशक, शिक्षा विभाग ने इन तथ्यों की पुष्टि करते हुये अक्तूबर 1985 में बताया कि प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक बच्चों को पाठशालाओं में जाने के लिये खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों/पाठशालाओं के मुख्यों द्वारा नामांकन के लिये अभियान चलाये जाते थे।

I. औपचारिक शिक्षा प्रणाली

3.3.5. लक्ष्य व उपलब्धियां

नीचे की तालिका 1980–81 से 1984–85 के बीच अतिरिक्त नामांकनों के लक्ष्यों

एवं उपलब्धियों को निर्दिष्ट करती हैं :—

वर्ष	आरम्भ में विद्यार्थियों की संख्या	अतिरिक्त नामांकनों का लक्ष्य	कुल लक्ष्य	वास्तविक नामांकन
		(लाखों में)		
1. आयु वर्ग 6—11				
1980—81	5.12	0.10	5.22	5.43
1981—82	5.43	0.09	5.52	5.66
1982—83	5.66	0.09	5.75	5.95
1983—84	5.95	0.10	6.05	6.12
1984—85	6.12	0.10	6.22	उपलब्ध नहीं
2. आयु वर्ग 11—14				
1980—81	1.76	0.07	1.83	2.00
1981—82	2.00	0.11	2.11	2.19
1982—83	2.19	0.11	2.30	2.35
1983—84	2.35	0.10	2.45	2.46
1984—85	2.46	0.13	2.59	उपलब्ध नहीं

शिक्षा निदेशक ने अक्तूबर 1985 में बताया कि अन्तर 6–14 आयु वर्ग में 14 साल से अधिक की आयु वाले तथा 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को शामिल करने के कारण पड़ा था।

(i) वर्ष 1981 की गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर 23.71 प्रतिशत है तथा 4280818 की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष पाठशाला जाने वाले 1.01 लाख बच्चों की बढ़ौतरी हो जाती है यद्यपि आयु वर्ग 6–11 तथा 11–14 के बच्चों के 1980–81 तथा 1984–85 के बीच के अतिरिक्त नामांकनों के निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर लिये थे लेकिन वर्ष प्रतिवर्ष अतिरिक्त बच्चे जो नामांकन के पात्र हो रहे हैं उसकी तुलना में बहुत कम हैं। अतिरिक्त नामांकन की वर्तमान गति से यह स्पष्ट रूप से देखना कठिन है कि 1990 तक शत प्रतिशत बच्चों को आवृत्त करने के मूल भूत उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

शिक्षा निदेशक ने अक्तूबर 1985 में बताया कि विभाग में प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक बच्चों को पाठशालाओं में लाने के लिये कई प्रोत्साहन दिये हैं तथा पग उठाये गये हैं।

(ii) जिला किन्नौर तथा शिक्षा निदेशक के अभिलेखों में नामांकनों में विस्तृत विभिन्नतायें देखी गई (जून 1985)। आयु वर्ग 6–11 की 1980–81 से 1984–85 में नामांकन संख्या शिक्षा निदेशक के अभिलेखों में मिलाने पर पाठशालाओं के अभिलेखों से अधिकता 120 से 890 प्रतिशत थी। आयु वर्ग 11–14 में पाठशाला अभिलेख के अनुसार नामांकन 1980–81 (531) 1982–83 (301) तथा 1984–85 (38) में अधिक था, जबकि निदेशक अभिलेख के अनुसार नामांकन 1981–82 (1454) तथा 1983–84 (1937) के दौरान अधिक था। शिक्षा निदेशक ने अक्तूबर 1985 में बताया कि आंकड़ों के मिलान की कार्यवाहीं आरम्भ कर दी गई है।

(iii) योजना के अन्तर्गत नामांकन में लड़कियों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी थी। जिला किन्नौर (जनजाति) में 1981–82 से 1984–85 के दौरान गैर नामांकित लड़कियों की प्रतिशतता (आयु वर्ग 6–11 में) 9 से 29 के बीच तथा आयु वर्ग 11–14 में 54 और 94 के बीच और लड़कों में (आयु वर्ग 11–14 में) 12 तथा 86 के बीच में थी।

3.3.6 क्षिप्तियां

विभाग को राज्य में क्षिप्तियों के परिणाम का ज्ञान नहीं था क्योंकि निदेशालय स्तर या जिला/खण्ड अधिकारियों द्वारा कोई भी उचित अभिलेख नहीं रखा गया था।

सोलन और किन्नौर जिलों के अभिलेखों ने दर्शाया कि 1979–80 से 1984–85 के दौरान 6–11 आयु वर्ग में क्षिप्तियों की प्रतिशतता जिला सोलन में (लड़कों में) 7 और 17 के बीच (लड़कियों में) 10 और 14 के बीच तथा किन्नौर जिला में (लड़कों में) 2 और 6 के बीच एवं (लड़कियों में) 2 और 7 के बीच रही। आयु वर्ग 11–14 में सोलन जिला में प्रतिशतता (लड़कों में) 4 एवं 19 (लड़कियों में) 5 एवं 22 के बीच रही है।

निदेशक ने (जुलाई 1985) बताया कि क्षिप्तियों के कारण अन्य बातों के अलावा विद्यार्थियों के संयोजन में विषमता, पाठशालाओं में शिक्षा उपकरणों का अभाव, कक्षाओं में अधिक संख्या, अध्यापकों में खेल द्वारा शिक्षा की प्रणाली को प्रयोग में लाने की अक्षमता, अध्यापकों की अपर्याप्त तैयारी, परीक्षा की गलत प्रणाली, निर्धनता, सहायक सेवाओं जैसे पाठशाला में खाना देना, पाठशाला स्वास्थ्य प्रणाली तथा सामान्य जागृति का अभाव इत्यादि थे।

3.3.7 दोपहर का भोजन

इस योजना के अन्तर्गत I और II कक्षाओं के बच्चों को 40 रु० वार्षिक प्रति बच्चे की दर से (अवकाश निकाल कर) दोपहर का भोजन दिया जाना है। 1980–81 से पहले दोपहर के भोजन के रूप में भुने हुये चने खुले बाजार से जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद खरीदे जाते थे। 1980–81 से राज्य सरकार ने केन्द्रीयकरण करके हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम से भुने हुये चने प्राप्त करने का फैसला किया।

(i) यह देखने में आया कि राज्य के सभी खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को "भुने हुये चने" की सीधी आपूर्ति करने के लिये शिक्षा निदेशक द्वारा निगम को 1980–81 तथा 1984–85 के बीच कुल 54 लाख रु० (1980–81 : 15 लाख, रु० 1981–82: 7 लाख रु०, 1982–83 : 12 लाख रु० 1983–84 : 10 लाख रु० तथा 1984–85 : 10 लाख रु०) अग्रिम दिया गया था । अभिलेखों में यह दर्शाने के लिये कुछ भी नहीं था कि क्षेत्र कार्यालयों द्वारा वास्तविक आपूर्ति नियम सुपुर्दगी समय अनुसूची के अनुसार प्राप्त कर ली गई थी और कि निगम ने अग्रिम में भुगतान के प्रति भुने हुये चनों की पूरी मात्रा की आपूर्ति वास्तव में कर दी है । शिक्षा निदेशक ने बताया (जून 1985) कि 1980–81 से 1983–84 की लेखाओं के सामंजस्य के संबंध में निगम के साथ पत्राचार किया जा रहा है ।

(ii) किन्नौर, कुल्लू, सोलन तथा सिरमौर जिलों में जहां कि आपूर्ति आदेश जनवरी 1985 में दिया गया था, वर्ष 1984–85 के लिये भुने हुये चनों की आपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी (जून 1985) हालांकि 2.12 लाख रु० (किन्नौर : 0.60 लाख रु० कुल्लू : 0.40 लाख रु०, सोलन : 0·64 लाख रु० तथा सिरमौर 0·48 लाख रु०) का अग्रिम भुगतान निगम को अप्रैल 1985 में कर दिया गया था ।

(iii) एक मामले में 1979–80 के लिये भुने हुये चने खरीदने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी सिरमौर द्वारा दिसम्बर 1979 में निविदायें इस अनुबन्ध के साथ आमन्त्रित की गई थीं कि दरें 31 मार्च 1980 तक वैध रहेंगी । 1709 मीट्रिक टन चनों के मूल्य के प्रति 0.64 लाख रु० की राशि खजाने से निकाली गई । जब औपचारिक आपूर्ति आदेश 21 अप्रैल 1980 को जारी किया गया तो पार्टी ने इस तर्क पर आदेश को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया कि प्रस्ताव की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी थी । 0.64 लाख रु. की राशि को तदनन्तर अगस्त 1980 में खजाने में प्रत्यार्पित कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप केवल "भुने हुये चनों के अनुपार्जन से 1979–80 में दिन के भोजन से लाभान्वितों को वंचित ही नहीं रहना पड़ा बल्कि वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि भी अप्रयुक्त रही ।

3.3.8 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पाठशाला प्रणाली के अन्तर्गत एक बड़ी संख्या में अनुपस्थित बच्चों को आवृत्त करके विभिन्न स्तरों पर अनुदेशात्मक ढांचा विकसित करके तथा वर्ग–विशिष्ट एवं स्थान विशिष्ट पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक सामग्री विकसित करके शिक्षा में पिछड़े राज्यों की सहायता करना है ।

अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम केन्द्र सरकार से पच्चास प्रतिशत सहायता द्वारा केन्द्रीय पोषित योजना के रूप में लागू किया जा रहा है लेकिन विभाग ने बताया (जून 1985) कि अभी तक योजना के अन्तर्गत कोई भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 1986) ।

3.3.9 लक्ष्य और उपलब्धियां

निम्न तालिका राज्य निधियों से खोले गये अनौपचारिक केन्द्रों की कुल संख्या तथा बच्चों को आवृत्त करने में लक्ष्य और उपलब्धियों को इंगित करती है :—

वर्ष	केन्द्र की श्रेणी	प्रस्तावित			वास्तविक उपलब्धियां			अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के निवास में खोले गए केन्द्रों की संख्या	नामांकित अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के बच्चों की संख्या		नामांकित अनुसूचित और अनुसूचित जन-जाति के बच्चों की प्रतिशतता
		केन्द्रों की संख्या	आवृत		खोले गये केन्द्रों की संख्या	आवृत्त					
			लड़के	लड़कियां		लड़के	लड़कियां		लड़के	लड़कियां	
1979–80	प्राथमिक	106	530	530	..	..	..	..	..	..	..
	माध्यमिक	90	450	450	..	..	..	..	..	..	..
1980–81	प्राथमिक	106	530	530	4	23	20	..	1	2	7
	माध्यमिक	90	450	450	3	56	32	..	1	3	5
1981–82	प्राथमिक	106	530	530	32	204	361	19	95	180	49
	माध्यमिक	90	450	450	..	..	..	..	..	..	..

1982–83	प्राथमिक	106	530	530	3	15	41	..	11	21	54
	माध्यमिक	90	450	450	2	19	16	1	12	4	64
1983–84	प्राथमिक	106	530	530	12	65	90	12	65	90	100
	माध्यमिक	90	450	450	2	17	8	..	9	..	36
1984–85	प्राथमिक	106	530	530	13	46	132	13	46	132	100
	माध्यमिक	90	450	450	..	..	..	..	..	..	..
कुल	प्राथमिक	636	3,180	3180	64	353	644	44	218	425	64
	माध्यमिक	540	2,700	2,700	7	92	46	1	22	7	21

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि राज्यीय सैक्टर में 1979–80 से 1984-85 के बीच 636 प्राथमिक तथा 540 माध्यमिक केन्द्र (प्रति वर्ष 106 प्राथमिक तथा अन्य 90 माध्यमिक केन्द्र खोले जाने थे) के लक्ष्य के प्रति केवल 64 प्राथमिक तथा 7 माध्यमिक केन्द्र इस अवधि के बीच खोले गये। तथा प्राथमिक कक्षाओं के अन्तर्गत 3180 लड़कों और 3180 लड़कियों तथा माध्यमिक कक्षाओं में 2700 लड़के तथा 2700 लड़कियों की व्याप्ति के प्रति केवल 353 लड़के और 644 लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में तथा 92 लड़के और 46 लड़कियां माध्यमिक कक्षाओं में नामांकित किये गये जिस के परिणामस्वरूप लक्ष्य में प्राथमिक कक्षाओं में 5363 (लड़के : 2827, लड़कियां : 2536) तथा माध्यमिक श्रेणियों में 5262 (2608 लड़के, 2654 लड़कियां) की गिरावट हुई। अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थियों की कुल नामांकन की प्रतिशतता प्राथमिक कक्षाओं में 64 तथा माध्यमिक कक्षाओं में 21 थी।

निदेशक ने सितम्बर 1985 में कहा कि योजना राज्य में लोकप्रिय नहीं थी।

3.3.10. निष्पादन

योजना में अवर मौलिक शिक्षित (जे.बी.टी.) अध्यापकों को क्षेत्र शिक्षक लगाने का प्रावधान था। जिला किन्नौर में यह देखने में आया (जून 1985) कि 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान कुल 22 शिक्षकों में से 20 दसवीं पास नहीं थे जिन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों की सिफारिशों से नियुक्त किया गया था। उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

योजना के अनुसार बच्चों को उपचारक शिक्षा कार्यक्रम दिये जाने थे ताकि वे अपनी पर्यावरण संबंधी अड़चनों तथा शिक्षा के पिछड़ेपन पर अतिक्रमण के योग्य बन सकें। ऐसे कार्यक्रम जो कमाने के साथ सीखने को प्रोत्साहित करने के लिये बनाये गये हों को भी उनकी शिक्षा की प्रगति में बाधा डालने वाले आर्थिक कारणों पर अतिक्रमण के लिये प्रोत्साहित करना था। ऐसा कोई भी कार्यक्रम राज्य में नहीं चलाया गया (मार्च 1986)।

3.3.11. प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच हेतु युनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना (केप)

प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच परियोजना (केप) की भारत सरकार के प्रयत्नों के एक अंग के रूप में हाथ में लिया गया था ताकि एक बड़ी संख्या के बच्चों की जो अभी तक पहुंच से बाहर थे न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा 9–14 आयु वर्ग के पाठशाला से बाहर बच्चों के नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस परियोजना को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से यूनीसेफ ने वित्तपोषित किया था। यह वर्ष 1980 में आरम्भ किया गया था तथा इसके कार्यकलाप दिसम्बर 1983 तक जारी रहने थे। "केप" के अन्तर्गत मूल गतिविधियां राज्य में स्थापित की जाने वाली राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में जारी रखी जानी थी।

आगे की गतिविधियों पर यूनिसेफ नकद अग्रिम, अग्रेषित निधियों के उपयोग की सीमा तथा किये गये व्यय के लेखे को निश्चित समय पर प्रस्तुत किये जाने पर आधारित था।

निम्नलिखित तथ्य ध्यान में आये :

(i) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन द्वारा आबंटन के एक बहुत बड़े भाग का तथा विमुक्त की गई राशियों को पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया ।

(ii) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1980 और 1984 के बीच चलाई गयी विभिन्न गतिविधियों के लिए आबंटित 5.68 लाख रु० में से वास्तविक रूप में 0.84 लाख रु० राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विमुक्त किये गये थे । विमुक्त राशि में भी व्यय की दर विशेषकर 1980 में बहुत कम थी जबकि 0.66 लाख रु० के आबंटन के प्रति केवल 0.01 लाख रु० का व्यय किया गया जबकि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 0.26 लाख रु० विमुक्त किये गये थे क्योंकि स्वीकृत की गई योजना में दर्शायी गई गतिविधियों की कुल संख्या राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हाथ में नहीं ली गई, 4.84 लाख रु० (5.68 लाख रु०—0.84 लाख रु०) का आबंटन अप्रयुक्त रहा ।

0.19 लाख रु० की राशि ब्याज सहित जो अप्रयुक्त राशि को प्रकट करती है का प्रत्यर्पण राष्ट्रीय परिषद शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को अभी किया जाना था (जून 1985)। शिक्षा निदेशक ने सितम्बर 1985 में बताया कि जे० बी० टी० कक्षायें 1980 के स्थान पर 1981 के दौरान आरम्भ की गई थी तथा प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह के उत्तीर्ण हो जाने के बाद प्रवेश 1982 में निलम्बित करना पड़ा था ।

(iii) राष्ट्रीय परिषद शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण द्वारा 1980–83 के दौरान चलाये जाने वाले 39 अनुमोदित कार्यकलापों (1980:5, 1981:14, 1982:17, 1983:3) में से केवल 17(1980:1, 1981:6, 1982:9, 1983:1) कार्यकलाप वास्तविक रूप में हाथ में लिये गये थे । शेष कार्यकलापों के कार्यान्वित न होने के लिए प्राध्यापक, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने (क) अध्यापकों के भाग लेने की निम्न दर, (ख) राष्ट्रीय परिषद शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से विकसित प्रशिक्षण संवेष्टन की प्राप्ति में देरी, (ग) अध्यापकों से प्राप्त सीखने के उपाख्यानों का निम्न स्तर का पाया जाना, (घ) प्रारम्भ में अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्रों का विद्यमान न होने को आरोपित किया (जून 1985)। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1982 तथा 1984 के बीच 0.68 लाख रु० खर्च करके पच्चीस सीखने के उपाख्यान तैयार किये । इनको प्रयोग में नही लाया गया (अक्तूबर 1985)। इस प्रकार 0.68 लाख रु० का सारा खर्च निष्फल रहा । शिक्षा निदेशक ने सितम्बर 1985 में बताया कि सीखने के उपाख्यान भविष्य में युनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त दूसरी परियोजनाओं में प्रयोग में लाये जाएंगे ।

3.3.12. राज्य को कागज के रूप में केन्द्रीय पण्य सहायता

एन. एफ. ई. कार्यक्रमों को सशक्त करने के लिए स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के अन्तर्गत प्राप्त नकद सहायता को सीखने/प्रशिक्षण सामग्री के कागज के उपार्जन और आपूर्ति में प्रयुक्त करना था। कागज भारतीय व्यापार निगम द्वारा उपार्जित किया गया । कागजों के

आबंटन, वास्तविक प्राप्ति तथा खपत का वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(आंकड़े टनों में)

वर्ष	ग्लेजड न्यूज प्रिंट			आफसेट प्रिंटिंग कागज			कवर		
	आबंटित	वास्तविक प्राप्ति	खपत	आबंटित	वास्तविक प्राप्ति	खपत	आबंटित	वास्तविक प्राप्ति	खपत
1980–81	..	..	..	..	..	..	..	..	..
1981–82	14.4	6.248	..	3.6	..	..	3.0	1.122	..
1982–83	12.0	8.000	1.5	3.0	3.931	..	1.5	2.448	..
1983–84		13.326	0.7	..	3.640	..	..	1.649	3.604
योग	26.4	27.574	2.2	6.6	7.571	..	4.5	5.219	3.604

उपहारस्वरूप के कागज को व्यापक शिक्षा प्रणाली (केप) परियोजना के विभिन्न कार्यकलापों के लिए परियोजना के बन्द होने से पहले इस्तेमाल करना था । प्राध्यापक द्वारा अप्रयुक्त कागज को प्रयोग में लाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी । जहां ग्लेजड न्यूज प्रिंट पेपर तथा कवर पेपर की कुछ सीमा तक (क्रमश: 2.2 एम. टी. तथा 3.604 एम. टी.) खपत की गयी आफसेट प्रिंटिंग कागज बिलकुल भी प्रयोग में नहीं लाया गया जिसके लिए अभिलेख में कोई भी कारण नहीं है (जुलाई 1985) ।

14.66 मीट्रिक टन भार के निशुल्क आयातित छपाई के कागज का 36 पेलेट्स का परेषण मद्रास से अप्रैल 1981 में बुक करवाया गया और 8 मई 1981 को सोलन में क्षतिग्रस्त हालत में पहुंचा । सुपुर्दगी 9 जून 1981 को ली गई प्रत्यक्ष जांच के दौरान 3.4 एम. टी. कागज जिसका मूल्य 0.31 लाख रु० था क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया, न तो कोई दावा रेलवे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया और न ही इस हानि का उत्तरदायित्व नियत किया गया ।

प्रधानाचार्य ने बताया (जून 1985) कि हानि को बट्टे खाते में डालने के लिए मामला राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ उठाया गया था । संस्वीकृति अपेक्षित है (जुलाई 1985) ।

मार्च 1981 के दौरान हिन्दी प्राईमर की 0.25 लाख प्रतिलिपियों के मुद्रण के लिए एक मुद्रणालय को 0.30 लाख रु० का अग्रिम दिया गया । अग्रिम का समायोजन अभी तक प्रतीक्षित है । प्रधानाचार्य ने बताया (जून 1985) कि समायोजन लेखा शिक्षा निदेशक से प्रतीक्षित था ।

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रत्यक्ष जांच का संचालन कभी नहीं किया गया था ।

3.3.13. प्रोत्साहन/पुरस्कार

योजना के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्र, समुदाय विकास खण्ड तथा जिला में पाठशाला भवनों में सुधार हेतु सुरक्षित पीने के पानी के प्रावधान हेतु लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण, रोशनी की सुविधाओं का प्रावधान, क्रयों में सहायता इत्यादि के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार देना परिकल्पित था ।

(i) वर्ष 1983–84 के लिए भारत सरकार द्वारा 5.50 लाख रु० प्रोत्साहन पुरस्कार के भुगतान के लिए स्वीकृत किए गए (मार्च 1984)। 2 लाख रु० का प्रयोग जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर (1.25 लाख रु०) तथा जिला शिक्षा अधिकारी, किन्नौर (0.75 लाख रु०) द्वारा प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण नहीं किया जा सका जबकि 2.25 लाख रु० की उपयुक्ति के विवरण जिला शिक्षा अधिकारी, कुल्लू (0.25 लाख रु०) जिला शिक्षा अधिकारी सोलन (0.25 लाख रु०) तथा जिला शिक्षा अधिकारी सिरमौर (1.75 लाख रु०) के पास उपलब्ध नहीं थे।

शेष तीन शिक्षा अधिकारियों (हमीरपुर, मण्डी तथा शिमला) से सूचना प्रतीक्षित है (जुलाई 1985)।

(ii) वर्ष 1984–85 के लिए नकद पुरस्कार के लिए भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत 7.50 लाख रु० जून 1985 तक आहृत नहीं किए गए थे। शिक्षा निदेशक ने बताया (जुलाई 1985) कि यह राशि 1984–85 के लिए बजट अनुमान में निधियों के प्रावधान न होने के कारण नहीं निकाली जा सकी। फिर भी मालूम हुआ कि वर्ष 1985-86 के लिए संस्वीकृति के नवीनीकरण के लिए सितम्बर 1985 में भारत सरकार से अनुरोध किया गया था जो प्रतीक्षित था (नवम्बर 1985)।

3.3.14. औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच कड़ी

यह आवश्यक था कि दोनों प्रणालियां (औपचारिक तथा अनौपचारिक) आपस में अर्थपूर्ण संबंध विकसित करें ताकि एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली और विपरीत दशा में प्रभावशाली गतिशीलता हो। फिर भी यह देखने में आया कि दोनों अभिकरणों में कोई समन्वय नहीं था जिसके परिणाम स्वरूप सीखने की गतिशीलता और वृद्धि को सुरक्षित नहीं किया जा सका।

3.3.15. सामान्य

खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पूह के कार्यालय में जो अधिकारी रोकड़ बही रखता था, उसकी सड़क दुर्घटना में 12 मई 1984 को मृत्यु हो गई। रोकड़ बही की प्रविष्टियों के अनुसार उस दिन हस्तस्थ रोकड़ 64969 रु० थी उसके बाद 16 मई 1984 तक जब तिजोरी की चाबियां मृतक के संबन्धियों से प्राप्त की गई तथा तिजोरी 17 मई 1984 को खोली गई थी, कोई भी लेन-देन नहीं हुआ। प्रत्यक्ष जांच पर तिजोरी में रोकड़ 2973.50 रु० पाई गई जो 61996.28 रु० की कमी दर्शाती थी।

रोकड़ में कमी की परिस्थितियों की विभाग ने जांच नहीं की थी। शिक्षा निदेशक ने अक्तूबर 1985 में बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मई 1985 में पुलिस में दर्ज करा दी गई थी। सरकारी धन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही अभी तक नहीं की गई थी (अक्तूबर 1985)।

3.3.16. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

(क) यद्यपि योजना 1979–80 से सक्रिय थी, जिला खण्ड तथा पाठशाला स्तर पर कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन प्रणाली के स्तर को उन्नत करने के लिए बारम्बार क्षेत्रीय जांच को व्यवस्थापित करने के उद्देश्य से कोई भी प्रभावकारी पर्यवेक्षण व्यवस्था स्थापित नहीं की थी।

आंकड़ों के क्षेत्र कार्यालयों (हमीरपुर, ऊना, किन्नौर जिलों) में उपलब्ध आंकड़ों से परस्पर संबंध से निम्नलिखित विसंगतियां प्रकट हुईं :—

वर्ष	जिले का नाम	केन्द्र की श्रेणी	निदेशालय अभिलेख के अनुसार आंकड़े			संबंधित जिलों के अभिलेखों के अनुसार आंकड़े			भिन्नताएं आवरण		
			केन्द्रों की संख्या	लड़के	लड़कियां	केन्द्रों की संख्या	लड़के	लड़कियां	केन्द्रों की संख्या	लड़के	लड़कियां
1980–81	हमीरपुर	माध्यमिक	1	4	20	..	..	..	1	(—)4	(—) 20
	ऊना	प्राथमिक	1	6	6	1	14	..	..	(+)8	(—) 6
1982–83	किन्नौर	माध्यमिक	1	11	3	..	..	..	1	(—)11	(—) 3

(ख) सर्वव्यापकता के सूचकों जैसे पाठशाला दशा, अवरोधन दर, स्तर तथा राज्य में शिक्षा अवसरों में विषमताओं पर योजनागत और आयोजनेतर परिचालनों के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया था । अभी तक योजना के परिचालन का मूल्यांकन हाथ में नहीं लिया गया था (जुलाई 1985) ।

सारांश

—अतिरिक्त नामांकन के नियत लक्ष्य प्रतिवर्ष प्राप्त किए गए फिर भी यह देखने में आया कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 23.71 प्रतिशत की तुलना में निश्चित किए गए लक्ष्य कम थे ।

—वर्ष 1981–82 से 1984–85 के दौरान जिला किन्नौर में गैर–नामांकित लड़कियों की प्रतिशतता 9 और 29 (6—11 आयु वर्ग) 54 तथा 94 (11—14 आयु वर्ग) और लड़कों में 12 और 86 (11—14 आयु वर्ग) के बीच रही ।

—सोलन तथा किन्नौर जिलों में लड़कों और लड़कियों के शिक्षा त्यागने वालों की प्रतिशतता आयु वर्ग 6—11 तथा आयु वर्ग 11—14 में 2 और 17 के बीच रही । जिला सोलन में यह परिवर्तनशीलता 4 और 22 के बीच रही ।

—हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को भुने हुए चने की आपूर्ति के लिए 1980–81 से 1984–85 के कालान्तर में दिए 54 लाख रु० के अग्रिम की राशि का अन्तिम समायोजन अभी तक अपेक्षित है । राज्य क्षेत्र में 636 प्राथमिक तथा 540 माध्यमिक केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति

1979–80 से 1984–85 की अवधि के दौरान केवल 64 प्राथमिक तथा 7 माध्यमिक केन्द्र खोले गये ।

— जिला किन्नौर में 22 शिक्षकों में से 20 मैट्रिक पास भी नहीं थे ।

व्यापक शिक्षा प्रणाली (केप) के अधीन राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को आबंटित 5.68 लाख रु० में से वास्तव में केवल 0.84 लाख रु० के खर्च का वहन किया गया ।

—राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्वीकृत 39 कार्यक्रमों में से केवल 17 राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए गए ।

— 1983–84 के दौरान संस्वीकृत 5.50 लाख रु० प्रोत्साहन/पुरस्कार हेतु प्रयोग में नहीं लाये गये । भारत सरकार द्वारा 1984–85 के लिए नकद पुरस्कार हेतु संस्वीकृत 7.50 लाख रु० आहूत नहीं हुए थे ।

—खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पूह के कार्यालय में 0.62 लाख रु० रोकड़ की कमी की जांच नहीं की गई ।

—योजना के आरम्भ होने से लेकर कार्यप्रणाली तथा कोई भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया ।

अगस्त 1985 में सरकार को मामला प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

3.4. 15—35 आयुवर्ग प्रौढ़ शिक्षा

3.4.1. प्रस्तावनात्मक

(i) सर्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने तथा 15–35 आयु वर्ग में निरक्षरता समाप्त करने हेतु भारत सरकार ने 2 अक्तूबर 1978 को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी सम्मिलित था। छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है तथा इसमें 1990 तक 100 प्रतिशत प्रौढ़ निरक्षरों का आवरण परिकल्पित है। कार्यक्रम के अधीन दी गई शिक्षा एक संवेष्टन है जिसमें मूल साक्षरता में प्रवीणता प्राप्ति समय के अधिक उत्पादक प्रयोग के लिए व्यावसायिक प्रवीणता का उच्चीकरण तथा प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक चेतना का स्तर ऊपर उठाना निहित है । कार्यक्रम मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है और वहां भी प्राथमिकता महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को आवृत करने के लिए दी जानी है ।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम राज्य में 2 अक्तूबर 1978 को कार्यन्वित किया गया जिसमें 8 प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं 715 केन्द्रों में स्थापित की गई दिसम्बर 1984 के अन्त तक 12 परियोजनाएं और 1149 केन्द्र थे । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित होने वाली 8 प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के प्रति राज्य में स्थापना से निम्नलिखित चार योजनायें कार्यान्वित की गई :–

(i) ग्रामीण कार्मिक साक्षरता परियोजना

(ii) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

(iii) विद्यार्थियों तथा युवकों की अन्तर्ग्रस्तता

(iv) नेहरू युवक केन्द्र

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कार्मिक साक्षरता परियोजना द्वारा पांच जिलों को आवृत किया गया था शेष 7 जिले राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अधीन लाये गये ।

3.4.2. संगठनात्मक ढांचा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा निदेशक द्वारा प्रौढ़ शिक्षा परियोजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है प्रत्येक परियोजना जिसमें एक या दो निकटवर्ती विकास खण्ड को आवृत करने वाले 100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं और प्रति केन्द्र में औसतन 30 प्रौढ़ निरक्षर नामांकित होते हैं । परियोजना का मुख्य एक परियोजना अधिकारी है जिसकी 30 केन्द्रों के निरीक्षण के लिए प्रौढ़ साक्षरता निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है ।

3.4.3. व्याप्ति क्षेत्र

कार्यक्रम के कार्यान्वियन की समीक्षा अप्रैल--मई 1985 के बीच चार जिलों (कुल्लू, मण्डी, सिरमौर तथा सोलन) में की गई जिसको शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश शिमला के अभिलेखों तथा छः जिलों (शेष 8 में से) द्वारा दी गई सूचना द्वारा अनुपूरित किया गया । अभिलेखों की नमूना जांच में जो महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में आये उनका वर्णन आगामी अनुच्छेदों में किया गया है ।

3.4.4. बजट प्रावधान, खर्चे तथा केन्द्रीय सहायता

ग्रामीण कार्मिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं जबकि राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर होने वाला खर्च राज्य की निधियों से पूरा किया जा रहा है ।

1978–79 से 1984–85 में बजट प्रावधान, वहन किया गया खर्च तथा केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	केन्द्रीय सहायता प्राप्त	खर्च			अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता
			केन्द्र का भाग	राज्य का भाग	कुल	
1978–79	उपलब्ध नहीं	4.58	3.89	3.84	7.73	0.69
1979–80	24.40	12.70	6.28	5.25	11.53	6.42
1980–81	16.84	7.42	3.51	6.59	10.10	3.91
1981–82	19.98	9.40	8.04	6.31	14.35	1.36
1982–83	23.83	11.00	9.84	9.93	19.77	1.16
1983–84	25.54	14.05	9.46	9.77	19.23	4.59
1984–85	34.12	19.78	12.56	13.02	25.58	7.22
कुल	144.71	78.93	53.58	54.71	108.29	

3.4.5 प्रत्यक्ष लक्ष्य तथा उपलब्धियां

नीचे की तालिका योजना के प्रारम्भ से 1984-85 तक वार्षिक प्रत्यक्ष लक्ष्य तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है :—

वर्ष	स्वीकृत किए गए केन्द्रों की संख्या	वास्तव में खोले गए केन्द्रों की संख्या	न्यूनता	नामांकित	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	न्यूनता	साक्षर किए गए प्रौढ़ों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
			(प्रतिशतता कोष्ठकों में)				
1978–79	800	715	85 (11)	24000	18509	5491 (23)	उपलब्ध नहीं
1979–80	1100	861	239 (22)	33000	19787	13213 (40)	9909 (30)
1980–81	1100	849	251 (23)	33000	18769	14231 (43)	15485 (47)
1981–82	1100	831	269 (24)	33000	18535	14465 (44)	16699 (51)
1982–83	1100	1077	23 (2)	33000	20996	12004 (36)	16685 (51)

1	2	3	4	5	6	7	8
1983–84	1100	1096	4 (×)	33000	20373	12627 (38)	16458 (51)
1984–85	1200	1190 (×)	10	36000	25127	10873 (30)	16671 (66)
कुल	7500	6619	881 (12)	225000	142096	82904 (37)	91907 (35)

× . 1 प्रतिशत से कम ।

वर्ष 1978–79 से 1984–85 के दौरान 7500 केन्द्रों में आयोजित नामांकित किए जाने वाले 2.25 लाख प्रशिक्षणार्थियों के प्रति खोले गए 6619 केन्द्रों में वास्तविक नामांकन 1.42 लाख था इसके प्रति 0.92 लाख ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया जो लक्षित 2.25 लाख के नामांकन का 35 प्रतिशत तथा कुल निरक्षरों (6.60 लाख) का 14 प्रतिशत बनता है। सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण सभी केन्द्रों को आरम्भ नहीं किया जा सका।

3.4.6. सामान्य

लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातें भी ध्यान में आई :—

(i) यद्यपि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयु वर्ग 15—35 वर्ष की प्रौढ़ जनसंख्या को आवृत करना था, 1979–80 से 1983–84 के बीच नामांकन में 10,314 प्रशिक्षणार्थी घोषित आयु वर्ग से ऊपर/नीचे के भी सम्मिलित थे जिन पर 1.03 लाख रु० का खर्च हुआ। सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि निर्धारित आयु वर्ग के प्रौढ़ों को ही नामांकित किया जाए।

(ii) केन्द्रों में औसत उपस्थिति के अभिलेख न तो निदेशालय स्तर पर रखे गए और न ही यह सूचना क्षेत्र अधिकारियों से मांगी गई। तीन जिलों में निम्नलिखित स्थिति देखने में आई :—

श्रौसत उपस्थिति

वर्ष	कुल्लू				मण्डी				सिरमौर			
	10 से कम	10 से लेकर 20 से कम	20 से लेकर 30 से कम	30 तथा ऊपर	10 से कम	10 से लेकर 20 से कम	10 से लकर 30 से कम	30 तथा ऊपर	10 से कम	10 से लेकर 20 से कम	20 से लेकर 30 से कम	30 तथा ऊपर
	(केन्द्रों की संख्या)											
1982—83	..	28	68	..	7	71	22	..	..	52	23	4
1983—84	1	50	46	..	..	70	30	..	9	44	3	..
1984—85	2	32	28	3	3	77	20	..	..	उपलब्ध नहीं है		

पूर्ववर्ती वर्षों की सूचना उपलब्ध नहीं थी । सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि इस संबंध में क्षेत्र अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं तथा पहले के वर्षों की सूचना जहां भी उपलब्ध होगी क्षेत्र अधिकारियों से जांच करवाई जाएगी ।

(iii) पाठ्यक्रम के 10 मास के कालावधि के प्रति 1982-83 से 1984–85 के दौरान जिला सोलन में 20 केन्द्र (18 केन्द्र: 2 मास तथा 2 केन्द्र: 4 मास) 2 से 4 मास के विलम्ब से आरम्भ किए गए लेकिन इन्हें दूसरे केन्द्रों जिन्होंने समय पर कार्य आरम्भ कर दिया था के साथ ही बन्द कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षणार्थियों के पाठ्यक्रम की कालावधि में गिरावट हुई । सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि भविष्य में पाठ्यक्रम की कालावधि नहीं घटाई जाएगी।

(iv) 1979–80 से 1983–84 के मध्य पाठ्यक्रम छोड़ने वालों का कोई भी ब्यौरा शिक्षा निदेशक ने नहीं रखा । फिर भी उन 4,604 सीखने वालों जो पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले छोड़ गए थे की शिक्षा तथा सीखने की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये 0.46 लाख रु० चार जिलों (कुल्लू : 0.21 लाख रु०, मण्डी: 0.04 लाख रु०, सिरमौर : 0.07 लाख रु० तथा सोलन : 0.14 लाख रु०) में खर्च किए गए। सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी भी प्रशिक्षणार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता ।

(v) 1982–83 से 1984–85 के बीच 2 जिलों के 53 केन्द्रों (सिरमौर : 42 तथा सोलन : 11) को उनके 3 से 7 मास काम करने के बाद उनका कार्यचालन अनुचित होने के कारण सीखने वालों की कम संख्या तथा अलाभकारी वेतन के कारण प्रशिक्षकों के नौकरी छोड़ देने के कारण बन्द कर दिया गया । इस प्रकार वेतन भुगतान तथा बिजली के खर्च पर 0.18 लाख रु० का व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ ।

(vi) 1978–79 को छोड़कर जिसके लिए विभाग द्वारा बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं कराए गए, 1978–79 से 1984–85 के दौरान बजट प्रावधान अधिकतर अप्रयुक्त रहा, बचत 17 तथा 53 प्रतिशत के सीमान्तर में रही । सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण केन्द्र निर्धारित संख्या में खोले/आरम्भ नहीं किए जा सके ।

(vii) 1984–85 के अन्त तक अप्रयुक्त 7.22 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता को न तो प्रत्यर्पित किया गया और न ही इसकी अप्रयुक्तता के कारण अभिलिखित थे (जुलाई 1985)। फिर भी सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि निधियां इस लिए अप्रयुक्त रहीं क्योंकि चार नई परियोजनाएं जो वर्ष के अन्त में संस्वीकृत हुई थीं मार्च 1985 में ही चालू हुई थीं।

(viii) 1981–82 से 1984–85 के दौरान शिक्षा निदेशालय में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त दूसरे उद्देश्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के भुगतान के लिए 1.09 लाख रु० तथा 2.26 लाख रु० क्रमशः केन्द्रीय सहायता तथा राज्य निधियों से प्रयुक्त हुए। सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि ऐसा प्रशासनिक सुविधा के कारण किया गया।

(ix) अप्रैल 1983 और मार्च 1985 के बीच जिला मण्डी में जिला कुल्लू के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत कर्मचारियों के जो कि वास्तव में उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय मण्डी में अन्य काम के लिए नियुक्त थे वेतन व भत्तों पर केन्द्रीय सहायता से 0.50 लाख रु० खर्च किए गए। सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि स्टाफ को कुल्लू बदलने के लिए पग उठाए जा रहे हैं।

(x) जिला मण्डी में 1978-79 के दौरान उन दायित्वों के भुगतान के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं थे केन्द्रीय सहायता 0.73 लाख रु० (वेतन भत्ते: 0.36 लाख रु० तथा बिजली खर्च: 0.37 लाख रु०) प्रयुक्त हुए। आगे 1984–85 के दौरान निधियों के उपलब्ध न होने के कारण खर्च में राज्य के भाग को पूरा करने के लिए 0.25 लाख रु० (मण्डी: 0.15 लाख रु० तथा सिरमौर: 0.10 लाख रु०) केन्द्रीय सहायता में से प्रयुक्त किए गए। इस स्थिति की पुष्टि करते हुए सरकार ने नवम्बर 1985 में कहा कि ऐसा योजना को जनहित में कार्यान्वित करने के लिए किया गया।

(xi) जिला सिरमौर में मार्च 1985 में फर्नीचर, चार्ट इत्यादि की खरीद के **10** आपूर्ति आदेशों के लिये मार्च 1985 के अन्त में आहृत 0.33 लाख रु० बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखे गये ताकि निधियों को व्यपगमन से बचाया जा सके। सामग्री की आपूर्ति अभी तक अपेक्षित थी (अप्रैल 1985)।

3.4.7. सर्वेक्षण

उन क्षेत्रों की जहां निरक्षरों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केन्द्रीयकरण था की पहचान करने के लिये यद्यपि कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित था कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया और प्रशिक्षकों को उत्साहित करने के लिये

तथा पाठ्यक्रम और पढ़ाने/सीखने की सामग्री तैयार करने तथा प्रशिक्षण इत्यादि के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कार्यक्रम इस क्षेत्र में बिना किसी तैयारी के आरम्भ किया गया। सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि धन की कमी के कारण सर्वेक्षण नहीं किया जा सका।

भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजना की प्रतिलिपि न तो शिक्षा निदेशक के पास उपलब्ध थी और न ही उन जिला कार्यालयों में जिनकी जांच की गई थी। इसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव में काम स्वीकृत योजना में दिये गये विवरणों के अनुसार ही किया जा रहा था।

3.4.8. स्टाफ की स्थिति

(i) योजना के आरम्भ में राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर स्टाफ का ठीक ठीक निर्धारण नहीं किया गया।

नीचे की तालिका योजना के अधीन अपेक्षित पदों की संख्या खाली स्थानों की स्थिति तथा विभिन्न पदों को भरने में देरी को प्रदर्शित करती है :—

पद का नाम	पदों की संख्या			खाली स्थानों की संख्या	खाली रहने की अवधि
	अपेक्षित	संस्वीकृत	भरे गये		
जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	..	3	2	1	1978–79 से 1984–85
				2	अक्तूबर 1978 से नवम्बर 1981
परियोजना अधिकारी	12	9	8	6	अक्तूबर 1978 से अक्तूबर 1984
				1	1978–79 से 1984–85
प्रौढ़ साक्षरता निरीक्षक	38	33	30	15	अक्तूबर 1978 से मार्च 1984
				3	1978–79 से 1984–85

सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि रिक्त स्थानों को भरने के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

(ii) 1981 की जनगणना के अनुसार चार जिलों (चम्बा : 26.02 प्रतिशत, कुल्लू: 33.44 प्रतिशत, लाहौल एवं स्पिति : 31.60 प्रतिशत तथा सिरमौर : 31.57 प्रतिशत) में साक्षरता की दर 36.17 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से कम प्रतिवेदित की गई थी।

उपनिदेशक प्रौढ़ शिक्षा ने मई 1985 में बताया कि जिन जिलों की साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से नीचे है उनका प्राथमिकता आधार पर ध्यान रखा जा रहा है । दो जिले (कुल्लू तथा सिरमौर) के अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि उन जिलों में प्राथमिकता क आधार पर निरक्षरों को नामांकित करने के लिये कोई विशेष पग नहीं उठाये गये थे । सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि जिला सिरमौर में मार्च 1985 से 100 अति-रिक्त केन्द्र खोले गये हैं तथा कुल्लू को ऐसे केन्द्र दिये जाने के संबंध में मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया था।

3.4.9. प्रशिक्षण

राज्य, जिला तथा क्षेत्रीय स्तर पर मूल कार्मिकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का था। केन्द्रों के प्रशिक्षकों को केन्द्रों के प्रारम्भ होने से पहले 21 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना था। फिर भी मार्च 1980 तक राज्य/जिला स्तर पर किसी भी कर्म-चारी/अधिकारी को आवश्यक प्रशिक्षण नहीं दिया गया। प्रशिक्षकों को निर्धारित मानक के अनुसार 21 दिन के प्रशिक्षण के प्रति जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों द्वारा 3 से 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा था जो इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त निधियों के उपलब्ध न होना/असामयिक उपलब्धता के कारण बताया गया था। जिला मण्डी के अभि-लेखों से प्रकट हुआ कि ग्रामीण कार्मिक साक्षरता के अन्तर्गत फरवरी-मार्च 1985 में आबंटित 100 अतिरिक्त केन्द्रों को उन केन्द्रों में नियुक्त किये जाने वाले प्रशिक्षकों को कोई प्रशिक्षण दिये बिना ही आरम्भ किया गया था। परियोजना अधिकारी मण्डी ने बताया (मई 1985) कि खण्ड स्तर पर सभाओं का आयोजन करके प्रौढ़ शिक्षा की कार्यपद्धति के संबंध में प्रशिक्षकों को औपचारिक निर्देश दिये गये थे।

3.4.10. आधार सामग्री की लेखा परीक्षा

कार्यक्रम में परिकल्पित आधार सामग्री की लेखा परीक्षा की प्रणाली राज्य में अभी तक लागू नहीं की गयी थी (जून 1985) जबकि इसे लागू न किए जाने का कोई कारण नहीं दिया गया, शिक्षा निदेशक ने मई 1985 में बताया कि प्रणाली को शीघ्र ही लागू किया जायेगा ।

3.4.11. दूसरे कार्यक्रमों के साथ समन्वय

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का भारत सरकार के अन्य चालू कार्यक्रमों जैसे समेकित शिशु विकास सेवा योजना तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम इत्यादि के साथ कोई समन्वय नहीं था। अन्य चालू कार्यक्रमों के तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय के अभाव में जागरूकता और कार्मिकता को प्राप्त करने का ध्येय बड़ी सीमा तक अप्राप्त रहा।

3.4.12. पुरस्कार राशि का प्रयोग

1982-83 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर राज्य के 60 केन्द्रों को (12 जिलों में प्रत्येक में 5 केन्द्र) पुरस्कार के लिये चुना गया। भारत सरकार द्वारा

संस्वीकृत 3 लाख रु० की राशि (5000 रु० प्रति केन्द्र की दर से) 1983–84 के दौरान प्रयोग के लिये प्राप्त हुई। इस राशि का वितरण प्रत्येक जिले के प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों/परि–योजना अधिकारियों में 25000 रु० प्रति जिले की दर से इन निर्देशों के साथ किया गया (दिसम्बर 1984) कि इस राशि का प्रयोग उन केन्द्रों के लिये जिनके लिये पुरस्कार संस्वीकृत किये गये हैं (i) सिलाई मशीने, (ii) बुनाई मशीनें तथा (iii) अनपढ़ों के लिये पढ़ाई की सामग्री तथा पत्रिकायें खरीदने में किया जाये। निर्देशों (अगस्त 1984) में यह भी प्रावधान था कि यदि केन्द्रों को समाप्त अथवा बन्द कर दिया गया हो तो पुरस्कार धन का प्रयोग साक्षरता उपरांत तथा अनुवर्ती कार्यकलापों को हाथ में लेने में किया जायेगा।

नमूना जांच ने प्रदर्शित किया कि 0.88 लाख रु० का प्रयोग 177 मशीने (सिलाई मशीनें : 176 तथा बुनाई मशीन: 1) खरीदने में किया गया था (मार्च 1985) तथापि मशीनों का वितरण नहीं किया गया क्योंकि पुरस्कार के लिये चुने गये केन्द्र बन्द हो चुके थे। सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि मशीनों को सही व्यक्तियों में वितरण का मामला विचाराधीन है आगे की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 1985)। 0.12 लाख रु० की शेष राशि कुल्लू जिले में अप्रयुक्त रही (अप्रैल 1985)।

पुरस्कार धन से कोई भी साक्षरता उपरान्त और अनुवर्ती कार्यकलाप हाथ में नहीं लिये गये। 1984–85 के लिये 5.75 लाख रु० का पुरस्कार धन (2.75 लाख रु० 55 केन्द्रों के लिये तथा 3 लाख रु० जिला पुरस्कार के लिये) अप्रयुक्त पड़ा था। शिक्षा निदेशक ने बताया (मई 1985) कि इस राशि को 1984–85 के दौरान प्रयुक्त नहीं किया जा सका तथा इसे चालू वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किया जा रहा है।

किन्तु वर्ष के दौरान राशि के अप्रयुक्त रहने का कोई कारण नहीं दिया गया (सितम्बर 1985)।

3.4.13. साक्षरता उपरान्त तथा अनुवर्ती कार्यक्रम

कार्यक्रम में साक्षरता युक्त दक्षता को दैनिक जीवन में उनके प्रयोग में सुदृढ़ बनाना, व्यावसायिक प्रवीणता में सुधार तथा अनुपूरक रोजगार के बारे में शिक्षा आरम्भ करना अभिकल्पित था। योजना को वहां आरम्भ करना अपेक्षित था जहां प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने 10 महीने की अवधि का पहला चरण पूरा कर लिया था ताकि उन सीखने वालों को जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम में मूल साक्षरता दक्षता प्राप्त कर ली है उन्हें निरक्षरता में लीन होने से बचाया जाये। तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा अनन्तर शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित करना था।

शिक्षा निदेशक ने मई 1985 में बताया कि यह कार्यक्रम भी विभाग द्वारा हाथ में लिया गया था लेकिन इस परियोजना के अन्तर्गत किये गए कार्यों के विवरण का उन्हें ज्ञान नहीं था।

चार जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कोई भी साक्षरता उपरान्त और अनुवर्ती कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था सिवाये इसके कि इन जिलों के विभिन्न विकास खण्डों में प्राथमिक पाठशाला अध्यापकों के माध्यम से तीन जिलों (कुल्लू,

सिरमौर तथा मण्डी) में मई 1982 में 36 ग्रामीण पुस्तकालय खोले गये थे। नये साक्षरों द्वारा इन पुस्तकालयों से उठाये गये लाभ का निर्धारण कभी भी नहीं किया गया था। परियोजना अधिकारी शिमला ने मई 1985 में सूचित किया कि शिमला जिले में 10 ग्रामीण पुस्तकालय स्थापना से उसी स्थान पर कार्य कर रहे थे और अनुवर्ती कार्यक्रम के अभाव में नये साक्षर निरक्षरता में विलीन हो गये थे।

सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि भारत सरकार से चालू योजनाओं के लिये विकसित आधुनिक प्रतिमान भेजने के लिये अनुरोध किया गया है और उनके प्राप्त होने पर आवश्यक प्रस्ताव बनाये जायेंगे।

3.4.14. नेहरू युवक केन्द्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवी सेवा योजना के माध्यम से आठ नेहरू युवक केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन में कार्यरत थे। यह केन्द्र निदेशक, युवा सेवाएं तथा खेल, हिमाचल प्रदेश, शिमला के अधीन कार्य कर रहे थे। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये निधियां केन्द्रों को सीधी भारत सरकार द्वारा दी जाती थी। सम्पन्न कार्य के प्रगति प्रतिवेदन भी इन केन्द्रों द्वारा सीधे भारत सरकार को भेजे जाते थे। इन केन्द्रों में कार्यक्रम "चेतना संघ" के नाम से चलाया जा रहा है।

1978–79 से 1984–85 के दौरान दो केन्द्रों को भारत सरकार से मिले 4.60 लाख रु० (सोलन 3.07 लाख रु० तथा कुल्लू 1.53 लाख रु०) के अनुदान के प्रति 4.29 लाख रु० का व्यय (सोलन : 3.03 लाख रु० तथा कुल्लू : 1.26 लाख रु०) किया गया। बची हुई 0.31 लाख रु० की राशि का प्रत्यर्पण/समायोजन अपेक्षित था (जून 1985)।

नेहरु युवक केन्द्र सोलन द्वारा 1984–85 तथा प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में की गई प्रगति निम्न प्रकार से थी :—

वर्ष	खोले गए केन्द्रों की संख्या	कुल नामांकन	कुल क्षिप्तियां	साक्षर की गई कुल संख्या
1978–79	45	1266	136	927
1979–80	40	1118	201	874
1980–81	40	1120	355	665
1981–82	60	1870	460	1040
1982–83	40	1072	174	801
1983–84	10	288	72	192
1984–85	10	282	47	197
	245	7016	1445	4696

ऊपर की तालिका से यह पता चलता है कि कुल 7016 सीखने वालों में से 4696 (67 प्रतिशत) सीखने वालों को सात साल की अवधि में साक्षर बनाया गया जबकि 1445 (21 प्रतिशत) सीखने वालों ने पाठ्यक्रम को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया। इन छोड़ने वालों को जारी की गई मूल शिक्षण सामग्री पर खर्च हुई 0.12 लाख रु० की राशि (8.50 रु० प्रतिवर्ष प्रति सीखने वाले की दर से) एक बड़ी सीमा तक निष्फल रही।

नेहरू युवक केन्द्र द्वारा कुल्लू जिले में हुई उपलब्धियों के उचित अभिलेख नहीं रखे गये। वर्ष 1980–81 के अलावा कोई भी त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार नहीं किये/भारत सरकार को नहीं भेजे गये।

1980–81 तथा 1981–82 से 1984–85 के दौरान 0.50 लाख रु० के खर्च के प्रति कुल्लू जिले में नामांकित 1644 सीखने वालों में से 742 प्रौढ़ निरक्षर साक्षर बनाए गये।

3.4.15. वाहन

केन्द्रीय सहायता से शिक्षा निदेशक द्वारा 3.15 लाख रु० की लागत से 5 जीपें (दिसम्बर 1980 : 4 तथा अप्रैल 1982 :1) खरीदी गई थीं। यह जीपें जिला शिक्षा अधिकारियों (कुल्लू, ऊना चम्बा तथा मण्डी) तथा उप-निदेशक प्राथमिक शिक्षा को आबंटित की गई जिनका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन से कोई संबंध नहीं था।

दिसम्बर 1980 से अप्रैल 1985 के दौरान तीन जीपों की 125951 किलोमीटर की व्याप्ति में से 2114 किलोमीटर (1.67 प्रतिशत) उपरोक्त कार्यक्रम के लिये प्रयोग में आई।

यह भी देखने में आया कि जीपों के चलाने और रख रखाव पर होने वाले खर्च का कोई भी अभिलेख उपनिदेशक प्रौढ़ शिक्षा के पास उपलब्ध नहीं था क्योंकि जीपें क्षेत्र अधिकारी के नियन्त्रण में बताई गई थीं फिर भी 1981–85 के दौरान जिला कुल्लू में जीपों के चलाने और मरम्मत पर 0.66 लाख रु० प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निधियों से खर्च किया गया जबकि वाहन पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये इस्तेमाल किये गये।

3.4.16. अन्य रुचिकर विषय

योजना के वित्तीय प्रतिरूप के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों को 50 रु० प्रति मास की दर से लगातार एक वर्ष में 10 मास मानदेय दिया जाना था जिसे फरवरी 1984 में 12 मास के लिये 100 रु० प्रतिमास तक बढ़ा दिया गया था।

(i) चार जिलों के अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि जबकि तीन जिलों में मानदेय का भुगतान वर्ष में एक बार किया गया, जिला मण्डी में यह एक वर्ष में दो बार किया गया। परियोजना अधिकारियों शिमला, बिलासपुर तथा कांगड़ा ने मई 1985 में बताया कि भुगतान क्रमशः त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और केन्द्र के बन्द होने के पश्चात् किया जा रहा था क्योंकि प्रशिक्षकों से मासिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते थे, भुगतान हेतु संस्वीकृति प्राप्त करने में समय लगता था और परियोजनाओं में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं होती थी। फरवरी 1984 में निर्धारित किए गए 100 रु० मासिक दर के मानदेय के प्रति 50 रु० प्रति मास की दर से भुगतान किया जाता रहा।

(ii) जिला सिरमौर में 0.08 लाख रु० 15 सिलाई की मशीनें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निधि से खरीदी गई जबकि ऐसी खरीद कार्यक्रम के अधीन अनुमत्य नहीं थी। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ने अप्रैल 1985 में बताया कि मशीनें अधिक से अधिक सीखने वाली महिलाओं को नए केन्द्रों में आकर्षित करने के लिये खरीदी गई थी।

3.4.17. प्रबोधन तथा मूल्यांकन

(i) यद्यपि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978–79 से कार्यान्वित रहा है, विभाग द्वारा कार्यक्रम के प्रभाव का निर्धारण करने तथा सुधार के लिये उपचारी उपायों हेतु मूल्यांकन हाथ में नहीं लिया गया सरकार ने नवम्बर 1985 में बताया कि मामला विचाराधीन था।

(ii) जबकि जिला सोलन के प्रशिक्षकों से कोई भी मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। जिला मण्डी में यह विवरणियां 1982–83 से 1984–85 के दौरान 7 से 82 दिन के विलम्ब से प्राप्त हुई। 1982–83 से 1984–85 के दौरान परियोजना अधिकारी मण्डी द्वारा शिक्षा निदेशक को त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने में देरी 1 से 22 दिन की सीमा में रही।

यद्यपि उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा ने बताया (मई 1985) कि सभी विवरणियां नियत समय पर प्राप्त हुई/भेजी गई थी लेकिन नमूना जांच से पता चला कि 1979–80 से 1984–85 के दौरान यह प्रतिवेदन भारत सरकार को पांच मामलों में 2 से 6 मास की देरी से भेजे गये थे।

(iii) यद्यपि जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति भी प्रत्येक जिले के लिये गठित की गई थी जिला प्रौढ़ शिक्षा समितियों की अन्तिम बैठकें जिला सोलन में दिसम्बर 1982 में, मण्डी में मई 1984 में, तथा कुल्लू में सितम्बर 1984 में हुई थी। जिला सिरमौर में समिति के 1976 में गठन से लेकर अब तक कोई बैठक नहीं हुई थी। परियोजना अधिकारियों सोलन और शिमला ने क्रमश: अप्रैल 1985 तथा मई 1985 में बताया कि वे संबंधित प्रौढ़ शिक्षा समिति के सदस्य नहीं थे।

सारांश

—1979–80 से 1984–85 के दौरान बजट प्रावधान बड़ी सीमा तक अप्रयुक्त रहे, बचत 17 से 53 प्रतिशत की सीमा में रही। मार्च 1985 के अन्त तक अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता 7.22 लाख रु० थी।

—1978–79 से 1984–85 के दौरान 7500 केन्द्रों में 2.25 लाख सीखने वालों के नामांकित करने के लक्ष्य के प्रति वास्तविक नामांकन 6619 केन्द्रों में 1.42 लाख था जिसमें से 0.92 लाख ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। यह 1979–80 से 1984–85 के दौरान 2.25 लाख के नामांकन के लक्ष्य का 35 प्रतिशत बनता था तथा कुल निरक्षरों का 14 प्रतिशत था।

—1979–80 से 1983–84 तक कार्यक्रम के लिये निश्चित आयु वर्ग से

ऊपर/नीचे 10,314 सीखने वालों का नामांकन किया गया जिससे 1.03 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।

--जबकि 1979-80 से 1983-84 के दौरान चार जिलों में 4604 सीखने वालों ने पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले ही छोड़ दिया। 1982-83 से 1983-84 के दौरान दो जिलों में 52 केन्द्र पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले ही बन्द कर दिये गये जिससे 0.64 लाख रु० का व्यय विफल रहा।

--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये रखी गई निधियों में से 3.85 लाख रु० अन्य उद्देश्यों के लिये खर्च किये गये।

--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद कई पदों को 2 से 6 वर्ष के विलम्ब से भरा गया।

--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का दूसरे चल रहे कार्यक्रमों जैसे समेकित शिशु विकास योजना और परिवार कल्याण योजना के साथ कोई भी समन्वय नहीं था।

--पुरस्कार धन से खरीदी गई (मार्च 1985) 176 सिलाई की मशीनें और एक बुनाई की मशीन वितरित नहीं की गई थीं और अन्ततः अप्रयुक्त पड़ी रही क्योंकि जिन केन्द्रों का पुरस्कार के लिये चयन किया गया था वे बन्द हो चुके थे।

--पांच जीपें जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता से 3.15 लाख रु० के मूल्य से दिसम्बर 1980 और अप्रैल 1982 के दौरान खरीदी गई उन अधिकारियों को आबंटित की गई जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन से संबधित नहीं थे।

--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये तीन जीपें अधिकतर दूसरे उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त हुईं।

--प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के आरम्भ होने से कार्यक्रम के कार्य चालन का कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया।

वन कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण विभाग

3.5. ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधारोपण सहित वनीकरण, सामाजिक तथा फार्म वानिकी

3.5.1. प्रस्तावनात्मक

(i) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्र का 60 प्रतिशत वनों के अन्तर्गत लाया जाना था। राज्य वन नीति (1980) के अनुसार भी शताब्दी के अन्त तक 50 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वनों द्वारा पूरित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा वर्षों से कई योजनाएं कार्यान्वित की गईं थी लेकिन वन क्षेत्र (अप्रैल 1985) 2132.5 हजार हैक्टेयर अर्थात् राज्य के सकल भौगोलिक क्षेत्र (5567·3 हजार हैक्टेयर) का 38.3 प्रतिशत बनता था। राज्य वन नीति के तैयार होने (1980) के पश्चात् भी अप्रैल 1980 (2119 हजार हैक्टेयर) से मार्च 1985 तक (2132.5 हजार हैक्टेयर) की पांच वर्षों की अवधि में 2488.24 लाख रु० की लागत पर 121.65 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में इस अवधि के दौरान नये पौधारोपण के दावे के बावजूद वन क्षेत्र में केवल 13.5 हजार हैक्टेयर (0.63 प्रतिशत) की आंशिक वृद्धि हुई थी। बंजर/खाली भूमि वाले क्षेत्र (806.51 हजार हैक्टेयर) को छोड़ दिये जाने के पश्चात् वनों के अन्तर्गत क्षेत्र 1326

हजार हैक्टेयर (मार्च 1985) बनता है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 23.82 प्रतिशत है।

(ii) ग्रामीण लोगों की ईंधन लकड़ी, चारे तथा इमारती लकड़ी की आवश्यकता तथा आपूर्ति के मध्य अन्तर को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना (1980–81 से 1984–85 तक) के दौरान उनके गांवों में और आसपास ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौध रोपण सहित सामाजिक वानिकी योजना का केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में सूत्रपात किया गया था। यह भी प्रत्याशा की गई कि विद्यमान वनों पर दवाब कम हो जायेगा जिससे अन्ततः भूमि तथा जल संरक्षण में पारिस्थितिक लाभ होगा और खण्डों की जलवायविक चरमावस्था में कमी होगी इस योजना के दो घटक हैं अर्थात् (क) सकल उपलब्ध सरकारी बंजर भूमि, और निम्न कोटिकृत वनों, रेल मार्गों, सड़कों तथा नहरों के किनारों पर ग्रामीण ईंधन लकड़ी के वन उगाना ; (ख) "प्रत्येक बच्चे के लिये एक पेड़" कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों तथा बच्चों को पौध की मुफ्त आपूर्ति करना। यह योजना वर्ष 1980–81 से तीन जिलों (कांगड़ा, मन्डी और सिरमौर) में चलाई गई थी तथा तदनन्तर 1983–84 से जिला शिमला तथा हमीरपुर में भी लागू कर दी गई थी।

3.5.2. व्याप्ति क्षेत्र

मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला के अभिलखों द्वारा प्रतिपूरित पांच जिलों में प्रत्येक के एक मण्डल में कार्यक्रम की कार्य विधि की लेखापरीक्षा द्वारा मार्च–मई 1985 में समीक्षा की गई थी। ध्यान में आये महत्वपूर्ण तथ्य अनुगामी अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

3.5.3 बजट प्रावधान, व्यय तथा केन्द्रीय सहायता

वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान इस कार्यक्रम पर 25,24.55 लाख रु० के बजट प्रावधान के प्रति 24,88.24 लाख रु० का व्यय किया गया था, परिणामतः 36.31 लाख रु० की बचत हुई। प्रत्येक गतिविधि के वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	प्राप्त केन्द्रीय सहायता	अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता
I—सामाजिक वानिकी				
1. फार्म वानिकी				
1980–81	66.51	63.06	..	..
1981–82	42.13	42.14	..	..
1982–83	99.72	99.72	..	..
1983–84	185.29	183.60	..	..
1984–85	149.67	149.03	..	..
	543.32	537.55		

1	2	3	4	5
2. बंजर/पंचायत भूमि पर मिश्रित पौधारोपण				
1980–81	49.17	49.04	..	..
1981–82	53.54	53.54	..	..
1982–83	65.66	65.64	..	..
1983–84	45.89	46.88	..	..
1984–85	62.62	62.16	..	..
	276.88	277.26	..	..
3. निम्न कोटिकृत वनों का पुनर्वनीकरण				
1980–81	17.05	17.08	..	..
1981–82	20.83	20.89	..	..
1982–83	26.17	26.17	..	..
1983–84	37.90	37.90	..	..
1984–85	41.14	40.49	..	..
	143.09	142.53	..	..
4. ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधारोपणों सहित सामाजिक वानिकी				
1980–81	10.51	8.01	14.22	(+) 11.81
1981–82	32.39	32.39	2.48	(—) 11.81
1982–83	72.74	72.43	30.32	(—) 0.25
1983–84	143.22	132.42	50.00	(—) 0.83
1984–85	195.00	192.30	67.70	(+) 17.61
	453.56	437.55	164.72	(+) 16.53

1	2	3	4	5
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधारोपण				
1982–83	60.00	51.31	..	..
1983–84	40.00	38.36	..	..
1984–85	45.18	40.22	..	..
	145.18	129.89	..	..
II--पौधारोपण योजना				
1. देवदार, फर, स्प्रूस आदि वन प्रारम्भिक पौधारोपण				
1980–81	77.74	77.67	..	..
1981–82	83.38	84.07	..	..
1982–83	112.39	112.37	..	..
1983–84	90.90	90.86	..	..
1984–85	111.58	111.56	..	..
	475.99	476.53	..	..
2. शीघ्र उगने वाली किस्मों का प्रारम्भिक पौधारोपण				
1980–81	82.95	83.05	..	..
1981–82	84.34	84.68	..	..
1982–83	113.05	113.06	..	..
1983–84	80.32	80.29	..	..
1984–85	125.87	125.85	..	..
	486.53	486.93	..	..
कुल जोड़	2524.55	2488.24	..	..

36.31 लाख रु० की बचत के कारण प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

यह ध्यान में आया कि वर्ष 1982--83 के दौरान प्रारम्भ में 5 योजनाओं के अंतर्गत लेखाबद्ध व्यय (12.54 लाख रु०) चार अन्य योजनाओं के व्यय को बजट आबंटन के साथ मिलान मात्र के लिये हस्तान्तरित कर के उन 4 योजनाओं के अंतर्गत अंकित किया गया था।

3.5.4 केन्द्रीय सहायता

योजना में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौध रोपण सहित सामाजिक वानिकी के लिये किये गये वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत जो 1000 रु० प्रति हैक्टेयर की अधिकतम सीमा तक होगी केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। यह सहायता दो वर्षों में अर्थात प्रथम वर्ष में पौध उगाने सहित रोपण से पूर्व निष्पन्न होने वाले कार्यों तथा दूसरे वर्ष में देख भाल आदि करने सहित पौधा रोपण के लिये उपलब्ध करवाई जानी थी।

पौध के लिये केन्द्रीय सहायता वास्तव में आपूरित प्रति 1000 पौधों के लिये 250 रु० सीमा तक दी जानी थी। निम्न तालिका वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में देय तथा वास्तव में प्राप्त केन्द्रीय सहायता की राशि को दर्शाती है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार	वास्तव में प्राप्त राशि
1980–81	2.41	14.24
1981–82	14.29	2.28
1982–83	30.57	30.32
1983–84	50.83	50.00
1984–85	50.09	67.70
जोड़	148.19	16.72

(i) अक्तूबर 1985 के अन्त तक 16.53 लाख रु० की अप्रयुक्त केन्द्रीय सहायता का प्रत्यर्पण/समायोजन प्रतीक्षित था।

(ii) विभाग द्वारा अक्तूबर 1982 में कृषि मंत्रालय को भेजे गये वर्ष 1980–81 से 1981–82 से सम्बद्ध प्रगति प्रतिवेदन में 36.21 लाख रु० की लागत पर 1590 हैक्टैयर (1980–81 : 241 हैक्टेयर, 5.42 लाख रु० तथा 1981–82 : 1349 हैक्टेयर, 30.79 लाख रु०) में नया पौध रोपण किया बताया गया था।

भारत सरकार द्वारा इस आधार पर 16.70 लाख रु० (15.90 लाख रु० नये पौधा-रोपण के लिए तथा 0.80 लाख रु० पौध का मुफ्त वितरण करने के लिए) वर्ष 1980-81 (14.22 लाख रु०) तथा 1981–82 (2.48 लाख रु०) निर्धारित किये गये थे। तथापि यह भी ध्यान में आया कि वर्ष 1980–81 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कोई नये पौधारोपण नहीं किये गये थे। इस कारण वर्ष 1980–81 के दौरान 241 हेक्टेयर में नये पौधारोपणों के लिए 2.41 लाख रु० का अनुदान अनुमत्य नहीं था।

(iii) मुख्य अरण्यपाल के कार्यालय में संकलित प्रगति प्रतिवेदन में जिला कांगड़ा में 1982-83 के दौरान वितरित 11.50 लाख पौधों की बजाय 12 लाख पौधे दर्शाये गये थे। परिणामत: 0.12 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता का अधिक विमोचन हुआ।

3.5.5. प्रत्यक्ष लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष 1980—85 के दौरान प्रत्यक्ष लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नप्रकारेण थी :—

(हैक्टेयरों में)

योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
I—सामाजिक वानिकी योजना		
1. फार्म वानिकी		
1980–81	2,480	5,071
1981–82	3,230	3,127
1982–83	1,600	5,349
1983–84	7,000	6,513
1984–85	1,870	1,709
	16,180	21,769
2. बंजर/पंचायत भूमि पर मिश्रित पौधरोपण		
1980–81	1,340	2,167
1981–82	1,750	1,900
1982–83	1,350	1,565
1983–84	520	547
1984–85	922	887
	5,882	7,066
3. निम्न कोटिकृत वनों का पुनः वनीकरण		
1980–81	380	752
1981–82	500	848
1982–83	530	713
1983–84	836	896
1984–85	913	795
	3,159	4,004

4. ग्रामीण-ईंधन लकड़ी पौधारोपण (संख्या में)

1980–81	..	241
1981–82	1,590	1,349
1982–83	2,000	2,053
1983–84	2,476	3,481
1984–85	3,946	3,810
	10,012	10,934

5. एन० आर०, ई० पी० के अन्तर्गत पौधारोपण

1980–81	निर्धारित नहीं	उपलब्ध नहीं
1981–82		उपलब्ध नहीं
1982–83		2,329
1983–84		1,243
1984–85		1,213
		4,785

II—पौधारोपण योजनाएं

1—देवदार, फर, स्प्रूस आदि का प्रारम्भिक पौधारोपण

1980–81	2,580	3,606
1981–82	3,360	3,663
1982–83	2,500	3,613
1983–84	2,000	2,340
1984–85	2,508	2,129
	12,948	15,351

2. शीघ्र उगने वाली किस्मों आदि का प्रारम्भिक पौधारोपण

1980–81	2,880	4,006
1981–82	3,730	3,768
1982–83	2,400	3,423
1983–84	1,800	2,005
1984–85	2,864	2,683
	13,674	15,885

(1) दिसम्बर 1980 में मुख्य अरण्यपाल ने कृषि मंत्रालय से सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिलों को "ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधारोपण" योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया। जनवरी 1982 में दो अतिरिक्त जिलों कांगड़ा और मण्डी को आवृत करने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु भारत सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए फरवरी 1981 में केवल तीन जिलों अर्थात् कांगड़ा, हमीरपुर और मण्डी को चुना गया था। ऊना और हमीरपुर जिलों में इस योजना के अन्तर्गत पहले ही किया गया 2.67 लाख रु० का व्यय मुख्य अरण्यपाल के निर्देशों (मार्च 1981) के अन्तर्गत कृषि मन्त्रालय को प्रस्तुत किये गये प्रगति प्रतिवेदन में जिला कांगड़ा के प्रति दर्शाया गया था जबकि जिला कांगड़ा में इस योजना के प्रति वास्तव में कोई व्यय नहीं किया गया था।

(ii) कुछ मामलों में विभाग द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार को सूचित किये गये उपलब्धियों के आंकड़े थे जैसा कि नीचे वर्णित है :—

योजना का नाम	वर्ष	(क्षेत्र हेक्टेयरों में तथा पौध लाखों में) वृत कार्यालय द्वारा मुख्य अरण्यपाल को दी गयी सूचनानुसार	मुख्य अरण्यपाल द्वारा सरकार को दी गयी सूचनानुसार
(i) ग्रामीण ईंधन		पौध	
लकड़ी पौधारोपण	1982–83	39.50	40.00
(ii) फार्म वानिकी	1982-83	4,862	5,349
	1983–84	6,057	6,513
(iii) देवदार, फर, तथा स्प्रूस का प्रारम्भिक पौधारोपण	1982-83	3,455	3,613
	1983-84	2,173	2,340
(iv) शीघ्र उगने वाली किस्मों का प्रारम्भिक पौधारोपण	1981-82	3,406	3,768
	1982-83	3,222	3,423
	1983-84	1,785	2,005

विसंगतियों के कारण प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986)

नया पौधारोपण

(क) विभागीय कार्यकलाप

3.5.6. बीज चयन तथा पौधशालाएं

शिमला वन मण्डल की पिरान पौधशाला में 1984–85 के दौरान 0.21 लाख रु० लागत पर उगाये गये 43 हजार चील के पौधों के प्रति वनों में 70000 पौधे रोपित किये गये थे। वन मण्डल अधिकारी द्वारा जनवरी 1985 में पौधशाला की जांच के दौरान यह देखा गया कि पौध बिल्कुल अस्वस्थ और मुरझाई हुई थी तथा पौधशाला एक निकम्मे एवं अव्यवसायिक कार्य का उदाहरण थीं। वन मण्डल अधिकारी ने पौधशाला में अनुरक्षित स्टाक का परित्याग कर देने का आदेश दिया (जनवरी 1985)। हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने अथवा भविष्य में सुधार करने की दृष्टि से पौधों के मन्द विकास के कारणों की जांच के लिए कोई पग नहीं उठाये गये थे।

3·5·7. गन्ध सफेदा

(क) राज्य के निचले क्षेत्र के सभी प्रादेशिक मण्डलों में 17,112 हेक्टेयर क्षेत्र में 1961-62 और 1970–71 के बीच गन्ध सफेदा के पौधारोपण का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसके पश्चात् इसे भूमि की अनुपयुक्तता के कारण छोड़ दिया गया था।

(ख) गन्ध सफेदे के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने की अवधि 10 और 12 वर्षों की सीमा में होती है जिसके पश्चात् उपवन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस आधार पर उपवन 1973–74 तथा इसके बाद काटने योग्य हो गये थे किन्तु यह दर्शाने के लिए कि वृक्षों को काटने का कार्य किया गया और यदि किया गया था तो इसके कारण कितना राजस्व प्राप्त हुआ था, अभिलेख में कुछ भी नहीं था।

3.5.8. उत्तरजीविता दर

विभाग द्वारा उत्तरजीविता दर भूमि तथा मौसम की अवस्थाओं पर निर्भर 60 से 90 प्रतिशत की सीमा के बीच प्रतिवेदित की गई थी (मार्च 1985)। औसत दर 75 प्रतिशत थी।

शिमला वन मण्डल के अन्तर्गत "पीरन यू० एफ० 268 पौधारोपण क्षेत्र" के 20 हैक्टेयर में 1983–84 के दौरान 0.56 लाख रु० की लागत पर बीस हजार चील तथा चुली के पेड़ लगाये गये थे। जांच (जनवरी 1985) के दौरान वन मण्डल अधिकारी ने 95 प्रतिशत नश्वरता देखी। पौधारोपण को गांव से निकटता कांटेदार तार लगाने के बावजूद चराई का अधिक भार विपरीत स्थल अवयव निर्दयी मौसम तथा जीवज्ञान संबंधी हस्तक्षेप को आरोपित किया गया था। शिमला, हमीरपुर तथा धर्मशाला के 3 वन मण्डलों में कुछ पौधों की उत्तर जीविता दर केवल 5 से 50 प्रतिशत की सीमा में रही। नश्वरता दरों को कम करने के लिए कोई पग नहीं उठाए गए थे।

3.5.9. अन्य अभिकरण

राज्य वन नीति (1980) में अन्य बातों के साथ साथ विद्यमान फैली हुई बंजर भूमि को पौधारोपण के अन्तर्गत लाने की दृष्टि से स्थानीय लोगों को सामाजिक तथा फार्म वानिकी कार्यक्रम में शामिल करना परिकल्पित था। निम्नांकित तालिका 1980–81 से 1983–84 के दौरान जनता तथा बच्चों के माध्यम से आरम्भ किए गए पौधारोपण के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को इंगित करती है :—

(लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां		कमी	
	जनता	बच्चे	जनता	बच्चे	जनता	बच्चे
1980–81	120.00	..	27.55	..	92.45	..
1981–82	45.00	10.00	32.76	6.75	12.24	3.25
1982–83	72.00	28.00	55.00	7.02	17.00	20.98
1983–84	107.50	12.50	69.89	7.97	37.61	4.53

(i) जबकि 1980-81 के दौरान बच्चों के माध्यम से कोई पौधारोपण नहीं किए गए थे, सभी वर्षों में उपलब्धियां लक्ष्यों से कम रहीं। यह कमी जनता द्वारा किए गए पौधारोपण के मामले में 24 से 77 प्रतिशत तथा बच्चों के मामले में 33 से 36 प्रतिशत रही। लक्ष्यों की अप्राप्ति लोगों में आवश्यक जागरूकता पैदा करने में विभाग की विफलता को इंगित करती है।

(ii) वर्ष 1980–81 के दौरान जिला बिलासपुर में 1.81 लाख विद्यमान पौधों/पेड़ों पर कलम चढ़ाने का काम जनता द्वारा नए पौधारोपण पर प्रगति प्रतिवेदन में शामिल किया गया था जबकि इसमें पौधारोपण कार्य का कोई संबंध नहीं था।

(iii) जांच किए गए पांच मण्डलों की पौधशाला रोजनामचों में किसी भी अवसर पर जारी किए गए पौधों की संख्या विभाग/अभिकरण जिन्हें जारी किए गए और पौधों के उपार्जन के स्रोत के ब्यौरे इंगित नहीं किए गए थे।

3.5.10. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

सामाजिक वानिकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं में से एक है जिसका लक्ष्य ग्रामीण रोजगार पैदा करना है। यह कार्यक्रम जून 1982 में वन विभाग

को सौंपा गया था तथापि कार्यक्रम के अनुश्रवण की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास ही रही ।

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 1982–83 से 1984–85 के दौरान सामाजिक वानिकी के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा को दिए गए 32.41 लाख रु० के प्रति इस अवधि के दौरान वन मण्डल द्वारा कार्यक्रम को उचित रूप से लागू करने के लिए वन विभाग को केवल 19.85 लाख रु० निस्तारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 80,500 कार्य दिवस परिकल्पित की अपेक्षा कम सृजित किए ।

3.5.11. भारत-जर्मन धौलाधार परियोजना

(i) मई 1980 में निष्पादित भारत सरकार तथा जर्मन संघीय गणतन्त्र के मध्य तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता हेतु अनुबन्ध के अन्तर्गत भारत-जर्मन धौलाधार परियोजना जुलाई 1980 में प्रारम्भ की गई थी । सहकारिता पंजीकरण अधिनियम, 1960 (निगमन की तिथि अक्तूबर 1980) के अन्तर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश फार्म वानिकी विकास सहकारिता द्वारा प्रबन्धित परियोजना जिला कांगड़ा में जो "बिनवा जल ग्रहण क्षेत्रों" नाम से ज्ञात है, 27646 हैक्टेयर को आवृत करती है और इसका उद्देश्य सम्बद्ध कार्यकलापों जैसे सुधरा पशुपालन तथा कृषि/उद्यान व्यवसायों, ऊर्जा बचाने के उपायों तथा रोजगार योजनाओं आदि द्वारा समर्थित वन रोपण व भू-संरक्षण उपायों के माध्यम से पर्यावरण के पुनर्स्थापन एवं आर्थिक विकास हेतु बार-बार वनरोपण मॉडल का विकास करना था । परियोजना जिसे तीन चरणों में लागू किया जाना था अर्थात् 2 वर्षों का उन्मुखी चरण (1980–82), 4 वर्षों का कार्यान्वयन चरण तथा 2 वर्षों का सौंपे जाने का चरण, अन्य बातों के साथ साथ 7000 हैक्टेयर बेकार भूमि/घटिया वनों पर ईंधन, चारा तथा इमारती लकड़ी के पौधारोपण को बढ़ाना था । परियोजना की अनुमानित लागत 10.50 करोड़ रु० थी जिसमें से 6.50 करोड़ रु० जर्मन संघीय गणतन्त्र सरकार द्वारा दिए जाने थे ।

(ii) प्राप्तियां तथा व्यय

वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान संघीय गणतन्त्र जर्मन सरकार द्वारा 124.48 लाख रु० के अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए 137.32 लाख रु० के प्रति 114.16 लाख रु० तथा 121.60 लाख रुपये का व्यय किया गया था। इस प्रकार अव्ययित शेष क्रमश: 10.32 लाख रु० तथा 15.72 लाख रु० था ।

परियोजना के विकास हेतु पूरक उपायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त 50 लाख रु० (अप्रैल 1983) की प्रतिरूप निधियों में से केवल 21.03 लाख रु० 1983-84 (19.19 लाख रु०) तथा 1984–85 (1.84 लाख रु०) के दौरान जिसमें हिमाचल प्रदेश वन निगम को दिए गए 18 लाख रु० सम्मिलित हैं जो निगम की एक सहायक कम्पनी हिमाचल प्रदेश फल डिब्बाबन्दी सीमित के लिए संयंत्र तथा उपकरण के उपार्जन हेतु दिए गए, प्रयुक्त किए गए थे। 28.97 लाख रु० की शेष राशि अप्रयुक्त पड़ी थी (मार्च 1985)।

(iii) प्रत्यक्ष प्रगति

लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की वर्षबद्ध स्थिति निम्नांकित प्रकार से थी :—

(आंकड़े हैक्टेयरों में)

गतिविधि	1982–83		1983–84		1984–85	
	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां	लक्ष्य	उप-लब्धियां
(क) सामाजिक वानिकी	500	183	390	268	470	167
(ख) इमारती लकड़ी पौधारोपण	100	87	150	19	200	16
(ग) क्षरण नियंत्री पौधारोपण	50	11	20	20	30	9
(घ) अन्त: पौधारोपण	100	117	100	265	270	68

1982–84 की अवधि के दौरान अन्त:पौधारोपण तथा 1983-84 के दौरान क्षरण नियन्त्री पौधारोपण के अतिरिक्त सभी गतिविधियों के संबंध में उपलब्धियां लक्ष्यों से कम हुई। परियोजना प्रबन्धक ने मई 1985 में बताया कि लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं था क्योंकि पौधारोपण के लिए क्षेत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया था तथा कुछ क्षेत्र बहुत ऊंचाई पर थे। जहां पौधारोपण सम्भव नहीं था उन क्षेत्रों को भी 7000 हैक्टेयर के लक्ष्य में शामिल किया गया था।

3.5.12. चारे की आवश्यकताएं

(क) पशुधन–जीवसंख्या

राष्ट्रीय वन नीति में वनों में भेड़ों के चराये जाने पर रोक लगाने तथा बकरियों को वहां से बिल्कुल निकाल देने की व्यवस्था है। राज्य चराई सलाहकार समिति ने अपने अक्तूबर 1970 के प्रतिवेदन में बकरियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी करने की सिफारिश की ताकि शताब्दी के अन्त तक केवल 10 प्रतिशत बकरियां रह जायें तथा शेष को भेड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। राज्य वन नीति में भी बकरियों की संख्या में कमी करना तथा समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा बिल्कुल समाप्त करने का उल्लेख है।

जबकि 1966 में भेड़ों की संख्या 10.49 लाख से 1982 में 10.90 लाख तक आंशिक रूप से (3.9 प्रतिशत) बढ़ी थी, बकरियों की संख्या 1966 में 8.15 लाख से 1982 में 10.60 लाख तक बढ़ी (30 प्रतिशत)।

वन क्षेत्रों में बकरियों तथा भेड़ों के चराये जाने पर रोक/कमी करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए थे जैसा कि राष्ट्रीय तथा राज्य वन नीतियों में परिकल्पित है।

ख) चारे की उपलब्धता/आवश्यकता

राज्य वन नीति ने अनुभान लगाया कि विद्यमान चराई का भार उपलब्ध चराई भूमि की वहन क्षमता से 2 से 3 गुना है । राज्य चराई सलाहकार समिति के 1970 के प्रतिवेदन के अनुसार एक पशु की चराई के लिए 0.5 हैक्टेयर की आवश्यकता है । 1982 की गणना के अनुसार राज्य में पशुधन संख्या 1,53,14,647 पशु इकाइयां थीं । उनके उचित चारे के लिए 7657 हजार हेक्टेयर भूमि अपेक्षित थी जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र से 37.5 प्रतिशत-अधिक है । इसके अतिरिक्त अल्पपोषित रहने पर इस गैर-अनुपाती पशुधन संख्या के परिणाम स्वरूप अवैध चराई तथा चारे वाले वृक्षों की शाखाएं काटने के कारण वनों की भारी क्षति हुई ।

3.5.13. ईंधन लकड़ी की आवश्यकताएं

राज्य में प्रति व्यक्ति ईंधन की लकड़ी की खपत जलवायु परिस्थितियों तथा दूसरे कारणों से मैदान की अपेक्षा अधिक है । जिला शिमला के कोटगढ़ वन मण्डल में किए गए अध्ययन के आधार पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ईंधन लकड़ी की खपत 5.36 किलोग्राम बताई गई थी । राज्य की 39.55 लाख ग्रामीण जनसंख्या (1981 की जनगणना) द्वारा वार्षिक ईंधन लकड़ी की खपत 77.4 लाख टन अथवा 116 लाख घन मीटर निकाली गई थी । ईंधन लकड़ी की खपत राज्य में सड़कों पर तारकोल बिछाने के लिए भी होती है ।

वर्ष 1979–80 से लकड़ी की निकासी (राज्य में लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिए आपूर्ति/आपूरित करने हेतु लकड़ी के आयतन को छोड़कर) जिसके लिए राज्य सरकार वचनबद्ध थी, की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार से थी —

(हजार घन मीटरों में)

वर्ष	इमारती लकड़ी की खपत			
	आरा मालिकों द्वारा डिब्बा बंदी हेतु	अन्य द्वारा	ईंधन लकड़ी के रूप में	योग
1979–80	72.6	463.7	158.5	694.8
1980–81	69.9	559.9	133.8	763.6
1981–82	177.3	671.9	188.2	1037.4
1982–83	145.3	487.3	139.4	772.0

ईंधन लकड़ी का उत्पादन 1980–81 तथा 1982–83 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में गिर गया । ईंधन लकड़ी की आवश्यकताओं तथा उपलब्धता के मध्य काफी अन्तर के

कारण (निजी स्वामित्व वाले वृक्षों से ईंधन लकड़ी की गुंजाइश के बावजूद) वनों से अवैधरूप से लकड़ी निकाली गई ।

3.5.14. नौतोड़ का दिया जाना

सरकार के निर्देशनों (जुलाई 1975) के अनुसार 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को मूल्यवान किस्मों के प्रति एकड़ 40 वृक्षों से अधिक वाली भूमि नहीं दी जानी चाहिए। आगे यह दोहराया गया था (जनवरी 1976) कि खड़े वृक्षों वाली सरकारी भूमि किसी भी पार्टी को आबंटित नहीं की जानी चाहिए । इन निर्देशनों के विपरीत जिला हमीरपुर के राजस्व प्राधिकारियों ने 1975–76 से 1980–81 के दौरान 1,10,744 वृक्षों/पौधों वाली 166 हैक्टेयर भूमि को आबंटित किया ।

ये आबंटन राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वन विभाग के प्रतिनिधियों का सहयोग लिए बगैर ही किए गए थे । यद्यपि उपायुक्त हमीरपुर को प्रस्तुत अपीलों द्वारा आबंटनों का विरोध प्रतिवेदित किया गया था, आबंटनों पर अभी तक (जून 1985) कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया था ।

वृक्षों वाली भूमि के आबंटन के परिणामस्वरूप वनों की अनुरूपता के अन्तर्गत माप में 166 हैक्टेयर क्षेत्र की केवल कमी ही नहीं हुई अपितु ग्राहियों द्वारा अनाच्छादन के कारण वृक्षों/पौधों की हानि भी हुई ।

3.5.15. कांटेदार तार की खरीद तथा भण्डारण में अनियमितताएं

1.40 लाख रुपये की कांटेदार तार की अनियमित खरीद तथा भण्डारण के मामले लेखा परीक्षा में ध्यान में आये । विवरण निम्न प्रकार से है :—

(क) 25 मी० टन विद्युतीय जस्ते वाली कांटेदार तार की आपूर्ति के लिए महतपुर स्थित दर संविदा पर एक फर्म को हमीरपुर वन मण्डल द्वारा एक आदेश प्रस्तुत किया गया था (मार्च 1979)। फर्म द्वारा आपूर्ति आदेश दिए जाने के 30 दिन के भीतर माल की आपूर्ति की जानी अपेक्षित थी । चूंकि फर्म माल की आपूर्ति करने में असफल रहीं, मामला भण्डार नियन्त्रक को मई 1979 में प्रतिवेदित किया गया था जिसे नवम्बर 1980 में अरण्यपाल द्वारा फर्म को काली सूची में करने तथा जोखिम खरीद की अनुमति का दोबारा अनुरोध किया था । भण्डार नियन्त्रक, मुख्य अरण्यपाल के अनुरोध पर इस आधार पर सहमत नहीं हुआ कि पुरानी दर संविदा पर जोखिम खरीद नई दर संविदा के अन्तिम करने के पश्चात् नहीं की जा सकती यद्यपि मामला दर संविदा की समाप्ति से पूर्व ही प्रतिवेदित किया जा चुका था । इसी बीच में मण्डल ने 1979–80 (6 टन) तथा 1980–81 (19 टन) के दौरान 0.83 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय पर अन्य अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से तार खरीद ली ।

(ख) नोहरा भू-संरक्षण परिक्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी ने दिसम्बर 1982 में प्रभार ग्रहण करने पर प्रतिवेदित किया (फरवरी 1983) कि सितम्बर 1982

में 1.81 लाख रु० में खरीदी गई मात्रा में से 0.57 लाख रु० मूल्य की 29.75 क्विटल कांटेदार तार तथा 36.90 क्विटल जी० आई० तार कम थी। मामला वृत्त कार्यालय को अप्रैल 1984 में प्रतिवेदित किया गया था। उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

3.5.16. अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

ग्रामीण ईंधन लकड़ी पौधारोपण की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने हेतु अगस्त 1980 में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार योजना के लागू करने के अनुश्रवण हेतु एक उप अरण्यपाल तथा अन्य स्टाफ पर आधारित एक कक्ष स्थापित किया जाना था। विद्यमान योजना तथा अनुश्रवण कक्षों को सुदृढ़ किया जाना था। तथापि कोई भी अनुश्रवण कक्ष स्थापित नहीं किया गया था, परिणामतः कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों का उचित रूप से अनुश्रवण नहीं हुआ था जिससे यथोचित सुधारक उपाय किए जाते। कार्यक्रम के कार्यचालन का अभी तक कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया था (जून 1985)।

सारांश

— राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यद्यपि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र (5567.3 हजार हेक्टेयर) का 60 प्रतिशत तथा राज्य वन नीति के अनुसार 50 प्रतिशत वनों के अन्तर्गत लाया जाना था। 2488.24 लाख रु० की लागत पर 121·65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नये पौधारोपण का दावा किए जाने के बावजूद अप्रैल 1980 (2119 हजार हेक्टेयर) से मार्च 1985 (2132·5 हजार हेक्टेयर) तक के पांच वर्षों की अवधि में वन क्षेत्र में 13·5 हजार हेक्टेयर की केवल आंशिक वृद्धि (0·63 प्रतिशत) थी। बेकार भूमि/खाली स्थान के अन्तर्गत क्षेत्र (806·51 हजार हेक्टेयर) को छोड़ने के पश्चात् वनों के अन्तर्गत 1326 हजार हेक्टेयर (मार्च 1985) क्षेत्र आता है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 23·82 प्रतिशत है।

— मार्च 1985 के अन्त में केन्द्रीय सहायता के 16·53 लाख रु० (निवल) की अप्रयुक्त राशि का प्रत्यर्पण/समायोजन प्रतीक्षित था।

— यद्यपि 1980–81 के दौरान योजना के अन्तर्गत कोई भी नए पौधारोपण नहीं किए गए थे तथापि 2·41 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई थी।

— 0·21 लाख रु० की लागत पर उत्थित एक पौधशाला परित्यक्त की गई थी क्योंकि कार्य के अव्यावसायिक होने के कारण छोटे पौधों की बढ़ोतरी घटिया किस्म की थी।

— वर्ष 1980–81 से 1983–84 के दौरान जनता तथा बच्चों द्वारा लगाये गये पौधों में उपलब्धियां लक्ष्योंसे क्रमशः 24 से 77 प्रतिशत तथा 33 से 36 प्रतिशत कम हुई।

— कार्यक्रम के आरम्भ से ही न तो इसके अनुश्रवण के लिए कोई कक्ष स्थापित किया गया था और न ही कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था।

मामला सरकार को जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

3.6. परिहार्य व्यय

मई 1982 में वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी, शिमला ने पांच चिड़ियाघरों (जिला शिमला : 3, तथा जिला सिरमौर: 2) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के 218 क्विंटल मांस की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की थी जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :—

(मात्रा क्विटलों में)

सामग्री का नाम	1 जुलाई 1982 से 30 जून 1983 तक की अवधि के लिए अपेक्षित अनुमानित मात्रा					
	टूटीकण्डी चिड़िया-घर शिमला	राजभवन चिड़िया घर	कस्तूरी मृग फार्म कुफरी	रेणुका चिड़ियाघर	सिन्हल बाड़ा में हिरण पशुशाला	योग
भैंसा कटरा मास	60	..	..	150	..	210
भसा कटरा कीमा	..	2	..	2	..	4
भैंसा कटरा कलेजा	..	..	..	..	..	आवश्यकतानुसार खरीदा जायेगा ।
मत्स्य	..	4	..	..	..	4
बकरे का मांस	..	..	..	..	..	भैंसा कटरा की आपूर्ति प्राप्त न होने पर और जबकि पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सक द्वारा निर्धारित होगा, खरीदा जाएगा ।

निविदा आमन्त्रित करने के नोटिस की शर्तों के अनुसार सभी चिड़ियाघरों के सम्बन्ध में प्रत्येक मद के लिए एक ही दर दी जानी अपेक्षित थी। वन मण्डल अधिकारी ने एक ठेकेदार के न्यूनतम प्रस्ताव की इस आधार पर सिफारिश नहीं की कि निविदा आमन्त्रण नोटिस में की गई अपेक्षाओं के अनुसार सभी मदों के लिए दरें उद्धृत नहीं की गई थी परन्तु अरण्यपाल शिमला ने वन मण्डल अधिकारी शिमला वन मण्डल से सहमत नहीं हुए और उन्होंने राजभवन चिड़ियाघर की नाममात्र मांग की दृष्टि से (जून 1982) तथा कुफरी के लिए मांग के अभाव जहां के लिए दो भिन्न दरें पेश की गई थी न्यूनतम, प्रस्ताव स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की तथापि वन मण्डल अधिकारी के कहने पर अरण्यपाल, शिमला ने न्यूनतम निविदाकार के साथ बातचीत से तय किये बिना दुबारा-निविदाओं का आदेश दिया (जुलाई 1983)।

तदनुसार सभी चिड़ियाघरों के लिए एक ही दर उद्धृत करने की शर्त को समाप्त करने के पश्चात् जुलाई 1982 में नई निविदाएं आमन्त्रित की गई। जुलाई 1982 में प्राप्त तथा अन्तिम रूप से स्वीकृत न्यूनतम दरें मई 1982 में पहले ही प्राप्त न्यूनतम दरों से कहीं अधिक थीं तथा जुलाई 1982 से प्राप्त दरों के अनुसार की गई खरीदों के परिणामस्वरूप 0.69 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :—

विवरण		जुलाई 1982 से जून 1983 तक खरीदी गई कुल मात्रा	मई 1982 में प्राप्त दरें	भुगतान योग्य कुल राशि	जुलाई 1982 में प्राप्त दरें	भुगतान की गई राशि	अन्तर
		(क्विंटलों में)				(राशि रुपयों में)	
भैंसा कटरा मांस	शिमला (टूटी कण्डी)	54.09	325	17,579	685	37,052	19,473
	रेणुका	1,22.85	325	39,926	690	84,766	44,840
भैंसा कटरा मांस	शिमला (टूटी कण्डी)	2.15	325	699	675	1,451	752
	राजभवन	1.72	390	671	675	1,161	490
	रेणुका	1.46	325	475	685	1,000	525
मत्स्य	शिमला (टूटी कण्डी)	3.75	390	1,462	700	2,625	1,163
	राज भवन	4.10	325	1,333	700	2,870	1,537
	योग	62,145				1,30,925	68,780

मामला सरकार को अगस्त 1985 प्रतिवेदित किया गया था; अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

राजस्व विभाग

3.7. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की सहायता

3.7.1. प्रस्तावनात्मक

हिमाचल प्रदेश राज्य बाढ़, भूकम्पों, सूखें, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि तथा भू-स्खलनों आदि प्राकृतिक आपदाओं की ओर उन्मुख है। निर्धन व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का उद्देश्य इस प्रकार की आपदाओं की घटना के तुरन्त पश्चात् उन्हें मुसीबत से निकालने योग्य बनाना है। पीड़ितों को राहत मुफ्त अनुदानों, तकावी ऋणों, भू-राजस्व मुआफ़ी आदि के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए राहत कार्यों को हाथ में लिया जाना था।

राहत कार्य मुख्यत: राज्य सरकार के राजस्व, कृषि, सामान्य प्रशासन, उद्यान तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं। राजस्व विभाग संचालन विभाग के रूप में कार्य करता है।

3·7·2. वर्तमान समीक्षा राजस्व विभाग द्वारा हाथ में लिये गए राहत उपायों के सम्बन्ध में इसके कार्यकलापों का आलिंगन करती है तथा 1980–81 से 1984–85 के दौरान विभाग द्वारा हाथ में लिए गये राहत कार्यों के सम्बन्ध में चार जिलों (कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा किन्नौर) में मई–अगस्त 1985 के दौरान विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामों को दर्शाती है।

3.7.3. केन्द्रीय सहायता

निम्न तालिका पिछले 4 वर्षों (1981–82 से 1984–85 तक) के दौरान उठाए गये अनुमानित घाटों, मांग की गई केन्द्रीय सहायता तथा प्राप्त सहायता को इंगित करती है:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	फसल	आपदा की प्रकृति	कुल अनुमानित संधृत हानियां	मांग की गई केन्द्रीय सहायता	प्राप्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6
1981	खरीफ	सूखा	26.60	8.30	2.65
1982	रबी	ओला वृष्टि, अत्यधिक वर्षा तथा बर्फीला तूफान	35.54	15.15	3.26
1982	खरीफ	तदैव	17.47	5.92	0.76

1	2	3	4	5	6
1982	खरीफ	सूखा	48.10	40.70	13.02
1983	रबी	ओला वृष्टि, भारी हिम-पात तथा भारी वर्षा	37.93	35.00	5.87
1983	खरीफ	बाढ़/भारी वर्षा	43.37	37.86	2.41
1984	रबी	सूखा बर्फीली तोदों का गिरना	122.00	75.60	8·20
1984	खरीफ	सूखा	52.59	47.56	13.90
			383.70	266.09	50.07

3.7.4. बजट प्रावधान और व्यय

निम्नलिखित तालिका पिछले 5 वर्षों (1980–81 से 1984–85) में चार जिलों में बजट प्रावधान तथा व्यय को इंगित करती है :--

(लाख रुपयों में)

वर्ष	शिमला		कांगड़ा		किन्नौर		सोलन	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1980 81	..	..	5·00	5·00	..	..	6·50	4·09
1981-82	1·00	1·00	10·30	10·30	5·00	5·00	2·51	1·02
1982-83	124·79	124·79	7·03	7·03	2·90	2·90	31·10	30·83
1983-84	66·98	66·98	98·08	98·08	3·50	3·50	17·14	16·30
1984-85	146·27	91·91	121·30	117·70	4·32	4·32	21·20	20·81
योग	339·04	284·68	241·71	238·11	15·72	15·72	79·25	73·05

इस योजना के अन्तर्गत कोई तकावी ऋण प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्पित किये गये भू-राजस्व की सही राशि उपलब्ध नहीं थी।

3.7.5. पीड़ितों का अभिज्ञान न करना

राजस्व विभाग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी क्षेत्रों का ब्यौरेवार सर्वेक्षण नहीं कर सका । प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उठाई गई हानियों और उनके द्वारा उठाई गई वास्तविक हानियों को इंगित करने वाली पीड़ितों की सूची तदर्थ आधारों पर निर्धारित की गई थी और साथ ही प्रत्येक मामलों में दिये जाने वाले राहत की प्रकृति तथा सीमा भी नहीं निकाली गई थी तथा पीड़ितों की राहत में लगे विभिन्न विद्यमान विभागों/अभिकरणों की आपूरित नहीं की गई थी । तदनुसार विभिन्न विभागों/निष्पादन अभिकरणों के पास वास्तविक पीड़ितों की सूची के बिना उनको दी गई निधियों को प्रयुक्त करने के सिवा कोई चारा न था ।

3.7.6. निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलम्ब

नियमों में अपेक्षित है कि जो निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और क्षतिग्रस्त फसलों तथा अगली फसल की कटाई के बीच की अवधि के दौरान पूर्ण किये जा सकने वाले हों और तीन से छः मास तक के लिए प्रभावी व्यक्तियों को शीघ्र रोजगार अवसर प्रदान कर, सकें निष्पादनार्थ हाथ में लिए जाने चाहिएं । यह देखा गया कि 1982–83 से 1984–85 तक की अवधि के दौरान निष्पादन हेतु 5,336 निर्माण कार्य हाथ में लिए गये थे जिनके अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। इनमें से 3,889 निर्माण कार्यों को 3 से 18 महीनों में 349.36 लाख रु० की लागत पर पूरा किया गया था । शेष 1,447 निर्माण कार्य जिन पर 126.87 लाख रु० का व्यय पहले ही किया जा चुका था अभी भी अपूर्ण पड़े थे (जून–जुलाई 1985)। इस प्रकार ऐसे मामलों में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को शीघ्र राहत देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका ।

सरकार द्वारा विलम्ब को सीमेण्ट तथा अन्य सामग्री अनुपलब्धता, चुनाव तथा अन्य विभागीय कार्यों पर स्टॉफ के तैनात करने, मजदूरों और तकनीकी कौशल की अनुपलब्धता, तथा भूमि सम्बन्धी निकायों जिन पर निष्पादन कार्य चल रहे थे, से सम्बद्ध बताए गये थे ।

3.7.7. रोजगार का सृजन

राहत प्रयासों का उद्देश्य प्रभावी व्यक्तियों को रोजगार तथा निर्वाह मज़दूरी देना था । वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को 1981–82 से 1984–85 के दौरान प्रस्तुत ज्ञापनों के अनुसार राज्य सरकार का आशय 1982–83 से 1984–85 के दौरान चार जिलों (शिमला, सोलन, कांगड़ा तथा किन्नौर) में लगभग 4,85,123 प्रभावी व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने थे । तथापि यह ध्यान में आया कि इस अवधि के दौरान 476.22 लाख रु० खर्च करने के पश्चात् केवल 50,169 व्यक्तियों (10.34 प्रतिशत) को रोजगार प्रदान किये गये थे । कमी के कारण प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986) ।

नियमावली के अनुसार राहत कार्यों के चयन को ऐसे निर्माण कार्यों तक सीमित रखा जाना चाहिए जहां शत प्रतिशत अथवा लगभग सम्पूर्ण अनुमानित राशि का भुगतान अकुशल मजदूरों की मजदूरी पर किया जाएगा । फरवरी 1983 में जारी सरकारी निर्देशन में इस बात पर बल दिया गया कि राहत कार्यों पर मजदूरी का भाग कुल मिला कर 75 प्रतिशत तथा एकाकी कार्यों पर 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। तथापि यह ध्यान में आया कि कुल मिलाकर अकुशल मजदूरों का भाग जिन्हें 1980-81 से 1984–85 के दौरान रोजगार प्रदान किये गये, जिला शिमला में 25.61 प्रतिशत, जिला सोलन में 37.76 प्रतिशत, जिला कांगड़ा में 53.64 प्रतिशत तथा जिला किन्नौर में 54.11 प्रतिशत रहा । अकुशल मजदूरों को रोजगार अवसर प्रदान करने में कमी के कारण प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986) ।

3.7.8. राहत के भुगतान में विलम्ब

मुफ्त राहत देने का उद्देश्य पीड़ितों को आपदा के आने के पश्चात् तत्काल सहायता प्रदान करना था ताकि पीड़ितों को भुखमरी से बचाया जा सकें । तथापि यह भी देखा गया कि राहत का भुगतान सामान्यतः प्राकृतिक आपदा के घटने के एक माह से लेकर एक वर्ष से भी अधिक बाद में किया गया था जिससे राहत प्रदान करने का उद्देश्य ही निष्फल रहा । वर्ष 1981–82 से 1984–85 के दौरान चार जिलों (शिमला, कांगड़ा, सोलन और किन्नौर) में पीड़ितों को राहत के तौर पर 4.28 लाख रु० का भुगतान किया गया था । इन मामलों में राहत भुगतान में विलम्ब एक माह से तीन वर्षों की सीमा में रहा । अक्तूबर 1984 से मार्च 1985 के दौरान उपायुक्त कांगड़ा और मण्डी द्वारा संस्वीकृत प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को 4.79 लाख रु० की राहत का भुगतान (जून 1985) निधियों की कमी के कारण नहीं किया जा सका ।

3.7.9. दीर्घकालीन उपायों को आरम्भ न करना

स्थलाकृति स्थिति के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य के कुछ भागों में प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। मई 1978 में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशनों में परिकल्पित है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले से ही सारगर्भित परियोजनाएं बनाई जायें और रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए चिह्नित निधियां अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करके प्रभावी व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त करने हेतु उचित प्रबन्ध किया जाये, तदनुसार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तथा लोग सरकारी सहायता की ओर देखे बिना इसको सहन कर सकें इसके लिये लम्बी अवधि के उपायों को हाथ में लेना वांछित था । किन्तु यह ध्यान में आया कि यद्यपि 1980–81 से 1984–85 के दौरान शिमला, कांगड़ा, सोलन और किन्नौर जिलों में 611.56 लाख रु० खर्च किये जा चुके थे तो भी भविष्य में सरकार की सहायता लिए बिना इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य सरकार

द्वारा लोगों को तैयार करने हेतु कोई भी लम्बी अवधि के उपाय आरम्भ नहीं
गये थे ।

इस संबंध में वित्तीय आयुक्त की टिप्पणियां प्रतीक्षित थीं (सितम्बर 198

3.7.10 अनियमित आहरण

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 0.10 लाख रु० से अधिक का अग्रिम
नियमों में निषिद्ध है। तथापि उपायुक्त खजानों से 0.10 लाख रु० से अधिक के
का अनियमित रूप से आहरण करते रहे थे और उस राशि को विभिन्न प्राधि
के माध्यम से विभिन्न कार्यों पर प्रयुक्त करने हेतु उप-मण्डलीय अधिकारियों (सि
के निपटान हेतु रख रहे थे । निम्न तालिका चार उपायुक्तों द्वारा गत चार व
दौरान 0.10 लाख रु० से अधिक के किये गये आहरणों को इंगित करती है:-

	1981-82		1982-83		1983-84		1984-
जिला	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या
शिमला	1	1·00	6	124·85	3	66·98	13
काँगड़ा	..	..	5	3·03	7	81·88	15
सोलन	2	2·05	3	29·00	3	15·48	6
किन्नौर	..	..	2	5·00	3	4·40	2

सरकार ने उपायुक्तों को मई 1985 में निधियों से इस अनियमित आहर
बन्द करने के आदेश दिये ।

7.11. आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

वित्तीय नियमों में अनुबन्धित है कि खजाने से कोई भी धन राशि तब तक न
त की जाए जब तक यह तुरन्त भुगतान हेतु अपेक्षित न हो अथवा पहले ही स्थाई
म में से न भुगताई गई हो । कोई भी अव्ययित शेष शीघ्र ही खजाने में प्रत्यर्पित
ा अपेक्षित है । किन्तु यह ध्यान में आया कि चार जिलों में (शिमला, कांगड़ा,
न तथा किन्नौर) विभागीय अधिकारियों ने 1982-83 से 1984-85 की अवधि
ौरान 500.34 लाख रु० आहृत किये तथा उन्हें बैंकों तथा डाकघरों में जमा करवा
। व्यय इन खातों से धन राशि निकलवा कर के किया गया । 73.67 लाख
(शिमला : 28.37 लाख रु०, कांगड़ा : 22.96 लाख रु०, सोलन : 15.97 लाख रु०
किन्नौर : 6.37 लाख रु०) अभी भी (जुलाई-अगस्त 1985) बैंकों/डाकघरों
ड़े थे । इस प्रकार धन के अनियमित आहरण के परिणामस्वरूप सरकारी निधियां
रहीं ।

जिला कांगड़ा में तहसीलदार बैजनाथ ने 1984-85 में अपने नाम से बचत
ा खोला तथा इस खाते में 2.24 लाख रु० उपलब्ध थे (जुलाई 1985) ।

7.12. व्यय के प्रति प्राप्तियों की प्रयुक्तता

व्यय के प्रति प्राप्तियों की प्रयुक्तता का नियमों के अन्तर्गत निषिद्ध है। किन्तु यह
में आया कि 1982-83 से 1984-85 के दौरान चार जिलों में डाकघरों/बैंकों
ा पर अर्जित 4.46 लाख रु० (कांगड़ा : 1.76 लाख रु०, शिमला : 1.36 लाख
सोलन : 1.13 लाख रु० तथा किन्नौर : 0.21 लाख रु०) ब्याज में से
71 लाख रु० कांगड़ा, शिमला तथा सोलन जिलों में पैट्रोल की खरीद, वाहनों की
मत, कर्मचारियों के वेतन, लेखन सामग्री आदि पर प्रयुक्त किये गये थे। शेष 3.75
रु० अर्जित ब्याज की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी और
तक (अगस्त 1985) डाकघरों और बैंकों में जमा पड़ी थी ।

7.13. अनियमित व्यय

(i) दिसम्बर 1982 में जारी राज्य सरकार के आदेशों में अनुबन्धित है कि
82-83 के दौरान निस्सारित सूखा निधियों का 2 प्रतिशत राहत कार्यों के निष्पाद-
प्रयुक्त वाहनों के चालन प्रभारों के प्रति प्रयुक्त किया जा सकेगा । सूखा निर्माण
खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायतों, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिकाओं आदि
निष्पादित किये थे, परन्तु उन्हें वाहन चालन प्रभारों हेतु कोई भी निधियां आबंटित
की गई थीं। वाहन चालन प्रभारों हेतु सम्पूर्ण निधियां उपायुक्तों तथा उप-मण्डलीय
कारियों (सिविल) द्वारा अपने ही पास रखी हुई थीं। जिला कांगड़ा में पालमपुर,
, तथा नूरपुर के उप-मण्डलीय अधिकारियों (सिविल) के वाहनों की लॉगबुक के
ण से प्रकट हुआ कि 1982-83 से 1984-85 तक सूखा कार्यों की जांच र

90

वाहन केवल 13,451 किलोमीटर चले जिनके प्रति इस शीर्ष के अन्तर्गत लाख रु० प्रयुक्त हुए दर्शाए गये थे। यदि व्यय की गणना 1.50 रु० प्रति किलो (निजी यात्रा हेतु निर्धारित दर) पर भी की जाये तो कुल व्यय 0.20 लाख होगा। इस प्रकार इन तीनों उप-मण्डलीय अधिकारियों (सिविल) द्वारा राहत का 0.70 लाख रु० अधिक प्रभारित किये गये थे। वित्तीय उपायुक्त की टिप्पणियां क्षित थीं (सितम्बर 1985)।

(ii) राहत कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त नहीं किया था। यह ध्यान में आया कि 1981-82 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान किन्नौर, सोलन तथा शिमला जिलों में दैनिक अंशकालिक आधार पर लगाये गये वेक्षकों, कनिष्ठ अभियंताओं, लिपिकों, सफाईवालों, बेलदारों, चालकों, रसोइयों, जल आदि के वेतन पर 0.56 लाख रु० सरकारी निर्देशनों के विपरीत/उल्लंघन में को प्रभारित किये गये थे।

(iii) 2.15 लाख रु० खण्ड विकास अधिकारियों (नगरोटा सुरयां: लाख रु०, रैत: 0.92 लाख रु०, पंचरुखी: 0.50 लाख रु० तथा भवारना: 0.50 रु०) के निमित्त जून-जुलाई-अगस्त 1984 के दौरान इन खण्डों में सूखाग्रस्त क्षे पीड़ितों को परिवहन तथा जलापूर्ति हेतु रखे गये थे। इनमें से जुलाई 1985 तक क्षेत्रों में जहां पहले ही जल उपलब्ध था, तालाबों व बावड़ियों के निर्माण पर लाख रु० व्यय किये गये थे। इस प्रकार 1.28 लाख रु० की कुल निधियां सम्बन्धित विकास अधिकारियों द्वारा सक्षम प्रधिकारी से आदेश प्राप्त किये बिना परिवर्तित कर दी गई

(iv) सरकारी भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण उन सम्बंधित विभागों किया जाना अपेक्षित है जिनके प्रशासनिक नियन्त्रण में ये भवन पड़ते हैं। व्यय बजट से पूरा किया जाता है। तथापि यह ध्यान में आया कि राहत कार्यों के निमित्त 6.10 लाख रु० शिक्षा, राजस्व, सामुदायिक विकास, पुलिस आदि विभा भवनों के निर्माण (3.18 लाख रु०) तथा अनुरक्षण व मरम्मत (2.92 लाख पर प्रयुक्त किये गये थे।

3.7.14. अनियमित भुगतान

(क) अक्तूबर 1982 में जारी सरकारी निर्देशनों में अनुबंधित है कि कार्य उपायुक्तों द्वारा या तो सरकारी विभागों के माध्यम से अथवा खण्ड अभि पंचायतों के माध्यम से निष्पादित किये जाने चाहिए। तथापि यह ध्यान में कि 1982-83 से 1984-85 के दौरान उपायुक्त शिमला तथा कांगड़ा ने निगम शिमला एवं नगर पालिका धर्मशाला, नूरपुर व पालमपुर को राहत नि में से 4.73 लाख रु० प्रावधित किये थे। ये निधियां नगर निगम/पालि ने नागरिक कार्यों पर प्रयुक्त की थी जो कि अनियमित

निधियों द्वारा सृजित 4.43 लाख रु० मूल्य की परिसम्पत्तियां सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई थीं (जून 1985)।

(ख) इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके सामान्य कार्यकलापों हेतु सरकार अनुदान सहायता दी जाती है तथा उपायुक्तों को इस प्रकार की संस्थाओं को राहत यां प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है। तथापि यह ध्यान में आया कि 1982-83 से 4-85 के दौरान शिमला, कांगड़ा, सोलन तथा किन्नौर जिलों में विभिन्न पंचायतों को हिला मण्डल भवनों तथा 81 पंचायतघरों के निर्माण हेतु 14.92 लाख रु० का भुगतान गया था जो कि अनियमित था। इन निधियों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियां सरकार द्वारा तक ग्रहण नहीं की गई थीं (जून-जुलाई 1985)।

इसके अतिरिक्त उपायुक्त शिमला ने 1982-83 से 1984-85 के दौरान मन्दिर मस्जिद समितियों को उनके भवनों के परिवर्धन, मरम्मत व अनुरक्षण के लिये 3.57 रु० अनियमित रूप से दिये थे।

15. बिना अनुमानों के निर्माण कार्यों का निष्पादन

निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले ब्योरेवार अनुमानों को तैयार करना तथा सक्षम ारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। निर्माण कार्यों का निष्पादन खण्ड अधिकारियों, उप-मण्डल अधिकारियों (सिविल), तहसीलदारों/नाइब-तहसील- आदि द्वारा उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में वृत्त पटवारियों, पंचायतों आदि के माध्यम से जाता है। यह निष्पादन अधिकरण निर्माण कार्यों को उचित रूप से करवाने के लिये की रूप से निपुण नहीं थे। शिमला, कांगड़ा, सोलन तथा किन्नौर जिलों में 1982-83 84-85 के दौरान 4,781 निर्माण कार्यों के निष्पादन पर 410.04 लाख रु० का व्यय न तैयार तथा अनुमोदित किये बिना ही किया गया। ब्योरेवार अनुमानों के अभाव में नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं था।

किसी भी मामले में निष्पादित कार्यों का निर्माण ब्यौरेवार माप अभिलिखित नहीं था बिना कार्य की सही स्थिति की जांच नहीं की जा सकी। भुगतान करने के लिये बिना ों के कार्य का निष्पादन तथा बिना माप अभिलिखित किये। वित्तीय आयुक्त णियां प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986)।

16. स्टॉक रजिस्टरों का न बनाया जाना

शिमला तथा सोलन जिलों के उप मण्डल अधिकारियों (सिविल) तथा तहसीलदारों रखाना भवनों आदि के निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु 1982-83 से 1984-85 धि के दौरान 109 कार्यों के लिये 19.43 लाख रु० मूल्य के भण्डार खरीदे लेकिन की प्राप्ति तथा जारी करने के लिए भण्डार/स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया। इस लेखा परीक्षा में माल की वास्तविक प्राप्ति तथा निर्माण कार्यों पर इसका उचित न/खपत नहीं जांची जा सकी। इस प्रकार के रजिस्टरों के अभाव में भण्डारों का प्रत्यक्ष

सत्यापन सम्भव नहीं था और माल की चोरी से इन्कार नहीं किया जा सकता। अ
अभिलेखों को न रखे जाने के कारण प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

3.7.17. अनियमित क्रय

नियमों में प्रावधान है कि सभी खरीदें यथोचित प्रचार द्वारा निविदायें आ
करने के पश्चात ही करनी चाहिये किन्तु यह देखा गया कि वर्ष 1982–83 से 198
के दौरान दरें आमन्त्रित किये बिना ही उप-मण्डल अधिकारियों (सि
तहसीलदारों, तथा नाइब तहसीलदारों द्वारा 315 निर्माण कार्यों के लिये 27.1
रु० मूल्य का माल खरीदा गया था। इस प्रकार तुलनात्मक दरों के लाभ से सरकार
रही।

3.7.18. कार्यों का पर्यवेक्षण

नवम्बर 1982 में जारी सरकारी निर्देशनों में प्रावधान है कि निर्माण कार्यों के
प्रबन्ध तथा सही निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये आयुक्तों (3 प्रतिशत) उ
(10 प्रतिशत) तथा उप मण्डलीय न्यायाधीशों (25 प्रतिशत) द्वारा राहत का
निरीक्षण किया जाना चाहिये। इन निरीक्षणों के प्रतिवेदन सरकार को भेजे जाने
हैं। विभाग के पास यह दर्शाने के लिये अभिलेख उपलब्ध नहीं थे कि विभागीय अधि
द्वारा निरीक्षण किया गया था।

कांगड़ा, किन्नौर, शिमला तथा सोलन के उपायुक्तों द्वारा यह बताया ग
कार्यों का निरीक्षण किया गया था लेकिन जैसा कि अपेक्षित था सरकार को उसके प्र
प्रस्तुत नहीं किये गये और उनके अभिलेख भी नहीं रखे गये थे।

3.7.19. रोकड़ पुस्तकों का न रखा जाना

एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार की ओर से किसी भी स्रोत से धन प्राप्त
है उसे दिन प्रतिदिन धन की प्राप्तियों तथा उससे भुगतानों को अभिलिखित करने
निर्धारित फार्म पर रोकड़ पुस्तक बनाना अपेक्षित है। शिमला, कांगड़ा तथा सोलन
के उप मण्डल अधिकारियों (सिविल) तथा तहसीलदारों ने 1982–83 से 1984
दौरान विभिन्न राहत कार्यों पर प्रयुक्ति के लिये 62.50 लाख रु० प्राप्त कि
अधिकारियों द्वारा इन प्राप्तियों के प्रति लेन-देन को अभिलिखित करने के लिये रो
पुस्तक नहीं बनाई गई थी। इस कारण से किये गये व्यय का सत्यापन लेखापरीक्षा
जांचा जा सका।

3.7.20. अनुश्रवण

उपायुक्तों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर प्रत्यक्ष प्रगति को इंगित क
निर्धारित विवरणियां फरवरी से मार्च 1983 तक की लघु अवधि के सिवाय सरकार
भेजी गई थी।

राज्य सरकार के आदेशों (अक्तूबर 1982) में निहित है कि कार्यक्रम का जिला/राज्य
स्तर पर अनुश्रवण तथा समीक्षा करने के लिये राज्य/जिला स्तर पर राहत समितियां स्थापित
की जानी चाहिये। यद्यपि राजस्व विभाग ने वित्त विभाग को सूचित किया कि शिमला,
कांगड़ा, सोलन तथा किन्नौर जिलों में समितियां गठित की गई थीं पर न तो ये समितियां
नियमित रूप से बैठकें करती थीं और न ही इनकी कार्यवाहियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध
करवाई गई थीं।

सारांश

—प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथक्-पृथक् पीड़ितों द्वारा उठाई गई हानियों का ब्यौरे-
वार सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

—विभाग ने 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान निष्पादनार्थ 5336
निर्माण कार्यों को हाथ में लियां। ये निर्माणकार्य तीन से छः माह की अवधि के दौरान पूर्ण
किये जाने थे। केवल 3,889 कार्य ही तीन से अठारह माह की अवधि में पूर्ण हुये थे और शेष
1447 कार्य जिन पर अभी तक 126.87 लाख रु० व्यय किया जा चुका था अपूर्ण पड़े थे।

—वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान 4,85,123 व्यक्तियों के लक्ष्य के प्रति
50,169 व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया था।

—निष्पादित निर्माण कार्यों में अकुशल मजदूरी की कुल मात्रा केवल 26 तथा 54
प्रतिशत के बीच थी।

—सहायता अनुदानों का भुगतान आपदा के घटने के पश्चात एक माह से एक वर्ष की
सीमा अवधि के बाद किया गया था।

—उपायुक्तों ने आवश्यकताओं से पहले खजानों से 500.34 लाख रु० का आहरण किया।
वर्ष 1982-83 तथा 1984-85 के बीच आहृत 73.67 लाख रु० अभी तक बैंकों/डाक-
घरों में अप्रयुक्त पड़े थे (सितम्बर 1985)। ज़िला कांगड़ा में तहसीलदार बैजनाथ ने अपने
नाम से एक बचत खाता खोला तथा 2.24 लाख रु० का शेष अभी भी उसके खाते में
उपलब्ध था।

—वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक की अवधि के बीच बैंकों/डाकघरों में जमा
सरकारी धन पर अर्जित 4.46 लाख रु० के कुल ब्याज को सरकारी प्राप्तियों के रूप में
जमा करवाने के बजाय उस में से 0.71 लाख रु० वाहनों की मरम्मत, पैट्रोल की खरीद, स्टाफ
की मजदूरी आदि पर अनियमित रूप से प्रयुक्त किये गये थे।

—ज़िला कांगड़ा में तीन उप मण्डल अधिकारियों (सिविल) द्वारा प्रयुक्त वाहनों के
चलाने के प्रभार को राहत कार्यों पर व्यय दर्शा कर राहत कार्यों को 0.70 लाख रु० अधिक
प्रभारित किया गया।

—सरकारी निर्देशनों के विपरीत 1981-82 से 1984-85 के बीच दैनिक आंशि रूप में लगाये गये पर्यवेक्षकों, कनिष्ठ अभियन्ताओं, लिपिकों, सफाई वालों, बेलदारों, चालक पाचकों, जल वाहकों आदि की मजदूरी पर 0.56 लाख रु० योजना के नाम डाले गये थे।

—ज़िला कांगड़ा के तीन खण्डों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ितों को परिवहन तथा जलापू हेतु रखे गये 1.28 लाख रु० उन क्षेत्रों में जहां जल पहले ही उपलब्ध था वहां तालाबों त बावड़ियों के बनवाने पर व्यय किये गये।

—2.92 लाख रु० सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुरक्षण तथा मरम्म कार्यों हेतु उपलब्ध निधियों से मोड़े गये थे।

—सरकारी आदेशों के विपरीत 8.30लाख रु० का भुगतान उपायुक्तों द्वारा शिमला न निगम तथा धर्मशाला, नूरपुर एवं पालमपुर नगरपालिकाओं और मन्दिर, मस्जि समितियों को किया गया।

—कार्यों का निष्पादन अनुमानों के आकलन एवं संस्वीकृति के बिना ही किया गया था।

—भण्डार/स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाये गये थे।

—शिमला, कांगड़ा तथा सोलन जिलों के उप-मण्डल अधिकारियों (सिविल) इस योजना पर व्यय का लेखा रखने के लिये रोकड़ पुस्तकें तैयार नहीं की थीं।

मामला सरकार को अक्तूबर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षि है (मार्च 1986)।

उद्योग विभाग

3.8. उद्योगपतियों को अनावश्यक लाभ

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के नियमों में निर्धारित कि मई 1974 में या इसके बाद लगाई गई लघु औद्योगिक इकाइयों को अन्तर्राज्यी बिक्रियों पर दिया केन्द्रीय बिक्री कर उद्योग निदेशक से वास्तविक भुगतान किया गया केन्द्री बिक्री कर की सीमा तक या पूंजी निवेश का 8 प्रतिशत जो इन में से कम हो व ब्याज रहित ऋण के रूप में वापिस किया जाएगा। यह ऋण 5 वर्ष के उत्पादन बाद पांच बराबर किश्तों में वसूली योग्य है और दोषी होने पर 16 प्रतिशत प्रति व की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रभार्य है।

महा-प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सोलन के अभिलेखों के अक्तूबर 1984 में नमून जांच से पता चला कि दिसम्बर 1980 और जून 1983 के बीच सोलन जिले में नौ मामल में जहां सितम्बर 1976 तथा जुलाई 1980 के बीच उत्पादन शुरू किया गया, 44.5 लाख रु० के ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान किया गया। लेकिन चार मामलों में ऋण प्रथम किश्त की वापसी अनुबंध में उत्पादन के छः वर्ष पूर्ण होने के बाद नियत की गई थी

इस के परिणामस्वरूप 16·01 लाख रु० को अनुमत्य अवधि से एक साल ज्यादा तक रखा गया जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज 2·56 लाख रु० बनता है लेकिन इसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई (जुलाई 1985)। महाप्रबन्धक जिला औद्योगिक केन्द्र ने बताया (जुलाई 1985) कि इन मामलों में अनदेखी के कारण गलती हो गई और अनुबन्ध में हुई गलती को ठीक करने का मामला उद्योग निदेशक के माध्यम से उद्योगपतियों के साथ उठाया जायेगा। यह भी देखा गया कि 44.57 लाख रु० में से 29·52 लाख रु० (मूलधन: 22·83 लाख रु० तथा चक्रवृद्धि ब्याज: 6·69 लाख रु०) जुलाई 1985 तक सभी ऋणियों से वसूली हेतु देय थे क्योंकि उन्होंने देय तिथि तक राशि जमा नहीं करवाई थी। नियमानुसार यदि देय तिथि तक ऋण की वापसी न की जाए तो वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में किया जाना अपेक्षित है परन्तु इस दिशा में भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई (जुलाई 1985)।

दिसम्बर 1985 में सरकार ने बताया कि अतिदेय किश्तों के शीघ्र पुनर्भुगतान हेतु इकाइयों को नोटिस जारी किए जा चुके थे।

3.9. परिहार्य अदायगी

उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बड्डी (सोलन जिला) के विकास एवं विस्तार के लिए 370·4 बीघा जमीन के अर्जन हेतु भू-अर्जन नियंत्रक ने दिसम्बर 1981 में 36·37 लाख रु० का अधिनिर्णय जारी किया। बाद में भूमि मालिक अगस्त 1982 में भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय में गए जिस पर न्यायालय ने आदेश दिया (दिसम्बर 1982) कि 4.99 लाख रु० की क्षतिपूर्ति की बढ़ौतरी के साथ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि पर परिग्रह तिथि से (25 अगस्त 1981) 15 प्रतिशत तोषण और छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाये।

नमूना निरीक्षण (अक्तूबर 1984) से पता चला कि न्यायालय के निर्णय (दिसम्बर 1982) की घोषणा के तुरन्त बाद अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की अदायगी की बजाय भुगतान अप्रैल 1984 में किया गया जिसमें 0.40 लाख रु० विलम्बित अदायगियों पर ब्याज के कारण सम्मिलित था जो परिहार्य था (जनवरी 1983 से अप्रैल 1984)।

पुनः 370.4 बीघा की कुल अर्जित भूमि में से 120 औद्योगिक प्लाटों का विकास किया गया और इन में से वर्ष 1982-83 से जुलाई 1985 तक विभिन्न उद्योगपतियों को 66 प्लाट पट्टे पर दिये गये एवं 121 लाख रु० (लगभग) मूल्य के 54 प्लाट भी पट्टे पर दिये जाने शेष थे यद्यपि प्लाटों के आबंटन के लिए 2,000 से अधिक आवेदन अनिर्णीत थे (जनवरी 1986)।

सरकार को मामला जून 1985 में प्रतिवेदित किया गया; अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 1986)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.10. इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला

इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच

(अक्तूबर–नवम्बर 1984) से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :—

(i) कोबाल्ट थीरेपी इकाई

विभाग द्वारा यह विश्वास दिए जाने पर (मार्च 1978) कि इकाई स्थापित कर हेतु भवन उपलब्ध था। भारत सरकार ने मई 1978 में चिकित्सा महाविद्यालय, शिमल में कोबाल्ट थीरेपी इकाई की स्थापना के लिए 10 लाख रु० की सहायता का विमोच किया। केन्द्रीय सहायता के विमोचन में इकाई लगाने के लिये भवन की उपलब्धता पूर्व पेक्षित थी। इकाई को सहायता दिए जाने के छः मास के अन्दर स्थापित किया जाना था

सहायता दिए जाने से पहले इकाई स्थापित करने हेतु जिस भवन के उपलब्ध हो का विश्वास (मार्च 1978 में) दिलाया गया था वह वास्तव में उपलब्ध नहीं था। भ निर्माण का कार्य दिसम्बर 1978 में शुरू किया गया तथा मार्च 1985 तक 23·1 लाख रु० के व्यय के बाद भी कार्य चल रहा था। 6·73 लाख रु० (मूल्य : 6·36 ल रु०, संस्थापन प्रभार : 0.20 लाख रु० और भाड़ा : 0·17 लाख रु०) में कोबाल्ट थी मशीन को खरीदने के लिए आपूर्ति आदेश नियंत्रक भण्डार, शिमला माध्यम से एक फर्म मार्च 1979 तक दिया गया जो सहायता के प्रयुक्त होने की निर्धारित अवधि (नवम्बर 197 के काफी बाद था। उपरोक्त मशीन अप्रैल 1980 में प्राप्त की गई और अप्रैल 1984 में संस पित की गई। भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र बम्बई जिसने उपरोक्त मशीन के परिचा हेतु "कोबाल्ट सोर्स-60" की आपूर्ति करनी थी को इस उद्देश्य के लिए फरवरी 19 में निवेदन किया गया लेकिन 2·33 लाख रु० की अग्रिम राशि जिसके लिए सर की संस्वीकृति प्रतीक्षित थी (नवम्बर 1984), की अदायगी न होने के कारण वह प्राप्त की जानी थी। "कोबाल्ट सोर्स-60" की आपूर्ति एक भौतिक शास्त्री की नियु पर भी निर्भर थी जो नहीं की गई थी (दिसम्बर 1985)। इसी मध्य मार्च 19 और मार्च 1985 के बीच इकाई के प्रति नियुक्त कर्मचारियों के वेतन की राशि लाख रु० तक पहुंच गई।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रधानाचार्य, इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्य (निदेशक व प्रधानाचार्य) ने नवम्बर 1985 में बताया कि तकनीकी कारणों से इकाई लगाने हेतु भवन के निर्माण में विलम्ब हुआ। यह भी बताया गया कि जनवरी 1 में चिकित्सा भौतिक शास्त्री के पद को भरा जा चुका था और "कोबाल्ट सोर्स-60 आपूर्ति का मामला क्रियाशील था एवं 3·50 लाख रु० भाभा आणविक अनुसंधान को भेजे जा चुके थे।

(ii) साख पत्र

भारतीय स्टेट बैंक के नियमाधीन साख पत्र खुलवाने के लिए जमा सुरक्षित राशि पर का भुगतान किया जाता है तथा सुरक्षित राशि को **"आवधिक जमा"** माना जाता

यह देखा गया कि 83 साख पत्र खोलने हेतु 36·29 लाख रु० की सुरक्षित राशि महाविद्यालय द्वारा मार्च 1977 और जुलाई 1984 के बीच जमा करवाई गई लेकिन उसपर 2·07 लाख रु० के ब्याज का बैंक से दावा नहीं किया गया (अक्तूबर 1984)। पुनः 31 मार्च 1984 तक 2.07 लाख रु० पर 0.60 लाख रु० ब्याज उपार्जित बनता था।

निदेशक प्रधानाचार्य ने नवम्बर 1985 में बताया कि मामले का क्षेत्रीय कार्यालय से अनुसरण किया जा रहा था परन्तु उनसे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला।

(iii) दवाइयों का क्रय

सरकार के जुलाई 1982 के आदेशों के विपरीत वर्ष 1983-84 में दवाइयों का सम्पूर्ण क्रय गैर-सरकारी फर्मों से किया गया तथा वर्ष 1984-85 के दौरान (जुलाई 1984 तक) 81 प्रतिशत दवाइयों का क्रय निजी क्षेत्र की फर्मों से उनकी उपलब्धता भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों/स्थानीय लघु उद्योग इकाइयों से सुनिश्चित किये बिना ही किया गया।

उपरोक्त के अलावा वर्ष 1983-84 और 1984-85 (सितम्बर 1984) तक के दौरान क्रमशः 0.28 लाख रु० एवं 1.62 लाख रु० की दवाइयों का क्रय निदेशक द्वारा प्रत्येक आदेश को 0·05 लाख/0·25 लाख रु० की अपनी वित्तीय शक्तियों में सीमित रखते हुए गैर सरकारी फर्मों से किया गया और उनसे यह प्रमाणित करवाने की अपेक्षा की कि प्रभारित दरें अस्पताल दरें थीं।

यह देखा गया कि अस्पताल दरें किसी सरकारी अभिकरण द्वारा निर्धारित नहीं की गई थीं किन्तु ये उन्हीं दरों का निरूपण करती थीं जिन पर सम्बन्धित फर्में अस्पतालों को आपूर्ति करती थीं पर इस कारण से किफायती दरों को निकालने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की आवश्यकता को नहीं टाला जा सकता था।

(iv) भण्डारों को कम लेखाबद्ध करना

वर्ष 1973—75/1983-84 के दौरान 1·35 लाख रु० मूल्य के भण्डार जीव/ रसायन विभाग (1983-84 में 0.40 लाख रु०) ब्लड बैंक विभाग (वर्ष 1983-84 0·23 लाख रु०) और मोबाइल अस्पताल भण्डार (1973–75 में 0·72 लाख रु०) के स्टाक रजिस्टरों में जारी उपयुक्त दिखाई गये थे। जारी किए गए भण्डारों के समर्थन न मांग-पत्र पावतियां और न ही उनके उपभोग के लेखे लेखापरीक्षा को दिखाये । मोबाइल अस्पताल के भण्डारों के संबंध में निदेशक व प्रधानाचार्य ने नवम्बर 1985 में बताया कि चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) की आत्महत्या के कारण इन कमियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

(v) आकस्मिक अग्रिम

सितम्बर 1984 के अन्त तक 7 लाख रु० राशि के 144 आकस्मिक अग्रिम वर्ष 1976-77 से बकाया थे।

(क) नियमाधीन निदेशक व प्रधानाचार्य आकस्मिक अग्रिम के आहरण हेतु सक्ष नहीं है तथापि अग्रिम की 140 मदें जिनका जोड़ 3.49 लाख रु० था, निदेशक प्रधानाचार्य की संस्वीकृति के आधार पर आहृत हुई थीं।

नवम्बर 1985 में निदेशक व प्रधानाचार्य ने बताया कि ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे जिन केवल अपवादात्मक मामलों में ही अग्रिमों का आहरण हो और वह भी सक्षम प्राधिकारी की उचित संस्वीकृति से ही हो। तथापि पिछले अग्रिमों के अनियमित आहरणों को नियमि करने हेतु उठाए गए पगों की सूचना नहीं दी गई।

(ख) पैट्रोल, तेल और चिकनाई (पी० ओ० एल०) से संबंधित 0·61 लाख का अग्रिम 1977-78 से बकाया था। इस राशि में से 0.37 लाख रु० केवल कर्मचारी के प्रति बकाया थे।

(ग) बकाया अग्रिमों का प्रत्येक मास के अन्त रोकड़ बही में वर्णन नहीं था। कि अग्रिमों का एक रजिस्टर बनाया गया था लेकिन रोकड़ बही की मदों का उसमें कोई संकेत न था जिसके अभाव में रजिस्टर की परिशुद्धता को स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

(घ) प्रत्येक मामले में अग्रिमों के समायोजन का कार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं था तथा यह देखा गया कि जनवरी 1975 से मार्च 1977 तक के दौ समायोजित 5.81 लाख रु० की 51 मदों का अग्रिम रजिस्टरों में सत्यापन नहीं किया ग था।

(vi) शुल्क जमा करने में देरी

नवम्बर 1984 में यह देखा गया कि कालेज के शुल्क लिपिक ने मई 1984 से शु रजिस्टर को पूरा नहीं किया था तथा उसने अप्रैल से अक्तूबर 1981 तक एकत्रित फीस जमा न करवाई थी। लेखा परीक्षा के कहने पर तदर्थ 1.07 लाख रु० की राशि (0.19 लाख रु० सरकारी निधि सहित) उसने रोकड़िए के पास 14 नवम्बर 1984 को आहरण एवं वित अधिकारी द्वारा जारी एक अस्थायी प्राप्ति रसीद के प्रति जमा करवाई। शुल्क लि ने रोकड़ रखने हेतु न तो कोई जमानत राशि जमा करवाई और न ही उसे रोकड़ रखने के लि तिजोरी दी गई थी।

रसीद पुस्तकों के स्टाक रजिस्टर में स्टाक में/शुल्क लिपिक को जारी विभिन्न र पुस्तकों की क्रम संख्या की सूचना नहीं दी गई थी जिस के अभाव में लेखापरीक्षा में यह नहीं चल सका कि प्रयोग में आ रही प्रयुक्त रसीद पुस्तकें वही थीं जिन्हें इस उद्देश्य हेतु ज किया गया था।

सरकार ने जनवरी 1986 में उल्लिखित उप-अनुच्छेद (i), (ii), (v) तथा (v (क) के सम्बन्ध में निदेशक चिकित्सा शिक्षा व प्रधानाचार्य के तर्क की पुष्टि की। बक उप-अनुच्छेदों से संबंधित अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

3.11. अपव्यय

विकास खण्ड, तीसा (जिला चम्बा) में दो निर्माण कार्य (विस्तृत वर्णन नीचे दिया गया है) जिन पर वर्ष 1977-78 और 1979-80 के बीच 0.34 लाख रु० खर्च किए गए थे अधूरा पड़ा रहा (सितम्बर 1984) :—

(राशि लाख रुपयों में)

निर्माण कार्य का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	संस्वीकृत राशि	किया गया व्यय
नरवार जल आपूर्ति योजना	1977-78	0.33	0.16
सरडोडा सिंचाई योजना	1977-78	0.24	0.18
योग		0.57	0.34

खण्ड विकास अधिकारी, तीसा ने बताया (मई 1985) कि इस निर्माण कार्यों को तकनीकी कारणों से छोड़ा गया था तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। पुन: छ: योजनाओं के लिए जिसमें एक उपरोक्त योजना भी सम्मिलित थी 0.90 लाख रु० मूल्य के जी० आई० पाइप जिन्हें लोकनिर्माण विभाग से मंगवाने हेतु 1979 में आदेश दिए गये थे जो मार्च 1983 में प्राप्त हुए अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि पाइप चार वर्ष बीतने के बाद प्राप्त हुए जब तक कुछ योजनाओं का परित्याग कर दिया गया था एवं अन्य योजनाओं को पाइप स्थानीय पंचायतों/ठेकेदारों से लेने के बाद पूर्ण किया जा चुका था, इन पाइपों को चालू वर्ष/अगले वर्ष में प्रयोग के लिए प्रस्तावित किया गया था (मई 1985)।

खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (अगस्त 1985) कि 0.15 लाख रु० मूल्य के पाइप चार अन्य योजनाओं को जारी कर दिये गए थे। इस प्रकार 0.34 लाख रु० का व्यय निष्फल हो गया और 0.75 लाख रु० मूल्य के जी० आई० पाइप अप्रयुक्त पड़े रहे (अगस्त 1985)।

मामला सरकार को सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

3.12. अनियमित व्यय

खण्ड विकास अधिकारी, पांगी (जिला चम्बा) के लेखाओं की नमूना जांच (सितम्बर 1984) के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु खजाना से आहृत विशेष संप्रयुक्त आहार योजनाओं के अन्तर्गत 3.07 लाख रु० फरवरी 1980 और जून 1982 के बीच प्राप्त धनराशियों को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा डाकखाने में रखा गया था

तथा लेखे में इन्हें अन्तिम व्यय के रूप में दिखाया गया था। बाद में अगस्त 1982 में आहार योज
के अन्तर्गत विशेष संप्रयुक्त महिला मण्डल और युवा क्लब के लिए जून और अगस्त 1982
बीच खरीदी गई सामग्री तथा उपकरणों की अदायगी हेतु अगस्त 1982 के डाकखाने से निका
गये 1.53 लाख रु० को रोकड़ बही में लेखाबद्ध नहीं किया गया जो अपेक्षित था। इस
अतिरिक्त निम्नलिखित अनियमितताएं भी ध्यान में आई।

(i) 1.41 लाख रु० (1.53 लाख रु० में से) मूल्य का क्रय निविदाओं/निवे
दरों को मंगवाए बगैर, सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त किए बगै
तथा आपूर्ति आदेश दिए बगैर किया गया जोकि नियमाधीन अपेक्षित था
1.41 लाख रु० के बिल अदायगी हेतु पास नहीं किये गये थे (सितम्
1984)।

(ii) अगस्त 1982 में 1.41 लाख रु० के क्रय में से 0.70 लाख रु० मूल्य क
सामग्री उपकरण का क्रय महिला मण्डल एवं युवा क्लब के लिए किया गया
जिन का गठन अभी किया जाना था (सितम्बर 1984) तथा इस प्रकार
भण्डारों में अप्रयुक्त पड़ा था।

(iii) 0.12 लाख रु० की बकाया राशि (1.53 लाख रु०—1.41 लाख रु
लेखाबद्ध नहीं हुई थी (सितम्बर 1984)।

(iv) 1.54 लाख रु० (3.07 लाख रु० में से) डाकखाने में ही थे (सितम्
1984)। मामला सरकार को जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्त
की प्रतीक्षा है (मार्च 1986)।

3.13. योजनाओं का अतिव्यापन

जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधीश ऊना ने खण्ड विकास अधिकार
ऊना से (नवम्बर 1984) उन लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के विवरण देने को कहा जो खण्ड द्वा
पूर्ण किए गए थे लेकिन वास्तव में प्रयुक्त नहीं हो रहे थे। उत्तर में खण्ड विकास अधिकार
ऊना ने नवम्बर 1984 में 1974–75 और 1978–79 के बीच 0.91 लाख रु० की लाग
से पूरे किये (0.43 लाख रु०, 1974–75, 0.35 लाख रु०: 1975-76, 0.13 ल
रु०: 1978–79) सात लघु सिंचाई निर्माण कार्यों का जो प्रयोग नहीं किये जा रहे थे का ब्यौ
भेजा। ये निर्माण कार्य ऐसे क्षेत्रों में स्थित थे जहां सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग की स
योजनाओं द्वारा पंचायतों द्वारा सिंचाई के अनुरक्षण की लागत की तुलना में सस्ती द
पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थीं। इस निर्माण कार्यों का ऐसे क्षेत्रों में ज
पहले ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं के निष्पादन के कारण नहीं बताए गए
(मार्च 1985)। परिणामस्वरूप 0.91 लाख रु० का व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रगतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित
(मार्च 1986)।

3.14. बेकार उपकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा होम गार्ड विभाग द्वारा खरीदे गये 12.60 लाख र

के उपकरण खरीदने के बाद प्रत्येक के आगे दर्शाए गए कारणों एवं परिमाण तक
क्त नहीं किये गये थे।

ालय/विभाग का नाम	उपकरण का विवरण	खरीदने की तिथि	कीमत (लाख रुपयों में)	कब से बेकार पड़े थे	अभ्युक्तियां
चिकित्सा अधि- ी चम्बा (ग्रामीण ताल किलाड)	एक्सरे प्लांट	..	0.37	अक्तूबर 1982	संयंत्र खराब हो गया था तथा अतिरिक्त पुर्जे प्राप्त करने के बावजूद भी मरम्मत नहीं की गई थी (अक्तूबर 1984)।
मुख्य चिकित्सा कारी शिमला पन अस्पताल ला)	नैट स्टील होरीजैन्टल स्टैरीलाइजर	जून 1983	0.85	जून 1983	तीन फेज बिजली की आपूर्ति की अनुपलब्धता के कारण उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया (जुलाई 1984)।
मुख्य चिकित्सा कारी, मण्डी					
मिक चिकित्सा , कोटली	एक्स-रे प्लांट	1983	1.34	1983	क्ष-किरण उपलब्ध नहीं थे (अगस्त 1984)।
मिक चिकित्सा , सरकाघाट	उक्त	1983	1.34	जुलाई 1984	तकनीकी की नियुक्ति न होने के कारण।
मिक चिकित्सा , लाड भड़ोल	उक्त	1982	1.34	1982	अन्ध-कक्ष उप-साधन उपलब्ध नहीं थे।

कार्यालय/विभाग का नाम	उपकरण का विवरण	खरीदने की तिथि	कीमत (लाख रुपयों में)	कब से बेकार पड़े थे	अभ्यु[illegible]
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, बलदवाड़ा	एक्स-रे प्लांट	1982	1.34	1984	अंधकक्ष सुवि[illegible] उपलब्ध न[illegible] तथा तकनीक[illegible] नियुक्ति नही[illegible] थी।
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पन्डोह	उक्त	1982	1.34	सितम्बर 1982	तीन फेस [illegible] आपूर्ति [illegible] नहीं थी।
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, झंजैली	उक्त	1983	1.34	1983	अंधकक्ष साधन उ[illegible] नहीं थे।
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, रत्ती	उक्त	1983	1.29	1983	तीन फेस [illegible] आपूर्ति उ[illegible] नहीं थी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन (सिविल अस्पताल चायल)	उक्त	मई 1983	1.34	मई 1983	संयन्त्र अं[illegible] के न मि[illegible] कारण बेक[illegible]
5. होम गार्ड कमाण्डेंट जनरल व निदेशक नागरिक सुरक्षा (4 बटालियन होम गार्ड, नाहन)	6 वायरलैस सैट	दिसम्बर 1977 (i) तथा जून 1979 (5)	0.71	दिसम्बर 1977 जून 1979	इन यंत्रों [illegible] के समय [illegible] आवश्यक उ[illegible] तथा भारत[illegible] कार से [illegible] प्रयोग से [illegible] विस्तृत निर्दे[illegible] उनका प्रयो[illegible] के प्राप्त न[illegible] कारण प्र[illegible] नहीं लाय[illegible]

कार्यालय/विभाग का नाम	उपकरण का विवरण	खरीदने की तिथि	कीमत (लाख रुपयों में)	कब से बेकार पड़े थे	अभ्युक्तियां
					था। इसके बावजूद एक मामले में (जिला सिरमौर) चालक/मकैनिक को नियुक्त किया गया (जनवरी 1981: 3 चालक, जुलाई 1981 : 2 चालक और जून 1982 : 1 मैकेनिक)। विभाग ने जून 1985 में बताया कि स्टाफ की सेवाएं साधारण रख-रखाव और भारत सरकार से सम्बद्ध पत्राचार के लिए प्रयुक्त की गई थीं। विभाग ने यह भी दिसम्बर 1985 में बताया कि वायरलैस सेट क्षेत्रीय नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्र, अम्बाला एवं पठानकोट (यथा शिमला, मण्डी, नाहन को

कार्यालय/विभाग का नाम	उपकरण का विवरण	खरीदने की तिथि	कीमत (लाख रुपयों में)	कब से बेकार पड़े थे	अभ्युक्तियां
					अम्बाला से और चम्बा, धर्मशाला को पठानकोट से) से संदेश भेजने के लिए अपेक्षित थे जो अभी तक सक्रिय नहीं हुए थे।
	योग		12.60		

उपकरणों के प्रयुक्त न होने के कारण केवल सरकारी निधि ही अवरुद्ध नहीं हुई बल्कि जन समुदाय को जिनके हेतु इनका क्रय किया गया था, सेवाओं से वंचित रखा गया।

मामला सरकार कों सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

3.15. बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

स्थानीय जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रारम्भिक लेखों में कमियों पर आधारित लेखापरीक्षा टिप्पणियां जो कि मौके पर न निपटाई जा सकें निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा कार्यालय अध्यक्षों, उच्च विभागीय अधिकारियों तथा विभाग अध्यक्षों के समक्ष लाई जाती हैं। अधिक महत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना सरकार को भी दी जाती है। सरकारी निर्देशों के अधीन इन निरीक्षण रिपोर्टों के प्रथम उत्तर चार सप्ताह के भीतर देना आवश्यक है। छः मास से अधिक पुराने बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट उनका निपटान शीघ्र करवाने हेतु सरकार को भेजी जाती है।

सिविल विभागों से सम्बन्धित जिसमें लोक निर्माण विभाग भी सम्मिलित है मार्च 1985 तक जारी किये गये 4039 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सितम्बर 1985 के अंत तक 22389 अनुच्छेदों का निपटान होना बाकी है। जबकि 30 सितम्बर 1983 तथा 30 सितम्बर 1984 को इन बकाया प्रतिवेदनों की संख्या क्रमश: 4,030 तथा 4,167 और अनुच्छेदों की संख्या क्रमश: 21,908 तथा 22,110 थी।

इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का विभागीय विवरण निम्न प्रकार हैं :—

विभाग का नाम	पहली बकाया निरीक्षण रिपोर्ट जिस वर्ष में जारी हुई	बकाया संख्या	
		निरीक्षण रिपोर्ट (सितम्बर 85 के अंत तक)	अनुच्छेद
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1964-65	182	1,954
सामाजिक एवं महिला कल्याण	1969–70	112	728
उद्योग	1971–72	131	485
पुलिस	1976–77	33	99
वन	1973–74	173	883
लोक निर्माण	1971–72	403	2,007
शिक्षा	1969–70	794	3,324
ग्रामीण विकास	1964–65	500	3,869
कृषि	1964-65	196	1,247
अन्य	1958–59	1,515	7,793
		4,039	22,389

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सामाजिक तथा महिला कल्याण, उद्योग, पुलिस, वन विभागों से सम्बद्ध निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शाई गई कुछ विशिष्ट अनियमितताएं इस प्रकार हैं :—

आपत्तियों का श्रेणीकरण	निरीक्षण रिपोर्ट	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1. आवश्यकता से पहले निधियों का आहरण	35	37	136.68
2. अनियमित व्यय (संस्वीकृति का अभाव, निविदायें न लेने के कारण आदि)	130	205	91.48

आपत्तियों का श्रेणीकरण	निरीक्षण रिपोर्ट	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
3. अधिक भुगतान, वसूली योग्य किराया तथा पेशगियां	195	348	25.02
4. भंडार का लेखाबद्ध न होना और कमियां	67	81	14.87
5. भंडार का दुर्विनियोग	3	3	0.31
6. सामान की निर्दिष्ट प्रतिमान से अधिक खपत	31	38	2.18
7. बेकार भंडारों का निपटान न होना—			
(क) ऐक्सरे फिल्म्ज़	5	6	1.91
(ख) गाड़ियां	2	2	11 गाड़ियां
(ग) अन्य भंडार	38	40	12.65
8. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न होना	42	42	..
9. खजाने के साथ असामंजस्य	47	47	..
10. जमानत पत्रों का न भरना	41	41	..

ऊपर तालिका बद्ध मामलों से सम्बन्धित कुछ रोचक तथ्यों पर चर्चा निम्न प्रकार से की जाती है :—

क्रमांक 1.

सभी 35 संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कुछ समय पहले भण्डारों तथा प्रकरणों इत्यादि की खरीद के लिये पर आपूर्ति से बहुत पहले खजाने में 136.68 लाख रु० केवल इस लिये निकलवाये कि बजट अनुदान व्यर्थ न जाये ; एक मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी धर्मशाला (जिला कांगड़ा) ने मार्च 1984 में परिवार कल्याण अग्रिमों के रूप में निकलवाये 4.50 लाख रु० में से 4 लाख रु० जून 1984 में कोष में प्रत्यर्पित किये और बाकी 0.50 लाख रु० का प्रयोग औषधियों के क्रय में व्यय किया। इस मामले में प्रथम उत्तर भी अभी तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 1985)।

क्रमांक 7.

(क) छः मामलों में 52.65 रु० प्रति किलोग्राम की अनुमोदित दर से 1.91 लाख रु० (लगभग) मूल्य की इस्तेमाल की हुई ऐक्सरे फिल्मों तथा फिक्सर को बेचा नहीं गया (जून 1985)।

(ख) दो मामलों में 11 गाड़ियों को जो कि 1978 और 1982 के बीच में न चलाने

योग्य थी को नकारा जाना अपेक्षित था (अक्तूबर 1984)। इनमें से दो गाड़ियां हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन की तारादेवी कार्यशाला में 1978 से पड़ी थी जिसके लिये विभाग द्वारा पांच रुपये प्रति दिन के हिसाब से अक्तूबर 1984 तक 0.26 लाख रु० गाड़ी पार्क करने का प्रभार देय है। इस मामले में भी प्रथम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 1985)।

उपरोक्त पांच विभागों के सम्बन्ध में 1982–83 से 1984–85 की अवधि के निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भेजने में निर्धारित 4 सप्ताह की अवधि की तुलना में देरी की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शित है :—

विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेद जिनका प्रथम उत्तर नहीं मिला—देरी का समय			प्रथम उत्तर जितनी देरी से मिला		
	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3/93	3/31	1/45	2/64	1/11	..
समाज तथा महिला कल्याण	3/58	..	2/18	..	..	..
उद्योग	1/17	2/33	1/4	..	..	..
पुलिस	1/12	1/8	..	5/56	1/14	..
वन	3/20	5/49	..	..	..	..

पुरानी आपत्तियों के अनिर्णीत रहने के मुख्य कारणों को सुनिश्चित करने के लिये सितम्बर 1985 में दो विभागों (स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण और सामाजिक तथा महिला कल्याण) के अभिलेखों की जांच परीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :—

(i) निरीक्षण रिपोर्ट का प्रथम उत्तर भेजने के लिये निर्धारित चार सप्ताह की समय सीमा का अनुपालन नहीं किया गया और दोनों विभागों ने इस समय सीमा को नितांत अपर्याप्त बताया क्योंकि जिला तथा क्षेत्रीय इकाइयां बहुत दूर तक फैले हुए क्षेत्रों में स्थित थीं। परन्तु यह देखा गया कि केवल समय सीमा ही का अपर्याप्त होना ही प्रथम उत्तर भेजने में देरी का एक मात्र कारण नहीं था क्योंकि इन दो विभागों से 245 अनुच्छेदों से समाविष्ट 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर प्रतीक्षित था और उसमें देरी की अवधि एक से तीन वर्ष तक थी।

(ii) प्रदेश वित्त विभाग के अप्रैल 1966 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का निपटान करने के लिये लक्ष्य तिथियां नियत करना अपेक्षित था परन्तु इस दिशा में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग ने कोई पग नहीं उठाये। जहां कुछ लक्ष्य नियत किये गये वहां पुरानी आपत्तियों के निपटान में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। पिछले दो वर्षों में पुरानी आपत्तियों के बकाया की तुलना में निपटान की स्थिति निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आदि शेष		वर्ष में जोड़		निपटान		शेष	
	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद	प्रतिवेदन	अनुच्छेद
1983–84	82	410	4	46	3	94	83	362
1984–85	83	362	15	228	1	45	97	545

(iii) जिन विभागों की जांच परीक्षा की गई वहां पाया गया कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों में अपेक्षित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटान की प्रगति दर्शाने वाले रजिस्टर का पाक्षिक/मासिक समीक्षण नहीं किया गया। इस विषय में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग ने बताया (सितम्बर 1985) था कि विभाग की विस्तृत गतिविधियों के कारण पाक्षिक/मासिक समीक्षा के स्थान पर त्रैमासिक समीक्षा की गई किन्तु लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि समीक्षा के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की प्राप्तियों, निपटान तथा शेष दर्शाने हेतु प्रतिवेदन नहीं बनाये गये। इस तरह से विभाग आपत्तियों के निपटान पर ढंग से नियन्त्रण रखने में असफल रहा।

(iv) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने अपने अधीन कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की निपटान की प्रगति जांच नहीं की जो अपेक्षित थी। सामाजिक तथा महिला कल्याण विभाग ने बताया (सितम्बर 1985) कि अधिकारियों के अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान पुरानी आपत्तियों के निपटान के बारे में प्रगति की स्थिति का परीक्षण नहीं किया।

यह ध्यान में आया कि इस बारे में निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन निदेशालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे ।

(v) पुरानी आपत्तियों को जल्दी निपाटने के लिये लेखापरीक्षा विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर जो कि प्रदेश वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर 1982 में स्वीकृत किया गया था और जिस के अनुसार सम्बन्धित विभाग के सचिव तथा वित्त विभाग और लेखा विभाग के एक-एक सदस्य सहित बकाया अनुच्छेदों के निपटान की कार्यविधि को त्वरित करने हेतु लेखा परीक्षा समितियों का गठन करना था पर आचरण नहीं किया गया (सितम्बर 1985) ।

मामला सरकार को अक्तूबर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

3.16. दुर्विनियोजन, व्यपहरण आदि

मार्च 1985 के अन्त तक लेखा परीक्षा को प्रतिवेदित सरकारी धन के कथित दुर्विनियोजन, व्यपहरण आदि के मामलों की स्थिति जिन पर अन्तिम कार्यवाही नवम्बर 1985 के अन्त तक बकाया पड़ी थी, निम्नवत थी :—

	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
31 मार्च 1984 तक प्रतिवेदित तथा 30 सितम्बर 1984 को बकाया पड़े मामले	129	79.77
वर्ष 1984–85 तक प्रतिवेदित मामले	2	0.36
नवम्बर 1985 तक निपटाये गये मामले	16	20.41
30 नवम्बर 1985 को बकाया मामले	115	59.72

इनमें से 108 मामले (सम्बद्ध धन राशि : 53.03 लाख रु०) तीन वर्ष से अधिक पुराने थे और इन में वन विभाग का वर्ष 1948–49 से सम्बन्धित एक मामला (धन-राशि : 0.13 लाख रु०) भी सम्मिलित था। 47.56 लाख रु० से सम्बद्ध 65 मामले लोक निर्माण विभाग के थे। 3.30 लाख रु० से सम्बद्ध 19 मामले सिंचाई तथा जन-स्वास्थ्य विभाग और 1.83 लाख रु० से सम्बद्ध 8 मामले वन विभाग से सम्बन्धित थे।

चौथा अध्याय

निर्माण कार्यों पर व्यय

लोक निर्माण विभाग

4.1 प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न विपत्ति से राहत

4.1.1. प्रस्तावनात्मक

हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूकम्प, सूखा, अतिवृष्टि, ओला वृष्टि, भू-स्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएं यदा-कदा उत्पन्न होती रहती हैं। प्रभावित तथा जरूरतमन्द लोगों को राहत प्रदान करने का उद्देश्य उन्हें ऐसी आपदाओं के घटने के तत्काल पश्चात् इस संकट काल से उबारना है। पीड़ितों को सहायतादातृ अनुदानों, तकावी ऋणों, भू-राजस्व की छूट आदि के रूप में प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त लोगों को लाभकर रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं।

राहत कार्यों को मुख्यत: राज्य सरकार के राजस्व, कृषि, सामान्य प्रशासन, उद्यान तथा लोक निर्माण विभागों द्वारा निष्पादित किया जाता है। राजस्व विभाग एक नाभीय विभाग के रूप में कार्य करता है।

4.1.2. प्रस्तुत समीक्षा में वर्ष 1980–81 से वर्ष 1984–85 के दौरान विभाग द्वारा निष्पादित राहत कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के 16 मंडलों से प्राप्त सूचना द्वारा अनुपूरित 9 भवन एवं सड़क मण्डलों (55 मंडलों में से) के लेखाओं की मई-जुलाई 1985 में की गयी नमूना जांच के परिणाम सम्मिलित हैं।

4.1.3. केन्द्रीय सहायता और व्यय

(i) वर्ष 1980–81 से वर्ष 1984–85 के दौरान प्राप्त 1556 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता के प्रति 1559.52 लाख रु० व्यय किये गये थे।

(ii) भारत सरकार के निर्देशों (मई 1978) में परिकल्पित था कि राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के उपयुक्त प्रबन्ध करेगी कि सार्थक परि-योजनाओं की समय से पूर्व ही कल्पना की जाये और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के निमित्त रखी गई निधियों की प्रयुक्ति अतिरिक्त रोजगार का सृजन करके प्रभावित लोगों की विपत्ति के शमनार्थ हो।

फसल की विस्तृत क्षति होने की संभावना को इसके प्रकट होने से काफी पहले प्रभावहीन करने तथा समय पर राहत कार्यों की व्यवस्था करने हेतु अभाव से सम्बन्धित

व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए विभाग द्वारा कोई भी विस्तृत आदेश जारी नहीं किये गये थे।

यह ध्यान में आया कि 239.71 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता यद्यपि वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान प्रत्येक वर्ष सहायता कार्यों की समाप्ति पर प्राप्त हुई लेकिन इसे सम्बद्ध मंडलों द्वारा 9 मंडलों में चालू बजट कार्यों पर इन वर्षों के दौरान पहले ही वहन किये गये 513.62 लाख रु० के व्यय के प्रति समायोजित किया गया था। इसमें यह निहित होगा कि केन्द्रीय सहायता का प्रयोग प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन एवं इस प्रकार की स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु नहीं किया गया था जो भविष्य में ऐसी आपदाओं का मुकाबला करने के लिये सम्बद्ध जिलों की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करती (सड़कों को अल्प प्राथमिकता दी जा रही थी) जैसे कि योजना के अंतर्गत अपेक्षित था और समायोजन केवल केन्द्रीय सहायता की प्रयुक्ति दर्शाने के लिये ही किया गया था।

(iii) खरीफ 1982 के सूखे के कारण सहायतार्थ दिसम्बर 1982 में भारत सरकार द्वारा किए गए 1302 लाख रु० के कुल आवंटन के प्रति राज्य सरकार ने सड़कों के निर्माण हेतु अभिप्रेत 54.83 लाख रु० सहित 84.46 लाख रु० अभ्यर्पित किए। अभ्यर्पण के कारण प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986)।

(iv) अत्यधिक हिमपात और ओलावृष्टि के कारण वर्ष 1982-83 के लिए 2.15 लाख रु० के आबंटन को करछम (1.15 लाख रु०) और चिनाब घाटी (1 लाख रु०) मण्डलों द्वारा सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा जुलाई 1983 और जून 1983 में विलम्बित आबंटन आदेशों के कारण वर्ष 1982-83 के दौरान प्रयुक्त नहीं किया गया।

(v) केन्द्रीय सहायता केवल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित जनसंख्या, क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्रों, रोजगार चाहने वाले संवेदनाशील जन-समूह की संख्या इत्यादि में प्रयुक्त होनी अपेक्षित है। यह देखने में आया कि वर्ष 1982 में अतिवृष्टि, हिमपात (175 लाख रु०) तथा खरीफ के सूखे (300 लाख रु०) के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रमशः सितम्बर 1982 एवं जनवरी 1983 में विभाग को आबंटित 475 लाख रु० वास्तविक क्षति के आधार पर वितरित करने की बजाय विभिन्न जिलों में तदर्थ आधार पर क्षेत्र-बद्ध रूप में वितरित किए गए थे। वर्ष 1982 में बर्फानी तूफानों/अतिवृष्टि के लिए आबंटित 175 लाख रु० की सहायता में से 26.61 लाख रु० (मण्डी : 13.61 लाख रु० तथा लाहौल एवं स्पिति : 13 लाख रु०) की आंकलित आवश्यकता के प्रति 36 लाख रु० की धनराशि मण्डी (34 लाख रु०) और लाहौल एवं स्पीति (2 लाख रु०); जिलों को आबंटित की गई थी जब कि शिमला (84.37 लाख रु०) और चम्बा (4.43 लाख रु०) जिलों को 88.80 लाख रुपये की आंकलित आवश्यकता के प्रति केवल 70 लाख रु० (शिमला : 48 लाख रु० तथा चम्बा : 22 लाख रु०) आबंटित किए गए थे।

4.1.4. रोजगार सृजन

(क) सहायता प्रयासों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को निर्वाह पारिश्रमिक **और** रोजगार उपलब्ध करवाना है ।

पांच मण्डलों की नमूना जांच के दौरान यह ध्यान में आया कि सृजित रोजगार के आंकड़े बढ़ाये गये थे । भिन्नता की सीमा 27 और 346 प्रतिशत के बीच थी जैसे कि नीचे वर्णित है :—

मण्डल का नाम	वर्ष	प्रतिवेदित कार्यदिवस	अभिलेखानुसार कार्य-दिवस	प्रतिवेदित आधिक्य	प्रतिशतता
शिमला–II	1982–83	1,072	846	226	27
भरवांई	1982–83	526	118	408	346
	1983–84	764	593	171	29
	1984–85	2,424	1,876	548	29
करछम	1984–85	2,006	1,007	999	99
बड़सर	1984–85	49,109	14,066	35,043	249
बैजनाथ	1984–85	25,044	6,373	18,671	293

भरवांई, बैजनाथ और करछम मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (मई-जुलाई 1985) कि रोजगार का प्रतिवेदित सृजन वास्तविक आधार पर नहीं अपितु सामग्री घटक के व्यय की कटौती के पश्चात् पारिश्रमिक की प्रचलित दरों पर श्रम घटक पर किए गए व्यय की प्रयुक्ति के औसत आधार पर संगणित की गई थी ।

(ख) प्रभावित परिवार के एक सदस्य को राहत कार्यों पर रोजगार दिया जाना अपेक्षित था । नमूना परीक्षित मण्डलों में से किसी मण्डल ने भी इस आवश्यकता की पूर्ति को दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं रखा था तथापि यह ध्यान में आया कि भरवांई मण्डल को छोड़कर चयन किए गए मण्डलों में 1980–81 तथा 1982–83 से 1984–85 तक के वर्षों में (कुल सृजित रोजगार 61,251 कार्यदिवस) आपदा से प्रभावित न हुए गांवों से 959 व्यक्तियों, जिलों से बाहर के 111 व्यक्तियों को तथा राज्य से बाहर के 971 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था। अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा बताया गया (मई–जुलाई 1985) कि जिन व्यक्तियों ने रोजगार हेतु उनसे सम्पर्क किया उन्हें रोजगार दे दिया गया ।

(ग) विभागीय नियमावली के अनुसार सहायता कार्यों का चयन उन निर्माण

कार्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जहां शत प्रतिशत या प्रायः समस्त अनुमानित धनराशि का भुगतान अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक के रूप में किया जाएगा । राज्य सरकार के निर्देशों (अक्तूबर 1982) के अनुसार सामग्री अवयवों पर आंबटित राशि का 15 प्रतिशत (फरवरी 1983 से संशोधित 10 प्रतिशत) से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथापि यह पाया गया कि वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान किए गए 78.90 लाख रु० की लागत वाले 76 निर्माण कार्यों में सामग्री अवयवों की सीमा 12 से 100 प्रतिशत के बीच थी और इस प्रकार रोजगार का सृजन कम हुआ । राजस्व विभाग ने भी सूचित किया था (अगस्त 1983) कि बिलासपुर मण्डल-I के अधिशासी अभियन्ता ने 1.30 लाख रु० के आबंटन में से सामग्री पर 0.43 लाख रु० (33 प्रतिशत) व्यय किए थे जिससे अपेक्षित कार्य दिवसों की तुलना में 2,839 कार्य दिवस कम सृजित हुए ।

4.1.5. निधियों का दुरुपयोग

समय-समय पर (नवीनतम सितम्बर 1984) केन्द्रीय सहायता के निस्तारण संबंधी आदेशों में परिकल्पित था कि उपकरणों के क्रय एवं विभागीय कर्मचारी वर्ग के वेतन पर कोई भी धनराशि प्रयोग नहीं की जाएगी। इन निर्देशों के विपरीत वर्ष 1981–82 से 1984–85 के दौरान इन मदों पर मण्डलों द्वारा 55.76 लाख रु० व्यय किए गए थे । इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी के बर्तनों, छूरी कांटे जैसी वस्तुएं, अग्नि शमन यन्त्रों आदि जैसी अग्राह्य मदों पर 12.35 लाख रु० का व्यय किया गया था। विशिष्ट निर्देशों एवं पद्धतियों के विरुद्ध इन मदों पर व्यय किए जाने के कारण प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986) ।

4.1.6. निधियों का व्यपवर्तन

प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों पर प्रयुक्ति हेतु बिलासपुर तथा किन्नौर के उपायुक्तों ने बिलासपुर मण्डल-I के अधिशासी अभियन्ता (1.30 लाख रु०) और कल्पा के जन जातीय वृत्त II के अधीक्षण अभियन्ता (2 लाख रु०) को वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 के दौरान 3.30 लाख रु० आबंटित किए लेकिन ये धन राशियां अन्य कार्यों पर खर्च की गई थीं जिस के फलस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अभिप्रेत राहत से वंचित कर दिया गया।

4.1.7. राहत कार्यों का चयन

(i) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सड़कों जैसे अनुत्पादक निर्माण कार्यों को अल्प प्राथमिकता दी जानी थी लेकिन इसके विपरीत वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान सहायता कार्यो पर हुए व्यय (979.68 लाख रु०) में से 903.71 लाख रु० (92 प्रतिशत) स्खलनों को हटाने, सड़को को पक्का करने तथा रोड़ी बिछाने सहित सड़कों पर खर्च किए गए थे जिसके कारण प्रतीक्षित हैं (मार्च 1986) ।

(ii) उपायुक्तों से यह अपेक्षित था कि वे मांग पर फसलबद्ध हानि की प्रतिशतता दर्शाते हुए सूखे से प्रभावित गांवों की सूचियां स्थानीय विभागीय प्राधिकारियों को तुरन्त प्रेषित करें। सूखे से सम्बद्ध निर्माण कार्यों को निष्पादित करने से पूर्व विभाग द्वारा ऐसी कोई भी सूचियां नहीं मांगी गई थी। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों का अभिज्ञान किए बिना ही निर्माण कार्य निष्पादित किए गए थे। यह देखा गया कि मण्डी मण्डल-II तथा राजगढ़ मण्डल में निष्पादित 16 निर्माण कार्य सूखों से अप्रभावित क्षेत्रों में हुए और इन पर वर्ष 1983–84 तथा वर्ष 1984–85 के दौरान 1.87 लाख रु० व्यय किए गए थे।

(iii) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पुनः कहा कि (फरवरी 1980) कि बिना पर्याप्त तकनीकी तैयारी जैसे छानबीन, अनुमानों के अनुमोदन एवं समुचित संस्वीकृतियों के सहायता निर्माण कार्य आरम्भ न किए जाएं लेकिन 88 निर्माण कार्य जिन पर वर्ष 1980–81 से वर्ष 1984–85 के दौरान 32·76 लाख रु० खर्च किए गए थे तकनीकी संस्वीकृतियों के बिना ही आरम्भ किए गए।

(iv) निर्माण कार्यों की विशेष मरम्मत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंकलनों की संस्वीकृति पर ही प्रारम्भ की जा सकती है। वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान 3 मण्डलों में विशेष मरम्मत के 31 कार्य संस्वीकृत अनुमानों के बिना ही निष्पादित किए गए थे जिन पर हुआ 5.82 लाख रु० का व्यय सहायता निधियों से पूरा किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

(v) प्राकृतिक आपदाओं से सार्वजनिक सम्पति को हुई 0.05 लाख रु० से अधिक की क्षति के मामले सरकार/लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित किए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान 3 मण्डलों में यद्यपि 96 क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों पर 26.19 लाख रु० का व्यय किया गया था लेकिन राजगढ़, जुब्बल तथा ठियोग मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सरकार/लेखापरीक्षा को कोई भी प्रतिवेदन भेजे नहीं गए थे।

(vi) विभागीय नियमावली के अनुसार राहत कार्य उसी वित्तीय वर्ष के भीतर **पूर्ण** किए जाने चाहिए जिसमें इन्हें निष्पादनार्थ प्रारम्भ किया गया हो। यह देखा गया कि ऐसे 3 मण्डलों में 26 निर्माण कार्य जिन पर सहायता निधियों में से 14.23 लाख रु० व्यय किए गए थे अपूर्ण पड़े थे (जून–जूलाई 1985) जबकि ये कार्य एक से पांच वर्ष पहले (1980–81 :9; 1981–82 : 6, 1982–83 : 8; 1983–84 : 2 तथा 1984–85 : 1)प्रारम्भ किए गए थे।

इसी प्रकार वे निर्माण कार्य भी उसी वर्ष के भीतर पूर्ण होने अपेक्षित हैं जिनके लिए उपायुक्तों द्वारा सहायता कार्यों के निष्पादन हेतु निधियां प्रदान की जाती है। 4 मण्डलों में 5 ऐसे निर्माण कार्य जिन पर सहायता निधियों में से 4.70 लाख रु० व्यय किए गए थे अपूर्ण पड़े थे (मार्च 1986) जबकि इन्हें वर्ष 1983–84 (2 निर्माण कार्य) तथा 1984–85 (3 निर्माण कार्य) के दौरान आरम्भ किया गया था।

(vii) राहत कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदारों को नहीं सौंपे जाने चाहियें । इस के विपरीत जुब्बल, ठियोग, भरवांई, करछम, बड़सर, बैजनाथ तथा मण्डी-II मण्डलों में राहत कार्यों के संचालन हेतु वर्ष 1981–82 तथा वर्ष 1984–85 के बीच राहत निधियों में से ठेकेदारों को 19.39 लाख रु० का भुगतान किया गया था।

(viii) अधिशासी अभियन्ता कार्य आदेश के आधार पर 0.20 लाख रु० तक के कार्यों के आबंटन हेतु सक्षम हैं। जुब्बल, ठियोग, शिमला-II, करछम, बैजनाथ तथा मण्डी-II मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि उच्च प्राधिकारी की संस्वीकृति से बचने के लिये 34.26 लाख रु० मूल्य के कार्य आदेशों को विखण्डित किया गया और यहां तक कि 1981–82 तथा 1984–85 के वर्षों में इन के कार्य-संचालन अनुमानों का अनुमोदन तक भी नहीं करवाया गया था।

4.1.8. निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण

राहत कार्यों के संचालन में जांच परीक्षण किये गये मण्डलों द्वारा संहिता के उपबन्धों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। कार्य स्थल सामग्री लेखे तथा सड़क की पत्थर बजरी विवरणियां भी कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा उप-मण्डलीय अधिकारियों को कदाचित ही प्रस्तुत की जाती थीं। उपस्थिति नामावलियां भी मण्डलीय कार्यालयों में जांची नहीं जाती थी। स्थानीय उपमण्डलों से सम्बद्ध इनका पूर्व लेखापरीक्षण नहीं होता था, जबकि इन्हीं के माध्यम से कुल धन का अधिकांश भाग राहत कार्यों पर व्यय किया गया था। उपस्थिति नामावलियों के रजिस्टरों में न तो वाउचर संख्या व तिथि उद्धृत की गई थी जिस से उपस्थिति नामावलियों का भुगतान न किया गया था और न ही उप-मण्डलों द्वारा उपस्थिति नामावलियों के साथ दैनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये थे। बड़सर और बैजनाथ मण्डलों में 53 मामलों में 10 श्रमिकों से कम के समूह के लिये भी उपस्थिति नामावलियां जारी की गई थीं। उपमण्डलीय एवं मण्डलीय अधिकारियों द्वारा उपस्थिति तथा कार्यमापन की नमूना जांच निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नहीं की गई थी।

4.1.9. अन्य रुचिकर प्रसंग

(क) राजगढ़, जुब्बल, करछम तथा बड़सर मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 में राहत निधि में से क्रय की गई 4.74 लाख रु० की लागत की सामग्री जैसे तारकोल, लकड़ी आदि अप्रयुक्त पड़ी थी (जुलाई 1985)।

(ख) 1982–83 तथा 1984–85 के वर्षों में उपस्थिति नामावलियों के आधार पर लगाए गए श्रमिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक की तुलना में जुब्बल, शिमला-II, बड़सर और बैजनाथ मण्डलों में उपस्थिति नामावलियों में प्रदर्शित कार्य की प्रगति 0.52 लाख रु० कम रही।

4.1.10. दीर्घकालिक उपाय

वर्ष 1980 से 1985 के दौरान राज्य छः बार सूखा पीड़ित हुआ जिस से रबी तथा खरीफ की फसलें प्रभावित हुई थीं। दीर्घकालिक पगों के विकसित करने जैसे जलवायविक प्रतिरूप को इंगित करने के लिये कृषि मौसम विज्ञान केन्द्रों के गठन, अवरोध बांधों के निर्माण, जल के अभाव के स्थाई समाधान के लिये जल संसाधनों को सधाने आदि सम्बन्धी सूचना विभाग से प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.1.11. अनुश्रवण

फरवरी तथा मार्च 1983 की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर प्रत्यक्ष प्रगति को इंगित करते हुए निर्धारित विवरणियां राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की गई थी। प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जुलाई 1985) कि ऐसा इस उद्देश्य हेतु कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सक ।

राज्य सरकार के आदेशों (अक्तूबर 1982) में निर्दिष्ट है कि सरकार/निदेशालय/जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु राज्य/जिला स्तर पर सहायता समितियां गठित की जानी चाहियें । यद्यपि राजस्व विभाग ने वित्त विभाग को सूचित किया था (जनवरी 1983) कि जिला स्तर पर समितियां गठित की जा चुकी थीं लेकिन अक्तूबर से दिसम्बर 1982, फरवरी, मार्च तथा जून 1983 से सम्बद्ध बड़सर, भरवांई, राजगढ़ तथा करछम मण्डलों को छोड़ कर इन समितियों की बैठकों की कार्यवाही अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाई गई । राज्य स्तर पर समिति की कार्य विधि के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.1.12. मूल्यांकन

यद्यपि राज्य वर्ष 1980–81 से निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित हुआ था लेकिन फिर भी विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि जरूरतमन्दों को राहत समय पर पहुंचे, कोई अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई थी। वित्त विभाग ने बताया (जुलाई 1985) कि वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान प्रदत्त राहत के लिये इस विभाग द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था । लोक निर्माण विभाग से यह सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

सारांश

—राहत कार्यों के लिये वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान प्राप्त 1556 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता के प्रति 1559.52 लाख रु० का व्यय किया गया था।

—यद्यपि 2.39.71 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान प्रत्येक वर्ष/सहायता कार्यों के समापन पर प्राप्त की गई थी लेकिन केन्द्रीय सहायता

का उपयोग दर्शाने मात्र के लिये इसे चालू बजट कार्यों पर पहले ही किए गए 513.62 लाख रु० के व्यय के प्रति समायोजित किया गया था।

—खरीफ 1982 के सूखे की राहत हेतु दिसम्बर 1982 में भारत सरकार द्वारा किये गये 1302 लाख रु० के आबंटन के प्रति सड़कों के निर्माण हेतु अभिप्रेत 54·83 लाख रु० सहित 84.46 लाख रु० अभ्यर्पित किए गए थे।

—विलम्बित आबंटन आदेशों के कारण सहायता कार्यों के लिये वर्ष 1982–83 के दौरान आबंटित 2.15 लाख रु० प्रयुक्त नही किए गए थे। वर्ष 1982 के दौरान राहत कार्यों के लिये 475 लाख रु० का वितरण वास्तव में हुई क्षति के आधार पर करने की बजाय विभाग द्वारा तदर्थ आधार पर जिलों के बीच क्षेत्रबद्ध रूप से किया गया था। निर्देशों के विपरीत 55.76 लाख रु० उपकरणों के क्रय तथा कर्मचारियों के वेतन पर तथा 12.35 लाख रु० ग्राह्य मदों जैसे चीनी मिट्टी के बर्तनों, छुरी काटें जैसी वस्तुओं तथा अग्निशमन उपकरणों आदि पर खर्च किये गये थे।

—वर्ष 1982–83 से 1983–84 के दौरान विलासपुर मण्डल–I के अधिशासी अभियन्ता तथा जनजातीय वृत्त–II कल्पा के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 3.30 लाख रु० का प्रयोग राहत कार्यों को छोड़ कर अन्य निर्माण कार्यों पर किया गया था।

—यद्यपि सड़कों को अल्प प्राथमिकता दी जानी थी लेकिन वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान ऐसे कार्यों पर 903.71 लाख रु० (92 प्रतिशत) प्रयुक्त किये गए थे।

—वर्ष 1983–84 से 1984–85 के दौरान मण्डी-II तथा राजगढ़ मण्डलों में सूखे से अप्रभावित क्षेत्रों पर 1·87 लाख रु० व्यय किये गये थे।

—राजगढ़, जुब्बल, करछम तथा बड़सर मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा वर्ष 1983–84 से 1984–85 तक के कालांतर में क्रय की गई 4.74 लाख रु० की लागत वाली सामग्री जैसे तारकोल, लकड़ी आदि अप्रयुक्त पड़ी थी।

मामला अगस्त 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.2 खाल्ला क्यार-कोटी धीमन सड़क

2.33 लाख रु० के लिये संस्वीकृत 22 कि०मी० लम्बी खाल्ला क्यार-कोटी–धीमन सड़क के सर्वेक्षण एवं 4 फुट चौड़े मार्ग की कटाई को सरकार ने फरवरी 1972 में अनुमोदित किया। तकनीकी रूप से 0.86 लाख रु० में संस्वीकृत यह निर्माण कार्य नाहन भवन एवं सड़क मण्डल द्वारा अगस्त 1972 में आरम्भ किया गया था और पगडंडी बनाने (ट्रेस कटिंग) का कार्य 0.52 लाख रु० की लागत पर वर्ष 1973–74 में पूरा किया गया था। तदनन्तर

सड़क को 0/0 से 5/0 कि०मी० तक चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया तथा इसके लिये जनवरी 1978 में एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया जो अक्तूबर 1984 में 9.65 लाख रु० के लिये संस्वीकृत किया गया था। प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में जनवरी और मार्च 1983 के बीच 0.41 लाख रु० की लागत पर सड़क के 0.675 कि०मी० खण्ड को चौड़ा किया गया। मार्च 1983 के पश्चात् सड़क को आगे चौड़ा करने के कार्य प्रशासनिक अनुमोदन के कथित रूप से प्राप्त न होने के कारण रोक दिया गया था। सरकार ने मार्च 1986 में बताया कि औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् कार्य आरम्भ किया जायेगा। 22 कि०मी० सड़क की पगडण्डी (ट्रेस कटिंग) पर किये गये 0.52 लाख रु० के व्यय तथा 0.675 कि०मी० सड़क को चौड़ा करने पर किये गये 0.41 लाख रु० के व्यय से अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.3. बकाया वसूलियां

नोगली में सतलुज नदी के ऊपर निरमण्ड सम्पर्क सड़क पर इस्पात आधार वाले पुल के निर्माण का कार्य रामपुर भवन एवं सड़क मण्डल द्वारा नवम्बर 1969 में एक फर्म को एक वर्ष में पूर्णता को नियत करके दिया गया था। अनुबन्ध में केवल सीमेण्ट उपलब्ध करवाने का प्रावधान था लेकिन मण्डल ने पुल पर प्रयुक्ति हेतु फर्म को 98.760 टन इस्पात भी जारी किया। अगस्त 1971 में 1.47 लाख रु० के तीसरे चालू बिल का भुगतान न प्राप्त करने के पश्चात् फर्म ने सितम्बर 1971 में कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। यह कार्य विभागीय रूप से जनवरी 1973 में पूर्ण किया गया था। जनवरी 1972 में 0.16 लाख रु० की क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की गई थी तथा मई 1972 में तैयार किये गये अन्तिम बिल में फर्म से 0.74 लाख रु० वसूली योग्य दर्शाये गये थे। फर्म ने मध्यस्थता निर्णय की मांग की और जून 1972 म एक मध्यस्थ की नियुक्ति की गई जिसने चार सुनवाइयां की और 20 सितम्बर 1974 को समयावधि समाप्त होने पर समयवृद्धि के अभाव में 25 सितम्बर 1974 को यह मामला बन्द कर दिया। तदनन्तर मार्च 1977 में एक अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। इसने भी नवम्बर 1977 तक चार सुनवाइयां की लेकिन न तो कोई निर्णय दिया और न ही मामला बन्द किया (मार्च 1986) और फर्म द्वारा देय धनराशि वसूल नहीं हो पाई (मार्च 1986)। यह भी पाया गया कि तीसरे चालू बिल तक 65.173 टन इस्पात (मूल्य : 1 लाख रु०) की खपत के प्रति केवल 50.034 टन इस्पात (मूल्य : 0.73 लाख रु०) की वसूली की गई। मण्डलीय अधिकारी ने जनवरी 1985 में बताया कि फर्म को इस्पात की आपूर्ति निर्माण कार्य पर सदाशय प्रयोग हेतु की गई थी और वसूलियां अनुवर्ती बिलों में समायोजन हेतु छोड़ दी गई थीं।

उपर्युक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये सरकार ने मार्च 1986 में बताया कि अधिशासी अभियन्ता ने अगस्त 1985 में मध्यस्थ से मामले को समाप्त करके शीघ्र निर्णय घोषित करने का अनुरोध किया था।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.4. ईंधन की अधिक खपत

विभाग द्वारा दिसम्बर 1980 में निर्धारित मानकों के अनुसार 1,000 मीटर से 1,500 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले स्थानों पर एक टन तारकोल और एक घन मी० बालू/गिट्टी को गर्म करने के लिये क्रमशः बारह क्विंटल/एक क्विंटल पक्की ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता होती है।

दिसम्बर 1984 में भवन एवं सड़क मण्डल-II, कुल्लू के लेखाओं की नमूना जांच ने दर्शाया कि मार्च से अगस्त 1984 के दौरान 80 टन (510 ड्रम) तारकोल और 781 घन मी० बालू/गिट्टी को गर्म करने के लिये उपर्युक्त मानकों के आधार पर 1,741 क्विंटल की वास्तविक आवश्यकता के प्रति ईंधन काष्ठ की कुल खपत 2,633 क्विंटल थी। 0.49 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय से सम्बद्ध 892 क्विंटल ईंधन काष्ठ की अधिक खपत की विभाग द्वारा कोई छानबीन नहीं की गई थी (जुलाई 1985)।

अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, कुल्लू ने जुलाई 1985 में बताया कि मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार पूर्व-मिश्रण का कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि हिम रेखा के सामीप्य के कारण मण्डल के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र अतीव ठण्डे हैं। चूंकि दिसम्बर 1980 में नियत किये गये संशोधित प्रतिमान जलवायविक दशाओं को ध्यान में रखकर तैयार किये गये थे, अतः अधीक्षण अभियन्ता का उत्तर तर्क संगत नहीं है।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.5. कॉरेस्टोर्फन परिसम्पदा का जीर्णोद्धार

कॉरेस्टोर्फन परिसम्पदा शिमला के 40 सैटों में स्नानागार व पाकशाला में परिवर्द्धन एवं परिवर्तन करने, धज्जी दीवारों को ईंट की दीवारों से प्रतिस्थापित करने तथा सी०जी० आई० शीट की छत डालने का 3.45 लाख रु० की अनुमानित लागत से जीर्णोद्धार का कार्य एक वर्ष की नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु 5.93 लाख रु० में नवम्बर 1980 में एक ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार के साथ हुये अनुबन्ध में निष्पादन अवधि के दौरान आनुपातिक प्रगति का प्रावधान था। अप्रैल 1981 तक प्रत्याशित 40 प्रतिशत के प्रति ठेकेदार ने 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया तथा तत्पश्चात् चिकित्सा महाविद्यालय मण्डल के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्य स्थल का स्वामित्व प्राप्त करने में विलम्ब के कारण संविदा को 0.35 लाख रु० के 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण और 0.23 लाख रु० की बयाना और जमानती राशि को जब्त करके निरस्त कर दिया गया था (अप्रैल 1981)। यह कार्य बाद में मई 1981 में बिना निविदायें आमन्त्रित किये अथवा अनुबन्ध निष्पादित किये ही एक अन्य ठेकेदार को ऐसी समरूपी दरों पर प्रदान किया गया जो कि उसे निकटस्थ कार्य स्थल पर एक अन्य

भवन के कार्य हेतु दी जा रही थी। दूसरे ठेकेदार ने भी कार्य की कुछ मदों की दरों के अस्वीकार्य होने के कारण मार्च 1983 में कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। किसी समुचित अनुबन्ध के अभाव में उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी। विभाग के अनुसार (सितम्बर 1984) ठेकेदार कुछ ऐसी मदों को करने के लिये सहमत नहीं हुआ जो समर्पण पत्र में उल्लिखित नहीं थीं। शेष कार्य को बाद में अंशतः विभागीय रूप से और अंशतः कार्य–आदेश के आधार पर निष्पादित किया गया एवं 6.43 लाख रु० के कुल व्यय पर नवम्बर 1984 में पूर्ण किया गया था।

प्रारम्भ में जिस ठेकेदार को निर्माण कार्य सौंपा गया था उसने मध्यस्थता की मांग की और फरवरी 1982 में कार्यवाही शुरू की गई। मध्यस्थ ने दिसम्बर 1982 में ठेकेदार के दावों को उचित ठहराया और क्षतिपूर्ति के उद्ग्रहण तथा जमानती जमाराशि की जब्ती के सम्बन्ध में विभाग के प्रतिदावे नामंजूर कर दिये। मण्डल ने जून 1983 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की जो मार्च 1984 में अस्वीकृत कर दी गई और मध्यस्थ के निर्णय को न्यायसंगत मान लिया गया। तदनुसार विभाग द्वारा जुलाई 1984 में ठेकेदार को 0.45 लाख रु० का भुगतान किया गया।

यह देखा गया था कि विभाग के दावे इस कारण से नामंजूर किये गये थे क्योंकि ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा को विशेषतया ऐसी परिस्थिति में जब कि अनुबन्ध में अपेक्षित कार्य स्थल का अधिकार पूर्णतया उसे नहीं सौंपा गया, समयावधि की तुलना में अनानुपातिक नहीं ठहराया गया। प्रमुख अभियन्ता ने मार्च 1983 में अनुबन्ध के इस अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण के संबंध में उत्तरदायित्व नियत करने की इच्छा व्यक्त की लेकिन इस कारण से राज कोष पर 0.95 लाख रु० का अतिरिक्त दायित्व पड़ने पर भी ऐसा नहीं किया गया था (अप्रैल 1985)।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.6. करछम-शौंग-सांगला सड़क

विभाग ने सितम्बर 1978 में 28.64 लाख रु० में 5 वर्ष में पूर्णता हेतु नियत करछम शौंग-सांगला मोटर सड़क के निर्माण को अनुमोदित किया। इस निर्माण कार्य में विद्यमान जीप योग्य सड़क के कुछ विस्तार खण्डों में चौड़ा किये जाने एवं पुनः संरक्षण का कार्य परिकल्पित था जिसका निर्माण आरम्भ में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था और जो अनुमोदित मानकों के अनुरूप नहीं था। इसमें आर०डी० 12,410 से आर०डी० 16,104 के बीच नई सड़क का निर्माण भी शामिल था। यह निर्माण कार्य वर्ष 1978 में किन्नौर मण्डल–I कल्पा द्वारा आरम्भ किया गया था लेकिन अक्तूबर 1980 में करछम मण्डल के सृजन पर इसे हस्तान्तरित कर दिया गया। विस्तृत अनुमानों की की तकनीकी संस्वीकृत के बिना ही सितम्बर 1985 तक इस पर 49.13 लाख रु० व्यय

किये जा चुके थे और सड़क की लगभग 50 प्रतिशत लम्बाई पर ही कार्य पूर्ण हुआ था। उपर्युक्त व्यय प्राक्कलित लागत से 48 प्रतिशत बढ़ गया था लेकिन नया प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संशोधित अनुमान तैयार नहीं किये गये थे।

इस आधिक्य को जून 1985 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा (क) मूल प्राक्कलन में अनुपबन्धित मूल्य वृद्धि तथा (ख) सड़क के अधिकांश भाग की तल-दशा तीव्र ढलानदार ऊबड़-खाबड़ और अत्यन्त घुमावदार होने के कारण अर्ध-सुरंगाकार निर्माण कार्य न हो सकने से सम्बद्ध बताया गया।

अगस्त 1983 में निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान प्रमुख अभियन्ता ने विचार प्रकट किया कि 7/० कि०मी० से 7/5 कि०मी० में सड़क का निर्माण अत्यन्त तीव्र ढलान में किया गया था और इसे दुबारा करने का आदेश दिया। उसने तकनीकी रूप से दोषयुक्त घटिया स्तर को अपनाने के लिये अधिशासी अभियन्ता को भी उत्तरदायी ठहराया और इस ढलान के सुधार हेतु सरकार को होने वाली क्षति 1 लाख रु० आंकी थी। अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध एक अभियोग-पत्र का प्रारूप तैयार करके प्रमुख अभियन्ता द्वारा जुलाई 1984 में सरकार को प्रेषित किया गया था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

विस्तृत अनुमान को तकनीकी रूप से संस्वीकृत करवाने में विभाग की विफलता पर तकनीकी रूप से दोषयुक्त एवं घटिया स्तर अपनाये जाने के परिणामस्वरूप 1 लाख रु० (कार्य को पुनः शुरू करने पर हुआ वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं) की हानि हुई जिसके लिये अभी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना है (अक्तूबर 1985)।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.7. पुल की गढ़ाई

टाण्डी–थिरोट सड़क के 10 कि०मी० पर लौट में इस्पात आधार पुल के 5 अगस्त 1981 को बह जाने पर यान्त्रिक मण्डल कुल्लू के अन्तर्गत शमशी स्थित यांत्रिक कार्यशाला द्वारा अक्तूबर 1981 में एक अन्य अस्थाई पुल की गढ़ाई का कार्य आरम्भ किया गया था और 0.86 लाख रु० की लागत पर मार्च 1982 में पूर्ण किया गया था। नये गढ़े गये पुल को चिनाब घाटी मण्डल द्वारा न तो लौट में प्रतिष्ठापित करने हेतु ले जाया गया और न ही इसके लिये कार्यशाला को भुगतान किया गया (जुलाई 1985)।

उदयपुर स्थित चिनाब घाटी मण्डल के मण्डलीय अधिकारी ने सितम्बर 1982 में कुल्लू स्थित जन-जातीय वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता को सूचित किया कि यातायात के निर्बाध संचार हेतु ह्यूम पाइप तथा पुलियां के प्रकार का पार–गमन स्थापित करके एक अस्थाई व्यवस्था कर ली गई थी। अतः गढ़े गये पुल को प्रतिष्ठापित करने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। मण्ड़लीय अधिकारी के अनुसार यदि उपर्युक्त रूप से गढ़ा गया अस्थाई पुल प्रतिष्ठापित किया गया तो वह भी बाढ़ में बह सकता है। अतः उसने जुलाई 1982 में

वहां एक स्थाई पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया और अधीक्षण अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता, यान्त्रिक मण्डल कुल्लू को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि संरचित पुल को किसी अन्य आवश्यकता वाले निर्माण कार्य को हस्तांतरित कर दिया जाये। उदयपुर स्थित चिनाब घाटी मण्डल के कहने से शमशी स्थित यान्त्रिक कार्यशाला द्वारा गढ़े गये पुल के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.8· सरकारी देयों की वसूली में विलम्ब

बड़सर मण्डल के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बड़सर (हमीरपुर जिला) में मण्डलीय कार्यालय के लिये भवन का निर्माण कार्य छः महीने की नियत अवधि में पूर्ण किये जाने की शर्त पर दिसम्बर 1980 में 1.97 लाख रु० में एक ठेकेदार को प्रदान किया गया था। इस ठेकेदार ने जुलाई 1981 तक केवल 0.50 लाख रु० का कार्य निष्पादित किया जिसके लिये उसे अप्रैल 1982 में भुगतान कर दिया गया। तत्पश्चात उसने कार्य अधूरा ही छोड़ दिया और शेष निर्माण कार्य विभाग द्वारा विभागीय श्रम से पूर्ण करवाया गया।

अभिलेखों के नमूना परीक्षण (नवम्बर 1984) ने रहस्योद्घाटित किया कि निर्माण कार्य की पूर्णता में विलम्ब के कारण जनवरी 1983 में उद्गृहीत दस प्रतिशत क्षतिपूर्ति (0.20 लाख रु०) अभी (अक्तूबर 1985) इस ठेकेदार से वसूल की जानी थी और अनुबन्ध के अनुरूप जनवरी 1983 में जब्त की गई जमानती जमा धनराशि (0.17 लाख रु०) अभी समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी। जनवरी 1981 और जून 1982 के बीच ठेकेदार को अधिक उपलब्ध करवाये गये 0.46 लाख रु० मूल्य के सीमेंट, इस्पात और देवदार की लकड़ी की वसूली भी नहीं की गई थी तथा अन्तिम बिल अभी (अक्तूबर 1985) अनिर्णीत था। अक्तूबर 1985 में मण्डलीय अधिकारी ने बताया कि अन्तिम बिल का निर्णय ठेकेदार द्वारा 0.46 लाख रु० मूल्य की अप्रयुक्त सामग्री के न लौटाये जाने के कारण नहीं हो पाया। ठेकेदार को प्रदत्त अधिक सामग्री के कारणों की छानबीन उत्तरदायित्व नियत करने के उद्देश्य से अभी शेष थी (अक्तूबर 1985)।

यह मामला जुलाई 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.9· विधायकों के लिये बहु-मंजिला आवास भवन

एक बहु-मंजिले विधायक आवास भवन के 16 आवास सेटों तथा एक निचले खण्ड का निर्माण कार्य सितम्बर 1979 में 15.64 लाख रु० के लिये प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था जिसे मई 1982 के दौरान संशोधित करके 31.21 लाख रु० कर दिया गया। शिमला मण्डल-III के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 11.84 लाख रु० की

प्राक्कलित लागत वाले भवन खण्ड का निष्पादन कार्य हिमाचल प्रदेश दर अनुसूची, 1979 के ऊपर 62.32 प्रतिशत की बढ़ौतरी पर दो वर्ष की पूर्णता अवधि की शर्त के साथ मई 1981 में 19.21 लाख रु० में एक फर्म को प्रदान किया गया था। निर्माण कार्य जून 1981 में प्रारम्भ हुआ लेकिन अगस्त 1981 तक केवल 0.25 लाख रु० का कार्य करने के पश्चात् फर्म द्वारा इस कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया। अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया (मार्च 1982) और 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की 1.18 लाख रु० की धनराशि उद्‌गृहीत की गई तथा 0.20 लाख रु० की जमानती जमा राशि जब्त कर ली गई। फर्म से 0.96 लाख रु० वसूली योग्य दर्शाने वाला अन्तिम बिल अभी अनिर्णीत था (अक्तूबर 1985)।

भवन खण्ड के लिये निविदायें पुनः आमन्त्रित की गई (जून 1982) लेकिन निर्माण कार्य न्यूनतम (दर वाले) ठेकेदार को नहीं दिया गया था जिसका 23.02 लाख रु० (हिमाचल प्रदेश दर अनुसूची, 1979 से 94.51 प्रतिशत अधिक) का प्रस्ताव मण्डलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था कि यह उच्चोन्मुखी था और निर्माण कार्य विभागीय रूप से आरम्भ किया जाना था। यद्यपि अनुवर्ती वर्षों के दौरान इस भवन के लिये पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाई गईं थीं लेकिन प्रशासनिक कारणों से विभागीय रूप से निष्पादन आरम्भ नहीं किया गया।

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी संस्थापन सहित निर्माण कार्य हेतु अक्तूबर 1984 में पुनः निविदायें आमन्त्रित की गई और 25.88 लाख रु० (हिमाचल प्रदेश दर अनुसूची, 1979 से 109.28 प्रतिशत अधिक) का ठेकेदार "क" का प्रस्ताव न्यूनतम पाया गया और 2 वर्ष की पूर्णता अवधि के निर्धारण सहित यह कार्य जनवरी 1985 में उसे प्रदान कर दिया गया। यह निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा मार्च 1985 में शुरू किया गया और अभी प्रगति पर है।

109.28 प्रतिशत के प्रीमियम पर जनवरी 1985 में निर्माण कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप राजकोष पर 1.75 लाख रु० का अतिरिक्त दायित्व पड़ा जिसका हिमाचल प्रदेश पर अनुसूची 1979 से 94.51 प्रतिशत अधिक के प्रीमियम पर जून/जुलाई 1982 में प्रदान करने की स्थिति में परिहार किया जा सकता था। इस के अलावा इससे विधायक आवास की पूर्णता में भी विलम्ब हुआ।

यह मामला अगस्त 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.10. कुंगरी में पटवारखाना भवन (पट्टी भवन)

प्रशासनिक रूप से नवम्बर 1971 में अनुमोदित कुंगरी (लाहौल एवं स्पीती जिला) में पटवारखाने के भवन का निर्माण कार्य 0.58 लाख रु० (छः पटवारखाना भवनों की औसत लागत) की लागत पर अक्तूबर 1981 में पूर्ण किया गया था। कथित भवन राजस्व विभाग को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि मूल प्राक्कलन में अनुपबन्धित जल आपूर्ति और स्वच्छता

संबंधी संस्थापन अभी (दिसम्बर 1985) उपलब्ध नहीं किया गया था। मण्डलीय अधिकारी ने बताया (जून 1985) कि पटवारखाना किसी निजी भवन में स्थापित था यद्यपि इसके मालिक को अभी कोई किराया नहीं दिया गया था।

0.58 लाख रु० की लागत पर अक्तूबर 1981 में निर्मित भवन अभिप्रेत प्रयोग में नहीं लाया गया था और इस प्रकार यह व्यय अभी तक निष्फल रहा था जबकि अक्तूबर 1981 से दिसम्बर 1985 के दौरान पटवारखाने के आवास पर 1,275 रु० भुगतान किये जा चुके थे/योग्य थे।

यह मामला अगस्त 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.11. चौहड़ा में राहदारी की समाप्ति में विलम्ब

चम्बा जिले के चौहड़ा स्थान पर रावी नदी के ऊपर एक पुल को 22.69 लाख रु० की लागत पर डलहौजी मण्डल द्वारा मार्च 1977 में पूर्ण किया गया था और नवम्बर 1977 के दौरान यहां से गुजरने वाले वाहनों के यातायात पर राहदारी लगाई गई थी। वर्ष 1982 में बैरा स्यूल परियोजना के पूर्ण होने पर इस पुल से गुजरने वाले वाहनों का आवागमन काफी कम हो गया तथा वर्ष 1981 के अन्त में राहदारी के संग्रहण का व्यय उसकी प्राप्तियों के अनुपात में बढ़ गया। तदनुसार डलहौजी स्थित 7वें वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता ने मण्डलीय अधिकारी को राहदारी बैरियर बन्द करने हेतु मामला भेजने का निर्देश दिया (अप्रैल 1982)। मण्डलीय अधिकारी द्वारा जनवरी 1984 में ऐसा करने पर अन्ततः यह मामला मार्च 1985 में मुख्य अभियन्ता द्वारा राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया।

राजकोष द्वारा इस बीच प्राप्तियों की अपेक्षा वसूली पर अधिक व्यय होने के कारण 0.86 लाख रु० की हानि वहन की गई जैसे कि निम्नांकित हैं:—

क्रमांक	वर्ष		राहदारी (पथकर) की प्राप्ति	संग्रहण व्यय
			(लाख रुपयों में)	
1	1982–83		0.22	0.37
2	1983–84		0.19	0.48
3	1984–85		0.13	0.51
4	1985–86	(मई 1985 तक)	..	0.04
		कुल जोड़	0.54	1.40

उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि करते समय जनवरी 1986 में सरकार ने बताया कि जून 1985 से राहदारी की वसूली रोक दी गई तथापि वर्ष 1982–83 के दौरान राहदारी बैरियर बन्द करने हेतु कोई कार्यवाही न करने के संबंध में अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.12. अपूर्ण निर्माण कार्य

अगस्त 1984 से फरवरी 1985 के दौरान 7 भवन तथा सड़क मण्डलों के वर्ष 1983–84 और 1984–85 के लेखों के नमूना परीक्षण ने रहस्योद्घाटित किया कि वर्ष 1965 और 1971 के बीच निष्पादनार्थ प्रारम्भ की गई और $1\frac{1}{2}$ से 5 वर्षों की अवधि के अन्दर पूर्ण होने के लिये अनुसूचित 12 सड़कें (प्राक्कलित लागत : 1,11.67 लाख रु०) अधूरी पड़ी थी। सड़कों की पूर्णता में विलम्ब को निधियों के अभाव (5 मामले), इन सड़कों के संरेखण में पड़ने वाले वृक्षों को हटाने के लिये सरकारी अनुमोदन की प्राप्ति का अभाव (3 मामले) और संरेखण पर विवाद (4 मामले) से सम्बद्ध बताया गया था।

बीड़ पालमपुर सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1965 में आरम्भ किया गया था और 32 कि०मी० (27/0 से 28/0 कि०मी० एवं 30/900 कि०मी० से 32/0 कि०मी० छोड़कर) की कुल लम्बाई में संरचना कार्य पूर्ण कर लिया गया था। 10.23 लाख रु० व्यय करने (अगस्त 1984) के पश्चात यह निर्माण कार्य मार्ग संरेखण और इस सड़क के कुछ क्षेत्रों में पड़ रहे खड्डों पर पुलों के निर्माण स्थलों के अनिश्चित रहने के कारण रोक दिया गया था। वर्ष 1976 से प्रारम्भ हुई चवाड़ी से कैंथली तक सम्पर्क सड़क के निर्माण पर दिसम्बर 1981 तक 1.29 लाख रु० व्यय भी हो चुका था। सड़क के संरेखण में पड़ने वाले वृक्षों को हटाने के लिये भारत सरकार की अनुमति के अभाव में इसी प्रकार रुका पड़ा था। अन्य विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिये गये हैं। ये निर्माण कार्य वृक्षों के कटान हेतु सरकारी अनुमोदन प्राप्त किये बिना, भू–अर्जन किये बिना और निधियों के पर्याप्त प्रावधान को सुनिश्चित किये बिना प्रारम्भ किये गये थे। यद्यपि वर्ष 1984–85 तक इन निर्माण कार्यों पर 19.99 लाख रु० व्यय किये जा चुके थे लेकिन फिर भी इनकी अपूर्णता के कारण अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

यह मामला अगस्त 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

4.13. बृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

4.13.1. प्रस्तावनात्मक

सफल कृषि के लिये जल प्राथमिक निवेशों में से हैं। देश का 73 प्रतिशत फसल क्षेत्र पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है जो कि वर्ष के कुछ महीनों में एकाग्रित है। इसीलिये उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विकास पर बहुत बल दिया गया है। अप्रैल 1978 से पूर्व अपनाये गये सिद्धांतों के अनुसार 5 करोड़ रु० से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं बृहत् परियोजनाएं और 10 लाख रु० से 5 करोड़ रु० के बीच की परियोजनाएं मध्यम

परियोजनायें समझी जाती थीं। तथापि अप्रैल 1978 से यह वर्गीकरण संशोधित कर दिया गया था जिसके अनुसार 10,000 हैक्टेयर से अधिक के कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र वाली परियोजनाएं बृहत् परियोजनाओं और 2,000 हैक्टेयर से 10,000 हैक्टेयर के बीच कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र वाली परियोजनाएं मध्यम परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत की गई थीं।

हिमाचल प्रदेश के 55.67 लाख हैक्टेयर सकल भौगोलिक क्षेत्र में से 6.14 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य है तथा 5.72 लाख हैक्टेयर निवल बीजित क्षेत्र हैं। वर्ष 1982–83 तक सिंचित क्षेत्र 0.93 लाख हैक्टेयर था।

4.13.2. यद्यपि अभी तक (जुलाई 1985) राज्य में कोई बृहत् सिंचाई परियोजना नहीं है लेकिन एक परियोजना (शाह नहर परियोजना-कृषि योग्य आवृत क्षेत्र लगभग 15,287 हैक्टेयर) की नवम्बर 1983 से छानबीन चल रही है।

मार्च 1985 तक तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं जिनमें से दो पूर्ण हो चुकी थीं और तीसरी प्रगति पर थी। विवरण नीचे सारणीकृत है :—

अब तक प्रारम्भ की गई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

1—पूर्ण की गई परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्राक्कलित लागत	आरम्भ करने की तिथि	पूर्णता की प्रत्याशित अवधि	कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र (हैक्टेयरों में)	पूर्णता तिथि	वास्तविक व्यय (मार्च 1985 तक)
1	गिरी सिंचाई (जिला सिरमौर)	4,91.04	अक्तूबर 1974	3 वर्ष	5,263	फरवरी 1982	8,33·00
2	भाबौर साहब प्रथम चरण (जिला ऊना)	75.00	फरवरी 1978	3 वर्ष	923	अप्रैल 1982	1,28.85
	II—प्रगतिरत परियोजनाएं						
3	बल्ह घाटी (जिला मण्डी)	3,02.71	फरवरी 1983	4 वर्ष	2,410	..	1,00.42

वर्ष 1978-79 से 1981-82 के दौरान 3 परियोजनाएं अर्थात् सर्वरी नदी परियोजना, कालाकुण्ड बांध तथा चुरु सिंचाई योजना छानबीन हेतु हाथ में ली गई थी लेकिन सर्वेक्षण और छानबीन पर 1.94 लाख रु० (सर्बरी : 0.21 लाख रु० तथा कालाकुण्ड बांध : 1.73 लाख रु०) व्यय करने के बाद व्यवहार्य न होने के कारण छोड़ दी गई थी।

अप्रैल 1983 में केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदन हेतु भेजी गई एक अन्य परियोजना भाबौर साहब–II चरण का अनुमोदन प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1985)।

4.13.3. संगठनात्मक ढांचा

बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन हेतु 5 अधीक्षण अभियन्ताओं और एक मुख्य अभियन्ता के पर्यवेक्षणाधीन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग (लोक निर्माण विभाग के पुनर्गठन के पश्चात् सितम्बर 1984 से सृजित) के 11 मण्डल थे।

4.13.4. व्याप्ति क्षेत्र

पूर्वोक्त परियोजनाओं की छानबीन/निष्पादन से संबंधित अभिलेखों का 8 मण्डलों में 3 अन्य मण्डलों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से अनुपूरित लेखा परीक्षा (अप्रैल–जून 1985) में नमूना परीक्षण किया गया था और इससे प्रकट हुये तथ्य आगामी अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं।

4.13.5. बजट प्रावधान एवं व्यय

1984–85 के अन्त में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 1127.68 लाख रु० के बजट प्रावधान के प्रति 1150.01 लाख रु० का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 22.33 लाख रु० का अधिक व्यय हुआ।

4.13.6. सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति

(i) गिरी सिंचाई परियोजना (पूर्णता तिथि : फरवरी 1982) तथा भाबौर साहब (प्रथम चरण पूर्णता तिथि : अप्रैल 1982) के संस्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार परवर्ती परि–योजना के लिये खरीफ 1987 तक तथा उत्तरवर्ती परियोजना के लिये खरीफ 1984 तक चरणबद्ध रूप से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थीं। इन परियोजनाओं के समर्पण से सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति के विवरण नीचे दिये गये हैं :—

क्रमांक	परियोजना का नाम	वर्ष	रबी/खरीफ	सिंचाई हेतु उपलब्ध क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र	गिरावट की प्रतिशतता
				(हैक्टेयरों में)		
1	गिरी सिंचाई परियोजना	1982	खरीफ	800	649	19
		1983	रबी	858	1,112	..
			खरीफ	1,200	897	25
		1984	रबी	1,287	1,603	..
			खरीफ	1,600	1,294	19
2	भाबौर साहब (प्रथम चरण)	1982	खरीफ	139	21	85
		1983	रबी	222	151	32
			खरीफ	280	6	98
		1984	रबी	443	450	..
			खरीफ	462	31	93

सिंचाई क्षमता की कम प्रयुक्ति को मुख्यत: सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, ऊना I तथा माजरा के मण्डलीय अधिकारियों द्वारा कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र को विकसित न करने से संबद्ध बताया गया था (अप्रैल और मई 1985)।

(ii) गिरी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्र के विकास का कार्य प्रशासनिक अनुमोदन की प्रत्याशा में दिसम्बर 1983 में आरम्भ किया गया था जो मार्च 1984 के दौरान 160.31 लाख रु० के लिये प्रदान किया गया था और मार्च 1985 तक 810 हैक्टेयर क्षेत्र जलमार्ग निर्मित किये जा चुके थे। भाबौर साहब (प्रथम चरण) परियोजना के अंतर्गत कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र के विकास हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल I, ऊना के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत (जून 1984) 357 लाख रु० के प्राक्कलन की सरकारी संस्वीकृति प्रतीक्षित थी (अप्रैल 1985)।

परियोजनाओं का निष्पादन

1. पूर्ण की गई परियोजनाएं

4.13.7. गिरी सिंचाई परियोजना

परियोजना की पूर्णता के विलम्ब के संबंध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979–80 के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था। मूलत: अक्तूबर 1977 तक पूर्ण होने के लिये अनुसूचित यह परियोजना 491.04 लाख रु० के अनुमोदित प्राक्कलन के प्रति 833 लाख रु० की लागत पर फरवरी 1982 में वास्तविक रूप से समर्पित की गई थी।

गिरी सिंचाई मण्डल, माजरा के अधिशासी अभियन्ता ने बताया (मई 1985) कि यद्यपि दाहिने किनारे वाली नहर अगस्त 1981 तक पूर्ण हो गई थी लेकिन बाएं किनारे वाली नहर पहले पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि यह तिर्यक जन विकास निर्माण कार्यों वाले तुलनात्मक दुर्गम स्थल से गुजरती है। केन्द्रीय जल आयोग के निरूपणों (जून 1984) के अनुपालन न करने के कारण जनवरी 1984 में प्रस्तुत 823 लाख रु० के संशोधित प्राक्कलन की सक्षम प्राधिकारी से संस्वीकृति अभी (जून 1985) प्रतीक्षित थी।

4.13.8. हाइड्रमों (विस्तृत आकार वाले नलों) का प्रतिष्ठापन

संस्वीकृत प्राक्कलन में हाइड्रम द्वारा सिंचाई का कोई प्रावधान नहीं था। मुख्य अभियन्ता के कहने पर (जून 1981) 4.51 लाख रु० की लागत से मार्च 1982 के दौरान 121 हैक्टेयर (आर०बी०सी०: 85 हैक्टेयर और एल०बी०सी० 36 हैक्टेयर) सिंचित करने हेतु निर्मित छ: हाईड्रम (आर०बी०सी० 2; एल०बी०सी० : 2) प्रतिष्ठापित किये गये थे। चूंकि इन हाइड्रमों द्वारा उत्थापित पानी के बहाव की मात्रा वास्तव में काफी कम थी और आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी, अत: 2.77 लाख रु० की लागत से उसी फर्म से चार अतिरिक्त हाइड्रम क्रय करके मार्च 1982 में आर०बी०सी० (2) एवं एल०बी०सी० (2) में प्रतिष्ठापित किये गये थे। हाइड्रमों के असंतोषजनक कार्य से संबंधित मामला फर्म के साथ उठाया गया था (अप्रैल 1982) लेकिन उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसके अलावा अभी तक (मई 1985) फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जबकि उपकरण के निर्माण

संबंधी दोषों के प्रति एक वर्ष की गारंटी दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद कृषकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था न कर सकने के अतिरिक्त 4 हाइड्रमों पर 2.77 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ।

नमूना परीक्षा (मई 1985) ने रहस्योद्घाटित किया कि यद्यपि हाइड्रम मार्च 1982 के दौरान प्रतिष्ठापित किये गये थे लेकिन वास्तविक सिंचाई 1983 की खरीफ फसल से उपलब्ध करवाई गई थी जैसा कि निम्नांकित है :—

वर्ष	रबी/खरीफ	दाहिने तट वाली नहर (कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र : 80 हैक्टेयर)	
		सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयरों में)	गिरावट की प्रतिशतता
1983	खरीफ	3.46	95
1984	रबी	45.76	42
1984	खरीफ	30.76	61
		बायें तट वाली नहर (कृषि योग्य आवृत क्षेत्र : 50 हैक्टेयर)	
1984	रबी	37.21	25
1984	खरीफ	0.80	98

सिंचाई क्षमता की प्रयुक्ति में आई गिरावट को मण्डलीय अधिकारी ने कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र की अविकसितता से सम्बद्ध बताया था (मई 1985)।

4.13.9. वर्षा द्वारा हुई क्षतियों की पुनर्स्थापना

वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान गिरी सिंचाई परियोजना में वर्षा द्वारा हुई क्षतियों की पुनर्स्थापना पर 32.73 लाख रु० व्यय किये गये।

नमूना परीक्षा ने रहस्योद्घाटित किया कि मुख्य नहर के 0/0 कि०मी० से 2/0 कि०मी० में वर्षा द्वारा हुई क्षति की पुनर्स्थापना पर 3.18 लाख रु० (0.74 लाख रु० : 1981–82, 0.61 लाख रु० : 1982–83, 0.93 लाख रु० : 1983–84 और 0.90 लाख रु० 1984–85) व्यय किये गये थे। मण्डलीय अधिकारी ने बताया (जून 1985) कि वर्षा से हुई क्षतियों की पुनःस्थापना हेतु निरोधक उपाय एक या दो वर्ष तक भूमि की प्रतिक्रिया को देखने के पश्चात् ही आरम्भ किये जा सकते थे।

यद्यपि वर्षा से क्षति वर्ष 1980–81 से क्रियाशील हो गई थी लेकिन इस मामले में निरोधक उपाय वर्ष 1984–85 के दौरान किये गये थे और वह भी अल्पतम थे। यदि ऐसे निरोधक उपाय समय रहते कर लिये गये होते तो वर्ष 1982–83 से 1984–85 के दौरान मुख्य नहर के 0/0 कि०मी० और 2/0 कि०मी० के बीच वर्षा से हुई क्षतियों के पुनर्स्थापन पर किये गये 2.44 लाख रु० के व्यय को कम किया जा सकता था।

4.13.10. क्षतिग्रस्त निर्माण कार्य

मध्यम सिंचाई योजनाओं के सार्वजनिक निर्माण कार्यों की आयु 40 वर्ष मानी गई है तथापि यह पाया गया (मई 1985) कि वर्षा, चूहों द्वारा छेद करने इत्यादि के कारण बायें तट वाली नहर के चार उप–निर्माण कार्य निर्माण के तीन या चार वर्षों के अन्दर दरारों से प्रभावित क्षतिग्रस्त हो गये थे और इनके रोधन/पुनर्स्थापन अगस्त 1982 से मार्च 1984 के दौरान 1.87 लाख रु० (आर०डी० 3850 से 3862 : 0.30 लाख रु०, आर०डी० 8970 से 9015 : 0.75 लाख रु०, आर० डी० 175.12 से 175.30 : 0.62 लाख रु० तथा आर०डी० 23870 : 0.20 लाख रु०) व्यय किये गये थे।

4.13.11. सीमेंट का उपार्जन

वर्षा से हुई क्षतियों के पुनर्स्थापन, परियोजना के अनुरक्षण तथा आवृत्त क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 1982–83 से 1984–85 के दौरान 7,799.85 मीट्रिक टन सीमेंट क्रमशः सूरजपुर स्थित एक सीमेंट फैक्टरी (2,255.45 मीट्रिक टन) तथा भारतीय सीमेंट निगम, राजबन (5,544.40 मीट्रिक टन) से प्राप्त किया गया था। मण्डल के गोदामों से ये स्थान क्रमशः 110 कि०मी० और 16 कि०मी० की दूरी पर स्थित हैं। राजबन स्थित निकटस्थ फैक्टरी से सीमेंट की सम्पूर्ण मात्रा प्राप्त करने के लिये यदि कोई प्रयास किया गया था तो उसके संबंध में विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई (जुलाई 1985)।

यह ज्ञात हुआ कि मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किये गये आबंटनों में सुपुर्दगी स्थान जगाधरी रेल–शीर्ष दिखाया जा रहा था और तदनुसार क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रक नई दिल्ली द्वारा सूरजपुर फैक्टरी के पक्ष में आबंटन जारी किये गये थे। मण्डलीय अधिकारी ने प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में भण्डार क्रय मण्डल के अधिशासी अभियन्ता को राजबन फैक्टरी पर सीमेण्ट छुड़वाने की सलाह दी (मार्च 1985)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 1985)।

यदि 2,255.45 मीट्रिक टन सीमेंट (सूरजपुर फैक्टरी से प्राप्त) राजबन फैक्टरी से उपार्जित किया गया होता तो ढुलाई हेतु किये गये 1.66 लाख रु० के व्यय का परिहार किया जा सकता था।

पुनः सूरजपुर फैक्टरी से प्राप्त 2,255.45 मीट्रिक टन सीमेंट में से 1,647.05 मीट्रिक टन सीमेंट जगाधरी तक रेल द्वारा और तत्पश्चात् सड़क द्वारा ढोया गया एवं 608.40 मीट्रिक टन की शेष मात्रा सूरजपुर फैक्टरी से मण्डल के गोदाम तक सड़क द्वारा ढोई गई थी जिस पर क्रमशः 1.95 लाख रु० तथा 0.30 लाख रु० खर्च हुये। सीमेंट का ढुलान सड़क की बजाय अंशतः रेल और सड़क द्वारा करने के परिणामस्वरूप 1.13 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ।

4.13.12. मशीनरी

(i) संस्वीकृति प्राक्कलन में उन मण्डलों से विशेष औजारों और संयंत्रों तथा वाहनों के पुनर्बिक्री मूल्य की वसूली उपबन्धित थी जिन्हें यह हस्तान्तरित किये गये थे। यद्यपि

योजना फरवरी 1982 में परिचालित की गई थी लेकिन 4.12 लाख रु० मूल्य की अतिरिक्त मशीनरी के हस्तान्तरण हेतु जनवरी 1983 तक कोई भी प्रयास नहीं किये गये थे।

यद्यपि यह मशीनरी तदनन्तर अन्य मण्डलों को हस्तान्तरित (मई 1983 : 0.45 लाख रु०, सितम्बर 1983 : 2.32 लाख रु०, मई 1984 : 0.60 लाख रु० और जून 1984 : 0.75 लाख रु०) कर दी गई थी लेकिन इसका मूल्य अभी (नवम्बर 1985) वसूल नहीं किया गया था।

(ii) 0.39 लाख रु० की लागत से जून 1980 तथा सितम्बर 1983 के बीच क्रय किये गये बुल्डोजर के अतिरिक्त पुर्जे अभी मण्डल में अप्रयुक्त पड़े थे। यद्यपि मण्डल ने जून 1984 के दौरान कुछ मदें अतिरेक घोषित कर दीं लेकिन किसी अन्य मण्डल ने अभी तक (मई 1985) इस तरह की किसी मद की मांग नहीं की थी।

(iii) संस्वीकृत प्राक्कलन में ईंधन रहित पम्प के प्रतिष्ठापन हेतु किसी उपबन्ध के अभाव में आर.बी.सी. के अन्तर्गत 4 हेक्टेयर कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र की सिंचाई के लिये 0.28 लाख रु० की लागत से मुख्य अभियन्ता के आदेशों से नवम्बर 1981 में ऐसा एक पम्प खरीदा गया था। पम्प के प्रतिष्ठापन के समय (अप्रैल 1982) मण्डलीय अधिकारी ने पाया कि सुगम ढलवां तल और नहर के लघु आकार के कारण पम्प द्वारा उठाई गई पानी की मात्रा आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी। इस प्रकार पम्प के क्रय से अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति न होने से व्यय निष्फल रहा।

4.13.13. अतिरिक्त व्यय

आर.बी.सी. लम्बाई : 555 मीटर पर बाटा नदी के आर-पार साइफन का निर्माण कार्य 10.74 लाख रु० की लागत पर एक ठेकेदार को वर्ष की नियत अवधि के अन्दर पूर्ण करने के लिये प्रदान किया गया था (फरवरी 1978)। यह कार्य वास्तव में 18 मार्च 1980 को पूर्ण हुआ। 1 अप्रैल 1980 को साइफन में पानी छोड़ते समय नालियों में विभिन्न स्थानों पर स्राव पाये गये और 4 अप्रैल 1980 को विभागीय रूप से मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। लेकिन 8 अप्रैल 1980 को ठेकेदार को सूचित किया गया कि मरम्मत का कार्य उसकी जोखिम और लागत पर किया जा रहा था। मरम्मत का कार्य 0.36 लाख रु० की लागत से 18 मई 1980 को पूर्ण किया गया और इस राशि की ठेकेदार के अन्तिम बिल से कटौती कर दी गई (मार्च 1981)। चूंकि दोषों को दूर करने के लिये विभाग ने ठेकेदार को पर्याप्त अवसर नहीं दिया, अतः उसने मध्यस्थता निर्णय करवाया और उसे 0.36 लाख रु० दे दिये गये चूंकि नहर वास्तव में फरवरी 1982 में परिचालित की गई थी और विभाग के पास विभागीय रूप से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार को समुचित अवसर देने को पर्याप्त समय था।

इस प्रकार विभाग को 0.36 लाख रु० का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

4.13.14. भाबौर साहब (प्रथम चरण)

वर्ष 1980-81 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में इस परियोजना का उल्लेख किया गया था। इस परियोजना में 2,280 एकड़ भूमि की सिंचाई अभिप्रेत थी और फरवरी

1981 तक पूर्णता हेतु अनुसूचित यह परियोजना वास्तव में अप्रैल 1982 के दौरान परिचालित की गई थी तथा 75 लाख रु० के संस्वीकृत प्राक्कलन के प्रति इस पर मार्च 1985 तक 128.05 लाख रु० का व्यय हो चुका था।

4.13.15. अतिरिक्त व्यय

(i) अप्रैल 1978 के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल, ऊना I द्वारा सी. आई. पाइपों तथा आर. सी. सी. पाइपों और सीसे की प्राप्ति की प्रत्याशा में मुख्य भाग/कन्द्रीय भाग में खाइयों और बुनियाद में वितरण प्रणाली में खुदाई का भू-कार्य प्रारम्भ किया गया था। यद्यपि मार्च 1978 से पाइप प्राप्त होने लगे थे लेकिन सीसे की आपूर्ति की प्राप्ति अगस्त 1978 से ही हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पाइप बिछाने का कार्य नवम्बर 1978 से मार्च 1982 के बीच आरम्भ किया गया।

इस अन्तराल में खुदाई वाले भाग में बरसात के दौरान मिट्टी भर गई जिसके परिणामस्वरूप 2.93 लाख रु० की लागत से बुनियादों और खाइयों में 24,634.18 घन मी० (66,095.97 घन मी० की कुल मात्रा में से) खुदाई दुबारा करनी पड़ी जिसका परिहार किया जा सकता था यदि खुदाई में भू-कार्य सी.आई. पाइपों एवं सीसे की उपलब्धता से सामयिकीकरण किया जाता।

(ii) 2.72 लाख रु० की लागत से नवम्बर 1978 से जुलाई 1980 के बीच सी. आई पाइपों की 1,776 सन्धियों में सीसे से दरारें भरने का कार्य किया गया था इसमें से 1,045 जोड़ों की 0.65 लाख रु० की लागत से जुलाई 1980 से मार्च 1982 के बीच मरम्मत की जानी थी। ये मरम्मतें मूल कार्य के दौरान सीसे के अपर्याप्त प्रयोग और वायु कपाटिका की अनुपलब्धता के कारण आवश्यक हो गई थीं।

(iii) मण्डलीय अधिकारी ने दिसम्बर 1981 में अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्त ऊना को प्रतिवेदित किया कि फर्मों द्वारा नियमित आधार पर आर. सी. सी. पाइपों की अनापूर्ति के कारण जमीन की जांच के अभाव में जिसे दो सुपुर्दगी तालाबों/गन्दे पानी के कुओं के बीच में पूरा पाइप बिछाने के पश्चात् किया जाना था उसे पुनः नहीं भरा जा सका। इसके परिणामस्वरूप बरसात के दौरान जमीन के धंसने के कारण आर. सी. सी. पाइप लाइन का एक भाग डूब गया और इससे 8,316 सन्धियों में दरारें पड़ गईं जिनकी अप्रैल 1981 तथा अगस्त 1984 के दौरान 2.11 लाख रु० की लागत से मरम्मत की गई, यदि पाइपों के अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के बाद दो सुपुर्दगी तालाबों/ गन्दे पानी के कुओं के बीच में समस्त पाइप लाइन बिछाई गई होती और उसके तत्काल पश्चात् जमीन की पुनः भराई शुरू की जाती तो इस व्यय का परिहार किया जा सकता था।

4.13.16. नहर के मुख्य भाग में ए. सी. प्रैशर पाइपों की बजाय सी. आई. पाइप का प्रावधान और बिछाया जाना

संस्वीकृत प्राक्कलन में नहर के मुख्य भाग के आठ खण्डों में से पांच में ए. सी. प्रैशर पाइप उपलब्ध करवाने और बिछाने का प्रावधान था। चूंकि ए. सी. प्रैशर पाइपों के लिए कोई दर-

संविदा नहीं थी, अतः किसी तकनीकी औचित्य और खुले बाजार से ए. सी. प्रैशर पाइपों के उपार्जन हेतु प्रयास किए बिना ही इन पाइपों के बजाए नवम्बर 1978 से अक्तूबर 1980 के दौरान कार्य को पूर्ण करने के लिए सी. आई. पाइप उपलब्ध करवाए गए जिसके परिणामस्वरूप 3.58 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ । सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति भी प्रतीक्षित थी ।

4.13.17. फव्वारों का क्रय

ऊना स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता ने संस्वीकृत अनुमान में बिना किसी प्रावधान के लिफ्ट सिंचाई योजना भावौर साहब, प्रथम चरण के लिए फव्वारों के दो सेटों के क्रय हेतु एक फर्म को आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया (जनवरी 1981) । जून 1982 में प्राप्त ये सैट (लागत: 1.72 लाख रु०) मार्च 1985 तक प्रयोग में नहीं लाए गए थे ।

4.13.18. पम्प हाउस सं० 1 में पंपिंग सैट उपलब्ध करवाना

इस परियोजना के पम्प हाउस सं० 1 में 3.53 लाख रु० की प्राक्कलित लागत पर 250 अश्व शक्ति के 3 पम्पिंग सेटों (सर्वदा तैयार रहने वाले 1 सेट सहित) के प्रावधान के प्रति 5.54 लाख रु० की लागत से 300 अश्व शक्ति के 3 पम्पिंग सेट प्रतिष्ठापित करवाए गए थे ।

इससे 2.01 लाख रु० का परिहार्य व्यय और सर्वदा तैयार रहने वाले पम्प सेट के अतिरिक्त 2 पम्पों के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों पर 1.51 लाख रु० (10.13 लाख रु०—8.62 लाख रु०) का आवर्ती व्यय हुआ ।

II—प्रगति पर परियोजना

बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना

4.13.19. प्रस्तावनात्मक

बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना (कृषि योग्य आवृत्त क्षेत्र: 2,410 हेक्टेयर) का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग द्वारा फरवरी 1982 में अनुमोदित किया गया था । मार्च 1982 में सरकार द्वारा 302.71 लाख रु० में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था । परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में 4 वर्षों में होना परिकल्पित था और निर्माण पर व्यय की प्रतिशतता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के दौरान क्रमश: 20, 25, 25 और 30 होनी थी ।

वर्ष 1984-85 तक (निर्माण अनुसूची के अनुसार) 211.90 लाख रु० की आवश्यकता के प्रति 231.95 लाख रु० की निधियां उपलब्ध करवाई गईं और इन निधियों के प्रति व्यय 100.42 लाख रु० (मार्च 1985 तक) था ।

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि आबंटित निधियां पूर्णतया प्रयुक्त नहीं की गई और निम्नांकित कारणों से परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हुआ ।

4.13.20. मंडल में सृजन क विलम्ब

परियोजना प्रतिवेदन (मार्च 1982) के अनुसार एक मण्डल को परियोजना के निष्पादन में लगाया जाना था । मण्डल ने वास्तव में जनवरी 1983 के अन्त से कार्य आरम्भ किया और इस कारण निष्पादनार्थ परियोजना का कार्य अप्रैल 1982 से जनवरी 1983 तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका । पुनः इस मण्डल से सम्बद्ध चार उप मण्डलों (एक यान्त्रिक उप मण्डल सहित) में से एक उपमण्डल को इस परियोजना का कार्य न देकर किसी अन्य कार्य में लगाया गया था ।

4.13.21. भू-अभिग्रहण में विलम्ब

पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद अर्जन हेतु 1,200 से 1,300 बीघा भूमि के प्रति भू-अर्जन अधिकारी मण्डी द्वारा मार्च 1984 तक केवल 63½ बीघा भूमि ही अर्जित की गई । तदनन्तर यह कार्य अगस्त 1984 में ब्यास सतलुज सन्धि परियोजना मण्डी के भू-अर्जन अधिकारी को सौंपा गया क्योंकि कर्मचारियों के अभाव में पूर्ववर्ती अधिकारी इसे पूर्ण नहीं कर सका था । जबकि उत्तरवर्ती अधिकारी के पास आवश्यक अधो-संरचना उपलब्ध थी लेकिन भाखड़ा ब्यास सतलुज सन्धि परियोजना का भू-अर्जन अधिकारी भी अप्रैल 1985 के अन्त तक 96 बीघा भूमि अर्जित कर सका । मार्च/अप्रैल 1985 के दौरान 96 बीघा भूमि अर्जित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.10 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ जो भू-अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 लागू करने से क्षतिपूर्ति का भुगतान 30 प्रतिशत (15 प्रतिशत की बजाय) की दर पर करने के कारण था । अतिरिक्त व्यय 1,050 बीघा शेष भूमि के अर्जन पर इसी कारण 12.04 लाख रु० और बढ़ जाएगा ।

4.13.22. लक्ष्यों की अनुपलब्धि

वर्ष 1984-85 के अन्त तक सुन्दरनगर स्थित अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत्त के द्वारा परिक्षेत्र 2 और 3 में 200 हेक्टेयर कृषि योग्य आवृत क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाने का प्रस्ताव किया गया था (सितम्बर 1984) । मण्डलीय अधिकारी ने बताया (मार्च 1985) कि सिविल निर्माण कार्यों की पूर्णता के पश्चात् मार्च 1985 के दौरान परीक्षण किया गया लेकिन भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा साईफन का निर्माण न किए जाने के कारण सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं । जिस विषय में अगस्त 1984 में निर्णय किया गया था तथापि यह देखा गया कि इसकी लागत (1.50 लाख रु०) मण्डलीय अधिकारी द्वारा मार्च 1985 के अन्त में ही जमा कराई गई थी ।

4.13.23. कंकरीट मिश्रण यन्त्र का क्रय

फरवरी 1982 में गिरी सिंचाई परियोजना के परिचालन के पश्चात् माजरा मण्डल में एक कंकरीट मिश्रण यन्त्र बेकार पड़ा था जिसे किसी जरूरतमन्द मण्डल को हस्तान्तरित किया जाना था तथापि यह देखा गया कि माजरा मण्डल से पूछताछ किए बिना ही बग्गी स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल (बल्ह घाटी परियोजना) द्वारा

एक फर्म से 0.32 लाख रु० की लागत पर एक कंकरीट मिश्रण यन्त्र खरीदा गया था (मार्च 1984)। जबकि सितम्बर 1983 के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल बग्गी द्वारा माजरा मण्डल से कुछ अतिरिक्त मशीनरी प्राप्त की गई थी। कंकरीट मिश्रण यन्त्र को जून 1985 तक उपयोग में नहीं लाया गया। बग्गी स्थित मण्डलीय अधिकारी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल द्वारा कंकरीट मिश्रण यन्त्र की अप्रयुक्ति हेतु कोई कारण नहीं बताए जा सके (जून 1985)।

4.13.24. जल दरें

(i) यद्यपि गिरी सिंचाई परियोजना और भाबौर साहब (प्रथम चरण) मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थी लेकिन इन्हें लघु नहर अधिनियम, 1976 की अनुसूची 1 में शामिल करके विभाग द्वारा तदनुसार जल दरें निर्धारित की जा रही थीं। राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को आवृत्त करने हेतु पृथक् विधायी शक्ति के अधिनियमन के लिए विभाग द्वारा कोई भी पग नहीं उठाए गए थे (जुलाई 1985)।

यह पाया गया कि लघु नहर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 1985 की खरीफ फसल तक निर्धारित जल दरें सम्बद्ध परियोजना प्रतिवेदनों में उपलब्ध दरों से 0.98 लाख रु० कम थी जैसे कि निम्नांकित है :—

क्रमांक	परियोजना का नाम	निर्धारित जल दरें	परियोजना प्रतिवेदनानुसार निर्धारण योग्य जल दरें	अन्तर
			(लाख रुपयों में)	
1.	गिरी सिंचाई परियोजना	1.26	2.04	0.78
2.	भाबौर साहब (प्रथम चरण)	0.20	0.40	0.20
	योग	1.46	2.44	0.98

(ii) खरीफ 1981 से रबी 1984 तक की गिरी सिंचाई परियोजना की जल दरों (0.95 लाख रु०) से सम्बन्धित खतौनियां नवम्बर 1982 से फरवरी 1985 के बीच मण्डलीय अधिकारी माजरा द्वारा उपायुक्त सिरमौर को भेजी गई थी लेकिन इनकी वसूली बकाया रहती थी (मई 1985)।

इसी तरह भाबौर साहब (प्रथम चरण) के सम्बन्ध में 0.20 लाख रु० की जल

दरों में से (रबी 1981 से रबी 1984 तक) अप्रैल 1985 के अन्त तक केवल 0.30 लाख रु० वसूल किए गए थे जबकि खतौनियां फरवरी 1985 तक उपायुक्त ऊना को भेजी जा चुकी थीं

(iii) दोनों ही परियोजनाओं में 1.46 लाख रु० के सकल राजस्व के प्रति संग्रहण प्रभार 1.33 लाख रु० था ।

4.13.25. भू-परीक्षण

सिंचाई जल के निपुण प्रयोग हेतु कुछ कारकों जैसे मिट्टी, उसकी भौतिक और रासायनिक स्थितियों, विभिन्न फसलों की जलीय आवश्यकताओं तथा जल निकासी आवश्यकताओं का अध्ययन अपेक्षित है। गिरी सिंचाई परियोजना के मामले में अभी तक (मई 1985) कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया गया था ।

4.13.26. क्षेत्रीय आंकड़े बैंक और लागत नियन्त्रण कक्ष.

परियोजनाओं के समुचित प्रबोधन हेतु विभाग द्वारा राज्य/परियोजना स्तर पर कोई भी क्षेत्रीय आंकड़े बैंक तथा लागत नियन्त्रण कक्ष स्थापित नहीं किए गए थे।

4.13.27. मूल्यांकन

यद्यपि गिरी सिंचाई परियोजना और उत्थापित सिंचाई योजना, भाबौर साहिब (प्रथम चरण) क्रमशः फरवरी और अप्रैल 1982 के दौरान पूर्ण की गई थी, इन परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण या उत्पादन में बढ़ौतरी की दिशा में अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया था (जून 1985) ।

4.13.28. अन्य रुचिकर विषय

(i) माप पुस्तिका में असावधानी से की गई प्रविष्टियां

मुख्य नहर के आर० डी० 600 से 1980 तक की कटाई का कार्य 2.52 लाख रु० में एक ठेकेदार को दिया गया (अक्तूबर 1976)। नौ महीनों में पूर्ण किए जाने के लिए निश्चित् इस कार्य को नवम्बर 1976 के दौरान शुरू किया गया। आठवां लेखा बिल (2.08 लाख रु०) जनवरी 1978 में अदायगी हेतु पारित किया गया। सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल नाहन द्वारा 8087.835 घन मीटर मिट्टी का कार्य जो पहले गलती से "मिट्टी की खुदाई करने का कार्य" दर्शाया गया था को "मिट्टी की कटाई" के कार्य में ठीक किया गया (जून 1978) तथा अधिक किया गया भुगतान अगले बिल में से काट लिया गया ठेकेदार मध्यस्थता हेतु गया (जून 1978) तथा उसने तर्क दिया (नवम्बर 1979) कि वास्तव में उसने 24,836.350 घन मीटर अनुबन्ध में दिए गए 10,726 घन मीटर के प्रति तथा अन्तिम माप के अनुसार (10,499.825 घन मीटर) मिट्टी की खुदाई करने का कार्य किया। मध्यस्थ ने पंचाट में (सितम्बर 1983) 0.49 लाख रु० की शुद्ध राशि ठेकेदार के हक में दी जिसमें ठेकेदार द्वारा दावा किए

गए 14336.525 घन मीटर "मिट्टी की खुदाई करने के कार्य" और वास्तविक रूप में "मिट्टी काटने के कार्य" की दरों के अन्तर के कारण 0.21 लाख रु० भी सम्मिलित थे। इसे टाला जा सकता था यदि मण्डल द्वारा माप को अभिलिखित करने के लिए उचित ध्यान दिया गया होता ।

(ii) लेखाबद्ध न की गई सामग्री

गिरी सिंचाई मण्डल, माजरा में मार्च 1981 में 0.70 लाख रु० मूल्य का सामान "स्टॉक" से "निर्माण कार्य" को स्थानान्तरित किया गया और उसे स्थल पर सामग्री लेखा में लेखाबद्ध किया गया। चूंकि सामान को इस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया गया इसलिए अगस्त 1981 में इसे स्टाक को लौटाया गया । मण्डल अधिकारी को सामान का कोई अता-पता मालूम नहीं था (नवम्बर 1985) क्योंकि फरवरी 1985 में कनिष्ठ अभियन्ता के स्थानान्तरण के समय बिन कार्ड जिसमें हिसाब किताब रखा गया बताया गया था सौंपा नहीं गया था ।

सारांश

वर्ष 1984-85 के अन्त तक, सात मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अन्वेक्षण/निष्पादन हेतु ली गई और 1127.68 लाख रु० के बजट प्रावधान के प्रति उन पर 1150.01 लाख रु० खर्च किए गए। इन में से दो परियोजनाओं को चालू किया गया, एक परियोजना प्रगति में थी तीन परियोजनाएं (1.94 लाख रु० व्यय किए गए) छानबीन के बाद व्यवहार्य न होने के कारण छोड़ दी गई थी जबकि एक परियोजना का केन्द्रीय जल आयोग/योजना आयोग से अनुमोदन प्रत्याशित था (अक्तूबर 1985)।

वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन (सिविल) में गिरी सिंचाई परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के बारे में उल्लेख किया गया था जोकि अक्तूबर 1977 की लक्षित तिथि के प्रति वास्तव में फरवरी 1982 में चालू की गयी थी। 1982 से 1984 के दौरान इस परियोजना को सिंचाई क्षमता का प्रयोग 1984 की खरीफ तक 19 से 25 प्रतिशत के बीच कम था। 2.04 लाख रु० की निर्धारणीय पानी की दरों के प्रति वास्तव में केवल 1.26 लाख रु० निर्धारित किए गए और वह भी वसूली हेतु बकाया थे । चार हाइड्रमों के संस्थापन पर, समय पर निरोधक उपायों के अभाव में वर्षा से हुई क्षति को पूरित करने पर और सीमेंट की ढुलाई पर आवश्यकता से अतिरिक्त 8 लाख रु० का परिहार्य व्यय किया गया ।

वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन (सिविल) में भाबौर साहिब (प्रथम चरण) परियोजना का वर्णन भी किया गया था। फरवरी 1981 की निर्धारित तिथि के प्रति यह परियोजना अप्रैल 1982 में चालू की गई थी। 1982 से 1984 तक सिंचाई क्षमता के प्रयोग में 32 और 98 प्रतिशत की कमी थी। इस परियोजना के निष्पादन के दौरान रख-रखाव पर अनुमानों में परिकल्पित ए०सी० प्रैशर पाइपों के बदले

सी० आई० पाइप लगाने पर और 250 अश्वशक्ति की बजाय जो कि अनुमान में निहित थे 300 अश्वशक्ति के पम्पिंग सैट लगाने पर 11.28 लाख रु० का परिहार्य व्यय किया गया ।

बल्ह घाटी परियोजना मार्च 1982 में संस्वीकृत हुई थी। परियोजना के निष्पादन हेतु जो मण्डल उत्तरदायी था उसका सृजन 10 मास बाद किया गया । परिणाम-स्वरूप 131.53 लाख रु० की उपलब्ध निधि प्रयुक्त नहीं की जा सकी । 96 बीघा भूमि के अर्जन में विलम्ब एवं भू-अर्जन (संशोधन) कानून 1984 के लागू हो जाने के कारण 30 प्रतिशत (15 प्रतिशत की बजाए) की दर से मुआवजे की अदायगी के कारण 1.10 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ । 1,050 बीघा बकाया भूमि के अर्जन पर इन्हीं कारणों से यह व्यय 12.04 लाख रु० और बढ़ जाने की सम्भावना है ।

मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

4.14. 66 दायां तट प्रवाह सिंचाई योजना, हुलिंग

किरथिक नाले के दाएं किनारे पर 18 एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा देने हेतु अभिकल्पित हुलिंग गांव (जिला लाहौल स्पीति) के लिए 66 दाएं तट प्रवाह सिंचाई योजना के निर्माण कार्य मार्च 1981 में 1.45 लाख रु० का प्रशासकीय अनुमोदन और सितम्बर 1981 में 1.44 लाख रु० की तकनीकी संस्वीकृति दी गई थी । प्रवाहित सिंचाई योजना के प्राक्कलन में हुलिंग (बायां तट) पर आर० डी० 370 पर जल के लेने के लिए और तत्पश्चात् 630 मीटर की मुख्य लाइन बिछाने तथा 150 एम० एम० व्यास की आर०सी०सी० 90 मीटर पाइपों की वितरण लाइन बिछाने का प्रावधान था । सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य खण्ड, पूह (जिला किन्नौर) के द्वारा 1981-82 के दौरान पत्थर काटने और अन्तिम छोर से 250 मीटर तक आर०सी०सी० पाइप बिछाने के बाद योजना मई 1982 में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य खण्ड काजा को सम्बन्धित उपखण्ड के इस खण्ड में अन्तरण होने पर स्थानान्तरित कर दी। उसके बाद कार्य का निष्पादन नहीं हुआ और अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता जनजाति वृत्त कुल्लू को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 1983) कि कूहल के द्वारा पानी देना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं था और सुझाव दिया कि किसी अन्य वैकल्पिक योजना द्वारा उस क्षेत्र के एक भाग (7 एकड़) में सिंचाई की जाए। इस विषय में निर्णय प्रतीक्षित था (अगस्त 1985) तथा इस योजना का कार्य बिना किसी लाभकारी परिणाम के उस पर 1.55 लाख रु० का व्यय करने के बाद अक्तूबर 1981 से परित्यक्त पड़ा है । मामले की जानकारी सरकार को जुलाई 1985 में दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1986)।

4.15. निष्फल व्यय

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल धर्मशाला ने नगरोटा बगवां (जिला कांगड़ा) की जल आपूर्ति योजना के विकास के लिए 70,000 गैलन की क्षमता के भूमिगत

जलाशय का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को 0.96 लाख रु० में दिया । ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य जून 1982 में 1.06 लाख रु० की लागत से पूरा किया गया और अक्तूबर 1982 में उसकी 0.11 लाख रु० की जमानत जमा को विमुक्त कर दिया गया । चूंकि टैंक-परीक्षण के समय रिसाव पाया गया उसकी मरम्मत का कार्य विभागीय तौर पर किया गया और 0.15 लाख रु० टैंक के बाह्यपूर्ति पर खर्च किया, जो कि प्रगति पर था (फरवरी 1985)।

उपरोक्त जलाशय के निर्माण पर 1.06 लाख रु० का व्यय निष्फल हुआ क्योंकि जनता को अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उपभोक्ताओं को अतिरिक्त जल कनैक्शनों की व्यवस्था स्थगित कर दी गई थी (अक्तूबर 1984) क्योंकि टैंक में पानी एकत्रित नहीं किया जा सकता था।

सरकार को मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.16. अलाभकारी दर पर कार्य सौंपना

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य खण्ड शिमला ने मई 1982 में तीन उत्थापक जल आपूर्ति योजनाओं की शिमला जिला में खुली निविदाएं आमन्त्रित कीं और कार्य का ठेका दूसरी निम्नतम फर्म को 10.08 लाख रु० में दिया (नवम्बर 1982) निम्नतम फर्म जिसकी निविदा 8.26 लाख रु० की थी को इस कारण उपेक्षित किया कि संबंधित फर्म के प्रस्ताव के साथ अग्रिम धन नहीं था और फर्म के द्वारा पहले सम्पन्न कार्य की सूची की आपूर्ति नहीं की गई थी यद्यपि उसने 5,100 रु० सावधि अग्रिम राशि के रूप में जमा कर दिए थे (जुलाई 1982) तथापि इस प्रस्ताव पर विभाग ने कार्य सौंपने के समय (नवम्बर 1982) विचार नहीं किया और उसी कार्य को दूसरी निम्नतम फर्म को बातचीत द्वारा दरें घटाने के किसी प्रयत्न के बिना अथवा निम्नतम फर्म से कार्य की सूची मंगवाए बगैर ही सौंप दिए ।

परिणामस्वरूप इसका राज्य कोष पर 1.82 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय पड़ा । सरकार को मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

4.17. बौछारी सिंचाई योजना

चम्बा जिले के तहसील भरमौर के लिए दो बौछारी सिंचाई योजनाएं 19 हेक्टेयर क्षेत्र में 3.53 लाख रु० में कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा देने के लिए प्रशासकीय रूप से अनुमोदित हुई थी (मार्च 1981) और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल चम्बा ने 3.49 लाख रु० में जून 1983 और अगस्त 1983 के बीच इसे हर प्रकार से केवल बौछारी सैटों के संस्थापन को छोड़ कर तैयार कर दिया। यह संस्थापन नहीं हो पाया (अक्तूबर 1985)। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल चम्बा ने अक्तूबर 1985 में बताया कि प्रत्येक योजना के लिए एक ही दर से बौछारी सैटों की आपूर्ति और संस्थापन का काम विभाग ने चण्डीगढ़ आधारित एक फर्म को मार्च 1985 में प्रदान किया और कार्य प्रगति पर है (अक्तूबर 1985)। ऊपर लिखित योजनाएं 1983 के मध्य में पूर्ण होने के बावजूद बौछारी सैटों की उपलब्धि में विलम्ब के

कारण उपरोक्त गांव सिंचाई से वंचित रहे (अक्तूबर 1985) । संयोगवश अधिशासी अभियन्ता ने अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त को सारा परिकल्पित सी० सी० ए० कच्ची अस्थायी खुली नहरों के माध्यम से वितरण के आधार पर मार्च 1983 में आवृत प्रतिवेदित किया (मई 1983) जोकि बाद में लाभग्राहियों के इस विरोध के बाद कि इससे उन की ढालू जमीनों का कटान होता है रोक दिया गया । इन योजनाओं के निर्माण पर हुआ खर्चा इस प्रकार अब तक निष्फल रहा ।

सरकार को यह मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

4.18. चम्बा शहर के लिए अपूर्ण योजना

चम्बा शहर के लिए मलव्यवस्था योजना सितम्बर 1979 में 24.18 लाख रु० में चार वर्ष के निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने के लिए प्रशासकीय रूप से अनुमोदित हुई थी । सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल चम्बा ने अभी तक (दिसम्बर 1984) तकनीकी संस्वीकृति लेने के लिए विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किया था । योजना पर 1978-79 से 1983-84 के दौरान सामग्री को एकत्रित करने पर 6.81 लाख रु० का व्यय तथा सर्वेक्षण तथा निरीक्षण पर 0.08 लाख रु० का व्यय हुआ । योजना का वास्तविक निष्पादन अभी तक (दिसम्बर 1984) सूचना के अनुसार चम्बा के जल आपूर्ति योजना के विकास के अपूर्ण रहने के कारण शुरू नहीं हो पाया । संयोगवश चम्बा की जल आपूर्ति योजना का विकास जो प्रशासकीय रूप से नवम्बर 1978 में 32.30 लाख रु० में तीन वर्ष के समय में पूर्ण करने की दृष्टि से अनुमोदित हुआ था उसे दिसम्बर 1977 में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मण्डल चम्बा ने बिना तकनीकी संस्वीकृति से आरम्भ किया जो अभी तक प्राप्त नही हुई है (अक्तूबर 1985) । दिसम्बर 1984 तक 26.56 लाख रु० का व्यय किया गया था जिससे केवल 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ और शेष कार्य अभी तक चल रहा है । मण्डलीय अधिकारी ने दिसम्बर 1984 में बताया कि योजना निर्धारित समय के भीतर बजट व्यवस्था की कमी के कारण पूरी नहीं हो पाई । फिर भी यह देखा गया कि मण्डल ने 1979-80 के बजट आबंटन के 3 लाख रु० अभ्यर्पित कर दिए थे और 1983-84 के दौरान इस उद्देश्य के लिए आबंटित 3.92 लाख रु० में से केवल 2.29 लाख रु० ही खर्च किए थे । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य शिमला को मई 1984 में भेजे गए संशोधित अनुमानों के अनुसार श्रम और सामग्री मूल्य बढ़ने के कारण योजना की लागत बढ़कर 92.50 लाख रु० हो गई थी । जल आपूर्ति के विकास की योजना पूर्ण होने में देरी के कारण न केवल योजना में जनता को अपर्याप्त जल आपूर्ति हुई और योजना की लागत में वृद्धि हुई बल्कि शहर की मल व्यवस्था योजना के निष्पादन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इस प्रकार से 33.45 लाख रु० खर्च करने के बाद भी अभीष्ट लाभ जनता को नहीं दिया जा सका ।

मामले की जानकारी सरकार को जुलाई 1985 में दी गई; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

4.19. जल आपूर्ति योजना, काजा

994 व्यक्तियों को पीने के पानी देने के आशय से जल आपूर्ति योजना काजा (जिला

लाहौल और स्पिति) को सितम्बर 1979 में 2.43 लाख रु० (संशोधित 4.52 लाख रु० सितम्बर 1981) का प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया और इसे सिंचाई एवं जनस्वाथ्य विभाग काजा ने 4.54 लाख रु० में पूर्ण किया तथा अक्तूबर 1980 के दौरान चालू किया। 1980–81 की कड़ी शीत के कारण योजना भी 1090 आर० एम० टी० जी० आई० पाइपें (नालियां) फट गईं और जून 1981 के दौरान 0.27 लाख रु० के मूल्य की एच० डी० पी० पाइप उनके स्थान पर लगाई गई । अधीक्षण अभियन्ता जनजातीय वृत नं० 2 कुल्लू ने मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य शिमला को जनवरी 1982 में सूचित किया कि योजना सर्दियों में कार्य नहीं कर सकती थी क्योंकि जी० आई० पाइप जो अंशत: खाइयों में दबाई हुई और अंशत: भूमि की सतह पर है जम जाती हैं। योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जी०आई० पाइपों को एच० डी० पी० पाइपों से बदलने का प्रस्ताव किया गया तथा निष्पादन अगस्त 1983 में प्रशासकीय अनुमोदन के पूर्वानुमान में लिया गया जो कि मार्च 1984 में 1.43 लाख रु० में दिया गया। जी० आई० पाईप के बदले एच० डी० पी० पाईप लगाने का कार्य 2·34 लाख रु० की लागत पर पूर्ण हुआ । विभाग द्वारा दिये गये अनुमानों के अनुसार जी० आई० पाईप को एच० डी० पी० पाईप द्वारा बदलने पर उसका 25 प्रतिशत उखाड़ा हुआ सामान नष्ट प्राय: हो जाना था । उसकी कीमत और मिट्टी की खुदाई आदि के साथ पहले जी० आई० पाइप को बिछाने और फिर जी० आई० पाइप उखाड़ने पर हुआ 1.19 लाख रु० का व्यय क्षेत्र में इन पाइपों को तकनीकी शक्यता का परीक्षण न करने के कारण निष्फल हुआ । मामले की जानकारी जुलाई 1985 में सरकार को दी गई; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1986) ।

4.20. टाण्डी-सुनम कूहल

807 एकड़ के कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने के लिए 1958 के आसपास निर्मित जिला लाहौल और स्पिति में टाण्डी सुनम कूहल (लम्बाई 9.81 कि० मी०) निर्माण में दोष होने व गलत रखरखाव के कारण सुचारू ढंग से चल न सकी। इसलिए इस कूहल का प्रतिरूपण 5.70 लाख रु० के प्राक्कलित मूल्य पर सरकार ने (मार्च 1973) तीन कार्य ऋतुओं की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का अनुमोदन किया। कार्य को चिनाब घाटी मण्डल ने 8.70 लाख रु० की लागत से नवम्बर 1978 में पूर्ण किया। कूहल के प्रतिरूपण के बाद भी दोषपूर्ण कारीगरी के कारण इसके अन्तिम छोर तक रास्ते में पानी रिसने के परिणामस्वरूप पूरा पानी नहीं पहुंच पाया । इसके बाद (क) कूहल के कुछ स्थानों में पाट चौड़ा करने और (ख) पूर्व बने हुए डंगों को परित्याग करके नालियों की खुदाई (इन डंगों की लम्बाई और उनके बनाने की लागत उपलब्ध नहीं थी) के आकार में किए गए कार्य पर 1983–84 के दौरान 2.02 लाख रु० की लागत आई थी। जैसे कि मण्डल अधिकारी ने अगस्त 1984 में बताया कि कूहल जल की अपेक्षित निकासी की मात्रा का वहन करने के योग्य बनाने पर 1984–85 के दौरान 5 लाख रु० खर्च होने की सम्भावना थी ।

सर्दी के मौसम में बहुत बर्फ गिरने से कूहल को विस्तृत क्षति पहुंचती है जिसके कारण कूहल को चालू करने पर हर वर्ष मई और जून में विशेष मरम्मत की आवश्यकता होती है । मण्डल ने 1978–79 और 1983–84 के बीच 3.17 लाख रु० मरम्मत

पर खर्च किया। लगभग 1958 से इस कूहल की प्रारम्भिक पूर्णता के पश्चात इसके प्रतिरूपण, चौड़ा करने और विशेष मरम्मतों पर 13.89 लाख रु० खर्च करने पर भी सिंचाई की सुविधा इस क्षेत्र को इन महीनों में नहीं दी जा सकी जबकि पानी की बहुत आवश्यकता होती है। योजना पर कार्य अभी भी चालू था (जनवरी 1985) और लागत और बढ़ेगी। अतः योजना भ्रम पूर्ण है।

मामले की जानकारी सरकार को अगस्त 1985 में दी गई; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

4.21. रोकड़ समाधान उचंत लेखा

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1976–77 के प्रतिवेदन में 1972–73 से 1976–77 वर्ष के दौरान तक रोकड़ समाधान उचंत लेखा के अन्तर्गत बकाया की स्थिति का उल्लेख था। इस शीर्षक के अंतर्गत 1977–78 से 1983–84 तक के वास्तविक अधिशेषों की स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	आदि शेष	प्राप्तियां (निकासी)	निर्गम (जमा)	अन्त शेष
1	1977–78	5,47.73	3,19.94	3,49.13	5,76.92
2	1978–79	5,76.92	7,97.01	1,107.06	7,86.97
3	1979–80	7,86.97	8,76.57	9,09.67	8,20.07
4	1980–81	8,20.07	9,36.05	8,58.58	7,42.60
5	1981–82	7,42.60	7,32.55	9,09.00	9,19.05
6	1982–83	9,19.05	8,96.25	9,47.24	9,70.04
7	1983–84	9,70.04	10,76.75	11,21.91	10,15.20

इस प्रकार स्थिति को पहले भी सरकार के ध्यान में लाने के बावजूद इस शीर्षक के अन्तर्गत समाशोधन के लिये बचे अधिशेष 1977-78 के आरम्भ में 5,47.74 लाख रु० से 1983–84 के समाप्त होने तक 10,15.20 लाख रु० तक बढ़ गये, जिस में से 3,00.40 लाख रु० (29.59 प्रतिशत) 12 मण्डलों से संबंधित थे, जहां बकाया प्रत्येक मामले में 10 लाख रु० से भी ज्यादा था।

कुछ मण्डलों के शेष का विश्लेषण निम्न को दर्शाता है :—

(क) इस शीर्ष के अन्तर्गत मार्च 1985 के अन्त तक जुब्बल भवन और सड़क मण्डल से 19.22 लाख रु० शेष था । जिसमें 5.19 लाख रु० ठियोग मण्डल से वसूली योग्य था । बकाया धन की छानबीन से पता चला कि जुब्बल मण्डल ने 3.44 लाख रु० मूल्य की सामग्री 1980—85 के बीच ठियोग मण्डल को दी यद्यपि 2.25 लाख रु० का उस मण्डल को मार्च 1980 तक जारी की हुई सामग्री का इसके द्वारा भुगतान शेष था । उक्त मण्डल ने जुब्बल मण्डल को 1980—85 के बीच केवल 0.50 लाख रु० ही दिए और 5.79 लाख रु० अभी (अगस्त 1985) जुब्बल मण्डल को शेष देने रह गये । ठियोग मण्डल से मार्च 1980 तक वसूली योग्य 2.25 लाख रु० का विवरण तथा वर्षवार ब्यौरा जुब्बल मण्डल में उपलब्ध नहीं था ।

मार्च 1985 के अन्त तक इस मण्डल द्वारा 12.17 लाख रु० की राशि दूसरे मण्डलों से प्राप्त सामग्री सेवाओं के कारण देय थी । इस में 7.83 लाख रु० यांत्रिक मण्डल शिमला को देय थे, जिसके बिल 1975–76 से 1984–85 की अवधि के थे और सूचना के अनुसार जिसकी जुब्बल मण्डल में छानबीन हो रही थी (अगस्त 1985) ।

(ख) इस शीर्ष के अन्तर्गत 26.03 लाख रु० चिनाब घाटी मण्डल उदयपुर से संबंधित बकाया पड़े थे, यह राशि 16 मण्डलों से वसूली योग्य थी और इसका बहुत बड़ा भाग (23.10 लाख रु०) मार्च 1980 से पहली अवधि से संबंधित था ।

इस मण्डल ने स्वयं 9 अन्य मण्डलों को 27.96 लाख रु० देने थे जोकि 1968-69 तथा उससे आगे की मदों से संबंधित थे । दूसरे मण्डलों के बकाया पड़े हुए मामलों पर आवश्यक कार्यवाही न करने के विशेष कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे (अगस्त 1985) ।

(ग) कुल्लू मण्डल नं० 1 में 1966 के बाद की अवधि से संबंधित 21.04 लाख रु० प्राप्त हुई सामग्री/सेवाओं के कारण 22 मण्डलों के प्रति बकाया पड़े हुये थे । कुल्लू मण्डल नं० 2 के अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि 1972–73 से बाद की अवधि के 22.76 लाख रु० सितम्बर 1985 के अन्त तक उपरोक्त प्रभारों के कारण 55 मण्डलों से वसूली योग्य थे ।

नियमानुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों का समाधान बिल लेने के दस दिन से अधिक तक नहीं रखना चाहिये और वर्ष के समाप्त होने पर इस शीर्ष के अन्तर्गत सामान्यतः बकाया नहीं रहना चाहिये । ऊपरलिखित अधिशेष राशि के एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य के लेखों में माल की आपूर्ति सेवाओं के मूल्य का समायोजन नहीं हुआ जिससे लेखे दोषपूर्ण हो गये इस के अतिरिक्त इन कार्यों पर व्यय का नियन्त्रण कलुषित हो गया । इन लेन-देनों का समाधान न होने के कारण आपूर्तियों के अज्ञात लेखाबद्ध न होने अथवा गलत लेखाबद्ध होने की सम्भावना को भी टाला नहीं जा सकता ।

अगस्त 1985 में सरकार को मामले से अवगत करा दिया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

पांचवां अध्याय

कृषि विभाग

5.1. भण्डार एवं स्टाक

5.1.1. भण्डार लेखे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 1976–77, 1977–78, 1978-79 तथा 1979–80 के प्रतिवेदनों के अनुच्छेद 5.1 में वर्ष 1970–71 से 1979-80 तक भण्डार लेखे प्रतिवर्ष जून में लेखापरीक्षा कार्यालय को न भेजे जाने का उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने वर्ष 1983-84 में पांचवी विधान सभा के 46वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि भविष्य में उक्त लेखे सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किये जाएं तथापि स्थिति में सुधार नहीं हुआ यहां तक की कुछ इकाइयों के वर्ष 1971–72 तक के पुराने भण्डार लेखे अभी तक प्राप्त होने शेष हैं। इस संबंध में विस्तृत वर्णन परिशिष्ट 5.1 में दिया गया है।

9 जिला कृषि अधिकारियों (परियोजना अधिकारियों/कृषि उप-निदेशक, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, सोलन, ऊना, कुल्लू, सिरमौर तथा शिमला) के अभिलेखों की नवम्बर 1984 से जून 1985 के बीच की गई नमूना जांच से निम्नलिखित रहस्योद्घाटित हुए:—

5.1.2. अविवेकपूर्ण क्रय

(क) वर्ष 1980–81 से 1983–84 के बीच खरीदे गये कीट नाशक, खरपतवार नाशक, औजार आदि का 6.58 लाख रु० मूल्य का भण्डार/स्टाक (एक से तीन साल तक 5.96 लाख रु० 3 से 5 साल तक 0.62 लाख रु० जिला स्तर पर बनाए गये केन्द्रीय भंडारों में अप्रयुक्त/अविक्रीत पड़ा था। कृषि निवेशों की आवश्यकताओं के प्राक्कलन हेतु कोई समरूप पद्धति निर्धारित नहीं की गई थी। भण्डारों के प्रतिधारण के लिये विभाग द्वारा कोई अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं की गई।

(ख) वर्ष 1960–61 तथा 1983–84 के बीच खरीदे गये कीटनाशकों का 1.53 लाख रु० मूल्य का स्टाक तीन जिलों (कांगड़ा, सिरमौर तथा ऊना) में ब्लाक स्तर पर बनाये गये 21 भण्डारों में अप्रयुक्त/अविक्रीत पड़ा था। स्टाक रजिस्टरों में अवसाव तिथि के अभाव में लेखापरीक्षा में किसी कीटनाशक की प्रभावशीलता की समाप्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई।

(ग) वर्ष 1977–78 से 1983–84 के कालांतर में परियोजना अधिकारी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, पालमपुर (0.09 लाख रु०) तथा कृषि उप–निदेशक ऊना (0.24 लाख रु०) द्वारा खरीदे गये 0.33 लाख रु० मूल्य के कीटनाशक कालातीत हो चुके थे ।

(घ) विकास खण्ड, भवारना के कृषि निरीक्षक का अगस्त 1983 में कार्यरत रहते हुये निधन हो गया था । उसको दिये गये भण्डारों के 0.39 लाख रु० मूल्य की धन राशि की वसूली उसके कानूनी उत्तराधिकारियों से प्रतीक्षित है (जून 1985) ।

(ङ) सोलन बीज परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने के लिये मार्च –जुलाई 1984 के बीच खरीदी गयी 0.49 लाख रु० मूल्य की मशीनें एवं उपकरण उनके स्थापनार्थ उपयुक्त स्थान न होने के कारण अप्रयुक्त पड़े थे ।

5.1.3. निवेदित मूल्यों/निविदाओं के बिना क्रय

(क) वर्ष 1979–80 से 1984–85 के कालांतर में आठ कार्यालय अध्यक्षों (बिलासपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, पालमपुर, सिरमौर, ऊना तथा निदेशालय) ने 88 मामलों में 33.14 लाख रु० मूल्य के भण्डार स्टाक का बिना निविदाएं मांगे क्रय किया था ।

निविदाओं के बिना क्रय करने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं थे ।

(ख) कृषि निदेशक द्वारा नियुक्त की गई एक समिति की सिफारिशों पर निदेशालय ने सितम्बर 1983 में फर्म "क" से 1300 रु० प्रति क्विंटल की दर से 1.30 लाख रु० मूल्य का 100 क्विंटल आर्केल मटर बीज खरीदा । यह भी देखा गया कि विभाग ने इससे पहले जुलाई 1983 में 80 क्विंटल आर्केल मटर बीज 975 रु० प्रति क्विंटल की दर से एक सरकारी उपक्रम से खरीदा था । सितम्बर 1983 में बीज का क्रय करते समय इस उपक्रम से संपर्क नहीं किया गया जिसके कारणों का कहीं उल्लेख नहीं था । इस प्रकार विभाग ने एक निजी पार्टी से 100 क्विंटल आर्केल मटर के बीज की खरीद पर 0.33 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय किया ।

5.1.4. भण्डारों को लेखाबद्ध न करना

अभिलेखों से प्रकट हुआ कि वर्ष 1976–77 से 1984-85 के बीच 42 खण्डों में 10 केन्द्रीय भण्डारों (बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, पालमपुर, सोलन, सिरमौर शिमला तथा ऊना) से प्राप्त हुये 10.60 लाख रु० मूल्य के कृषि आदान कृषि निरीक्षकों द्वारा स्टाक रजिस्टरों मे लेखाबद्ध नहीं किये गये थे ।

5.1.5. भण्डारों की कमी

वर्ष 1976–77 से 1985-86 के बीच (मई 1985 तक) चार जिलों (बिलासपुर, मण्डी, शिमला तथा ऊना) में 1.61 लाख रु० मूल्य के भण्डारों की कमी देखने में आई । विभाग को प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान केवल 0.03 लाख रु० की कमियों का ही पता चला था शेष कमियां लेखापरीक्षा के दौरान बताई गयी थी ।

संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया था (जुलाई 1985) ।

5.1.6. अनुपयोगी भण्डार

छः कार्यालयों (बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी, पालमपुर, शिमला तथा सोलन) में अनुपयोगी/अप्रचलित घोषित 12.68 लाख रु० मूल्य की भण्डार की अनेक मदों का 1 से 21 वर्ष तक की सीमावधि से निपटान किया जाना प्रतीक्षित था ।

5.1.7. भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष में कम से कम एक बार समस्त भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना तथा सूची, वस्तु सूची अथवा लेखाओं में यथास्थिति प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों सहित प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है ।

आठ कार्यालयों (कृषि उप-निरीक्षक हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, सोलन, ऊना) परियोजना अधिकारी गहन कृषि जिला कार्यक्रम, मण्डी पालमपुर तथा परियोजना अधिकारी भारतीय-जर्मन कृषि विकास प्राधिकरण धर्मशाला में रखे अभिलेखों से प्रकट होता है कि 1 से 11 वर्ष तक की सीमावधि से भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था । भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन में हुए विलम्ब के कारण अभिलेखबद्ध नहीं थे ।

5.1.8. भण्डारों की व्यवस्था के लिये जमानत जमा

भण्डारों में कार्यरत कर्मचारी से सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित समुचित राशि की जमानत जमा की जानी अपेक्षित है । यह देखा गया कि काफी मूल्य के भण्डार कृषि निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों तथा दूसरे विभागीय कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित किये जा रहे थे । लेकिन विभाग द्वारा उनसे जमानत जमा प्राप्त नहीं की गई थी ।

5.1.9. अग्रिम

वर्ष 1978-79 से 1984-85 के दौरान 10 जिला कार्यालयों (बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, पालमपुर, सिरमौर, शिमला, सोलन तथा ऊना) द्वारा 205 अवसरों पर विभिन्न कृषि निरीक्षकों को दिये गये आकस्मिक अग्रिमों की 50.86 लाख रु० की धन राशि का समायोजन नहीं किया गया था (जून 1985)। 16.68 लाख रु० के अग्रिमों की 23 मदें तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया पड़ी थी ।

(ख) चार कार्यालयों (धर्मशाला, पालमपुर, शिमला एवं सोलन) द्वारा 64.08 लाख रु० के अग्रिमों के समायोजन में 3 से 38 मास तक का असामान्य विलम्ब था ।

(ग) 0.42 लाख रु० की बकाया अग्रिम राशि कर्मचारियों द्वारा 5 मास से 27 मास तक अपने पास रखने के बाद खजाना चालानों के माध्यम से नकद वापिस की गई थी ।

(घ) कृषि उप-निदेशक शिमला द्वारा वर्ष 1979-80 से 1982 83 के बीच एक कृषि निरीक्षक को कृषि निवेशों के क्रय हेतु भुगतान किये गये 3.13 लाख रु० के अग्रिम में से अप्रैल 1983 तक जब कृषि निरीक्षक की मृत्यु हो गई, 2.10 लाख रु० का समायोजन किया गया था । 1.03 लाख रु० की बकाया राशि का समायोजन/वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 1986) ।

5.1.10. आवश्यकता से पूर्व धन का आहरण

(i) कृषि उप-निरीक्षक ने निधियों के व्यपगमन के परिहार्यार्थ मार्च 1985 में 4.31 लाख रु० का आहरण किया तथा उस राशि को उसी मास पूंजी शीर्ष के लेखे के अंतर्गत जमा करवा दिया ।

(ii) कृषि उप-निदेशक, कुल्लू ने फर्म ..ख" से 500 क्विटल बीज गेहूं (एस 308) के उपार्जन हेतु सितम्बर 1984 में 1.80 लाख रु० आहृत किये । फर्म ने अक्तूबर--नवम्बर 1984 के दौरान 0.61 लाख रु० मूल्य के 174.90 क्विटल बीज गेहूं की आपूर्ति की तथा विभाग ने 1.19 लाख रु० की बकाया राशि को नवम्बर 1984 में भारतीय स्टेट बैंक कुल्लू में मांग देय जमा रसीद के रूप में जमा करवा दिया ।

5.1.11. बिक्री-लब्धियों का जमा न करवाया तथा विलम्ब से जमा करवाया जाना

(क) किसी दिन में संगृहीत विभागीय प्राप्तियों को उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिन प्रातः तक खजाने म जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

यह देखा गया कि पांच जिलों (कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला तथा ऊना) के 14 विकास खण्डों में वर्ष 1977-78 से 1985-86 तक के कालांतर से सम्बद्ध बिक्रीलब्धियों की 1.22 लाख रु० की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई थी (जून 1985) ।

(ख) आठ जिलों (बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, सिरमौर, शिमला तथा ऊना) के 19 विकास खण्डों में 3.35 लाख रु० की बिक्रीलब्धियां कर्मचारियों द्वारा बहुत विलम्ब से जमा करवाई गई थी । विलम्ब 1 से 72 मास की सीमा के बीच था ।

5.1.12. परिक्रामी निधि

भारत सरकार ने मार्च 1979 में राज्य सरकार को "गहन अन्न भण्डारण परियोजनाओं के अंतर्गत 0.65 लाख रु० संस्वीकृत किए । यह धन राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाते में रखी जानी थी तथा इसकी परिक्रामी निधि के रूप में किसानों के लिए कीटनाशकों के क्रय/विक्रय हेतु प्रयुक्त किया जाना था । तथापि यह ध्यान में आया कि परियोजना अधिकारी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम मण्डी ने मार्च 1979 में 0.65 लाख रु० आहृत किए तथा उसी मास में भारत-जर्मन कृषि विकास एजैंसी मण्डी (स्वायत्त निकाय) कीट-नाशक के क्रय/विक्रय हेतु उनका भुगतान कर दिया । यह धनराशि एजैंसी के पास उस समय से अप्रयुक्त

ही पड़ी रही (जनवरी 1985) तथा न तो कोई निर्धारित लेखा अभिलेख तैयार किये गये और न त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ही कृषि निदेशक को प्रस्तुत किये जा रहे थे ।

5.1.13. मध्यस्थता के मामले

अप्रैल 1979 से उर्वरकों का विक्रय हिमफैड के माध्यम से डिपों होल्डरों, सहकारी समितियों एवं निजी व्यापारियों को सौंपा गया था। इससे पहले, उर्वरकों के उपार्जन तथा विक्रय का कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा था।

तीन जिलों में यह ध्यान में आया कि 191 मामलों में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री-लब्धियों की 10.05 लाख रु० की धन राशि (सोलन: 2.04 लाख रु०, शिमला: 7.33 लाख रु० तथा सिरमौर : 0.68 लाख रु०) डिपों होल्डरों तथा समितियों इत्यादि से वर्ष 1976–77 से वसूली योग्य थी। 1.60 लाख रु० से सम्बद्ध 26 मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े थे जबकि 8.45 लाख रु० से सम्बद्ध 165 मामलों में वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जिसके कारण अभिलिखित नहीं थे (जून 1985)।

सारांश

—लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद भण्डार लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतिकरण में विलम्ब होना जारी है।

—वर्ष 1960–61 तथा 1983–84 के बीच खरीदे गये 8.11 लाख रु० मूल्य के भण्डार अप्रयुक्त पड़े थे जिस से आवश्यकताओं के गलत अनुमान लगाये जाने का आभास होता है।

—वर्ष 1979–80 तथा 1984–85 के बीच 33.14 लाख रु० मूल्य के भंडारों का क्रय निवेदित मूल्यों/निविदाओं के बिना किया गया ।

—वर्ष 1976–77 तथा 1984–85 के बीच जारी 10.60 लाख रु० मूल्य के भंडारों को लेखाबद्ध नहीं किया गया, 1.61 लाख रु० मूल्य के भंडारों की कमी की वसूली के लिये कोई पग नहीं उठाए गए।

—12.68 लाख रु० मूल्य के अनुपयोगी भंडारों का निपटान प्रतीक्षित था।

—प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिस में 1 से 11 वर्ष तक की सीमा में विलम्ब था।

—वर्ष 1979–80 तथा 1984–85 के बीच 205 अवसरों पर विभिन्न निरीक्षकों को भुगतान किये गये अग्रिमों की 50.86 लाख रु० की राशि का समायोजन/वसूली प्रतीक्षित थी।

—वर्ष 1977–78 से 1985–86 (जून 1985) तक के कालांतर से सम्बद्ध कृषि निवेशों की बिक्री लब्धियों की 1.22 लाख रु० की राशि खजाने में जमा नहीं की गई थी।

यह मामला अगस्त 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)

उद्यान विभाग

5.2. भण्डार एवं स्टॉक

5.2.1. प्रस्तावनात्मक

विभाग द्वारा विभागीय प्रयोग एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहाय्य दरों पर बागवानों को वितरण हेतु दोनों ही उद्देश्यों से ऐसी भण्डार सामग्री का क्रय किया जाता है जिस में फफूंदी नाशक, कीटनाशक, कृमिनाशक, पौध संरक्षण सामग्री, पालिथीन के पाइप टांकियां, इत्यादि शामिल हैं। क्रय निदेशालय एवं जिला दोनों ही स्तर पर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के उद्यान निदेशक और सोलन किन्नौर, कुल्लू तथा शिमला के जिला उद्यान अधिकारियों के कार्यालयों में सम्बद्ध अभिलखों के नमूना निरीक्षण (मई-जून 1985) से निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हुए:—

5·2·2· लेखे

सरकार के आदेशों (जुलाई 1973) के अधीन यदि भंडारों की कुल लागत 5 लाख रु० या इस से अधिक हो तो उनके वार्षिक समेकित लेखे प्रति वर्ष जून तक लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

राज्य की 39 में से 11 इकाइयों के नमूना निरीक्षण से प्रकट हुआ कि वार्षिक लेखे सितम्बर 1970 से तैयार नहीं किये गये थे जिसके परिणाम स्वरूप विभाग के पास बकाया भंडारों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी। निदेशालय ने क्षेत्रीय इकाइयों को लेखे तैयार करने के लिये कोई निर्देश जारी नहीं किये थे।

5.2.3. आवश्यकता निर्धारण

यद्यपि भण्डारों का वार्षिक उपार्जन लाखों रुपयों में होता था फिर भी विभाग द्वारा भंडार सामग्री का आवश्यकताओं के आंकलन हेतु कोई पद्धति नहीं बनाई गई थी। वास्तविक व्यवहार में क्रय प्रतिवर्ष भंडार की स्थिति तथा प्रत्याशित आवश्यकताओं पर ध्यान दिये बिना निधियों की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाता रहा। इस प्रणाली से वस्तुओं का अविवेकपूर्ण क्रय हुआ जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन अधिक समय तक भंडारण दुर्विनियोग तथा विभिन्न वस्तुओं के निर्धारित समुचित प्रभावात्मक अवधि में अनुपयोग से जनित अन्य प्रकार की निम्नलिखित हानियां हुई, जो नमूना निरीक्षण के दौरान प्रकट हुई।

5.2.4. भण्डारों का अनियमित क्रय

(क) राज्य सरकार के वित्त नियमों के अधीन जिला उद्यान अधिकारी एक समय में 7500 रुपए तक की भंडार सामग्री खरीदने के लिये सक्षम हैं। यह देखा गया कि जिला उद्यान अधिकारी, सोलन ने मार्च 1984 तथा मार्च 1985 में तीन अवसरों पर उद्यान निदेशक की संस्वीकृति प्राप्त किये बिना ही 3.50 लाख रु० लागत के विभिन्न

प्रतिमानों के पालिथीन पाइपों की आपूर्ति हेतु सोलन स्थित एक अनुबन्धित दरों वाली फर्म को आदेश जारी किये । 2.34 लाख रु० मूल्य के दो आदेश (प्रत्येक 1.17 लाख रु०) 25 मार्च 1985 को दिये गये जबकि इन के प्रोफार्मा बिल 20 फरवरी 1985 को प्राप्त कर लिये गये थे और उन के आधार पर स्टाक रजिस्टरों में प्रविष्टियां कर दी गई। अभिलेख में इस तथ्य की पुष्टि के लिये कुछ उपलब्ध नहीं था कि माल वास्तव में प्राप्त हो गया था (मई 1985) जिला उद्यान अधिकरी सोलन ने पुनः सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति के बिना फरवरी 1985 में 0.20 लाख रु० की लागत की 2 मीट्रिक टन कांटेदार तार खरीदी । इस की समूची मात्रा उद्यान निरीक्षक को उस की मांग के बिना ही हस्तांतरित की गई दर्शाई गयी थी । तार के प्रयोग के संबंध में अभिलेख में कुछ नहीं था (जुलाई 1985) ।

(ख) यह देखा गया कि वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 में जिला उद्यान अधिकारी सोलन ने विभिन्न प्रजातियों के 0.81 लाख रु० मूल्य के 35,673 पौधे (1982–83 : 11,536 तथा 1983–84 : 24,137) निजी पौधशालाओं से खरीदे यद्यपि ये आबंटित मात्रा के प्रति सरकारी पौधशालाओं में उपलब्ध थे ।

इस के अतिरिक्त वर्ष 1984–85 में विभागीय संतति एवं प्रदर्शनी उद्यानों से उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना 1.33 लाख रु० मूल्य की पौध राज्य से बाहर स्थित निजी पौधशालाओं से खरीदी गयी थी ।

5.2.5. क्रयों में आधिक्य तथा अप्रयुक्त भण्डार

(i) नियमों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि क्रय सार्वजनिक सेवा की निश्चित आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिये ।

दो इकाइयों (जिला उद्यान अधिकारी कुल्लू व सोलन) के अभिलेखों के नमूना निरीक्षण से यह रहस्योद्घाटित हुआ कि अक्तूबर 1981 तथा जुलाई 1984 के बीच खरीदे गये 89.87 लाख रु० मूल्य के भंडारों से 17.39 लाख रु० के भंडार अभी भी अप्रयुक्त पड़े थे (जून 1985) ।

(ii) योजना तथा परियोजना उप-निदेशक, शिमला ने मार्च 1985 में 9.498 लाख रु० की 3,300 फैलकों कैंचिया खरीदी यद्यपि 878 फैलको कैंचिया पहले मार्च 1984 से स्टाक में पड़ी थी 12.21 लाख रु० मूल्य की सभी फैलकों कैंचियां (4,178) अभी स्टाक में पड़ी थी (जून 1985)।

(iii) फफूंदीनाशक निर्माण तिथि से 12 से 24 मास तक की अवधि के भीतर कालातीत हो जाते हैं । किन्नौर तथा शिमला के जिला उद्यान अधिकारियों के स्टाक रजिस्टरों के नमूना निरीक्षण से प्रकट हुआ है कि फफूंदी नाशकों सहित विभिन्न पदार्थों का उपयोग उपभोग की अतिक्रमण अवधि के भीतर किये जाने पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु उन की निर्माण तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई थी ।

फरवरी 1984 तथा जून 1984 के बीच खरीदे गये 8.85 लाख रु० फफूंदी नाशकों में से केवल 2.79 लाख रु० की नगण्य मात्रा का प्रयोग हुआ और 6.06 लाख रु० मूल्य के फफूंदी नाशक अप्रयुक्त पड़े थे (जुलाई 1985)।

(iv) जिला उद्यान अधिकारी सोलन के पास सेब रोपण योजना के अन्तर्गत 75 हैक्टेयर भूमि के प्रति 5.55 लाख रु० मूल्य के फफूंदी नाशक स्टाक में थे (मई 1985) जो छिड़काव सारणी को शतप्रतिशत आवृत करने पर भी निम्न विवरण 2 से 12 वर्ष तक की आवश्यकता को पूरा कर सकते थे ।

फफूंदी नाशक का विवरण		वार्षिक आवश्यकता	स्टाक की मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में)
पोल्टाफ	..	240	1,000	1.44
डीलन	..	40	500	1.25
कारवैडाजिन	..	40	500	1.61
हैक्साकैप	..	240	1,000	0.70
डायथीन	..	240	450	0.25
जीरीन	..	320	1,000	0.30

5.2.6. भण्डारों की कमियां/लेखाबद्ध न किया जाना

(क) वर्ष 1981–82 से 1984–85 के दौरान 4 इकाइयों (जिला उद्यान अधिकारी शिमला, कुल्लू, किन्नौर तथा निदेशालय) में कार्यभार सौंपते/ग्रहण करते समय 3.10 लाख रु० (1981–82 : 0.37 लाख रु०, 1983–84 : 0.88 लाख रु० तथा 1984–85 : 1.85 लाख रु०) मूल्य के भण्डारों की कमियां ध्यान में आयीं। अभी तक कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया (मार्च 1986)।

(ख) पांच इकाइयों (जिला उद्यान अधिकारी शिमला, कुल्लू, किन्नौर, सोलन एवं निदेशालय) के अभिलेखों से यह प्रकट हुआ कि वर्ष 1980–81 से 1984–85 के बीच जारी किये 19.30 लाख रु० मूल्य के भण्डार, जैसे कि पौध संरक्षण सामग्री, औजार एवं उपकरण, कीटनाशक, फफूंदी नाशक, इत्यादि प्रेषित इकाइयों द्वारा अपने स्टाक रजिस्टरों में लेखाबद्ध नहीं किये गये थे। विभाग द्वारा इस प्रकार के भण्डारों को लेखाबद्ध न किए जाने के कारणों की छानबीन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जुलाई 1985)।

5.2.7. अनुपयोगी भण्डार

चार इकाइयों (उद्यान विकास अधिकारी, बोकट योजना तथा परियोजना उपनिदेशक सहायक फल तकनीकी विशेषज्ञ, शमशी तथा शिमला) में 0.44 लाख रु० मूल्य के

अनुपयोगी भण्डार, औजार डिब्बे 2 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि से अविक्रीत पड़े थे । इनमें वर्ष 1970–71 के दौरान खरीदे गये 0.25 लाख रु० के डिब्बे भी शामिल थे जिन में समय बीतने के साथ साथ जंग लग चुका था। उनके निपटान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (मार्च 1986)।

5.2.8. कालातीत दवाइयां

तीन इकाइयों (जिला उद्यान अधिकारी शिमला, सोलन तथा विकास अधिकारी, राजगढ़) में वर्ष 1981–82 तथा 1984–85 के मध्य खरीदे 1.59 लाख रु० मूल्य के भण्डार, जैसा कि केपखफ, मेटासिसटाकस, जीरान, कौपर-आक्सी-क्लोराइड आदि कालातीत हो चुके थे । इस वस्तुओं के आवश्यकता से पहले खरीदे जाने के कारणों की छानबीन तथा इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जुलाई 1985)।

5.2.9. प्रत्यक्ष सत्यापन

यह ध्यान में आया कि वर्ष 1980–81 से 1984–85 तक पांच इकाइयों में (1980–81 : 2 इकाइयां, 1983–84 : 1 इकाई तथा 1984–85 : 2 इकाइयां) प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था । जहां प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था वहां भी ध्यान में आये वास्तविक आधिक्य से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन उद्यान निदेशक को प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

5.2.10. सामान्य

(i) जिला किन्नौर में सितम्बर 1983 से पहले लाभान्वितों को सहाय्य दरों पर बिक्री हेतु उद्यान निवेश ग्राम सेवकों को दिए जाते रहे थे । इस प्रकार से आपूरित निवेशों का मूल्य 1.41 लाख रु० था। उनके द्वारा अभी तक इन वस्तुओं के निपटान की बिक्रीलब्धियों के प्रेषण का माध्यम दर्शाने वाले कोई लेखे नहीं भेजे गये थे (जुलाई 1985)। लेखाओं के मांगे जाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जुलाई 1985)।

(ii) लाभग्राहियों के प्रति बिक्री/वितरण हेतु ग्राम सेवक टापरी को आपूरित उद्यान निवेश (0.46 लाख रु० मूल्य के) अप्रैल 1982 में आग में नष्ट हुए बताये गये थे अभी तक मामले की छानबीन नहीं की गई (मार्च 1986)।

1.19 लाख रु० मूल्य के कीटनाशक फरवरी 1984 में दलाश (जिला कुल्लू) के निकट ट्रक दुर्घटना में नष्ट हुए सूचित किए गए थे । मामले की छानबीन हेतु पुलिस को सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में अभिलेख में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

(iii) पांच इकाइयों के स्टाक रजिस्टरों के नमूना निरीक्षण से पता चल है कि वस्तुओं के आगम/निगम की प्रविष्टियां विभाग के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थीं ।

सारांश

--नमूना जांच की गई 11 इकाइयों में सितम्बर 1970 से वार्षिक लेखाओं का तैयार किया जाना बकाया था ।

--अक्तूबर 1981 तथा जुलाई 1984 के बीच खरीदे गये 89.97 लाख रु० मूल्य के भण्डारों में से 17.39 लाख रु० मूल्य के भण्डार अप्रयुक्त पड़े थे ।

--चार इकाइयों में 3.10 लाख रु० मूल्य के भण्डारों की कमियों की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से प्रतीक्षित थी ।

--दो इकाइयों में 1.59 लाख रु० मूल्य के भण्डार कालातीत हो चुके थे ।

--वर्ष 1980–81 से 1984–85 तक पांच इकाइयों में प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया ।

मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

ग्रामीण विकास विभाग

5.3. अविवेकपूर्ण क्रय

नियमों के अन्तर्गत क्रय लोक सेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए तथा वास्तविक आवश्यकता से बहुत पहले नहीं किया जाना चाहिए ।

खण्ड विकास अधिकारी, पांगी (जिला चम्बा) के लेखाओं के नमूना निरीक्षण (सितम्बर 1984) से पता चला कि खण्ड विकास अधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के लिये प्राप्त हुये 1.22 लाख रु० का प्रयोग मई 1982 में उच्च घनत्व दबाव वाली पाइप खरीदने के लिये किया था। हालांकि ये पाइप चम्बा विभागीय गोदाम (0.93 लाख रु० मूल्य के 35 क्विंटल) तथा किराए पर लिए गए गोदामों (0.29 लाख रु० मूल्य के 11 क्विंटल) में अप्रयुक्त पड़े थे (सितम्बर 1984)। चम्बा में किराए पर लिए गए गोदाम के प्रति भुगतान किये गये किराये की राशि की सूचना प्रतीक्षित थी (मार्च 1986)। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया (सितम्बर 1984) कि पाइपों को आगामी वर्षों में आरम्भ होने वाली योजनाओं में प्रयोग किया जाएगा। यह मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

5.4. घटिया ब्लीचिंग पाउडर की खरीद

स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने जून 1980 में एक अनुबन्धित दरों वाली फर्म को राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आपूर्ति के लिए 5.80 लाख रु० मूल्य के

1501.53 क्विंटल ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति का आदेश दिया। आपूर्ति की शर्तों में अन्य बातों के साथ खेप के प्रेषण से पूर्व विभागीय प्रतिनिधि द्वारा सामग्री का निरीक्षण किया जाना परिकल्पित था। आपूर्ति 50 किलोग्राम के ड्रमों में 193 रु० प्रति ड्रम की दर से की जानी अपेक्षित थी।

उपरोक्त शर्तों के होते हुए भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर तथा मण्डी ने अगस्त 1980 में 395.5 क्विंटल के प्रेषण सामग्री का निरीक्षण किये बिना ही निदेशक के विशेष निर्देशों के आधार पर स्वीकार कर लिये। आपूर्ति की शर्तों के विपरीत होते हुए भी अगस्त-सितम्बर 1980 में वास्तविक आपूर्ति के प्रति भुगतान के 90 प्रतिशत की 1.18 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया था। आपूरित सामग्री के निरीक्षण पर (अक्तूबर 1980) औषधि निरीक्षक ने यह निरुपित किया कि वह घटिया किस्म की थी क्योंकि कुछ मामलों में क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। परिणामस्वरूप समग्र सामग्री का प्रयोग नहीं हो पाया।

सरकार ने बताया (मार्च 1984) कि फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति किसी गुणावस्था दोष की हालत में उसे बदलने के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की स्वाकृति हेतु लिखित प्रत्याभूति पर की गयी थी लेकिन घटिया किस्म के सामान को बदला नहीं गया था (दिसम्बर 1985) तथापि यह देखा गया कि फर्म को घटिया सामान बदलने के लिये नहीं कहा गया। सरकार ने यह भी सूचित किया कि सतर्कता विभाग की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन चिकित्सा सेवा निदेशक को घटिया ब्लीचिंग पाउडर के उपार्जन के लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका था।

यह मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

लोक निर्माण विभाग

5.5. सीमेंट के क्रय पर परिहार्य व्यय

भारतीय सीमेंट नियंत्रक द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रखी गयी सीमेंट की मात्रा में से राज्य सरकार त्रैमासिक आधार पर विभिन्न विभागों/निगमों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रादेशिक योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों के लिये सीमेंट आंबटित करती है। इस आबंटन के आधार पर ग्राही अपनी आपूर्ति सीमेंट कारखाने से प्राप्त करते हैं।

वर्ष 1982–84 के बीच किये गये आंबटन के नमूना निरीक्षण से पता चला कि लोक निर्माण विभाग को आबंटित लेवी सीमेंट प्रायः मांग से बहुत कम था जिसके परिणामस्वरूप विभाग ने विभिन्न कार्यों के प्रति आवश्यकता पूर्ति हेतु समय-समय

पर हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम से क्रय का सहारा लिया जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

वर्ष	तिमाही	लोक निर्माण विभाग की मांग (मीट्रिक टनों में)	लोक निर्माण विभाग के प्रति आबंटन
1982	प्रथम	उपलब्ध नहीं	4250
	द्वितीय	उपलब्ध नहीं	6000
	तृतीय	17610	5500
	चतुर्थ	उपलब्ध नहीं	4500
1983	प्रथम	उपलब्ध नहीं	4000
	द्वितीय	उपलब्ध नहीं	3600
	तृतीय	15165	4500
	चतुर्थ	15997	4000
1984	प्रथम	2900	2500
	द्वितीय	10100	2500
	तृतीय	10965	2500
	चतुर्थ	7610	2300

अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक 18 लोक निर्माण मण्डलों ने 22.48 लाख रु० मूल्य के लेवी सीमेंट की 46555 बोरियां हिमाचल प्रदेश नागरिक एवं आपूर्ति निगम से खरीदी तथा लेवी सीमेंट के अन्यथा निर्धारित विक्रय मूल्य से 3.70 रु० प्रति बोरी की दर से (3.20 रु० प्रति बोरी चढ़ाई/उतराई का प्रभार तथा 0.50 रु० लाभ) निगम को अधिक भुगतान किया इसके परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग को 1.72 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

छः अन्य लोक निर्माण मण्डलों ने वर्ष 1984–85 में मण्डी तथा चम्बा क्षेत्रों के के लिए लेवी सीमेंट के क्रमशः 42 रु० तथा 53 रु० प्रति बोरी निर्धारित बिक्री मूल्य के प्रति निगम से 65 रु० से 69.65 रु० के बीच प्रति बोरी की दर से 10.74 लाख रु० मूल्य के गैर-लेवी सीमेंट की 16146 बोरियां उपार्जित कीं। विभाग का 3.08 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ यह व्यय पूर्वगामी अनुच्छेद में वर्णित इन बोरियों के क्रय पर चढ़ाई-उतराई प्रभारों तथा लाभांश के रूप में 3.70 रु०

बोरी की दर से निगम को भुगतान की गई 0.60 लाख रु० की राशि के अति-रिक्त था ।

निगम से उपरोक्त क्रयों की आवश्यकता सरकार द्वारा सीमेंट को प्रारम्भिक अवस्था में लोक निर्माण विभाग को उसकी आवश्यकतानुसार अधिक आवंटित करने की बजाय निगम के प्रति अविवेकपूर्ण रूप से आवंटित करने के कारण उत्पन्न हुई थी और इस प्रकार 5.40 लाख रु० अतिरिक्त व्यय का परिहार हो सकता था।

मामला सरकार को सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

5.6. फर्जी समायोजन

29 मार्च 1984 को शिमला, मण्डल नं० I ने भवन एवं मार्ग मण्डल, सोलन को 250 मीट्रिक टन तारकोल की आपूर्ति हेतु स्टॉक मांगपत्र दिया था । शिमला मण्डल I ने उसी दिन सामग्री के मूल्य की 10 लाख रु० की राशि का भुगतान कर दिया यद्यपि सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी उसे शिमला मण्डल के शोघी उप-मण्डल के स्टॉक में लेखाबद्ध कर लिया था । यद्यपि शोघी उप-मण्डल द्वारा वर्ष 1983-84 में बजट आबंटन (बजट आबंटन: 23.75 लाख रु०; उपरोक्त 10 लाख रु० के सामान के लेखाबद्ध करने के पश्चात् व्यय : 23.75 लाख रु०) से बचने के लिए यह सामान मार्च 1984 में शिमला-कालका मार्ग पर वर्तमान पटड़ी 122/3 कि०मी० से 144/0 कि०मी० (राष्ट्रीय उच्च मार्ग-22) को सबल करने के निर्माणकार्य के प्रति लेखाबद्ध किया गया था । किन्तु जून 1984 में भवन एवं मार्ग मण्डल, सोलन द्वारा शिमला मण्डल I को 10 लाख रु० की अदायगी के प्रति सामान को निर्माण कार्य से स्टाक को वापिस प्राप्त करके भवन एवं मार्ग मण्डल सोलन को स्थानान्तरित दर्शाया गया था । शिमला मण्डल नं० I द्वारा अप्राप्त तारकोल के लिये मार्च 1984 में चैक जारी किया जाना तथा पुन: सोलन मण्डल द्वारा शिमला मण्डल नं० I को वास्तव में स्थानान्तरित न हुए तारकोल की वापसी हेतु चैक जारी किया जाना केवल छुपे तौर पर उस निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान को प्रयुक्त करना था ।

मार्च 1986 में सरकार ने बताया कि संम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को भविष्य में ऐसी अनियमिताओं के प्रति चौकस रहने के लिए सावधान किया गया था ।

5.7. आर० सी० सी० पाइपों का क्रय

आई० एस० आई० मार्क आर० सी० सी० ह्यूम पाईप तथा कालर की दरों को जो सूचना अनुसार विभिन्न सड़कों पर पुलियां बनाने के लिये अपेक्षित थे राज्य सरकार के अनुमोदन से अप्रैल 1982 में नियंत्रक भण्डार हि० प्र० शिमला ने अन्तिम रूप दिया था । बाद में इन दरों का सर्वव्यापी रूप से अन्य दर संविदा द्वारा अक्तूबर 1982 से अतिक्रमण किया गया जिससे ये पंजाब सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के समान हो गई ।

केन्द्रशासित प्रदेश चण्डीगढ़ की एक इकाई द्वारा रिट याचिका करने पर मई 1983 में हि० प्र० उच्च न्यायालय ने यह अनुभव किया कि अक्तूबर 1982 की दर संविदा प्रत्यक्षत: अनुचित एवं अव्यवस्थित थी तथा राज्य के खर्च पर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु नियोजित की गई थी । इस कारण यह दर संविदा निरस्त कर दी गई (मई 1983) तथा नवम्बर 1983 में ताजा दर संविदा सम्पन्न की गई । अप्रैल 1982 तथा नवम्बर 1983 में अनुमोदित दरें फैक्ट्री के बाहर तक थी और अतिरिक्त कालरों की दरें अलग थी । परन्तु अक्तूबर 1982 में अपनाई गई दरें गन्तव्य स्थान तक थीं एवं इनमें प्रति पाईप एक अतिरिक्त कालर की कीमत सम्मिलित थी । राज्य के 15 लोक निर्माण मण्डलों से एकत्रित सूचना से प्रकट हुआ कि मार्च 1982 से मार्च 1983 के दौरान 3582.5 मीटर पाईप तथा विभिन्न सांचों और विशेष विवरणों वाले 1265 कालर प्राप्त किए गए जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1982 में अनुमोदित दरों के आधार पर 8.91 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ । संयोगवश यह मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

5.8 भण्डारों में कमी

(क) एक कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) ने किन्नौर जिला के यांत्रिक उप-मण्डल करछम से भवन एवं मार्ग मण्डल नाहन को स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारी को 0.91 लाख रु० मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे कम सौंपे (नवम्बर 1983) । इन कमियों की राशि को संबंधित कर्मचारी के प्रति विविध निर्माण कार्य अग्रिम में रखा गया (मई 1984) तथा मई 1984 में भवन निर्माण मण्डल को भेजे गए उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में दिखाया ।

मण्डल अधिकारी के जून 1985 के प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त कमियों में से केवल 0·16 लाख रु० की राशि की कमियों का समाधान किया गया था तथा बकाया 0·75 लाख रु० संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता के प्रति अभी बकाया थे । जिसके लिए अभियोग पत्र का प्रारूप तैयार किया जा रहा था । यद्यपि अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र में कमियों की राशि दर्शायी गई थी फिर भी भवन एवं मार्ग मण्डल, नाहन ने कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन एवं भत्तों से कोई वसूली नहीं की थी (अक्तूबर 1985) ।

सरकार ने मार्च 1986 में बताया कि अधीक्षण अभियन्ता, तीसरा वृत्त, सोलन जिसके अधीन कनिष्ठ अभियन्ता कार्य कर रहा था को कमियों की राशि को तुरन्त किश्तों में वसूल करने के निर्देश दिए गए थे ।

(ख) शिमला मण्डल नं० I के अभिलेख की नमूना जांच से प्रकट हुआ (जनवरी 1985) कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जून 1974 तथा सितम्बर 1977 के बीच 0.55 लाख रु० मूल्य का बिन कार्ड से भण्डार दिए गए सामान मांगपत्र संख्या न जारी होने की तिथि दिये बिना जारी किया गया दर्शाया था । सहायक अभियन्ता ने सितम्बर 1976 में भण्डारों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कई मामलों में इन जारी दिखाये गये भण्डारों को घटाने के बाद बकाया सामान को सही प्रमाणित किया था । मण्डल में न तो भण्डार मांगपत्र एवं न कार्य का विस्तृत

वर्णन अथवा कार्य स्थल पर सामग्री का लेखा जिसके लिए बिन कार्ड से भण्डार दिए गए थे उपलब्ध नहीं थे । भण्डारों से जारी की गई सामग्री के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने नियन्त्रण में भण्डारों की कमी की पूर्ति हेतु सामग्री जाली रूप से जारी की गई थी ।

मण्डलीय कार्यालय द्वारा बिन कार्ड के बकायों का मूल्यांकित भण्डार खातों के बकायों से मिलान न किए जाने के कारण मण्डल में कमियों का पता नहीं चल सका ।

दिसम्बर 1985 में सरकार ने बताया कि कनिष्ठ अभियन्ता का फरवरी 1985 में देहान्त हो गया था तथा कमियों की राशि को मांग प्रमाणपत्र में उसके देय से वसूल करने हेतु दर्शाया गया था । उसके आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 1985) ।

5.9· अनावश्यक क्रय एवं उनको लेखाबद्ध न किया जाना

जुब्बल मण्डल ने वन निगम हिमाचल प्रदेश के इमारती लकड़ी निकासी मण्डल सावड़ा से 0.38 लाख रु० मूल्य की दो हजार मीटर अजस्तीकृत स्टील की रस्सी खरीदी (मार्च 1979) और इसे "समौली पुल को पक्का करने के निर्माण कार्य को जिसका मार्च 1979 में प्रशासकीय अनुमोदन किया गया था प्रभारित किया । यद्यपि प्राकक्लन में इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और कार्य मई 1982 में पूर्ण हो चुका था तथापि सामग्री वन निगम से प्राप्त नहीं हुई थी (अक्तूबर 1985) । लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किये जाने पर (जून 1985) संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने इन परिस्थितियों की छानबीन के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की कि बगैर आवश्यकता/प्राकक्लन में प्रावधान के क्रय क्यों किया गया ।

मामला सरकार को जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

5.10. अप्रयुक्त भण्डार

नियमों में अपेक्षित है कि भण्डारों का क्रय कार्य की निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए एवं वास्तविक आवश्यकता से पहले इनका क्रय नहीं किया जाना चाहिए ।

सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल सुन्दरनगर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्तूबर 1984) से उद्घटित हुआ कि मण्डलीय स्टॉक में दिसम्बर 1981 तथा जुलाई 1982 के बीच खरीदे 4.27 लाख रु० मूल्य के विभिन्न व्यास के केसिंग पाइप अप्रयुक्त पड़े थे । मण्डल द्वारा सामग्री को अधिशेष घोषित करने या अन्य मण्डलों में उनकी आवश्यकताओं को अभिनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी (फरवरी 1986) ।

मण्डलीय अधिकारी ने अक्तूबर 1985 में बताया कि सामान का क्रय सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था एवं भण्डारों को अधिशेष घोषित करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी ।

मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

5.11. कम वसूलियां

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल शिमला द्वारा अप्रैल 1979 में फर्म "क" को शिमला जल आपूर्ति योजना के दो चरणों में वृद्धि हेतु मेन के लिए 300 एम० एम० व्यास वाले पाइप लगाने के निर्माण कार्य का जो अनुबंध सौंपा गया उसमें विभाग द्वारा कार्य के निष्पादन में प्रयोग हेतु स्टील पाइप विस्फोटक तथा सीमेन्ट दिए जाने का प्रावधान था । सितम्बर 1983 में नमूना निरीक्षण से प्रकट हुआ कि योजना के निष्पादन के दौरान इस सामग्री के अतिरिक्त फर्म को 163.909 टन विभिन्न आकार की एम० एस० प्लेटें फलैंगिज के निर्माण हेतु फर्म को जारी की गई। विभाग द्वारा उनके उपार्जन पर किए 5.78 लाख रु० के व्यय के प्रति फर्म से केवल 4.30 लाख रु० की वसूली की गई। यद्यपि, नियमानुसार जिस सामग्री की आपूर्ति का अनुबन्ध में प्रावधान नहीं था उस की वसूली निर्गम दर अथवा बाजार दर में से जो अधिक हो, की जानी चाहिए थी । फर्म का 0.15 लाख रु० की शुद्ध राशि का अन्तिम बिल जो सहायक अभियन्ता द्वारा पुष्ट हो चुका है तथा फर्म के जमानती जमा (0.68 लाख रु०) मण्डल में अनिर्णीत थे अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य शिमला ने जनवरी 1986 में 5.78 लाख रु० के क्रय मूल्य पर स्टील की वसूली के लिए मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन मांगा । आवश्यक अनुमोदन प्रतीक्षित था (मार्च 1986) । मामला अगस्त 1985 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

5.12. भण्डारों में कमियां

सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मण्डल चम्बा के लेखों की नमूना जांच (अक्तूबर 1983) से प्रकट हुआ कि एक कनिष्ठ अभियन्ता ने जनवरी 1983 में अन्य मण्डल को अपने स्थानान्तरण के समय 1.26 लाख रु० मूल्य का सामान कम सौंपा । इस कम राशि को विविध कार्य अग्रिम के अन्तर्गत संबंधित अधिकारी के प्रति (अक्तूबर 1983) रखा गया था। उपरोक्त कमियों में से 0.35 लाख रु० की सामग्री ढूंढी जा चुकी है (जनवरी 1984) और उसे लेखाबद्ध कर लिया गया है। 10.91 लाख रु० की बकाया कमियों का अभी तक समाधान नहीं किया गया था (अक्तूबर 1985) ।

अगस्त 1985 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

छठा अध्याय

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

6.1. अनुदान तथा उनका उपयोग

वर्ष 1984–85 में सरकार ने 875.02 लाख रु० के अनुदान के रूप में पंचायतों, नगर पालिकाओं, सहकारी समितियों, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि को दिये, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	विभाग	1984–85 के दौरान दिये गये अनुदान
1	ग्रामीण विकास	254.55
2	शिक्षा	67.98
3	कृषि	237.05
4	स्थानीय स्वशासन	82.34
5	उद्योग	28.27
6	कल्याण	86.22
7	पुलिस	2.41
8	वन	46.45
9	मत्स्य पालन	9.82
10	पशु पालन	39.19
11	सहकारिता	20.74
	योग	875.02

नियमों के अन्तर्गत, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस बात का प्रमाणपत्र कि अनुदानों को उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है जिसके लिये वह दिये गये थे, अनुदानों के वितरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही लेखापरीक्षा कार्यालय को विभागीय कार्यालयों द्वारा भेज दिया जाना चाहिए। प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में धीमी प्रगति की ओर लोक लेखा समिति ने बार बार असन्तोष प्रकट किया था और यह सिफारिश की कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा असाधारण देरी के मामलों की जांच की जानी चाहिये। वर्ष 1961-62 से 1983-84 में दी गई अनुदानों के प्रति उपयोग के 2,248 बकाया प्रमाणपत्रों (3927.12 लाख रुपये) में से केवल 757 प्रमाण-पत्र (799.33 लाख रुपये) ही 30 सितम्बर 1985 तक प्रस्तुत किये गये थे तथा 1,491 प्रमाणपत्र (3127.79 लाख रुपये) बकाया थे (30 सितम्बर 1985)। बकाया 1491 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	विभाग	प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
			(लाख रुपयों में)
1	कृषि	60	695.37
2	ग्रामीण विकास	169	1144.46
3	स्थानीय स्वशासन	634	495.25
4	उद्योग	71	354.88
5	पशु पालन	36	45.20
6	पर्यटन	3	1.70
7	शिक्षा	187	129.74
8	कल्याण	298	215.18
9	सहकारिता	19	32.43
10	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	3	0.65
11	पुलिस	3	7.63
12	लोक निर्माण	1	1.00
13	सामान्य प्रशासन (सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें)	2	0.09
14	मत्स्य	5	4.21
	योग	1,491	3127.79

बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का अवधि-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
तीन वर्ष तक विलम्बित	1,053	2388.88
तीन वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष तक बिलम्बित	264	661.21
पांच वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम समय तक बिलम्बित	93	48.64
दस वर्ष से अधिक समय तक विलम्बित	81	29.06
योग	1,491	3,127.79

प्रयुक्ति प्रमाण-पत्रों के अभाव में यह जान लेना सम्भव नहीं था कि प्राप्त कर्त्ताओं ने अनुदानों को उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त किया गया था जिनके लिये दी गई थी।

प्रवर्ग I—नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

कृषि विभाग

6.2. इंडो-जर्मन कृषि विकास परियोजना एजेंसी, पालमपुर

6.2.1. प्रस्तावनात्मक

इण्डो-जर्मन कृषि विकास परियोजना एजेंसी (समिति) पालमपुर 29 मार्च 1973 को सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की गई थी। सोसाइटी इण्डो-जर्मन कृषि परियोजना (परियोजना) कांगड़ा स्थित पालमपुर का अनुवर्ती निकाय है जिसे संघीय जर्मन गणतन्त्र तथा भारत सरकार के मध्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 7 फरवरी 1967 में शुरू किया गया और अन्तिम रूप से दिसम्बर 1977 में बन्द कर दिया गया था।

सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य जुताई सहित कृषि विकास, आलू समेत फलों व सब्जियों को उगाना और विधायन तथा पौध-संरक्षण, पौध रोग नियंत्रण और कृषि इंजीनियरिंग तथा यांत्रिकरण थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र में कृषकों को पर्याप्त उधार देकर तथाउधार देने वाली संस्थाओं को उनके प्रवन्धकीय तथा पर्यवेक्षकीय स्टाफ को सशक्त बनाने के लिये अनुदान/उपदान उपलब्ध करवाने, ग्राहकों को भाड़े पर सेवा और कृषि तथा सम्बद्ध मशीनरी और संयंत्र का प्रवन्ध एवं आयोजन करने, कृषि के विकास के लिये सहायता देने, सिंचाई का काम

करने, भूमि समतल करने, मेड़ बनाने, रेखांकन भू-संरक्षण निर्माण तथा सहकारिता के आधार पर विपणन और विधायन को सशक्त करने में सोसाइटियों और संगठनों की सहायता द्वारा की जानी थी ।

जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा सहायता राज्य सरकार को तकनीकी निपुणता और निशुल्क सामग्री की आपूर्ति द्वारा की जानी थी। राज्य सरकार ने केवल तकनीकी उपकरण तथा उपलब्ध करवाने थे। अनुबन्ध के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य से निःशुल्क प्राप्त उर्वरकों की विक्रयलब्धि द्वारा जमा की गई "प्रतिरूपी निधियों" से केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा समिति की निधियों में आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान सम्मिलित हैं।

6.2.2. संगठनात्मक ढांचा

समिति का प्रबंध, अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त कांगड़ा सचिव के रूप में सघन जिला कृषि परियोजना अधिकारी कार्यक्रम (आई० ए० डी० पी०) पालमपुर, संघीय जर्मन गणराज्य से दो विशेषज्ञ तथा राज्य सरकार द्वारा एक अधिकारी नामांकित एक शासी निकाय में निहित है । सोसाइटी के पास अपना कोई कार्यकारी कर्मचारी नहीं था और दैनिक कार्य राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने काम के अतिरिक्त चलाया/हाथ में लिया जाता था ।

अप्रैल-मई 1985 के दौरान सोसाइटी के लेखाओं की नमूना जांच से जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में आईं उन्हें अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है :–

6.2.3. शासी निकाय का अस्तित्व में न आना

सोसाइटी की सभा नियमावली में यह प्रावधान था कि शासी निकाय सोसाइटी की गतिविधियों पर विचार विमर्श के लिये महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा । कार्य सम्पादन के लिये कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होना आवश्यक था । किन्तु यह देखा गया कि शासी निकाय के केवल दो सदस्य थे और जनवरी 1978 में द्विपक्षीय अनुबंध की समाप्ति तथा सहायक रजिस्ट्रार (नामांकित सदस्य) पैकेज सहकारी सोसाइटी, पालमपुर के पद की समाप्ति के फलस्वरूप 3 रिक्तयां को अभी तक नहीं भरा गया था (जुलाई 1985) । इस प्रकार जनवरी 1978 के पश्चात् किये गये सकल व्यय पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन का अभाव था ।

6.2.4. वित्तीय नियमों का तैयार न करना तथा वित्तीय शक्तियों का न देना

सोसाइटी की सभा नियमावली के अनुसार अन्य बातों के अतिरिक्त लेखाओं के रूप को नियमित करने सम्बन्धी विस्तृत उपनियम शासी निकाय द्वारा महालेखाकार के परामर्श से बनाये जाने थे तथा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना था ।

यह देखा गया कि कोई ऐसे उपनियम नहीं बनाये गये थे और इसके परिणामस्वरूप मार्च 1973 में सोसाइटी के चालू होने से लेकर मासिक लेखाओं का तैयार न किया जाना, सरकार

से प्राप्त अनुदान रजिस्टर का न बनाया जाना, वार्षिक योजना तथा बजट अनुमानों का न बनाया जाना, आदि हुआ । आगे यह देखा गया कि सरकारी अनुदान के उपयोग में वित्तीय औचित्यता के अनुग्रह के सामान्य नियमों के लिए कोई वित्तीय नियम तैयार नहीं किये गये थे ।

6.2.5. तुलनापत्र (बैलेंस शीट) को तैयार न करना

वर्ष 1980-81 के अन्त तक सोसाइटी को कुल 244.55 लाख रु० (वर्ष 1979-80 तक 2,20.55 लाख रु० तथा वर्ष 1980-81 में 24 लाख रु०) के अनुदान प्राप्त हुए, परन्तु सोसाइटी द्वारा कोई तुलनापत्र नहीं बनाया गया था । लेखापरीक्षा द्वारा 1977 तथा 1980 में बताये जाने पर सोसाइटी ने तुलना पत्र को तैयार न करने के लिये राज्य समन्वयन समिति (अनुबन्ध के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जोकि सभा नियमावली के अनुसार अधिकारातीत था । परिणामत: समिति ने समय समय पर बनाई गई और अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की सूचियां तैयार नहीं की थीं और अन्तत: संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति की जनकारी नहीं थी (जुलाई 1985)।

मार्च 1973 तथा दिसम्बर 1977 के दौरान 3,97.53 लाख रु० मूल्य की चल और अचल परिसम्पत्ति जिसमें वाहन, मशीनरी, भवन, भंडार, गोदाम आदि सम्मिलित थे या तो जर्मन संघीय गणराज्य से प्राप्त हुई थी (79.20 लाख रु०) अथवा सहायता के प्रति क्रय की गई/बनाई गई थी (318.33 लाख रु०) परन्तु सोसाइटी के पास उनके अते पते के बारे में निपटान के दर्शाने वाले कोई अभिलेख नहीं थे (जुलाई 1985)।

6.2.6. अनुदान तथा उन का उपयोग

वर्ष 1983-84 तथा 70 योजनाओं के सम्पादन के लिये सोसाइटी को 2,64.55 लाख रु० के अनुदान प्राप्त हुए जिनके प्रति 2,75.17 लाख रु० का व्यय किया गया । ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	व्यय
		(लाख रुपयों में)	
दिसम्बर 1977 तक	2,20.55	..	2,33.80
1980-81	21.70	..	18.21
1981-82	2.30	..	3.16
1983-84	..	20.00	20.00
योग	2,44.55	20.00	2,75.17

इन योजनाओं की नमूना जांच से निम्नलिखित बातें प्रकाश में आईं :–

(1) वर्ष 1974-75 से 1977-78 के दौरान 27 योजनाओं के निष्पादन के लिये संस्वीकृत 54.20 लाख रु० के अनुदान के प्रति मार्च 1983 तथा योजनाओं की पूर्ति के लिये 39.25 लाख रु० खर्च किये गये थे । अनुदान की शर्तों के अनुसार 14.95 रु० की राशि का अव्यतीत शेष प्रत्यर्पित करने की बजाए स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ही अन्य योजनाओं के निष्पादन पर खर्च किया गया ।

आगे यह ध्यान में आया कि यद्यपि जनवरी 1984 में उपरोक्त सभी योजनाओं की पूर्ति भारत सरकार को प्रतिवेदित कर दी थी तथापि नौ योजनायें जिन पर 16.97 लाख रु० का व्यय किया जा चुका था या तो अपूर्ण पड़ी थीं या परित्यक्त कर दी गयी थीं । परित्यक्त योजनाओं (8) पर 16.30 लाख रु० का व्यय हुआ था ।

(2) वर्ष 1973-74 तथा 1982-83 के बीच 29 योजनाओं के लिये 1,78.47 लाख रु० के अनुदान जारी हुए जिनके प्रति 2,10.46 लाख रु० खर्च किये गये जिसके परिणाम-स्वरूप 31.99 लाख रु० का अधिक व्यय हुआ । शासी निकाय द्वारा अधिक व्यय को नियमित नहीं किया गया था (मई 1985)।

(3) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान भारत सरकार से तीन योजनाओं के निष्पादन के लिये प्राप्त 24 लाख रु० के अनुदान के प्रति 19.57 लाख रु० उस प्रयोजन के लिये खर्च नहीं किये गये थे जिसके लिये अनुदान दिया गया था, जैसा कि नीचे चर्चित है :–

(i) नूरपुर उप-मण्डल में 6 नये नलकूपों के निर्माण पर प्रयोज्य 16.08 लाख रु० पहले ही निर्माणाधीन नलकूपों को पूर्ण करने पर खर्च किये गये।

(ii) कांगड़ा जिले के धरातलीय क्षेत्र में 100 कम गहरे कुओं के निर्माण के लिये संस्वीकृत 5 लाख रु० में से 1.51 लाख रु० 20 कम गहरे कुओं के निर्माण पर खर्च किये गये और योजना का परित्याग करना पड़ा क्योंकि कम गहरे कुएं क्षेत्र में सफल नहीं पाये। गये शेष 3.49 लाख रु० की राशि को भारत सरकार के अनुमोदन के बिना नलकूपों की अन्य चालू योजनाओं पर खर्च किया गया ।

(4) वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार ने नलकूपों की खुदाई का सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया था । यद्यपि राज्य सरकार द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा था, इस प्रयोजन केलिये वर्ष 1983-84 में सोसाइटी ने इस कार्य को अपने हाथ में लेने की बजाये जमा निर्माणकार्य के रूप में सघन जिला कृषि परियोजना पालमपुर को निष्पादन केलिये दे दिया । सोसाइटी को अनुदान के भुगताने को 20 लाख रु० का अनुदान जारी किया गया था। सोसाइटी को अनुदान के भुगतान का कोई औचित्य नहीं था ।

(5) यद्यपि पशु पालन विशिष्ट रूप से सोसाइटी के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, ऐसी गतिविधियों की योजनाओं पर 14.69 लाख रु० का खर्च किया गया । इस में वर्ष 1978-79 तथा 1980-81 के बीच छोटे तथा सीमांत किसानों को दुधारू पशु खरीदने केलिये उपदान के रूप में खर्च किये गये 2.10 लाख रु० सम्मिलित थे । इस योजना को एकीकरण ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था यह सोसाइटी के उद्देश्यों में आवृत नहीं था । सोसाइटी के पास पहचान किये गये तथा उपरोक्त निधियों में से सहायता प्राप्त परिवारों की सूची उपलब्ध नहीं थी (मई 1985) । यह भी ज्ञात नहीं था कि इस योजना के अन्तर्गत सहायताप्रद किसी परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सका था ।

सोसाइटी द्वारा पहचान किये गये लाभान्वित परिवारों को दुधारू पशु खरीदने केलिये भुगतान की रसीद तथा लाभान्वितों के पूर्ण विवरण लिये बिना 2.10 लाख रु० में से 0.37 लाख रु० का भुगतान किया गया (मार्च 1981) ।

6.2.7. निधियों का कथित दुर्विनियोजन

समिति के खजांची को विविध कार्यों के लिये जुलाई 1984 में 0.71 लाख रु० का दो दस्ती रसीदों द्वारा (0.10 लाख रु० तथा 0.61 लाख रु०) भुगतान किया गया जबकि 0.10 लाख रु० की दस्ती रसीद परियोजना अधिकारी ने आहरण तथा वितरण अधिकारी के नाते पारित की थी दूसरी रसीद (0.61 लाख रु०) उसने पारित नहीं की थी परन्तु खजांची द्वारा ही लिखित एवं हस्ताक्षरित थी । आहरण को पेशगी के तौर पर नहीं बल्कि अन्तिम भुगतान के रूप में दिखाया गया था ।

परियोजना अधिकारी ने बताया (अप्रैल 1985) कि मामला जांचाधीन था । इस के साथ-साथ मामला मई 1985 में कृषि निदेशक को प्रतिवेदित किया गया । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 1986) ।

यह भी ध्यान में आया कि :—

(i) वर्ष 1980-81 से 1983-84 की अवधि से लेकर रोकड़ बही को उचित प्रकार से नहीं रखा गया था यहां तक कि प्रविष्टियों को आहरण तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था, तथा प्राप्त धन केलिये जारी की गई रसीदों को भी आहरण तथा संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी नहीं किया गया था । इसकी बजाय रसीदें खजांची द्वारा या कभी कभी अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी की गई थीं । आहरण तथा संवितरण अधिकारी ने किसी भी चरण पर यह सुनिश्चित नहीं किया कि सोसाइटी द्वारा प्राप्त धन केलिये जारी सभी रसीदों को रोकड़ बही में लेखाबद्ध कर दिया गया था ।

(ii) नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अक्तूबर 1980 से मार्च 1983 तक के दौरान 9 अवसरों पर प्राप्त 18,294.25 रु० की विविध प्राप्तियों को रोकड़ बही में नहीं दिखाया गया था। परियोजना अधिकारी ने अप्रैल 1985 में बताया कि मामला जांचाधीन था। नकद शेष का किसी भी समय प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जैसा कि नियमों में अपेक्षित है।

(iii) 19 मई 1983 को रोकड़ बही का अन्त शेष 1,000 रु० कम दर्शाया गया था और आहरण तथा वितरण अधिकारी द्वारा 31 अगस्त 1984 को अपनी सेवा निवृत्ति पर रोकड़ बही का चार्ज वैसे ही उत्तराधिकारी को सौंपा गया था। परियोजना अधिकारी ने लेखा जोड़ने में कमी की पुष्टि करते हुए अप्रैल 1985 में बताया कि मामला जांचाधीन था। सोसाइटी के संबंधित वर्षों की प्राप्तियों तथा भुगतान के लेखे चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा सत्यापित किये गये थे।

6.2.8. रिगों का अधोपयोग

वर्ष 1969 तथा 1973 के दौरान 35 लाख रुपये के दो रिगों (एक जर्मन संघीय गणराज्य से आयातित तथा दूसरा स्थानीय तौर पर खरीदा) गया को उपार्जित किया गया था। वर्ष 1970-71 तथा 1984-85 के बीच उनके चलाने तथा अनुरक्षण पर 1.50 लाख रु० वार्षिक खर्च किये गये थे। उनकी 15 वर्षों के दौरान (वर्ष 1970 से 1984 तक) 89 नलकूपों की खुदाई की क्षमता के प्रति इस अवधि में केवल 36 नलकूपों की खुदाई पूर्ण की गई थी। परियोजना अधिकारी ने रिगों का अधोपयोग निधियों की कमी के कारण बताया (मई 1985)।

6.2.9. निर्माण कार्यों का अनियमित निष्पादन

सोसाइटी ने वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान 8.44 लाख रु० की लागत से हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की ओर से बैजनाथ, धर्मशाला, कांगड़ा तथा नगरोटा बंगवां में सब्जी तथा फल की छ: मण्डियों का निर्माण हाथ में लिया। विपणन बोर्ड के साथ कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं किया गया।

3.11 लाख रु० की जमा राशि के प्रति 8.44 लाख रु० का व्यय किया गया परिणामस्वरूप बोर्ड से 5.33 लाख रु० की कम वसूली हुई जिसके लिये कोई दावा नहीं किया गया था। निधियों की कमी के कारण वर्ष 1982-83 में निर्माण कार्यों का परित्याग कर दिया गया और उन्हें बोर्ड को अपूर्ण स्थिति में सौंपा गया।

6.2.10. मिश्रित उर्वरक का अनाधिकृत उत्पादन

वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान भारत सरकार से कृषकों के लिये उर्वरकों पर परिवहन तथा उपदान के वितरण को उपलब्ध करवाने के लिये प्राप्त 67.88 लाख रु० के उपदान का भारत सरकार ने अनुमोदन के बिना यूरिया का मिश्रित उर्वरकों में

परिवर्तित करने पर उपयोग किया गया और बिक्री से 48.22 लाख रु० का लाभ दिखाया गया । इसके परिणामस्वरूप कृषकों को उर्वरकों पर दिये गये उपदान के लाभ से वंचित रहना पड़ा ।

6.2.11. अनियमित क्रय

समिति ने न तो कोई अपने नियम बनाए थे और न ही भण्डार की वस्तुओं के क्रय को नियमित करने हेतु वन राज्य/केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित नियमों का अनुपालन किया था। परिणामस्वरूप निविदाओं को आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धा वाली दरों पर क्रय नहीं किए जा रहे थे। कुछ मामले नीचे चर्चित हैं :—

(i) वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान खुली निविदाओं को आमंत्रित किए बिना एक निजी फर्म से 16.09 लाख रु० की लागत के कृषि उपकरण खरीदे गए थे।

(ii) इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान बिना किसी आवश्यकता के उसी फर्म से 1.26 लाख रु० की लागत के भण्डारण बिनों को प्राप्त किया गया था । ये अप्रयुक्त पड़े हुए हैं (मई 1985)।

6.2.12. स्टाक लेखाओं का अनियमित रख-रखाव

सभी खरीदे गए, प्राप्त किए गए अथवा जारी किए गए पदार्थों की स्टाक लेखाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा बकाया निकाला जाना चाहिए । ऐसी प्रविष्टियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। भण्डारों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए भण्डारों को जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जो कि उनका संरक्षक खाता बही रखने वाला अथवा लेखाकार न हो, आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन करना अपेक्षित है ।

यह देखा गया कि समिति द्वारा कोई समुचित स्टाक लेखे नहीं रखे गये थे । यहां तक कि समिति द्वारा प्राप्ति तथा निर्गमों की प्रविष्टियों को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही उपलब्ध शेष को निकाला गया था । इसके अतिरिक्त मई 1980 तथा अगस्त 1980 में 1.61 लाख रु० की लागत से खरीदे गए सीमेंट पाइप तथा थरैशर भण्डार बहियों में लेखाबद्ध नहीं किए गए थे । वर्ष 1973 से लेकर 1.66 रु० की लागत की अनुपयोगी भण्डार सामग्री अभी तक भण्डारों में पड़ी थी (मई 1985) । इन भंडारों का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी नहीं किया गया था ।

6.2.13. **लेखाओं का गलत अनुरक्षण**

(i) व्यय के प्रति प्राप्तियों का दुरुपयोग समिति के नियमों के अनुसार सभी भुगतान केबल चैकों द्वारा ही किए जाने अपेक्षित हैं। इसके विपरीत मार्च 1980 तथा मई 1980 के बीच दावेदारों को विभिन्न पार्टियों से वसूल की गई नकद राशि में से 3.23 लाख रु० का सीधा भुगतान किया ।

(ii) सभा नियमावली में परिकल्पित था कि समिति ने दो पृथक लेखे रखने थे जिनमें से एक भारत सरकार से प्राप्त "प्रतिरूप निधि" और दूसरा समिति की निधि जिसमें इसके निवेश तथा अन्य स्रोतों से आय के लिए होना था। किन्तु समिति ने दोनों प्रकार के के लेनदेन को एक लेखे द्वारा ही चलाया ।

6.2.14. **अनावश्यक दायित्वों का सृजन**

समिति के परियोजना अधिकारी ने कार्यकारी निकाय के अनुमोदन प्राप्त किए बिना तथा किसी भी शर्त और निबन्धन के अन्तिम किए बिना भारत-जर्मन कृषि विकास प्राधिकरण मण्डी से 5 लाख रु० उधार लिए (9 जनवरी 1980 को 3 लाख रुपये और 14 मई 1980 को 2 लाख रु०)। उपरोक्त राशि किन परिस्थितियों में उधार ली गयी थी, उन्हें अभिलेख में दर्शाया नहीं गया था। राशि का अभी चुकाना बाकी था (मई 1985)।

6.2.15. **उद्देश्यों को प्रोत्साहन न देना**

समिति ने कृषकों को पर्याप्त उधार सुविधायें देने तथा क्रेडिट संस्थाओं को प्रबन्धक/पर्यवेक्षक स्टाफ को सशक्त करने के लिए अनुदान/उपदान उपलब्ध करने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की थी जैसा कि संस्था के नियमों में परिकल्पित था। समिति द्वारा इन योजनाओं को लागू न करने के लिए कोई कारण नहीं बताये गये थे ।

यह मामला सरकार को सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

प्रवर्ग II—नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

उद्यान विभाग

6.3 **अनुदान तथा ऋण**

6.3.1. वर्ष 1980–81 से 1984–85 के दौरान प्रत्येक के प्रति उल्लिखित

निकायों को उद्यान विभाग ने निम्नलिखित अनुदान दिया :—

दानग्राही का नाम	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
			(लाख रुपयों में)		
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	61.50	67.70	66.50	71.85	85.33
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	..	..	0.96	0.16	0.80
भारत जर्मन धौलाधार फार्म वन परियोजना, पालमपुर	0.97	1.00	1.47	1.50	3.00
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम समिति, शिमला	5.50	..	7.00	2.00	11.00
योग	67.97	68.70	75.93	75.51	1,00.13

जून-जुलाई 1985 के दौरान उद्यान निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच से जो बातें ध्यान में आई उन्हें अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है :—

(i) नियमों में प्रावधान है कि अनुदान ग्राही संस्था पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से सरकारी अनुदान से अर्जित स्थाई और अर्धस्थाई अर्जित परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित रूप में रजिस्टर रखेगी । किन्तु न तो अनुदान-ग्राही संस्थाओं ने विभाग को अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा दिया था और न ही विभाग ने इसे कभी मांगा था । अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के विषय में जानने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी सृजित परिसम्पत्ति का अनुरक्षण हो रहा है और उसे अभिप्रेत उद्देश्य पर प्रयुक्त किया जा रहा है विभाग ने कोई पद्धति निर्मित नहीं की थी । विभाग द्वारा बनाये गये सहायता अनुदान रजिस्टर में भी सृजन की जाने वाली परिसम्पतियों का जहां अनुदान ऐसे प्रयोजन के लिए था ब्यौरा नहीं दिया गया ।

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को उद्यान क्रियाकलाप के लिए सहायता अनुदान के व्यवस्थित भुगतान करने के नियमों में अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा तथा उद्यान निदेशालय को अनुदान की संस्वीकृति के अनुगामी वर्ष के सितम्बर के अन्त तक सहायता अनुदान लेखे प्रस्तुत करने होंगे । निरीक्षक, सहायता अनुदान की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अगले दिसम्बर से

पूर्व विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा करेगा और प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों को निदेशालय तथा सरकार को प्रस्तुत करेगा। नियमों में यह भी निर्धारित है कि सहायता अनुदान की पहली तीन त्रैमासिक किश्तें बिना लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर जारी की जाएंगी तथा अन्तिम त्रैमासिक किश्त केवल तभी जारी की जाएगी जब लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएंगे। किन्तु यह देखा गया कि सहायता अनुदान के लेखे अनुदान ग्राही संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे और यहां तक कि प्रत्येक वर्ष अंतिम तिमाही की किश्त लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किए बिना जारी की गई थी। विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पद्धति अथवा प्रक्रिया नहीं थी जिससे यह ज्ञात हो सके कि अनुदान ग्राही संस्थाओं द्वारा सहायता अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये ये संस्वीकृत भुगतान किये गये थे उन्हीं पर ही प्रयुक्त हुए हैं।

6.3.2. ऋण

उद्यान विभाग ने वर्ष 1979–80 से 1984–85 के दौरान निम्नलिखित ऋणों का भुगतान किया :—

निकाय का नाम	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
		(लाख रुपयों में)				
हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, शिमला	1,20.00	40.50	6.00	..	..	..
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विद्यायन निगम सीमित, शिमला	..	..	..	..	60.00	33.00
योग	1,20.00	40.50	6.00	..	60.00	33.00

6.3.3. ऋण का दुरुपयोग

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम को मार्च 1980 में अनुदत्त 3 प्रतिशत ब्याज की दर से 120 लाख रु० के ऋण में से, 20 लाख रु० आधुनिक पैकिंग साधनों/डिब्बों के प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए थे। ऋण की शर्तों के अनुसार सरकार को यह खुली छूट थी कि यदि ऋण उस प्रयोजन पर जिसके लिए ये संस्वीकृत थे प्रयुक्त न हुए हो तो इन्हें ब्याज के साथ एकमुश्त में वसूल कर लें। उधारग्राही निकाय ने वर्ष 1980–81 से अगस्त 1984 के दौरान 120 लाख रु० समस्त राशि कंदरोड़ी (जिला कांगड़ा)

की वायर ड्राईंग यूनिट तथा मद्रास में एक शीत भण्डारण की स्थापना पर व्यय करनी थी और आधुनिक पैकिंग साधनों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। विभाग ने ऋण को ब्याज के साथ एक मुश्त वसूल करने के लिए कोई कार्यवाई से नहीं की थी (जून 1985)।

6.3.4. अप्रयुक्त ऋण

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम को कलकत्ता में दो के भीतर शीत भंडारण के निर्माण के लिए मार्च 1981 में 20 लाख रु० के ऋण का भुगतान किया गया था जिसकी अवधि सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती थी। ऋण तथा ब्याज की अदायगी ऋण की चौथी वार्षिकी से शुरू की जानी थी। किन्तु यह देखा गया (जून 1985) कि उधार ग्राही संगठन ने अभी शीत भंडारण का निर्माण चालू नहीं किया था और वर्ष 1982–83 के दौरान भूमि की 25 प्रतिशत लागत के लिए केवल 5.77 लाख रु० खर्च किए गए थे।

विभाग ने बताया (अप्रैल 1986) कि निगम से ब्याज सहित अप्रयुक्त राशि तुरन्त लौटाने का आग्रह किया गया था (जनवरी 1986) परन्तु उनसे कोई उत्तर नहीं मिला (मार्च 1986)।

6.3.5 ऋण के अदायगी में चूक

106.40 लाख रुपये जो वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम (46.18 लाख रु०) तथा हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पादन विपणन तथा विद्यालय निगम (60.22 लाख रु०) से मूलधन चुकाने (73.92 लाख रु०) तथा ब्याज की अदायगी (32.48 लाख रु०) देय थे, वसूल करने को बाकी पड़े थे (जून 1985) जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

ऋण के भुगतान का वर्ष	30 जून 1985 को वसूली के लिए देय राशि			
	राशि	मूलधन	ब्याज	जोड़
	(लाख रुपयों में)			
I. हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम—				
1979–80	1,20.00	21.80	21.91	43.71
1980–81	20.00	1.82	0.65	2.47
II—हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन निगम—				
1983–84	30.00	..	1.90	1.90
	30.00	30.00	5.18	35.18
1984–85	7.00	..	0.53	0.53
	11.00	9.30	0.93	10.23
	15.00	11.00	1.38	12.38
योग	2,33.00	73.92	32.48	1,06.40

हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम को मार्च 1984 तथा हिमाचल प्रदेश उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम को फरवरी 1985 में एक एक बार लिखने के सिवाय विभाग द्वारा समय पर मूलधन और ब्याज की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए कोई पग नहीं उठाये गए थे। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने मार्च 1980 में दिए 1.20 लाख रु० के ऋण के सम्बन्ध में 30 मार्च 1984 तक मूलधन तथा ब्याज की वचनबद्ध किश्तों के चुकाने में असमर्थता व्यक्त की (अप्रैल 1984) क्योंकि वायर ड्राईंग संयंत्र कन्दरोड़ी तथा मद्रास शीत भण्डारण अभी अपूर्ण पड़े थे। यद्यपि वायर ड्राईंग यूनिट ने मई 1983 में इकहरे आधार पर व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ कर दिया था और मद्रास स्थित शीत भंडारण अगस्त 1984 में 1,30.71 लाख रु० की लागत से निर्मित किया जा चुका था तथापि निगम द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया (जून 1985)। हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम ने ऋण के भुगतान में इस चूक को हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित (धारक कम्पनी) द्वारा इक्विटी के अविमोचन तथा ऋण की सहायता से राज्य में आयातित विद्युत स्प्रेयर की कम मांग और राज्य से बाहर उनके निपटारे के लिए बोर्डों के निदेशकों द्वारा असहमत होने से सम्बन्धित बताया (मार्च 1985)।

यह मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986)।

पंचायती राज विभाग

6.4. अनुदान एवं ऋण

6.4.1. वर्ष 1983–84 और 1984–85 के दौरान पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज निकायों को निम्नलिखित अनुदान दिए :—

अनुदान का स्वरूप	1983–84	1984–85
	(लाख रुपयों में)	
अर्जित अनुदान	9.98	13.37
शत प्रतिशत अनुदान	76.73	61.03
अंशदायी अनुदान	11.45	2.00
अनुरूप अनुदान	15.00	24.50
योग	1,13.16	1,00.90

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982–83 के प्रतिवेदन (सिविल) में निदेशक पंचायती राज द्वारा पंचायती समितियों के लेखापरीक्षा के बकायों तथा समितियां द्वारा परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों को न बनाये रखने के विषय में उल्लेख किया गया था। जून-जुलाई 1985 के दौरान पंचायती राज निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जांच करने से प्रकट हुआ कि ये अनियमिततायें अभी जारी थीं।

निम्नलिखित और बातें ध्यान में आई:—

(i) सहायता अनुदान नियमों में प्रावधान है कि अनुदानग्राही संस्थायें व्यय के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को निर्धारित प्रपत्रों में भेजेंगी। न तो अनुदान-ग्राही संस्थाओं ने ये प्रतिवेदन भेजे और न ही विभाग ने इन प्रतिवेदनों को मंगवाया जिसके परिणामस्वरूप विभाग व्यय की प्रगति से अनभिज्ञ रहा।

(ii) नियमानुसार जिला पंचायत अधिकारियों पर दायित्व है कि वे उनके द्वारा भुगतान किए गए अनुदानों को निर्धारित अवधि के भीतर खर्च किए जाने को सुनिश्चित करें और प्रयुक्तता अवधि की समाप्ति के दो मास के भीतर निर्धारित प्रोफार्मा में निदेशालय को प्रयुक्तता प्रमाणपत्रों को भेज दें। किन्तु यह देखा गया कि 1980–81 (0.20 लाख रु० के 2) 1981–82 (29.31 लाख रु० के लिए 21) 1982–83 (52.21 लाख रु० के 39) तथा 1983–84 (47.48 लाख रु० के 26) से सम्बन्धित 129.20 लाख रु० के 88 प्रमाणपत्र, अभी प्रतीक्षित थे (अप्रैल 1985)। निदेशालय ने सम्बन्धित अधिकारियों को केवल जून-जुलाई 1985 में उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया।

(iii) जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा को सलूनी ब्लाक के पंचायत सचिवों के वर्ष 1983-84 के वेतन के लिए 1.77 लाख रु० का अनुदान दिया गया। कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति सलूनी ने निदेशालय को सूचित किया (जून 1983–84) उसकी समिति के पंचायत सचिवों का वर्ष 1983–84 का वेतन केवल 1.39 लाख रु० था। इस प्रकार जिला पंचायत अधिकारी चम्बा को पंचायत समिति सलूनी से सम्बन्धित देय अनुदान का आवश्यकता से अधिक 0.38 लाख रु० का अतिरिक्त भुगतान किया गया। निदेशालय द्वारा समिति को इस प्रकार भुगतायी गई 0.38 लाख रु० की अधिक राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जून 1985)।

6.4.2. ऋण

मार्च 1983 के अन्त तक पंचायती राज निकायों से वसूली के लिए ऋण के 6.94 लाख रु० (मूलधन: 2.3. लाख रु० तथा ब्याज : 4.64 लाख रु०) बकाया थे। वर्ष 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान विभाग ने पंचायत राज निकायों को 3 प्रतिशत की दर से 2.50 लाख रु० के ऋण का और भुगतान किया जैसा कि नीचे वर्णित है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	राशि	उद्देश्य
1983–84	1.70	स्टाल तथा रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए।
1984–85	0.10	बगीचा लगाने के लिए
	0.70	स्टाल तथा रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए।
योग	2.50	

8 जिलों की पंचायती राज निकायों से वसूली के लिए मार्च 1985 के अन्त तक मूलधन के 1.50 लाख रु० तथा ब्याज के 4.19 लाख रु० अतिदेय थे। इसमें 0.02 लाख रु० मूलधन तथा 2.64 लाख रु० ब्याज के सम्मिलित थे जोकि वर्ष 1971–72 से 1975–76 के दौरान वसूली के लिए देय हो चुके थे। राज्य में अन्य चार जिलों के बारे में सूचना निदेशालय में प्रतीक्षित थी (जून 1985)।

सरकार ने दिसम्बर 1985 में बताया कि जिला पंचायत अधिकारियों को चूक-कर्ता पंचायतों से चालू वित्त वर्ष की अनुदान में वसूलियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

6.5. अनुदान

प्रस्तावनात्मक

कल्याण विभाग सामाजिक कल्याण संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, हिमाचल प्रदेश आदि को महिलाओं, विकलांग बच्चों तथा मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों और पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण हेतु संस्थाओं के स्थापन चालन एवं अनुरक्षण तथा अन्य सामाजिक उपायों जैसे नशाबन्दी आदि के लिये सहायता अनुदान संस्वीकृत करता है।

वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान विभाग द्वारा 81 संगठनों/संस्थाओं को कुल 285.24 लाख रुपये के अनुदान का भुगतान किया गया जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :—

वर्ष		संस्थाओं की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1980-81	..	14	39.68
1981-82	..	15	43.40
1982-83	..	14	50.98
1983-84	..	20	64.96
1984-85	..	18	86.32
योग	..	81	285.25

कल्याण निदेशक, हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई-अगस्त 1985) से निम्नलिखित बातें प्रकट हुईं :—

(i) अनुरूप अंशदान के बिना अनुदान का भुगतान

सहायता अनुदान नियमों में व्यवस्था है कि अनुदानग्राही को उसे अपने अनुदान के अनुरूप स्रोतों को बढ़ाना चाहिए और किसी योजना के लिये केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की कुल मात्रा किसी भी परिस्थिति में योजना के बजट से 90 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। किन्तु विशिष्ट परिस्थितियों में लिखित रूप से दर्ज कारणों में सरकार शतप्रतिशत अनुदान को केवल दो वर्षों की अवधि के लिये संस्वीकृत कर सकती थी। यह देखा गया कि वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान 26 संस्थाओं/संगठनों को 2,63.84 लाख रु० उनके द्वारा अनुरूप अंशदान बटोरे बिना अभ्यावेदित शतप्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में दिये गये। इसके परिणामस्वरूप 26.38 लाख रु० की राशि के अस्वीकार्य सहायता अनुदान का भुगतान हुआ। विभाग ने जुलाई 1985 में बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्वयंसेवी अभिकरण उनके द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं पर होने वाले व्यय में अंशदान करने की स्थिति में नहीं थी और वे सरकारी सहायता पर निर्भर थीं। आगे यह बताया गया कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जा रहा था।

सरकार ने उपरोक्त स्थिति की पुष्टि करते हुए दिसम्बर 1985 में बताया कि राज्य में स्वयंसेवी संगठनों के दयनीय वित्तीय स्रोतों को ध्यान में रखते हुए शत प्रतिशत अंशदान के लिए बाध्य नहीं किया गया था।

(ii) **अग्राह्य अनुदान का भुगतान**

सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड हिमाचल प्रदेश (बोर्ड) को मार्च 1983 में 8,600 रु० प्रति बालवाड़ी की दर से 40 बालवाड़ियां खोलने के लिये 3.44 लाख रु० संस्वीकृत किये गये किन्तु अनुदान ग्राही ने वर्ष 1983–84 के दौरान केवल 22 बालवाडियां ही चालू कीं जिसके लिये 1.89 लाख रु० का सहायता अनुदान ग्राह्य था। तथापि मार्च 1984 तथा जुलाई 1985 के बीच 9 और बालवाड़ियां खोली गईं परन्तु फिर भी 0.77 लाख रु० की राशि बोर्ड ने अपने पास रखी थी (अगस्त 1985)। और बोर्ड को फरवरी 1985 में फिर चालू बालवाड़ियों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखे बिना 40 बालवाड़ियों के अनुरक्षण के लिए 2 लाख रु का० भुगतान किया गया। जुलाई 1985 तक चालू हो जाने वाली बालवाड़ियों की संख्या के आधार पर भी 1.55 लाख रु० की राशि ग्राह्य थी परिणामस्वरूप 0.45 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ जो कि अभी लौटाना बाकी है (मार्च 1986)।

(iii) **त्रैमासिक प्रगति विवरणियां**

सहायता अनुदान नियमों में अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने का प्रावधान है जो तिमाही के अनुगामी मास की 20 तारीख तक कल्याण निदेशक के पास पहुंचना चाहिए। ये विवरणियां नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थीं। विभाग द्वारा इन प्रतिवेदनों को समय पर प्राप्त करने के लिये कोई पद्धति नहीं अपनाई गई थी।

सरकार ने दिसम्बर 1985 में बताया कि सभी स्वयंसेवी संगठनों से आग्रह किया गया कि सहायता अनुदान नियमों के अंतर्गत अपेक्षित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाये।

(iv) वर्ष 1979–80 से 1984–85 के दौरान टूटी कंडी (शिमला) बालाश्रम को चलाने के लिये 18.49 लाख रु० का सहायता अनुदान दिया गया। अनुदानग्राही के लेखाओं की लेखापरीक्षित विवरणियों की जांच से प्रकट हुआ कि इस अवधि के दौरान अध्यक्ष राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड हिमाचल प्रदेश के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के बिलों के भुगतान पर बालाश्रम के अनुदान में से 0.29 लाख रु० खर्च किये गये थे। यह अनियमित था क्योंकि बोर्ड को इस प्रयोजन के लिये पृथक सहायता अनुदान दिया गया था। विभाग द्वारा इस मामले की जांच नहीं की गई थी (अगस्त 1985)।

सरकार ने दिसम्बर 1985 में बताया कि राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड से मामले की पूछताछ की जा रही थी।

ग्रामीण विकास विभाग

6.6. अनुदान

6.6.1. वर्ष 1982–83 से 1984–85 क दौरान विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राज्य में 69 पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास विभाग ने कुल 1,02.48 लाख रु० के अनुदान का भुगतान किया जैसे कि नीचे तालिका में दिया गया है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1982–83	37.36
1983–84	28.91
1984–85	36.21
योग	102.48

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982–83 के प्रतिवेदन (सिविल) में पंचायत समितियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा विवरणियों की प्राप्त तथा गत अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों के बिना सहायता अनुदान के दोषपूर्ण रजिस्टर, अनुदान ग्राही से व्यय के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान की शर्तें पूरी की जा रही हैं तथा अनुदान का भुगतान निधियों की उपलब्धता के अनुसार हो रहा है, प्रतिवदनों/विवरणियों आदि को जारी करने के बारे में उल्लेख किया गया था। जुलाई 1985 में निदेशक ग्रामीण विकास विभाग (निदेशक आर.डी.डी.) के अभिलेखों की नमूना जांच करने से प्रकट हुआ कि ये अनियमिततायें अभी तक जारी थीं।

आगे निम्नलिखित बातें ध्यान में आईं :—

(i) परिसम्पत्ति रजिस्टर

संस्वीकृति प्राधिकारी के पास अनुदानग्राही संस्थाओं को सृजित अनुदानों में से उपार्जित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था और न ही उनसे कोई ऐसी सूचना मांगी गई थी।

(ii) सहायता अनुदानों की अप्राधिकृत संस्वीकृति

नियमों के अंतर्गत सहायता अनुदानों की संस्वीकृति की शक्ति कृषि उत्पादन आयुक्त में में निहित है। किन्तु ये शक्तियाँ केवल 10 मार्च 1980 से निदेशक ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई थीं। यह देखने में आया कि वर्ष 1979–80 के दौरान निदेशक ने ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों के अंतर्गत संस्वीकृत 19.27 लाख रु० की राशि का सहायता अनुदान दिया गया यद्यपि वह अपेक्षित संस्वीकृति के लिये सक्षम नहीं थे। इस संस्वीकृतियों को अभी नियमित किया जाना है (मार्च 1986)।

(iii) अप्रयुक्त सहायता अनुदान

दो समितियों (जुब्बल-कोटखाई तथा ठियोग) द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं हुआ और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1984–85 तक 3.17 लाख रु० का अव्ययित शेष (जुब्बल-कोटखाई : 1.37 लाख रु० तथा ठियोग : 1.80 लाख रु०) संचित हो चुका था। नियमों के विपरीत अनुदान ग्राही संस्थाओं द्वारा सहायता अनुदान का अव्ययित शेष लौटाया नहीं गया था और संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इसे लौटाने के लिए बाध्य किया गया था। निदेशक ग्रामीण विकास विभाग के पास बाकी 67 पंचायत समितियों से संबंधित स्थिति उपलब्ध नहीं थी (जुलाई 1985)।

6.6.2. अपूर्ण निर्माण कार्य

4 खंडों (पूह, छौहारा, कल्पा तथा निचार) में 28 निर्माण कार्य (अनुमानित लागत: 3.90 लाख रु०) जिन पर अप्रैल 1984 से अक्तूबर 1984 के दौरान 2.30 लाख रु० का

व्यय किया जा चुका था, अबभी तक अपूर्ण पड़े थे । इसी प्रकार जुब्बल-कोटखाई खंड के 11 निर्माण कार्य (अनुमानित मूल्य : 1.26 लाख रु०) अपूर्ण पड़े थे । दो निर्माण कार्य "डी डी पोंडल जल आपूर्ति योजना" तथा "डीम बस अड्डे से जुब्बल की सड़क को पक्का करना" क्रमश: वर्ष 1964–65 तथा 1966–67 के दौरान आरम्भ किये गय थे । विभाग के पास इन निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था । विभाग के पास इन सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि तथा उनको पूर्ण न होने के कारणों की कोई सूचना नहीं थी ।

यह मामला सरकार को अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1986) ।

सातवां अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक तथा व्यापारिक कार्यकलाप

प्रवर्ग क––सामान्य

7.1. यह अध्याय निम्नलिखित की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है :––

(i) सांविधिक निगम,

(ii) सरकारी कम्पनियां, और

(iii) विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रम ।

प्रवर्ग ख––सांविधिक निगम

7.2. 31 मार्च 1985 को 3 सांविधिक निगम अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम अस्तित्व में थे ।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1984–85 के प्रमाणित लेखे, लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र तथा उन पर प्रतिवेदन सहित विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(5) के अनुसार राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को भेजे गये थे (दिसम्बर 1985) ।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1984–85 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अनुसार राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को जनवरी 1986 में भेजा गया था ।

हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 1983-84 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अनुसार राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को जुलाई 1985 में भेजे गए थे ।

अन्तिम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर निगम के कार्यकलापों के परिणामों को दर्शाते हुए साररूप विवरण परिशिष्ट 7.1 में दिये गये हैं ।

7.3. **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड**

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5(i) के अधीन 1 सितम्बर 1971 को गठित किया गया था ।

7.3.1 पूंजी

बोर्ड की पूंजी की आवश्यकताओं की व्यवस्था सरकार, जनता, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋणों द्वारा की जाती है ।

31 मार्च 1985 के अन्त तक दीर्घावधि ऋणों का योग (राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों सहित) 2,88,54.82 लाख रु० था जो कि गत वर्ष की समाप्ति पर 2,27,98.73 लाख रु० के दीर्घकालिक ऋणों की तुलना में 60,56.09 लाख रु० की अथवा 26.56 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करते हैं । 31 मार्च 1985 को समाप्त गत दो वर्षों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋणों का ब्यौरा निम्नलिखित था :—

स्रोत	31 मार्च को बकाया राशि		वृद्धि की प्रतिशतता
	1984	1985	
	(लाख रुपयों में)		
राज्य सरकार	1,37,12.38	1,77,03.03	29.10
अन्य स्रोत—			
भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण सीमित	42,18.64	46,81.15	10.96
भारतीय जीवन बीमा निगम	6,99.21	7,48.89	7.11
बांड ऋण पत्र	36,77.00	44,00.00	19.66
सहकारी बैंकों से ऋण	4,91.50	8,41.50	71.21
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से बिल पुनर्छूट योजना के अन्तर्गत ऋण	..	4,80.25	100.00
योग	2,27,98.73	2,88,54.82	26.56

7.3.2 प्रत्याभूतियां

सरकार ने 1,50,79.45 लाख रु० की सीमा तक बोर्ड द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की वापसी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूतियां दे रखी थीं जिसमें से बोर्ड ने 1,10,26.31 लाख रु० के ऋण लिये थे । 31 मार्च 1985 को प्रत्याभूत मूलधन की बकाया राशि 1,05,39.70 लाख रु०* थी ।

31 मार्च 1985 को 7.31 लाख रु० की राशि प्रत्याभूत ऋण पर 1/2 प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति शुल्क के रूप में राज्य सरकार को देय थी ।

---

*इसमें 1,36.89 लाख रु० का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण का प्रत्याभूत ब्याज सम्मिलित है ।

7.3.3 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

(i) वित्तीय स्थिति---वर्ष 1984–85 तक के गत 3 वर्षों के अंत में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :--

	1982–83	1983–84	1984–85
		(लाख रुपयों में)	
दायित्व			
(क) सरकार से ऋण	1,15,62.38	1,37,12.38	1,77,03.03
(ख) अन्य दीर्घकालिक ऋण (बंधपत्र सहित)	75,16.29	90,86. 35	1,11,51.79
(ग) आरक्षित			
राज्य/केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता तथा उपदान	7,79.43	1 0,72.99	13,02. 53
उपभोक्ताओं से प्राप्त अंशदान (सर्विस लाइनों के, प्रति)	46.78	54.36	65.94
अन्य पूंजी प्राप्तियां	75.53	90.79	1,03.50
(घ) चालू दायित्व एवं प्रावधान	58,41,78	62,99,65	82,54.99
योग	2,58,22.19	3,03,16.52	3,85,80.88
परिसम्पत्तियां			
(क) सकल–अचल परिसम्पत्तियां	81,52.51	90,76.95	95,36.26
(ख) घटायें---मूल्य ह्रास	7,52.45	7,72.23	7,94.04
(ग) निवल अचल परिसम्पत्तियां	74,00.06	83,04.72	87,42.22
(घ) प्रगति में पूंजीगत कार्य	1,23,54.64	1,60, 80.05	2,16,94.00
(ङ) निवेश	5,60.44	6,54.88	8,37.56
(च) चालू परिसम्पत्ति	47,97.98	46,36.71	58,91.79
(छ) विविध व्यय	1,52.95	1,72.70	2,31.28
समुचित हानियां	5,56.12	4,67.46	11,84.03
योग	2,58,22.19	3,03,16.52	3,85,80.88
नियोजित पूंजी*	64,22.90	66,93.47	64,01.86

*नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियां (प्रगति पर कार्य पूंजी को छोड़ कर) जमा कार्यकारी पूंजी दर्शाती है।

(ii) कार्यचालन परिणाम--वर्ष 1984-85 तक गत तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम निम्न तालिका में सारांशित ह :—

	1982—83	1983—84	1984—85
		(लाख रुपयों में)	
(क) राजस्व प्राप्तियां	26,40.36	31,30.87	28,07.62
(ख) राजस्व व्यय	26,40.36	29,66.86	27,33. 63
(ग) सकल अधिशेष	..	1,64.01	73.99
(घ) सरकारी ऋण के अतिरिक्त अन्य ऋणों तथा बन्ध पत्रों पर ब्याज के लिये विनियोग	5,20.32	6,31.47	7,90.56**

(iii) तीन वर्षों के दौरान सरकारी ऋणों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित राजस्व व्यय के लिये पर्याप्त राजस्व प्राप्तियां न होने के कारण इन से सम्बन्धित निम्न व्यय जिसका सम्बन्धित वर्षों में प्रावधान नहीं किया गया था बोर्ड के लेखाओं में आकस्मिक दायित्व दिखाया गया था :—

अनुपबन्धित व्यय विवरण	1982—83	1983—84	1984—85	31 मार्च 1985 तक समुचित
		(लाख रुपयों में)		
वर्ष के लिये सरकारी ऋण पर ब्याज	8,54.09	10,26.26	13,30.06	71,26.37
वर्ष के लिये मूल्यह्रास	2,02.97	1,82.93	2,04.16	11,01.97
योग	10,57.06	12,09.19	15,34.22	82,28.34

**73.99 लाख रु० के उपलब्ध अधिशेष के समक्ष 7,90.56 लाख रु० का विनियोग ऋण तथा बंध पत्रों पर ब्याज के लिये किया गया जिसके फलस्वरूप पूंजीगत प्राप्तियों में से भुगतान (716.57 लाख रु०) हुआ । इस भुगतान का विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 67(2) के अंतर्गत राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन अपेक्षित था लेकिन ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया ।

7.3.4 परिचालन निष्पादन

(i) निम्नलिखित तालिका वर्ष 1984–85 तक के तीन वर्षों के लिए बोर्ड के परिचालन/निष्पादन को दर्शाती है :—

विवरण	1982–83	1983–84	1984–85
		(मैगावाट)	
1. प्रतिष्ठापित क्षमता—			
—जल	1,26.52	1,26.57	1,32.57
—डीजल	1.50	1.50	1.50
योग	1,28.02	1,28.07	1,34.07
2. सामान्य अधिकतम मांग	1,15.00	1,35.00	1,50.00
		(मैगा किलोवाट घंटे)	
3. उत्पादित विद्युत—			
—जल	5,40.42	5,86.70	4,88.79
—डीजल	0.04	0.04	0.05
योग	5,40.46	5,86.74	4,88.84
घटाएं—सहायक इकाइयों पर प्रयुक्त विद्युत	1.69	1.54	1.73
योग	5,38.77	5,85.20	4,87.11
4 अन्य अभिकरणों से खरीदी गई विद्युत	3,11.59	4,23.78	4,08.29
5(क) बिक्री के लिये उपलब्ध कुल विद्युत	8,50.36	10,08.98	8,95.40
(ख) घटाएं			
(i) रूपांतरण में हानियां	12.72	17.79	6.51
(ii) राज्य से बाहर बेची गई विद्युत (निवल)	3,63.22	4,09.05	2,17.28
6. राज्य में बिक्री के लिये उपलब्ध विद्युत	4,74.42	5,82.14	6,71.61
7. राज्य के भीतर बेची गई विद्युत	3,24.52	3,94.97	4,70.02
8. प्रेषण तथा वितरण में हानि (राज्य के भीतर बेची गई विद्युत पर)	1,49.90	1,87.17	2,01.59
9. रूपांतरण में हानि 5 (ख)(i) उपरोक्त	12.72	17.79	6.51
10. विद्युत की कुल हानि	1,62.62	2,04.96	2,08.10
11. विद्युत हानि की प्रतिशतता			
राज्य के भीतर बिक्री के लिये उपलब्ध सकल विद्युत के प्रति परेषण तथा वितरण में हानि	31.60	32.15	30.02
उत्पादित विद्युत के प्रति रूपांतरण में हानि	2.35	3.04	1.34

नीचे की तालिका में वर्ष 1984–85 तक के तीन वर्षों के बोर्ड के कार्य चालन के अन्य ब्यौरे दिये गये हैं ।

विवरण		1982–83	1983–84	1984–85
			(संख्या में)	
1. विद्युतीकृत गांव/कस्बा	..	12,794	13,666	14,614
2. विद्युतीकृत पम्प सैट/कुएं	..	2,080	2,218	2,324
3. नलकूपों/कृषि भार संयोजन के लिये प्राप्त बकाया आवेदन	..	145	477	539
4. उपस्टेशन	..	4,301	4,659	4,996
5. प्रेषण/वितरण/लाइनें	..		(किलो मीटर)	
उच्च/मध्यम विभव	..	11,656	12,187	13,098
कम विभव	..	22,934	25,144	27,557
6. सम्बद्ध भार	..	514	556	637
			(संख्या में)	
7. उपभोक्ता	..	5,31,392	5,93,871	6,44,315
8. कर्मचारी (संस्वीकृत)	..	18,904	21,478	23,348

निम्न तालिका 1984–85 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रति किलोवाट घंटा बेची गई विद्युत, राजस्व व्यय तथा लाभ/हानि का ब्यौरा दर्शाती है :—

		1982–83	1983–84	1984–85
			(मैगा किलोवाट घंटे)	
1. बिक्री हुए यूनिट				
(क) कृषि	..	9.18	11.98	17.64
(ख) उद्योग	..	1,56.52	2,07.05	2,65.63
(ग) वाणिज्यिक	..	40.45	45.51	43.43
(घ) घरेलू	..	80.54	92.48	1,00.89
(ङ) अन्य	..	4,01.05	4,47.00	2,59.71
जोड़	..	6,87.74	8,04.02	6,87.30
1. प्रति किलोवाट घंटा राजस्व* (पैसे)	..	38.39	38.94	40.85
2. प्रति किलोवाट घंटा व्यय (पैसे)	..	61.32	59.79	73.60
3. प्रति किलो वाट घंटा हानि (पैसे)		22.93	20.85	32.75

*. राजस्व प्रति किलोवाट घंटे' बिक्रीत को राज्य सरकार से उपदान को छोड़कर निकाला गया हैं ।

7.3.5. क्रय

7.3.5.1. प्रस्तावनात्मक

मुख्य क्रय अधिकारी की अध्यक्षता में भण्डार क्रय संगठन अप्रैल 1972 से भण्डारों के उपार्जन यथा सीमेण्ट, इस्पात वाहनों तथा मशीनरी , सभी आकारों के कण्डक्टरों तथा 33 के. वी. तक के सभी प्रकार के विद्युतीय उपकरणों, लेखन सामग्री, मुद्रण तथा अनुपयोगी सामग्री के निपटान का संचालन कर रहा है तथापि अतिरिक्त उच्च संस्थापित भार/उच्च संस्थापित भार लाइनों, 66 के. वी. तथा अधिक के उप-स्टेशनों के लिए विद्युतीय उपकरणों, सृजक तथा सम्बद्ध उपकरणों तथा परियोजना मशीनरी के उपार्जन का कार्य मुख्य अभियन्ता, सृजन तथा परेषण द्वारा संचालित किया जाता है। वैयक्तिक निविदा पूछताछ के 5 लाख रु० तक के क्रय हेतु निर्णय मुख्य क्रय अधिकारी द्वारा तथा सृजन एवं परेषण प्रखंड से सम्बद्ध समस्त आदेशों सहित 5 लाख रु० से 50 लाख रु० तक के क्रय हेतु निर्णय भण्डार क्रय समिति द्वारा लिये जाते हैं। 50 लाख रु० से अधिक के क्रय हेतु सम्पूर्ण बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

7.3.5.2. आवश्यकता निर्धारण

सामग्री की आवश्यकता का आयोजन और निर्धारण निम्नलिखित आधार सामग्री पर आधारित है :—

(i) किसी भी वर्ष की क्रय आयोजना कम से कम बारह महीने पहले तैयार की जाती है।

(ii) यह आयोजना क्षेत्र इकाइयों की अर्ध/वार्षिक मांगों पर आधारित होती है।

(iii) क्षेत्र इकाइयों की मांगें वर्ष के कार्य चालन कार्यक्रम तथा बजट आबंटन पर आधारित होती हैं।

(iv) मांगें आरक्षित स्टॉक सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाती हैं।

तदनुसार अपने नियन्त्रणाधीन क्षेत्र इकाइयों की आवश्यकताओं के समेकन के पश्चात् विभिन्न प्रखण्डों के मुख्य अभियन्ता क्रय संगठन को मांग पत्र भेजते हैं। निम्नांकित तालिका 31 मार्च 1985 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान भंडार क्रय संगठन द्वारा प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों (लेखन सामग्री तथा वर्दियों को छोड़कर), वास्तव में प्राप्त आपूर्तियों तथा आगामी वर्ष में ले जाई गई विगत शेष आपूर्तियों के मूल्य को इंगित करती है।

वर्ष	आपूर्ति आदेशों का मूल्य	वास्तव में प्राप्त आपूर्तियां	विगत शेष सहित आगामी वर्ष में ले जाई गई आपूर्तियां
		(लाख रुपयों में)	
1982–83	11,19.38	9,14.75	12,10.46
1983–84	7,38.58	6,07.89	13,41.05
1984–85	10,54.06	11,73.59	12,21.52

उपर्युक्त स्थिति स्पष्ट करती है कि वर्ष की वास्तविक आवश्यकता से उपार्जन अत्यधिक कम था ।

कन्डक्टरों तथा भण्डार की अन्य महत्वपूर्ण मदों के क्रय सम्बन्धी मामलों के नमूना परीक्षण (जून 1985) के दौरान ध्यान में आए महत्वपूर्ण तथ्य अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित हैं ।

7.3.5.3. ए० सी० एस० आर० तथा ए० ए० कण्डक्टरों का उपार्जन एवं उपयोग

7.3.5.3.1. कीमतों में अग्राह्य प्राथमिकता

यद्यपि हिमाचल प्रदेश की फर्म 'क' का प्रस्ताव राज्य के बाहर स्थित फर्मों से प्राप्त न्यूनतम दरों की तुलना में अधिक (199 रु० प्रति कि० मी०) था लेकिन फिर भी बोर्ड ने 4299 रु० प्रति कि०मी० की दर से 1000 कि०मी० एण्ट कण्डक्टर (ए०ए०सी० 7/3.10 मि०मि०) के क्रय हेतु फर्म 'क' को आदेश दिया (अक्तूबर 1980) । न्यूनतम निविदाकारों अर्थात् फर्म 'ख' तथा 'ग' द्वारा निवेदित दरों पर बोर्ड ने फर्म 'क' को 17½ प्रतिशत का मूल्य अधिमान दिया । तदनन्तर (दिसम्बर 1980 तथा फरवरी 1982) फर्म 'क' से क्रय हेतु संविदित मात्रा बढ़ाकर 1,875 कि०मी० कर दी गई ।

मुख्य क्रय अधिकारी ने फर्म 'क' के अनुरोध पर (नवम्बर 1981) कण्डक्टर की आपूर्ति की अनमति फर्म के व्यावसायिक सहयोगियों को दे दी जो कि प्रत्यक्षत: बोर्ड को बिल दे सकते थे । तदनुसार राज्य से बाहर की उन तीन अन्य फर्मों के माध्यम से 1,875 कि०मी० की कुल मात्रा में से 1,387 कि०मी० कण्डक्टर (मूल्य 67.58 लाख रु०) की आपूर्ति की व्यवस्था की गई जिन्होंने उपर्युक्त क्रय के लिए निविदाओं में भाग लिया था लेकिन इनके प्रस्ताव न्यूनतम होते हुए भी अस्वीकृत कर दिए गए थे क्योंकि फर्म 'क' को दए गए मूल्य अधिमान के परिणामस्वरूप इन फर्मों की दरें अधिक हो गई थीं ।

इस प्रकार राज्य से बाहर स्थित सहयोगी फर्मों को 2.76 लाख रु० के मूल्य अधिमान का भुगतान किया गया जिस पर उनका अधिकार नहीं था ।

7.3.5.3.2. जेब्रा कण्डक्टरों का क्रय

(i) अतिरिक्त व्यय

मुख्य अभियन्ता (सृजन एवं परेषण) द्वारा कण्डक्टर की विशिष्टिताओं को अन्तिमता प्रदान करने में बिलम्ब के कारण सुंगरा से मोहाली तक की 220 के०वी० वाली परेषण लाइन के लिए 1,100 कि०मी० जेब्रा कण्डक्टर के उपार्जन हेतु मार्च 1984 में मांगी गई निविदाएं 5 मास के विलम्ब (खोलने की मूल तिथि: 29 मई 1984) के पश्चात् अगस्त 1984 में खोली गई थीं । फर्म 'क' (किसी अन्य राज्य का एक सरकारी उपक्रम) सहित पांच फर्मों के न्यूनतम प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत (अगस्त 1984) किए गए थे कि (i) मशीनरी की सूची नहीं भेजी गई थी, (ii) 100 कि०मी० कण्डक्टरों की आवश्यकता आदेश देने के तत्काल पश्चात् थी परन्तु सुपुर्दगी अवधि 4/6 सप्ताह के अन्दर थी तथा (iii) प्रेषण के सबूत के प्रति बैंक

के माध्यम से 100 प्रतिशत भुगतान छठी न्यूनतम फर्म 'ख' (स्थानीय फर्म) जिसकी दरें फर्म 'क' की तुलना में 71.74 लाख रु० ज्यादा थीं को 5,49.10 लाख रु० के आदेश प्रस्तुत किये गये (अक्तूबर 1984)।

यह भी पाया गया कि फर्म 'क' के प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात् इस फर्म से मशीनरी की सूची नहीं मांगी गई थी। कण्डक्टरों की तत्काल आवश्यकता के आधार पर प्रस्ताव की अस्वीकृति भी इसी तथ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं बैठती क्यों कि वह मीनार लाइन भी अभी तक (नवम्बर 1985) खड़ी नहीं की गई थी जिस पर इस कण्डक्टर का प्रयोग किया जाना था तथा कन्डक्टर अप्रयुक्त पड़ा था।

इस प्रकार फर्म 'क' के प्रस्ताव की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप 71.74 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) आपूर्तिकर्ता का अनुचित पक्षपात

पूछताछ के अनुसार रेल तक निःशुल्क परेषिती भण्डार के आधार पर जेब्रा कण्डक्टर की दरें मांगी गई थीं जबकि राज्य से बाहर स्थित फर्मों (8 फर्मों) ने अपने निकटस्थ रेल वे स्टेशनों तक निःशुल्कता के आधार पर दरें निवेदित की थीं तथा राज्य में ही स्थित एक फर्म ने रेल तक निःशुल्क पूरे भण्डार के आधार पर सामग्री की पेशकश की थी। औसत तुलनात्मक दरों को निकालने के लिए फर्मों के निकटस्थ रेलवे स्टेशनों से परेषिति भण्डार तक ढुलान हेतु खर्च बाहरी फर्मों की दरों में 5 प्रतिशत (2142 रु० से 2565 रु०) और जोड़ दिया गया था। लेखा-परीक्षण (जुलाई 1985) के दौरान यह पाया गया कि आपूर्ति आदेश में कारखानों से परेषिती के भण्डारों तक स्थानीय फर्म को 600 रु० प्रति कि० मी० की ढुलाई दर की अनुमति दी गई थी जो कण्डक्टर की प्रति कि. मी. दर का 1.22 प्रतिशत थी। ढुलाई के लिए निवेदित दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि के फलस्वरूप स्थानीय फर्म को 16.97 लाख रु० का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(iii) कीमत की विभिन्नता के कारण अनियमित भुगतान

कण्डक्टर के आपूर्तिकर्ताओं को इस्पात अवयवों पर कीमत की विभिन्नताओं की अनुमति देने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार आदेश देते समय विद्यमान 6 मि० मी० एच०सी० इस्पात छड़ी के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण की दरों को आधार मूल्य माना जाना था। पुनः यह नियत था कि कीमत की विभिन्नताओं के लिए सामग्री के निरीक्षणार्थ प्रस्ताव की तिथि से 30 दिन पूर्व व्याप्त एच०सी० इस्पात छड़ी के आधार मूल्य को विचारणीय समझा जाये।

वर्तमान मामले में आपूर्तिकर्ताओं ने 120 कि०मी० कण्डक्टर निरीक्षण हेतु 29 सितम्बर द1984 को प्रस्तुत किया तथा एच०सी० इस्पात छड़ों (8 मि०मी० से कम) की कीमतों में जून 1984 के पश्चात् कोई विभिन्नता नहीं थी। तथापि लेखा परीक्षण (जून 1985) के दौरान यह ध्यान में आया कि मुख्य क्रय अधिकारी ने फर्म के अनुरोध पर भण्डार क्रय समिति के

अनुमोदन के बिना ही एक संशोधन द्वारा (फरवरी 1985) इस्पात छड़ियों के बदले में इस्पात तारों की दरों को प्रतिस्थापित करके कीमत की विभिन्नता के आधार को ही बदल दिया। फर्म का अनुरोध इस तथ्य पर आधारित था कि क्रय आदेश में निहित कीमत विभिन्नता फार्मूला फर्म के प्रस्ताव के अनुरूप नहीं था।

फर्म ने इस्पात की तारों की लागत में वृद्धि के आधार पर अक्तूबर 1984 के दौरान आपूर्ति किए गए 120 किलोमीटर कण्डक्टरों पर 0.86 लाख रु० की कीमत विभिन्नता का दावा (मार्च—अप्रैल 1985) किया हालांकि सामग्री के निरीक्षणार्थ (आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार) प्रस्ताव की तिथि 30 दिन पूर्व ऐसा अन्तर विद्यमान नहीं था तथा इस प्रकार भुगतान अनियमित था।

(iv) उपर्युक्त आपूर्ति आदेश के प्रति बोर्ड ने 1,11.59 लाख रु० मूल्य का 224.316 कि० मी० कण्डक्टर प्राप्त (अक्तूबर 1984 से मार्च 1985 तक) किया।

इस कण्डक्टर को 220 किलो वोल्ट की परेषण लाइन पर प्रयुक्त किया जाना है। परेषण लाइन के लिए मीनार खड़ी करने का कार्य प्रगतिरत था तथा नवम्बर 1985 तक केवल 25 प्रतिशत कार्य निष्पादित किया गया था। कण्डक्टर का समस्त स्टॉक (1,11.59 लाख रु० के मूल्य का 224 कि० मी० कण्डक्टर) अब तक (नवम्बर 1985) अप्रयुक्त पड़ा था। इस प्रकार आवश्यकता प्रत्याशा में यह क्रय औचित्यपूर्ण नहीं था।

7.3.5.3.3. अतिरिक्त व्यय

(i) 2,000 कि० मी० के ए० ए० 'ऐण्ट' कण्डक्टर (7/3.10 मि० मी०) के उपार्जन हेतु तीन फर्मों को तीन आपूर्ति आदेश दिए गए थे जैसे कि निम्नांकित है :—

क्रमांक	फर्म का नाम	मात्रा	प्रति कि० मी० दर
1.	'क'	500 कि० मी०	प्रथम 400 कि० मी० के लिए 3,600 रु० प्रति कि० मी० तथा शेष के लिए 3,650 रु०।
2.	'ख'	500 कि० मी०	प्रथम 300 कि० मी० के लिए 3,259 रु० प्रति कि० मी० तथा शेष हेतु 3,649 रु०।
3.	'ग'	1,000 कि० मी०	4,299 रु० प्रति कि० मी०

फर्म 'ग' को दिए गए आदेश की मात्रा बढ़ाकर दिसम्बर 1980 में 1,500 कि० मी० तथा फरवरी 1982 में 1,875 कि० मी० कर दी गई। 27 मार्च 1981 से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ाई गई मात्रा (875 कि० मी०) की दर भी बढ़ाकर 4,830.23 रु० प्रति कि० मी० कर दी गई। कीमतों में वृद्धि की अनुमति देकर अन्य दो फर्में 'क' तथा 'ख' की दरें संशोधित करके क्रमश: 4,144.88 रु० तथा 4,126.44 रु० कर दी गई थी।

फर्म 'ग' की दरों (कीमत में वृद्धि को विचार में रखने के पश्चात्) की तुलना में यदि न्यून दरों वाली फर्म 'क' तथा 'ख' से 875 कि० मी० की बढ़ी हुई मात्रा खरीदी जाती तो बोर्ड 6.09 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय का परिहार कर सकता था।

(ii) बोर्ड ने 800 कि० मी० हेयर कण्डक्टरों तथा 750 कि० मी० वीजल कण्डक्टरों के क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की (मई 1982)। हेयर तथा वीजल कण्डक्टरों के लिए क्रमशः तृतीय एवं द्वितीय न्यूनतम फर्म 'क' के प्रस्ताव को अस्वीकृत (नवम्बर 1982) कर दिया था क्योंकि फर्म ने न तो बोर्ड का कीमत विभिन्नता सूत्र स्वीकार किया था और न ही निरीक्षण न हटाए जाने तक कण्डक्टरों पर आई० एस० आई० चिह्नांकन हेतु सहमति प्रकट की। तदनुसार बोर्ड ने 8,990 रु० प्रति कि० मी० की दर पर हेयर कण्डक्टरों तथा 2,799.90 रु० प्रति कि० मी० की दर पर वीजल कण्डक्टरों की आपूर्ति हेतु तीन फर्मों 'ख', 'ग' तथा 'घ' को क्रय आदेश प्रस्तुत किया (नवम्बर 1982)।

हेयर तथा वीजल कण्डक्टरों की आदेशित मात्रा तदुपरांत (फरवरी 1983) क्रमशः 200 कि० मी० तथा 179 कि० मी० बढ़ा दी गई।

लेखा परीक्षण (मई 1985) के दौरान यह ध्यान में आया कि उपयुक्त फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए हेयर कण्डक्टरों पर आई० एस० आई० चिह्नांकन नहीं था और इन तीन फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए 1,550 कि० मी० में से 725.268 कि० मी० पर बोर्ड ने सामग्री के निरीक्षण की शर्त भी हटा दी। इसके अतिरिक्त इन फर्मों ने न तो बोर्ड के कीमत विभिन्नता सूत्र को स्वीकार किया और न ही उपर्युक्त फर्मों से ऐसा कोई अनुबन्ध किया जोकि क्रय निर्देशों में निहित था।

ये आपूर्तियां इन फर्मों से उन्हीं शर्तों एवं दशाओं पर प्राप्त की गईं जिन पर फर्म 'क' ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रकार फर्म 'क' के न्यूनतम प्रस्ताव को अस्वीकृत करके बोर्ड को 1.52 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

7.3.5.3.4. अतिरिक्त व्यय

वर्ष 1981–82 की आवश्यकताओं के प्रति ए० सी० एस० आर० कण्डक्टरों के क्रय हेतु दिसम्बर 1980 में निविदाएं मांगी गई थीं। निविदा पूछताछ की प्रतिक्रियास्वरूप 3 स्थानीय फर्मों सहित 31 फर्मों ने अपनी दरें प्रस्तुत की। सभी श्रेणियों के कण्डक्टरों के लिये फर्म 'क' द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरों को विचारार्थ नहीं लिया गया क्योंकि फर्म के पास आई० एस० आई० प्रमाणपत्रीय चिह्न नहीं था।

यद्यपि फर्मों के पास आई० एस० आई० प्रमाणपत्रीय चिह्न नहीं था लेकिन फिर भी 4 प्रतिशत के मूल्य अधिमान की अनुमति देने के पश्चात् 2,099.54 रु० प्रति कि० मी० की दर से 1,000 कि० मी० गोफर कण्डक्टरों के क्रय हेतु भण्डार क्रय समिति की सिफारिशों (मार्च 1981) पर बोर्ड ने इन तीनों ही स्थानीय फर्मों को आदेश दिये (अप्रैल 1981)। तदनन्तर एल्युमिनियम की कीमत में वृद्धि के कारण दरें संशोधित (जुलाई

1981) करके 2,539.55 रु० प्रति कि० मी० कर दी गई । फर्म 'क' के न्यूनतम प्रस्ताव (2,353.15 रु० प्रति कि० मी०) को ठुकरा कर 2,539.55 रु० प्रति कि० मी० की उच्च दर पर आई० एस० आई० प्रमाणपत्रीय चिह्न के बिना 1,003.037 कि० मी० कण्डक्टर के उपार्जन पर 1.82 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ ।

7.3.5.3.5 परिहार्य व्यय

(1) माल की खरीद के लिए शर्तों के अनुसार बोर्ड ने माल की मात्रा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के अधिकार को सुरक्षित रखा । तदनुसार बोर्ड ने 'क', 'ख' तथा 'ग' फर्मों को प्रति कि० मी० क्रमश: 2,190.32 रु० (नैट), 2,083.91 रु० (स्क्विरॅल) तथा 2,542.73 रु० (गोफर) के 1,625 कि० मी० कण्डक्टरों (जो अप्रैल व जुलाई 1981 में प्रस्तुत किये गये आदेशों की 25 प्रतिशत की मात्रा थी) को खरीदने के आशय के पत्र जारी किये।

तदनन्तर बोर्ड ने वर्ष 1982-83 के लिए कण्डक्टर (4,423 कि० मी०) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निविदाएं मांगी (फरवरी 1982) जिन्हें अप्रैल 1982 में खोला गया। इन्हीं तीन फर्मों को प्रति कि० मी० क्रमश: 1,833.55 रु० (नैट), 1,940.21 रु० (स्क्विरॅल) तथा 2,225 (गोफर) प्रति कि० मी० के 9,987 कि० मी० कण्डक्टरों की आपूर्ति के तीन आदेश प्रस्तुत किये (जून 1982)।

किन्तु बोर्ड ने आशय पत्रों के प्रत्युत्तर में 1,625 कि० मी० कण्डक्टरों की अतिरिक्त मात्रा के लिये तीन विस्तृत आपूर्ति आदेश जारी किये गये (मई, जून व जुलाई 1982)। यदि बोर्ड ने आशय पत्रों को रद्द कर दिया होता तथा अतिरिक्त मात्रा के आपूर्ति आदेशों को समेकित कर दिया होता तो 4.22 लाख रु० (उच्च दरों पर खरीदे गए 1,625 कि० मी०) के अतिरिक्त व्यय का परिहार किया जा सकता था।

(ii) निविदा जांच (जुलाई 1980) के प्रत्युत्तर में सोलन स्थित एक फर्म ने 1,000 कि० मी० तक 4,299 रु० प्रति कि० मी० से ए० ए० (7/3.10 एम० एम०) एण्ट कण्डक्टर की आपूर्ति करने हेतु प्रस्ताव किया । फर्म ने आगे सूचित किया (अक्तूबर 1980) कि यदि बोर्ड उनके द्वारा बताई गई दर पर खरीद में रुचि रखता हो तो वे और 500 कि० मी० कण्डक्टर फरवरी 1981 तक आपूर्ति कर सकेंगे । यह प्रस्ताव 10 नवम्बर 1980 तक मान्य था जिसे 30 नवम्बर 1980 तक और आगे बढ़ा दिया गया। फर्म को 4,299 रु० प्रति कि० मी० पर 1,000 कि० मी० कण्डक्टरों की आपूर्ति हेतु एक आदेश प्रस्तुत किया गया (अक्तूबर 1980)। आदेशित मात्रा को 1500 कि० मी० बढ़ा दिया गया (दिसम्बर 1981) और फर्म को 4,830.30 रु० प्रति कि० मी० की संशोधित दर से बढ़ी हुई मात्रा को आपूर्ति करने को कहा गया । यदि बोर्ड ने फर्म के प्रति प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पहली ही बार 1,500 कि० मी० के लिये आपूर्ति आदेश दिया होता तो 2.67 लाख रु० के अतिरिक्त व्यय का परिहार हो गया होता ।

7.3.5.3.6. अधिक भुगतान

विभिन्न प्रकार के ए० ए० तथा ए० सी० एस० आर० कण्डक्टरों की खरीद हेतु निविदा जांच सं० 4/82 (फरवरी 1982) में सुपुर्दगी रेलवे शीर्ष की बजाय परेषिती भण्डारों (द्वार तक सुपुर्दगी) में सुपुर्दगी के कारण 1.5 प्रतिशत के अंश को न्यूनतम औसत दर में जोड़ने के पश्चात् तीन स्थानीय फर्मों को खरीद आदेश प्रस्तुत किये गये थे (जून 1982) जैसा कि नीचे दिया गया है :—

फर्म का नाम	आदेश नं० व तिथि	मात्रा कि० मी० में		लाख रुपयों में
'क'	22001/1–II–23	नैट	3166	61.43
	13186–210 तिथि	स्क्वरॅल	1808	33.15
	15–6–1982	गोफर	385	8.57
				103.15
'ख'	तदैव 13211–30	नैट	1527	29.63
	दिनांक 15–6–1982	स्क्वरॅल	872	15.96
		गोफर	185	4.14
				49.73
'ग'	तदैव 13024-36			
	दिनांक 14–6–1982	नैट	1266	24.56
		स्क्वरॅल	723	13.26
		गोफर	154	3.43
				41.25

'क' व 'ख' फर्मों के अनुरोध पर (अगस्त 1982) कि वे अपने प्रस्ताव (अप्रैल 1982) की शर्तों के अनुसार माल की आपूर्ति रेल से करेंगे, बोर्ड ने आवश्यक संशोधन जारी किया (अक्तूबर 1982) तथा किराया प्रभारों में संशोधन किये बिना फर्मों को रेल से माल भेजने की अनुमति दी ।

6,943 कि०मी० आदेशित मात्रा के प्रति 'क' व 'ख' फर्मों ने 47.40 लाख रु० मूल्य के विभिन्न प्रकार के 2,425 कि० मी० कण्डक्टर रेल द्वारा प्रेषित किये किन्तु उन पर परेषिती भण्डारों तक बाद में होने वाला व्यय (0.71 लाख रु०) जो कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिया जाना था, बोर्ड द्वारा भुगताया गया । आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावों की शर्तों के विरुद्ध परेषिती भण्डारों तक खर्चों को पूरा करने के लिए फर्मों

द्वारा उद्धृत दरों पर 1.5 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को 0.71 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ ।

आपूर्तिकर्ताओं से इस प्रकार किये गये अधिक भुगतान की राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई (नवम्बर 1985)। सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि ऐसे प्रभार रेल के माध्यम से होने वाली आपूर्तियों पर उद्ग्राह्य होते हैं। इस दृष्टि से यह तर्क मान्य नहीं है कि इस प्रकार के प्रभारों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पहले ही प्रस्तावित रेल पर्यन्त निःशुल्क दरों में शामिल कर दिया गया था जब कि आपूर्तियां भी रेल शीर्ष पर ही प्राप्त हुई थीं।

7.3.5.4. अन्य क्रय

7.3.5.4.1. परिहार्य व्यय

(i) तीन परेषण लाइनों (2 लाइनें 132 के०वी० की तथा एक लाइन 66 के०वी० की) के सम्बन्ध में नटों व बोल्टों सहित इस्पात ढांचों (अनुमानित लागत 150 लाख रु०) की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं (अक्तूबर 1982) जिसमें नौ फर्मों ने दरें प्रस्तावित की थीं। फर्म 'क' की 6,500 रु० प्रति टन की न्यूनतम दर को अवास्तविक माना गया क्योंकि ऐसा सोचा गया कि फर्म दर्शाई गई दरों पर माल की आपूर्ति नहीं कर सकेगी। फर्म 'ख' का 7,394 रु० प्रति टन (दूसरी न्यूनतम) तथा फर्म 'ग' का 9,365 रु० प्रति टन (तीसरी न्यूनतम) का प्रस्ताव उपयुक्त मान लिया तथा इनकी स्वीकृति की सिफारिश मुख्य अभियन्ता, उत्पादन व परेषण को की गई।

विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करते समय भण्डार क्रय समिति ने फर्म 'ग' के प्रस्ताव को अनुमोदित किया (जनवरी 1982) और दूसरे न्यूनतम प्रस्ताव को फर्म 'ख' के पूर्व निष्पादन के सन्तोषजनक न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया। तदनुसार तीन 132 के०वी० परेषण लाइनों (एक और लाइन सहित जो कि निविदा जांच का भाग नहीं थी) के लिए 1,42.12 लाख रु० मूल्य के नटों व बोल्टों सहित टावर ढांचों की खरीद हेतु फर्म 'ग' को आदेश भेजा गया। लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जून 1985) कि फर्म 'ख' के दूसरे न्यूनतम प्रस्ताव को असन्तोषजनक निष्पादन के आधार पर अस्वीकृत किया जाये, तर्क संगत नहीं था क्योंकि फर्म ने बोर्ड की आवश्यकतानुसार टावर ढांचों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मात्रा सहित माल आपूरित किया था (अगस्त 1982 से मई 1984)। इस के अतिरिक्त भण्डार क्रय समिति द्वारा फर्म 'ग' के प्रस्ताव को स्वीकार करना समिति को प्रदत्त शक्तियों के बाहर था। एक करोड़ रु० से ऊपर के प्रस्ताव को पूरे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार फर्म 'ख' के दूसरे न्यूनतम प्रस्ताव को नजर अन्दाज करके बोर्ड को 17.64 लाख रु० का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

आगे फर्म 'ख' की दूसरी न्यूनतम दरें प्रेषिती भण्डारों के गन्तव्य स्थान तक रेल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर थी जबकि फर्म 'ग' की दरें जिसको आदेश प्रस्तुत किया गया था, शिमला तथा कालका रेलवे स्टेशन तक रेल पर्यन्त निःशुल्कता के आधार पर थीं। न्यूनतम निविदाकार फर्म 'ख' द्वारा प्रस्तावित प्रेषिती भण्डारों के गन्तव्य स्थानों तक रेल पर्यन्त निःशुल्क की बजाय रेलवे स्टेशन तक रेल पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर फर्म 'ग' के प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अतिरिक्त किराया प्रभारों तथा ढुलाई (रेलवे स्टेशन से प्रेषिती भण्डारों तक) के कारण 1.62 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ii) 66 के० वी० आन्ध्रा कुमारसैन (नोगली) इकहरी सर्कट परेषण लाइन सहित तीन प्रेषण लाइनों के लिए नटों व बोल्टों के साथ इस्पात टावर ढांचों के डिजाइन बनाने, निर्माण, जस्तेदार बनाने, परीक्षण तथा आपूर्ति करने हेतु निविदाएं मांगी गई थी (अक्तूबर 1982) तथा उसके उत्तर में नौ फर्मों ने अपने प्रस्ताव भेजे। यद्यपि फर्म 'क' का प्रस्ताव तकनीकी तथा आर्थिक आधार पर उचित था लेकिन फिर भी भण्डार क्रय समिति ने निर्देश दिया (जनवरी 1984) कि नई निविदाएं आमन्त्रित की जाएं। निविदाओं को पुनः मांगने पर प्राप्त प्रस्तावों पर भी विचार नहीं किया गया और पांच निर्दिष्ट फर्मों से जिन्हें निविदा दस्तावेज भेजे गये थे (मई 1984), सीमित निविदाएं मांगने का निर्णय लिया गया। केवल एक फर्म 'ख' ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि स्वीकार किया गया और एक आपूर्ति आदेश (मूल्यः 92.89 लाख रु०) पूर्ण बोर्ड के अनुमोदन के बिना ही प्रस्तुत किया गया (दिसम्बर 1984)।

यदि प्रथम निविदा पूछताछ के प्रति प्राप्त फर्म 'क' का प्रस्ताव स्वीकार किया गया होता (जनवरी 1984) तो बोर्ड के 19.71 लाख रु० तक के अतिरिक्त व्यय का परिहार हो सकता था।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि आपूर्तियां सम्बद्ध निर्माण कार्यों के लिये अपेक्षित थीं और इसलिए खुली प्रैस निविदाओं को आमन्त्रित करने में परिहार्य बिलम्ब को टालने के लिए फर्म का इकहरा प्रस्ताव स्वीकार किया गया (मई 1984) तथापि यह तथ्य कोई मतलब ही नहीं रखता क्योंकि आपूर्ति आदेश सात महीने (दिसम्बर 1984) के पश्चात् ही प्रस्तुत किया गया था।

(iii) वर्ष 1982–83 की आवश्यकता के प्रति जी०ओ० स्विचों तथा विभिन्न प्रकार के आइसोलेटरों के उपार्जन हेतु दिल्ली स्थित फर्म 'क' को 17.92 लाख रु० मूल्य का एक क्रय आदेश (अगस्त 1982) प्रस्तुत किया था।

लेखा परीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि 11 के०वी० स्विचों के लिये जालन्धर शहर की फर्म 'ख' जोकि बोर्ड के साथ पंजीकृत थी, के न्यूनतम प्रस्ताव पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि इसने बयाना जमा नहीं करवाया।

'ख' द्वारा बयाना जमा करवाना अपेक्षित नहीं था क्योंकि इसने पंजीकरण के समय सभी शर्तें पूरी कर दी थीं। इस प्रकार फर्म 'क' को उच्च दरों पर आदेश प्रस्तुत करके बोर्ड ने 0.49 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय किया।

(iv) आइसोलेटरों के सम्बन्ध में पहली तीन न्यूनतम फर्मों को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उन्होंने 'फेज' केन्द्र से 1400 मि०मी० के बजाय 1200 मि०मी० या अधिक दूरी रखने वाले आइसोलेटर प्रस्तावित किये थे। किन्तु यह ध्यान में आया कि निविदा विनिर्देशों के अनुसार आई०एस०आई० 1818/1972 वाले आइसोलेटर अपेक्षित थे और ऐसा विशेष उल्लेख नहीं था कि 1400 मि०मी० 'फेज' दूरी उल्लिखित है। फर्म 'क' जिसे क्रय आदेश प्रस्तुत किया गया, ने 'फेज' दूरी के बारे में प्रस्ताव में स्पष्टतया उल्लेख नहीं किया था जबकि फर्म 'ग' ने 'फेज' केन्द्रों से 1200 मि०मी० या अधिक दूरी वाले आइसोलेटरों का प्रस्ताव किया था। फर्म 'क' को प्राथमिकता इस आधार पर दी गई कि इसने इसी प्रकार की विशिष्टताओं वाला उपकरण सन्तोषजनक निष्पादन सहित आपूरित किया है जबकि फर्म 'ग' का प्रस्ताव जिसने अपनी दर को विनिर्देशों के अनुसार उद्धृत किया था, अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार फर्म 'ग' के प्रस्ताव पर विचार न करके जिसकी दरें निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार थीं, बोर्ड को न्यूनतम दर की अपेक्षा के कारण 3.92 लाख रु० का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

7.3.5.4.2. अतिरिक्त व्यय

भण्डार क्रय समिति ने अपनी 5 फरवरी 1982 की बैठक में 10,000 पिन इनस्यूलेटरों की उपार्जन योजना का अनुमोदन किया जिसमें से 6,000 का उपार्जन 31 मार्च 1982 से पहले तथा शेष 4,000 का अप्रैल 1982 तक किया जाना था। यह माल कांगड़ा जिले के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित था।

तदनुसार 10,000 पिन इन्स्युलेटरों की खरीद हेतु निविदा जांच 11 फरवरी 1982 को जारी की गई जो कि 30 मार्च 1982 को खोली जानी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 17 अप्रैल 1982 कर दिया गया। रांची की फर्म 'क' ने बोर्ड को सूचित किया (फरवरी 1982) कि वे स्टॉक में से 11 के० वी० वाले 6,000 पिन इन्स्युलेटरों की आपूर्ति 22.46 रु० की दर पर (उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर सहित) कर सकेंगे। फर्म 'क' को 6,000 पिन इन्स्यूलेटरों के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया गया (मार्च 1982)।

17 अप्रैल 1982 को खोली गई निविदाओं में सोलह फर्मों ने अपनी दरें प्रस्तावित की जोकि 17 जुलाई 1982 तक मान्य थीं लेकिन शेष 4,000 इन्स्यूलेटरों का क्रय मामला वैध अवधि जिसे 31 अगस्त 1982 तक बढ़ा दिया गया था, तक निर्णीत नहीं किया जा सका। वैध अवधि को बढ़ाने के समय एक फर्म 'ख' ने अपनी दरें प्रति इन्स्यूलेटर 15 रु० से घटाकर 11.40 रु० (उत्पाद शुल्क एवं

केन्द्रीय बिक्री, कर सहित) कर दी (जुलाई 1982)। फर्म की घटी दरों के प्रस्ताव पर न तो विचार किया गया और न ही इसे भण्डार क्रय समिति के ध्यान में लाया गया और फर्म 'ग' को 15.17 रु० प्रति इन्स्यूलेटर के हिसाब से (उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय बिक्री कर सहित) 4,000 इन्स्यूलेटरों के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 1982)।

किन्तु यह ध्यान में आया कि फर्म 'क' को 6,000 इन्स्यूलेटरों के लिए प्रस्तुत किये गये पहले आदेश के प्रति आपूर्ति परेषिती द्वारा जुलाई 1982 के पश्चात् प्राप्त हुई। इस प्रकार अनामन्त्रित अकेले प्रस्ताव पर आदेश प्रस्तुत करके और निविदा में भी न्यूनतम दरों की उपेक्षा करके बोर्ड को 0.81 लाख रु० (0.66 लाख रु० + 0.15 लाख रु०) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि फर्म ने लगभग तीन महीनों की अवधि में अपनी दरें लगभग दो तिहाई घटा दी थीं और इसे यथार्थवादी नहीं पाया गया क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि फर्म अपेक्षित स्तर और विनिर्दिष्ट माल की आपूर्ति कर सकेगी।

7.3.6. अतिरिक्त व्यय

अप्रैल 1982 में कुमार हाउस के ब्लाक II में एक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु साधारण इमारती लकड़ी द्वारा सेंट्रिंग, शटरिंग, शटिंग तथा प्रोपिंग आदि सहित रूपमूलक कार्य करने का एक ठेकेदार के साथ अनुबन्ध किया गया। चूंकि इमारती लकड़ी का रूपमूलक कार्य भद्दा रहना था, इसलिए अनावृत्त सतह को सीमेंट प्लस्तर के साथ "सीमेंट रोड़ी का सामान्य परिष्कृत प्रबलन कार्य" करने का भी अनुबन्ध में प्रावधान किया गया था जिसके लिए ठेकेदार को 19 रु० प्रति वर्ग मीटर की दर की अनुमति दी गई थी।

जब कार्य प्रगति में था तो अनावृत्त सतह को सुसज्जित करने के लिए विद्यमान "काष्ठ रूपमूलक कार्य" के स्थान पर इस्पात शीट (दरें प्रति वर्ग मीटर 35 रु० से 100 रु० की सीमा में) को आवृत्त करने का निर्णय लिया गया जिसकी दरें काष्ठ रूपमूलक कार्य की दरों की अपेक्षा अधिक थीं। चूंकि ठेकेदार को सामान्य सुसज्जा कार्य 19 रु० प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पहले ही सौंपा जा चुका था, अतः बोर्ड द्वारा विद्यमान काष्ठ रूपमूलक कार्य को उच्च दरों पर इस्पात शीटों के आवरण में बदलने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप 0.88 लाख रु० का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार द्वारा यह बताया गया (अक्तूबर 1985) कि रूपमूलक कार्य में साधारण इमारती लकड़ी के बदले इस्पात शीटों का रूपान्तरण अच्छी श्रेणी की कंकरीट और साथ ही साथ अनावृत्त परिष्कृत सीमेंट रोड़ी सतह की अच्छी सुसज्जा को प्राप्त करने

के लिए किया गया था। किन्तु इसका कोई औचित्य नहीं होता जबकि अनावृत्त सतह पर सामान्य सुसज्जा का कार्य अनुबन्ध में पहले ही दिया जा चुका था और ठेकेदार द्वारा रूपान्तरण के पश्चात् निष्पादित किया जा चुका था तथापि रोड़ी के स्तर का रूपमूलक कार्य के ढांचे के साथ कोई सम्बन्ध न था।

7.3.7. निरर्थक व्यय

कोल बांध के निष्पादन हेतु एक मण्डल तथा दो उपमण्डलों सहित मुख्य अभियन्ता के कार्यालय का सृजन जून 1982 में किया गया था। वर्ष 1982–83 (3.70 लाख रु०) तथा 1983–84 (5.20 लाख रु०) के दौरान स्थापना के वेतन तथा भत्तों पर 8.90 लाख रु० का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा के समय (दिसम्बर 1984) यह ध्यान में आया कि 1982-83 के दौरान किसी भी कार्य को निष्पादन हेतु हाथ में नहीं लिया गया था जबकि 1983–84 के दौरान सिविल निर्माण मण्डल के सृजन हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित 50 लाख रु० से 60 लाख रु० के वार्षिक कार्य भार के प्रति 0.31 लाख रु० की लागत के केवल दो कार्य हाथ में लिये गये थे। इस प्रकार बिना किसी पर्याप्त कार्य भार के कार्यालय/मण्डलों के सृजन पर 8.90 लाख रु० का व्यय निरर्थक हुआ।

सरकार ने बताया (अगस्त 1985) कि परियोजना को राजस्थान सरकार के सहयोग से निष्पादित करने का प्रस्ताव था जिसने 240 लाख रु० का अंशदान देना था। इसके प्रति राजस्थान सरकार ने केवल 10 लाख रु० जमा करवाए (मार्च 1982) और इसलिए मुख्य क्षेत्रीय कार्य हाथ में नहीं लिये जा सके तथापि स्टॉक को योजना के संशोधित परियोजन प्रतिवेदन बनाने हेतु अपेक्षित सांख्यिकीय सूचना एकत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया गया।

सरकार का उत्तर इस तथ्य को मध्य नजर रखते हुए कि जल विद्युत जांच मण्डल शिमला ने सांख्यिकीय सूचना एकत्रित करने के लिए 1967–68 से 1984–85 तक पहले ही 25.03 लाख रु० की राशि खर्च कर दी थी, तर्क-संगत नहीं था। किन्तु कार्य को उचित बजट प्रावधान के अभाव में अभी तक भी आरम्भ नहीं किया जा सका (नवम्बर 1985)।

7.3.8. करेण्ट ट्रांसफार्मरों का विवेकहीन उपार्जन

निविदाओं को आमन्त्रित करने के पश्चात् निदेशक, योजना तथा डिजाइन (विद्युत) एकक–I शिमला ने आन्ध्रा बिजली घर में स्थापित करने के लिए विभिन्न अनुपात (मूल्य 3.16 लाख रु० उत्पाद तथा केन्द्रीय बिक्री कर के अतिरिक्त) के चौदह 66 के० वी० तथा उन्नीस 22 के०बी० ट्रांसफार्मरों की खरीद हेतु 'क' व 'ख' दो फर्मों को आपूर्ति आदेश (अप्रैल 1983) प्रस्तुत किए।

नवम्बर 1984 में लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि 3.49 लाख रु० मूल्य के अगस्त 1983 तथा अक्तूबर 1984 के मध्य प्राप्त ये करेण्ट

ट्रांसफार्मर अप्रयुक्त पड़े थे। सरकार ने अप्रैल 1985 में बताया कि उत्पादक इकाइयों की क्षमता में परिवर्तन के कारण ये करेण्ट ट्रांसफार्मर फालतू हो गए थे और अब अन्य योजनाओं पर प्रयुक्त किये जाएंगे ।

इस प्रकार बिजली घर के डिजाइन व क्षमता में परिवर्तन के अन्तिम रूप की प्रत्याशा में 3.49 लाख रु० मूल्य के करेण्ट ट्रांसफार्मरों के उपार्जन पर किया गया पूर्ण व्यय अलाभकारी रहा ।

7.3.9. बेकार बारूद भण्डार तथा उनकी देखरेख पर निरर्थक व्यय

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड ने एक अनुरोध पर (अगस्त 1979) बोर्ड को 1.05 लाख रु० के अग्रिम भुगतान (जनवरी 1980) के प्रति पट्टे के आधार पर विस्फोटकों के भण्डारण हेतु चार बारूद भण्डार हस्तान्तरित किये । बोर्ड ने बारूद भण्डारों को जनवरी 1981 में ग्रहण किया। बारूदखानों को प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि विस्फोटकों के भण्डारण के लाइसेन्सों की समाप्ति हो चुकी थी (अप्रैल 1977 तथा अप्रैल 1979) और मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक, नागपुर ने लाइ-सेन्सों का नवीनीकरण नहीं किया क्योंकि इन बारूदखानों की मरम्मत होनी अपेक्षित थी किन्तु बारूदखानों की मरम्मत की आवश्यकता अर्जन से पहले जांची नहीं गई थी मरम्मत अभी भी की जानी थी (सितम्बर 1985) और मरम्मत न होने के कारण बारूदखाने बेकार पड़े हैं।

जून 1985 तक बोर्ड ने इन बारूदखानों के पहरे व निगरानी पर 0.43 लाख रु० की राशि भी खर्च की । मुख्य अभियन्ता (डिजाइन) ने बताया (अगस्त 1984) कि अभिग्रहण के समय बोर्ड को मरम्मत की आवश्यकता मालूम नहीं थी और बारूदखानों को उसी समय उपयोग में लाया जायेगा जब उनकी आवश्यक मरम्मत हो जाने के पश्चात् लाइसेंन्सों का नवीकरण हो जायेगा ।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 1985) कि बारूदखानों के स्थाई रूप से बोर्ड को हस्तान्तरित करने का मामला भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के साथ चल रहा था और उनकी मरम्मत तत्पश्चात् की जाएगी ।

7.3.10. विवेकहीन क्रय

जल विद्युत वृत्त शिमला के लिए 10,850 मीटर 'केबिल' की आवश्यकता के प्रति मुख्य क्रय अधिकारी ने फर्म 'क' (अक्तूबर 1979) और 'ख' (जुलाई 1981) को क्रमशः 10.87 लाख रु० तथा 7.76 लाख रु० मूल्य के 11 के० बी० ग्रेड स्क्रीण्ड 'केबिल' 3 कोर 70 वर्ग मि० मी० के 7,600 मीटर 5,000 मीटर के आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किये । फर्म 'क' ने जून तथा अगस्त 1980 में 5,415 मीटर केबिल (मूल्य 8.86 लाख रु०) तथा फर्म 'ख' ने अप्रैल से अगस्त 1982 में मल्याणा भण्डार उप-मण्डल, शिमला को 5,011 मीटर केबिल (मूल्य 9.19 लाख रु०) आपूरित किये ।

जल विद्युत वृत्त शिमला की लेखापरीक्षा (सितम्बर 1982) में अभिलेखों की नमूना जांच से व्यक्त हुआ कि 3,829 मीटर 'केबिल' वृत्त में प्रयुक्त हुई थीं तथा 3,704 मीटर अन्य वृत्तों को जारी की गई थी। कुल प्राप्त आपूर्तियों में से शेष 2,893 मीटर 'केबिल' (मूल्य 5.27 लाख रु०) अप्रयुक्त पड़ी थी (जुलाई 1985)। सरकार ने बताया कि (नवम्बर 1985) कि शिमला शहर की लोड़ की मांग में वृद्धि के कारण शिमला शहर व्यवस्था के 11 के०वी० उप-स्टेशनों में उच्च क्षमता वाले 'केबिल' (120 एम^{2} से 300 एम^{2}) प्रयुक्त किये गये तथा 70 एम०एम^{2} 'केबिल' बोर्ड के अन्य क्षेत्रों/मण्डलों में प्रयुक्त किये जाएंगे। शहर लोड मांग के अवास्तविक निर्धारण के परिणास्वरूप 'केबिल' की खरीद पर 5.27 लाख रु० की मात्रा तक का विवेकहीन व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में आगे यह ध्यान में आया (अक्तूबर 1982) कि फर्म 'क' द्वारा आपूरित 5,415 मीटर 'केबिल' में से 0.24 लाख रु० मूल्य की 135 मीटर 'केबिल' दोषपूर्ण पाई गई (मई 1984)।

सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि 'केबिल' प्रत्याभूति अवधि में ही दोषप्रद पाई गई थी और इसीलिए हानि को पूरा करने के लिए मामला फर्म के साथ उठाया गया था। मामले में आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 1986)।

7.4. हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत पहली अप्रैल 1967 को की गई थी। 31 मार्च 1985 को 10 करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी के प्रति 94.00 लाख रु० की विशेष शेयर पूंजी के अतिरिक्त 400.21 लाख रु० की प्रदत्त पूंजी थी एवं निम्नलिखित रूप में अभिदत्त थी :—

		राशि (लाख रुपयों में)
(i) अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत—		
(क) राज्य सरकार	..	1,97.89*
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	..	1,97.88*
(ग) अनुसूचित बैंकरों, बीमा कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से	..	4.05
(घ) अन्य	..	0.39
योग	..	4,00.21

*1,91,26 लाख रु० शेयर आवेदन राशि सहित (राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रत्येक से 95.63 लाख रु०)।

(ii) अधिनियम की धारा 4(क) के अन्तर्गत --	
(क) राज्य सरकार ..	47.00@
(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ..	47.00@
योग ..	94.00
कुल योग ..	4,94.21

वर्ष 1982–83 के दौरान निगम ने पूर्ववर्ती वर्षों में अनुसरित की जा रही लेखे की व्यापारिक प्रणाली के स्थान पर रोकड़ प्रणाली के अन्तर्गत आय और व्यय उपार्जित आधार के बजाय वास्तविक आधार पर लेखाबद्ध किये गये। वर्ष 1984–85 के दौरान निगम ने कर से पूर्व 47.86 लाख रु० का लाभ अर्जित किया जोकि इसकी प्रदत्त पूंजी के 11.96 प्रतिशत का द्योतक है।

निम्नांकित तालिका 1984–85 तक के तीन वर्षों के निगम के कार्य चालन परिणामों को दर्शाती है :--

	1982–83	1983–84	1984–85
		(लाख रुपयों में)	
(क) आय	1,38.19	2,39.83	3,21.86
(ख) व्यय	1,15.66	2,04.82	2,74.00
(ग) कर लगाने से पूर्व लाभ	22.53	35.01	47.86
(घ) (i) कर के लिए प्रावधान	9.15	14.56	16.78
(ii) कर लागने के पश्चात् लाभ	13.38	20.45	31.08
(ङ) अन्य विनियोग	6.49	11.08	26.44
(च) लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	6.89	9.37	4.64
(छ) भुगताया गया लाभांश	7.41†	9.37	..
(ज) नियोजित पूंजी*	22,26.70	28,94.14	35,74.65
(झ) नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	1,09.81	2,04.58	2,60.72
(ञ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता		(प्रतिशत)	
	4.93	7.07	7.29

@60 लाख रु० शेयर आवेदन राशि सहित (राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक प्रत्येक से 30 लाख रु०)।

†लाभांश के भुगतान के लिये उपलब्ध राशि तथा भुगताये गये लाभांश के अन्तर को सामान्य आरक्षित निधि से पूरा किया गया था।

*नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, बंध पत्र, ऋण पत्र आरक्षित एवं उधार के योग के आदि एवं अन्त शेषों के माध्यम का प्रतीक है।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (1980–81)

(4) मांग-जमा को हिसाब में न लेने के कारण चालू परिसम्पत्तियों तथा ऋण व अग्रिम एवं चालू दायित्वों को 0.64 लाख रु० द्वारा न्यूनोक्त किया हुआ था ।

(5) रॉयल्टी की बिलम्बित अदायगी पर ब्याज का कम प्रावधान करने (0.68 लाख रु०) और अनुपयोगी भण्डार (0.29 लाख रु०) का प्रावधान न करने के कारण 11.63 लाख रु० का लाभ 0.97 लाख रु० द्वारा अतिरंजित था ।

(6) 7.34 लाख रु० की परिसम्पत्तियों को यद्यपि वर्ष 1977-78 में बट्टे खाते डाल दिया गया था और अभी भी (फरवरी 1985) वे कम्पनी के स्वामित्व में थीं, लेकिन इन्हें नहीं दर्शाया गया था ।

7.7. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, सीमित

7.7.1. प्रस्तावना

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पुष्ट करने हेतु अर्थात् खाद्यान एवं अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की जनता को उचित मूल्यों पर सुलभता सुनिश्चित करने तथा बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये उनका उपार्जन आपूर्ति तथा वितरण करने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को 6 सितम्बर 1980 को निगमित किया गया था ।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं :—

(क) खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ एवं अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार, क्रय, भण्डारण, यातायात, वितरण व विक्रय का उपक्रम करना ;

(ख) खाद्य पर आधारित उद्योगों का आयोजन, उपक्रम, प्रोत्साहन या उन में सम्मिलित होना ;

(ग) सरकार द्वारा समय समय पर अभिनिर्धारित प्रत्येक आवश्यक वस्तु के उपार्जन, आयात, आपूर्ति और वितरण का उपक्रम करना ;

(घ) शीत संग्रहागारों, गोदामों, प्रशीतक उपकरणों तथा शीतलना और परिरक्षण व्यवस्थाओं को स्थापित करना तथा

(ङ) पैट्रोलियम पदार्थों, सीमेंट और कोयले के उपार्जन, भण्डारण और यातायात विक्रय या वितरण के कार्य का काम लेना ; प्रोत्साहन देना, भाग लेना या इस व्यवसाय को किसी अन्य रूप में निवाहना ।

कम्पनी ने अभी तक (जून 1985) निम्नलिखित कार्य अपने हाथ में लिये हैं :—

(क) नियन्त्रित वस्तुओं जैसे चीनी, चावल, गेहूं का आटा, खाद्य तेल, मिट्टी का

तेल, तरल पैट्रोलियम गैस, सीमेन्ट और कपड़े का उपार्जन, आपूर्ति और वितरण ।

(ख) अनियन्त्रित वस्तुओं जैसे दालों, अनियन्त्रित कपड़े और जब्त माल, चाय, साबुन, नमक, दियासलाइयों, मोमबत्तियों और बिजली के बल्ब इत्यादि का उपार्जन, आपूर्ति और वितरण ।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (अक्तूबर 1985) कि आरम्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का उपार्जन और वितरण राज्य सरकार की सामाजिक एवं आर्थिक नीति में इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को दी गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था ।

7.7.2. संगठनात्मक संरचना

कम्पनी का प्रबंध न्यूनतम तीन और अधिकतम 15 निदेशकों (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित) से संगठित निदेशक बोर्ड में निहित है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। 31 मार्च 1985 को बोर्ड में 15 निदेशक (अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक सहित) थे। (i) परिवहन (ii) कर्मचारी वर्ग और (iii) परचून विक्रय निकास खोलने से संबंधित मामलों में निदेशक बोर्ड की सहायतार्थ क्रमशः छः, चार और छः निदेशकों वाली तीन समितियां भी बनी हैं ।

दैनिक कार्यकलापों में प्रबन्ध निदेशक की, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, महाप्रबन्धक और प्रशासन, उपार्जन, विपणन, वित्त और सचिवालय के प्रभारियों द्वारा सहायता की जाती है । 31 मार्च 1985 को दो मण्डलीय कार्यालय सोलन और धर्मशाला में, 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 59 परचून विक्रय डिपू और 81 थोक गोदाम थे ।

7.7.3. पूंजी संरचना

7.7.3.1. कम्पनी को 2 करोड़ रु० (प्रति 10000 रु० के 20,000 इक्विटी शेयर) की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया था जिसे 1983-84 में बढ़ा कर 3 करोड़ रु० और 1984-85 में 4 करोड़ रु० कर दिया गया था । मार्च 1985 के अंत में प्रदत्त पूंजी 260 लाख रु० थी ।

7.7.3.2. उधार

7.7.3.2.1. राज्य सरकार द्वारा

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम सीमित को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माल के भण्डारण हेतु गोदाम बनाने के लिये 40 लाख रु० ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिये (मार्च 1980) । सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम को ब्याज मुक्त ऋण की समूची राशि कम्पनी के गठनोपरान्त इसे हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये (दिसम्बर 1980)। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम ने 40 लाख रु० में से इस कम्पनी को गोदामों के निर्माण

हेतु 10 लाख रु० हस्तान्तरित किये (मार्च 1981)। किन्तु कम्पनी ने गोदामों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया क्योंकि 40 लाख रु० की समूची राशि हस्तांतरित नहीं हुई थी और इसकी बजाय सरकार के निर्देशों पर (दिसम्बर 1981) इस ऋण पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने की सहमति प्रकट की। इस बीच में कम्पनी ने सरकार से ऋण को शेयर पूंजी के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध भी किया (अक्तूबर 1982); सरकार का निर्णय अभी तक प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1985)।

7.7.3.2.2. कैश क्रेडिट

कम्पनी की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को अधिकतर स्टॉक और सरकारी प्रत्याभूतियों को गिरवी रख कर बैंकों के सहायता संघ से कैश क्रैडिट सीमा प्राप्त करके पूरा किया जाता था। 31 मार्च 1985 के अन्त में 4,75 लाख रु० की कैश क्रेडिट सीमा के प्रति 3,96.71 लाख रु० बकाया थे।

लेखापरीक्षा में कैश क्रेडिट लेखे में विभिन्न लेन-देन के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 1985) से प्रकट हुआ कि बैंक सहायता संघ की विभिन्न शाखाओं द्वारा राशि को शिमला में मुख्य कैश क्रैडिट खाते को भेजने में 20 से 1132 दिनों तक की देरी हुई। कम्पनी में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजस्व के प्रेषण के मिलान की कोई नियमित पद्धति नहीं है।

क्रैडिट दिये जाने में विलम्ब के कारण कम्पनी इन राशियों के उपयोग से वंचित रही। यदि कम्पनी ने इन क्रैडिटों को कैश क्रैडिट लेखे में समय पर प्राप्त कर लिया होता तो तदनुरूप इसका कैश क्रैडिट लेखा घट जाता और 3.84 लाख रु० के ब्याज का परिहार हो गया होता।

प्रबंधकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि अब तिमाही आधार पर धन प्रेषण का बैंकों के साथ मिलान करने की पद्धति निर्मित कर ली गई है।

7.7.4. कार्य चालन परिणाम

वर्ष 1984–85 तक के तीन वर्षों के कम्पनी के कार्य चालन परिणाम निम्नाँकित थे:—

(लाख रुपयों में)

	1982–83	1983–84	1984–85
आय			
बिक्री	26,25.70	30,01.65	36,95.35
उपदान	1,13.70	32.27	19.32
अन्य विविध आय	5.26	7.73	18.62
स्टाक के अंत शेष में मूल्य वृद्धि (+)/मूल्य ह्रास (—)	(+)85.54	(+)11.25	(+)1,60.30
योग	28,30.20	30,53.10	38,93.59

(लाख रुपयों में)

व्यय	1982-83	1983-84	1984-85
क्रय	26,10.12	28,24.62	36,47.54
उपार्जन प्रभार और उपदान प्रतिपूर्ति	1,06.66	1,02.31	1,02.84
ब्याज प्रभार और बीमा	53.65	46.37	52.49
वित्तीय एवं अन्य प्रभार	4.33	5.13	7.51
प्रशासनिक व्यय	54.87	72.90	81.45
योग	28,29.63	30,51.33	38,91.83
लाभ	0.57	1.77	1.76

सरकार द्वारा जारी किये गये निदशों (अगस्त 1982) के अनुसार अर्जित किये गये लाभ में से न्यूनतम 3 प्रतिशत लाभांश घोषित करना राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये बाध्यकारी था परन्तु जहां लाभ कम होने के कारण न्यूनतम 3 प्रतिशत लाभांश की अदायगी सम्भव नहीं थी, लाभांश घोषित करने को अन्य प्रभारों जैसे प्रोत्साहन बोनस एवं सामान्य आरक्षण को अन्तरित करने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। इन निर्देशों के विपरीत कम्पनी ने बिना लाभांश घोषित किये (वर्ष-1981-82 से 1983-84 तक अर्जित लाभ न्यूनतम लाभांश की अदायगी के लिये पर्याप्त न था) 1,600 रु० प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले तथा कमीशन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया। ऐसे भुगतानों की राशि वर्ष 1982-83 में 0.64 लाख रु०, 1983-84 में 1.16 लाख रु० और 1984-85 में 0.83 लाख रु० के बराबर थी।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (दिसम्बर 1984) कि अधिकतर कर्मचारी जिन्हें अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया गया था 200 रु० प्रतिमाह के निश्चित मासिक पारिश्रमिक के अलावा कमीशन पर कार्य कर रहे थे और उन्हें आवास किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता इत्यादि सुविधाएं नहीं दी गई थीं। अनुग्रहपूर्वक भुगतान उन्हें उपरोक्त सुविधाओं की अदायगी की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया था। तथापि अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों से छूट का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था (अक्तूबर 1985)।

7.7.5. वस्तुओं का उपार्जन, आपूर्ति एवं वितरण

7.7.5.1. प्रारम्भ में कम्पनी को गठन के समय (सितम्बर 1980) सरकार द्वारा शिमला, सोलन और मण्डी जिलों में खाद्य तेलों, चीनी, गेहूं का आटा, चावल और नियन्त्रित

कपड़ा आदि के उपार्जन, आपूर्ति और वितरण के लिये थोक बिक्री के लिये मनोनीत किया गया था। 1 अक्तूबर 1982 से कम्पनी का परिचालन क्षेत्र पूरे राज्य तक विस्तृत कर दिया गया था। राज्य में परचून वितरण कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी ने भी इस प्रयोजन से ऐसे स्थानों पर जहां सहकारी समितियां नहीं हैं, परचून विक्रय डिपू (59) खोले हैं।

नियन्त्रित वस्तुओं के उपार्जन और विक्रय राज्य/भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। विक्रय मूल्य और अन्य पूर्व निर्धारित अतिरिक्त राशि उपार्जन मूल्य में अन्तर की राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कम्पनी को उपदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। जब्त किये गये माल का विक्रय मूल्य कम्पनी द्वारा लागत की 2 से 3 प्रतिशत लाभ की अतिरिक्त राशि जोड़ कर निर्धारित किया जाता है जबकि दालों के मामले में विक्रय मूल्य जिला उपायुक्त द्वारा निर्धारित बाजार मूल्यों से 10 से 15 पैसे कम रखा जाता हैं।

7.7.5.2. वस्तुओं की आवश्यकता, आबंटन एवं उपार्जन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं की आवश्यकता भारत सरकार के खाद्यान्न एवं पोषाहार बोर्ड द्वारा जारी की गई हिमाचल प्रदेश की खाद्यान्न एवं पौषाहार मान-चित्रावली (1975-76) के आधार पर राज्य में उत्पादन और उपभोग के ढांचे को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है। पूर्वोक्त मानचित्रावली के अनुसार गेहूं, चावल, दालों, स्निग्ध तेलों का प्रति व्यक्ति उपभोग क्रमशः 244 ग्राम, 139 ग्राम, 57 ग्राम और 15 ग्राम अनुमानित था। निम्नांकित तालिका 31 मार्च 1985 के अंत तक गत चार वर्षों की निर्धारित आवश्यकता, आबंटन/क्रय, उपार्जन, कमी और कमी की कुल आवश्यकता पर प्रतिशतता दर्शाती है :—

(मात्रा टनों में)

वर्ष	वस्तु	आवश्यकता	आबंटन	उपार्जन	कमी	आवश्यकता पर कमी की प्रतिशतता
1981–82	गेहूं का आटा	67,300	..	12,717	54,583	81.1
	खाद्य तेल	17,300	7,819	7,809	8,191	54.9
	दाल	75,000	..	779	74,221	98.9
1982–83	गेहूं का आटा	68,650	..	21,363	47,287	68.9
	खाद्य तेल	17,647	8,066	8,057	9,590	54.3
	दालें	76,500	..	938	75,562	98.8
	चावल	88,235	18,960	17,760	70,475	79.9
1983–84	गेहूं का आटा	70,000	..	8,382	61,618	88.0
	खाद्य तेल	18,000	11,350	9,524	8,476	47.1

वर्ष	वस्तु	आवश्यकता	आबंटन	उपार्जन	कमी	आवश्यकता पर कमी की प्रतिशतता
	दालें	78,000	..	587	77,413	99.3
	चावल	90,000	24,330	24,635	65,365	72.6
1984–85	गेहूं का आटा	71,400	..	4,813	66,587	93.3
	खाद्य तेल	18,360	7,150	5,803	12,557	68.4
	दालें	79,500	..	972	78,528	98.9
	चावल	91,800	37,800	34,716	57,084	62.2

कम्पनी द्वारा आवश्यकता की तुलना में कुल खरीद में कमी के कारण निम्नलिखित पर आधारित बताये गये (अक्तूबर 1985) :—

(i) वर्ष 1981–82 में खाद्य तेलों की अल्पतर मांग ।

(ii) उद्वहन न किये गये खाद्य तेल के स्टॉक को व्यपगत मान लेने से भारत सरकार की नीति में आकस्मिक परिवर्तन ।

(iii) चावल के स्टाक की भारतीय खाद्य निगम के पास अनुपलब्धता ।

(iv) उद्वाहन के लिये स्वीकृत सीमित समय जैसे मास के अंतिम दिवस से आगामी मास के दसवें दिन तक ।

(v) गेहूं के आटे की मूल्य के कारण अल्पतर मांग ।

7.7.5.3 उचित मूल्य की दुकानों की वृद्धि

निम्नाँकित तालिका 31 मार्च 1985 के अंत तक गत चार वर्षों में कुल बिक्री की तुलना में उचित मूल्य की दुकानों में वृद्धि दर्शाती है :—

उचित मूल्य की दुकानें	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
(i) कम्पनी की दुकानें—				
ग्रामीण क्षेत्र	22	30	36	43
शहरी क्षेत्र	10	12	16	16
योग	32	42	52	59

उचित मूल्य की दुकानें	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
(ii) अन्य दुकानें				
सहकारी	2,062	2,105	2,183	2,250
पंचायती	23	25	27	27
व्यक्तिगत	625	570	514	479
योग	2,710	2,700	2,724	2,756

(लाख रुपयों में)

बिक्री				
नियन्त्रित वस्तुएं	13,22.63	24,07.82	27,73.35	34,33.83
अन्य वस्तुएं	1,04.64	2,17.88	2,28.50	2,61.52
कुल बिक्री	14,27.27	26,25.70	30,01.85	36,95.35
नियन्त्रित वस्तुओं की कुल बिक्री पर प्रतिशतता	92.7	91.7	91.4	92.9
अन्य वस्तुओं की कुल बिक्री पर प्रतिशतता	7.3	8.3	7.6	7.1

कम्पनी द्वारा मुख्यतः नियन्त्रित वस्तुओं की बिक्री की गई थी जो कि कुल बिक्री का 91.7 प्रतिशत से 92.9 प्रतिशत थी और अनियन्त्रित मदों की बिक्री केवल 7.1 से 8.3 प्रतिशत तक सीमित थी । जब कि कम्पनी ने वस्तुओं की व्यापक श्रेणी को आवृत करना था ।

प्रबन्धकारिणी ने व्यक्त किया (जुलाई 1985) कि अनियन्त्रित वस्तुओं की बिक्री मुखयतः परचून बिक्री की उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से होती थी और इन वस्तुओं का उद्वहन सहकारी समितियों के लिये बाध्य नहीं था ।

7.7.5.4. चावल

भारत सरकार द्वारा आबंटित चावल की निर्धारित मासिक मात्रा का उद्वहन कम्पनी ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अंततः आगामी मास के दसवें दिन तक करना होता है । इन स्टॉकों के उद्वहन के लिये कम्पनी को भारतीय खाद्य निगम के पास प्रत्येक मास के लिये चावल का मूल्य अग्रिम जमा करना पड़ता था । कम्पनी ने किये गये भुगतान और उसके प्रति समायोजन के मिलान की कोई प्रक्रिया निर्मित नहीं की थी । लेखापरीक्षा से प्रतीत हुआ (जून 1985) कि मई 1982 से मार्च 1985 के कालांतर में कम्पनी 21 मामलों में भारतीय

खाद्य निगम द्वारा चावल की अल्प आपूर्ति और परिवहन एवं भण्डारण की कठिनाइयों के कारण अन्तिम तिथियों तक आपूर्ति का उद्वहन नहीं कर सकी। इसके परिणामस्वरूप 0.80 लाख रु० से 13.41 लाख रु० तक भिन्न–भिन्न राशियां 92 दिनों से 151 दिनों तक फैली अवधि के लिये असमायोजित रहीं। फलत: कम्पनी को जिसने कार्यचालन पूंजी का आयोजन बैंकों से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर किया हुआ था, 6.24 लाख रु० अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा।

7.7.5.5. दालें

7.7.5.5.1. अतिरिक्त परिहार्य व्यय

कम्पनी द्वारा तैयार की गई (नवम्बर 1980) कार्यचालन योजना के अनुसार साधारण उपभोग की दालों का उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आश्रित जनसंख्या के आधार पर सम्बन्धित फसल की कटाई के समय में किया जाना था।

कम्पनी ने निश्चित मानक और निर्धारित प्रक्रिया का कभी भी अनुपालन नहीं किया। क्रय क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त पूर्वकालिक बिक्री पर आधारित मांग और कम्पनी के पास उपलब्ध स्टॉक के आधार पर किया जाता था।

वर्ष 1981–82 से 1982–83 के कालान्तर में सम्बन्धित फसल की कटाई से अतिरिक्त समय में दालों का उपार्जन के कारण कम्पनी को 0.91 लाख रु० अतिरिक्त परिहार्थ व्यय करना पड़ा। यदि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया होता तो अतिरिक्त व्यय का परिहार हो जाता।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (जुलाई 1885) कि अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी कि कीमतें क्रय मासों में पूर्व मासों की अपेक्षा अधिक होंगी।

7.7.5.5.2. दालों की बिक्री पर हानि

कम्पनी द्वारा दालों के निर्धारित मूल्य उन्हें प्रत्येक जिले में अधिसूचित दरों के समान लाने के लिये समय समय पर कम किये गये थे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा निर्णय लिया गया (सितम्बर 1981) कि कम्पनी मूल्यों में बढ़ौत्तरी के कारण उठाई गई हानि का अलग लेखा रखेगी ताकि प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में मामले को सरकार के साथ उठाया जा सके। तथापि कम्पनी ने विक्रय मूल्यों में कटौती के कारण हानियों के लेखे अलग नहीं रखे थे। दो केन्द्रों (चम्बा और धर्मशाला) में लेखापरीक्षा की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि अक्तूबर 1981 से जून 1982 के कालान्तर में 2117 क्विंटल दालों की बिक्री पर कम्पनी को 1.56 लाख रु० की हानि (चम्बा क्षेत्र में 0.41 लाख रु० और धर्मशाला क्षेत्र में 1.15 लाख रु०) हुई थी।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि इस उपलक्ष में सरकार को कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था क्योंकि वर्ष 1981-82 के दौरान तथा उत्तरोत्तर वर्षों में भी कुल मिलाकर लाभ अर्जित किया था। कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कुल लाभ पर विचार किये बिना भी सरकार द्वारा दालों की बिक्री पर हानि की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

7.7.5.6. उपदान दावे

नियन्त्रित वस्तुओं के विक्रय मूल्य राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जमा उपार्जन, बिक्री, वितरण, अन्य प्रभारों एवं लाभ की अतिरिक्त राशि को पूरा करने के लिये स्वीकार्य अन्य पूर्व निर्धारित अतिरिक्त राशि के अन्तर की कम्पनी को प्रतिपूर्ति की जाती है। कम्पनी द्वारा उपदान के बिलों को आगामी मास की 10 तारीख तक प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

उपदान के दावा बिलों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में आई :—

(i) खुली बिक्री की चीनी पर चण्डीगढ़ से आगे परिवहन एवं अन्य प्रभारों के प्रति वर्ष 1981-82 (4.60 लाख रु०), 1982-83 (0.89 लाख रु०) तथा 1983-84 (0.11 लाख रु०) के उपदान के दावे सरकार को भेजने में मई 1985 तक का विलम्ब हुआ। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 से सम्बन्धित चीनी के प्रति उपदान के दावे अभी तक तैयार नहीं किये थे और न ही अभी तक सरकार को भेजे गये थे (अक्तूबर 1985)।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि उपदान के दावे तैयार करने की प्रतिक्रिया बहुत लम्बी थी जिसके परिणामस्वरूप इन बिलों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

(ii) लेवी चीनी पर वास्तव में किये गये व्यय और कम्पनी के लाभ की अतिरिक्त राशि से अधिक विक्रय मूल्य वसूल करने के कारण राज्य सरकार को देय चीनी उपदान दावे 13.36 लाख रु० की राशि के प्रति 3.05 लाख रु० देय दर्शाये गये थे और वर्ष 1982-83 में लाभ हानि लेखे को प्रभारित किये गये थे। 10.31 लाख रु० के अन्तर का अभी तक (अक्तूबर 1985) समायोजन नहीं किया गया था।

7.7.5.7. खाद्य तेल

7.7.5.7.1. सोयाबीन तेल

कम्पनी ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम, करनाल के गोदाम से 132.164 टन

सोयाबीन का उद्वहन किया (सितम्बर 1984)। इस समूची मात्रा का शतप्रतिशत तोल करके सड़क से परिवहन किया गया। विभिन्न डीपुत्रों पर प्रेषण की प्राप्ति के पश्चात् ज्ञात हुआ कि 0.74 लाख रु० मूल्य के 62 क्विटल तेल का परिवहन में रिसाव हो गया था। चूंकि परिवाहक के साथ किये अनुबन्ध (सितम्बर 1984) में इस प्रकार की कमी वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं था, इस कारण उससे क्षति पूर्ति नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित तथ्य भी ज्ञात हुए :—

(i) परिवहन में 61 से 64 क्विटल प्रति ट्रक के भार में 21 कि० ग्रा० से 716.5 कि०ग्रा० की सीमा तक कमियां थीं। एक ही गन्तव्य स्थान के लिये प्रति ट्रक कमी शिमला के लिये 23.3 कि० ग्रा० से 236.68 कि०ग्रा० तक, भट्टा कुफर के लिये 107 कि०ग्रा० से 425.5 कि० ग्रा० तक और चैंतु गग्गल के लिये 155 कि० ग्रा० से 716.5 कि० ग्रा० तक थी। परिवहन में कमियों में भिन्नता की जांच पड़ताल नहीं की गई थी (अक्तूबर 1985)।

(ii) एस०टी०सी० के प्रतिमान के अनुसार प्रति 10 टन प्रेषित माल के लिये 6 क्विटल न्यूनतम निभार का प्रावधान किया जाना चाहिये था। तथापि सकल निभार के बिल से ज्ञात होता है है कि उपरोक्त प्रेषण के लिये 80 क्विटल की आवश्यकता के स्थान पर केवल 30 क्विटल पराल की खरीद हुई। एक मामले में अल्प प्राप्ति प्रमाण-पत्र में विशेष रूप से निर्दिष्ट था कि पैकिंग परालरहित थी। कम्पनी ने उत्तर-दायित्व निर्धारित करने हेतु मामले की कोई छानबीन नहीं की थी (अक्तूबर 1985)।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि पराल स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था और उसका प्रबन्ध उपलब्धता की सीमा तक केन्द्रीय भाण्डागार निगम, करनाल के सहयोग से किया गया था।

7.7.5.7.2. छोटे पैकों में परिष्कृत तेल का व्यापार

डिब्बों में तेल की लागत खुले तेल की अपेक्षा 3.50 रु० अधिक थी तथापि कम्पनी ने छोटे पैकों में परिष्कृत तेल की बिक्री हेतु 7000 डिब्बे (2000 डिब्बे 4 कि० ग्रा० के तथा 5000 डिब्बे 2 कि० ग्रा० के) खरीदे (जून 1984)। जबकि 4 कि० ग्रा० और 2 कि० ग्रा० के डिब्बों में बन्द किये गये 2.37 लाख रु० मूल्य के 180 क्विटल परिष्कृत तेल में से जून 1985 तक केवल 1.06 लाख रु० मूल्य के 80.7 क्विटल परिष्कृत तेल की बिक्री हो पाई थी। शेष 1.31 लाख रु० मूल्य का 99.3 क्विटल परिष्कृत तेल स्टॉक में ही

पड़ा हुआ था । मण्डलीय प्रबन्धक धर्मशाला ने प्रति 4 कि० ग्रा० और 2 कि० ग्रा० डिब्बों के विक्रय मूल्यों को क्रमश: 53.50 रु० और 28.49 रु० (बिक्रय मूल्य लागत मूल्य के समतुल्य थे) से क्रमश: 50 रु० और 26 रु० कम करने का सुझाव दिया था (जनवरी 1985)। निदेशक मण्डल ने सुझाव का अनुमोदन कर दिया (जून 1985) जिसके परिणामस्वरूप 0.27 लाख रु० का घाटा अनुमानित था।

अविक्रीत माल की बिक्री हो जाने पर इस घाटे में और वृद्धि संभावित है।

7.7.5.7.3. **परिवाहक द्वारा खाद्य तेलों का अवितरण**

खाद्य तेलों को अमृतसर से कम्पनी के विभिन्न डिपुओं तक ले जाने का ठेका अमृतसर के एक परिवाहक को दिया गया था (जनवरी 1985)। परिवाहक जिसे 1 लाख रु० नकद प्रतिभूति या उसी राशि की कम्पनी के प्रति प्रतिभूत स्थायी जमा रसीद जमा करने को कहा गया (जनवरी 1985), ने अपेक्षित प्रतिभूति जमा नहीं करवाई। आयातित खाद्य तेलों की खरीद और प्रेषणों का मिलान करते समय प्रबन्धकारिणी को ज्ञात हुआ (जून 1985) कि 1,580 टन खाद्य तेल में से परिवाहक द्वारा जनवरी एवं फरवरी 1985 में उद्वहन किये 25.5 टन भार के चार ट्रक (1,700 डिब्बे) जिनका मूल्य 3.17 लाख रु० था गंतव्य स्थानों पर वितरित नहीं किये गये थे। परिवाहक के 1.90 लाख रु० भाड़े के विचाराधीन बिल का भुगतान रोक दिया गया था जिसके उपरान्त भी 1.27 लाख रु० की राशि अनावृत बच गई थी। कम्पनी द्वारा पार्टी को क्षतिपूर्ति हेतु कानूनी नोटिस जारी किया गया (जुलाई 1985) और साथ ही बीमा कम्पनी के साथ भी मामला उठाया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 1985)।

7.7.6. **क्षतिग्रस्त स्टॉक की बिक्री पर हानि**

(i) अगस्त/सितम्बर 1981 में खरीदे गये 3,931 क्विटल चनों में से 3,788 क्विटल चने 10.00 लाख रु० के अग्रिम भुगतान के प्रति शिक्षा विभाग को आपूरित किये गये थे। 0.51 लाख रु० के शेष 143 क्विटल विभाग से अग्रिम की प्राप्ति न होने के कारण आपूरित नहीं किये गये और पठानकोट में पेंदी के गोदामों में रखे गये थे। दीर्घ भण्डारण के कारण चने कीटग्रस्त हो गये और उन्हें 0.26 लाख रु० में बेच दिया गया (मार्च 1983) जिसके परिणामस्वरूप 0.25 लाख रु० की हानि हुई। अभी तक हानि का उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया था (अक्तूबर 1985)।

(ii) वर्ष 1982 में कपड़े की 49 गांठें लम्बागांव डिपो में प्राप्त हुई थीं। इस डिपो को आपूरित कपड़ा इस क्षेत्र की मांग से बहुत अधिक था और कम्पनी द्वारा मई 1984 तक अधिशेष कपड़ा अन्य केन्द्रों को हस्तान्तरण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया जबकि 0.19 लाख रु० मूल्य का 3,778 मीटर कपड़ा 0.05 लाख रु० में बेचा गया और फलत: 0.14 लाख रु० की हानि हुई। कम्पनी द्वारा गठित एक समिति ने हानि का दायित्व बिक्रीकर्ता की लापरवाही और लम्बागांव डिपो को कपड़े की विसंगत आपूर्ति को दिया (मई 1984) तथापि अभी तक हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी (अक्तूबर 1985)।

7.7.7. लेखा नियमावली

अभिलेखों के अनुरक्षण और लेखाओं के संकलन के तरीकों तथा कम्पनी के विभिन्न अधिकारियों के कर्त्तव्य और दायित्व निर्धारित करने सम्बन्धी "लेखा नियमावली" तैयार नहीं की गई है। कम्पनी के लेखे यथा समय जारी किये गये निर्देशों के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

7.7.8. आंतरिक लेखापरीक्षा

कम्पनी द्वारा वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 के लिये चार्टर्ड लेखाकार की एक फर्म आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त की गई थी (फरवरी 1981)। उसी फर्म को 1985-86 तक के अनुवर्ती वर्षों के लिये पुनः नियुक्त किया गया था। इस कार्य के लिये भुगतान की गई शुल्क की राशि का योग 3.13 लाख रु० हुआ। आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों, डिपुओं और दुकानों सहित कम्पनी के सभी लेन-देन की शतप्रतिशत लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित थी। कम्पनी द्वारा मण्डी इकाई में लेखाओं की जांच के समय ज्ञात हुआ (मई 1985) कि केवल वर्ष 1984–85 में कम्पनी के एक कर्मचारी द्वारा 1.65 लाख रु० की राशि (जिसमें अप्रैल से अक्तूबर 1984 तक, जिस अवधि का प्रतिवेदन लेखापरीक्षकों ने प्रस्तुत कर दिया था, से सम्बन्धित 0.27 लाख रु० भी सम्मिलित थे) गबन की गई थी। अपनाई गई कार्य प्रणाली थी बिक्री प्राप्तियों के प्रति बैंक लेखाओं में जमा हेतु झूठी जमा पर्ची बनाना। तथापि लेखापरीक्षकों ने बैंक में जमा दर्शाई गई राशियों की बैंक पास बुक या विवरणिका के साथ पुष्टि नहीं की थी। आंतरिक लेखापरीक्षकों से जो इन विसंगतियों का मिलान करने और सूचित करने में असफल रहे थे, वर्ष 1984–85 की विशेष लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया गया (जून 1985)। विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित था (अक्तूबर 1985)।

निदेश मण्डल ने अपनी बैठक में (दिसम्बर 1982) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक को वर्ष 1983–84 से अपना आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष बनाने हेतु मामला सरकार को भेजने के लिये कहा था। मामला जनवरी 1983 में सरकार को भेजा गया था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 1985)।

कार्यकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि अपनाई जाने वाली आंतरिक लेखा-परीक्षा पद्धति अध्ययन हेतु भारत सरकार की एक प्रशासनिक सुधार इकाई को सौंपी गई थी (जनवरी 1983) और पद्धति को सुदृढ़ और सुचारू बनाने के लिये पग प्रतिवेदन की प्राप्ति पर उठाये जाएंगे।

7.7.9. सारांश

कम्पनी का गठन जनता के लिये उचित मूल्य पर खाद्यान्नों और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनका उपार्जन आपूर्ति एवं वितरण करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया था। कम्पनी ने अभी तक नियन्त्रित वस्तुओं और कुछ अन्य अत्यावश्यक अनियन्त्रित वस्तुओं के वितरण का उपक्रम किया है। 31 मार्च 1985 के अन्त तक के गत

चार वर्षों में नियन्त्रित और अनियन्त्रित वस्तुओं की कुल बिक्री सकल बिक्री की क्रमशः 91.7 प्रतिशत से 92.9 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत से 8.3 प्रतिशत के सीमान्तर में रही।

--हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम से मार्च 1981 से कम्पनी को गोदामों के निर्माण हेतु हस्तान्तरित किया गया 10.00 लाख रु० का ऋण अभीष्ट उद्देश्य के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ।

--क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रोकड़ जमा खाते को किये गये राजस्व प्रेषण का मिलान करने हेतु नियमित पद्धति न होने के कारण कम्पनी 20 से 1132 दिनों तक फैली अवधि के लिये निधि के उपयोग से वंचित रही। यदि ये जमा समय पर प्राप्त हुई होती तो रोकड़ जमा खाते से आहरण तद्नुरूप कम हो गया होता और 3.84 लाख रु० के ब्याज का परिहार हो गया होता।

--सरकार के निदेशों (अगस्त 1932) के प्रतिकूल अनुग्रहपूर्वक अदायगी से पूर्व कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ में से न्यूनतम 3 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया जाना चाहिये, कम्पनी ने वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान 1,600 रु० प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों तथा कमीशन के आधार पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों को 2.63 लाख रु० का अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया था।

--31 मार्च 1985 के अंत तक गत चार वर्षों में कम्पनी द्वारा हाथ में लिये गये व्यवसाय और राज्य की गेहूं के आटे, चावल, स्निग्ध तेलों और दालों की मांग में भिन्नता का सीमान्तर 47.1 से 99.3 प्रतिशत तक रहा।

--प्रतिमास किये गये अग्रिम भुगतान और उसके प्रति प्राप्त हुई आपूर्ति का मिलान न करने और भारतीय खाद्य निगम के पास बचे हुए अधिशेष के असमायोजन के कारण ब्याज से कम्पनी को 6.24 लाख रु० का घाटा हुआ।

--2,117 क्विंटल दालों की कम दरों पर बिक्री से 1.56 लाख रु० की हानि हुई जिसकी सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई।

--अप्रामाणिक और घटिया श्रेणी के डिब्बों तथा अपर्याप्त निभार के कारण परिवहन में 62 क्विंटल सोयाबीन के तेल की कमी के कारण कम्पनी को 0.74 लाख रु० की हानि हुई।

--3.17 लाख रु० मूल्य का 25.5 मीट्रिक टन खाद्य तेल परिवाहक द्वारा कम वितरित किया गया था।

--कम्पनी को कीट ग्रस्त और दीर्घ कालीन भण्डारण के कारण काले चनों के (0.25 लाख रु०) और कपड़े के (0.14 लाख रु०) क्षतिग्रस्त स्टाक की बिक्री पर 0.39 लाख रु० की हानि हुई।

7.8. हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन निगम सीमित

7.8.1. प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन तथा विधायन नियम सीमित को सेब उत्पादन करने वाले चार ज़िलों शिमला, कुल्लू, मण्डी और सिरमौर में सेबों के श्रेणीकरण, पैकिंग तथा भण्डारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा उद्यान से विभिन्न शीत भण्डारों/बाजारों तक वाणिज्यिक अभिमुखी परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित की सहायक कम्पनी के रूप में 10 जून 1974 को निगमित किया गया था।

7.8.2. उद्देश्य

कम्पनी के उद्देश्य ये हैं :—

(i) विशेषत: सेबों एवं सामान्यत: अन्य फलों तथा सब्जियों के विपणन और विधायन से सम्बन्धित कार्यकलापों का संगठन, सूत्रपात, प्रोत्साहन, सहायता, विकास और निष्पादन करना ;

(ii) फल उत्पादकों के प्रति पैकिंग के उपार्जन तथा आपूर्ति के कार्य को संभालना ;

(iii) अग्रेषण तथा मार्गवर्ती भाण्डागारों का व्यवसाय हाथ में लेना ; तथा

(iv) संभरण एवं डिब्बाबन्दी तथा परिरक्षण इकाइयों के पोषण तथा इस प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए आधुनिक ढंग से विशाल वाणिज्यिक बागीचों का लगाना, अर्जन, स्थापना, क्रय-विक्रय तथा/अथवा प्रबन्ध करना।

कम्पनी ने अभी तक निम्न उद्देश्यों को हाथ में लिया है :—

(i) पैकिंग, श्रेणीकरण, शीत भण्डारण, फल विधायन तथा मार्गवर्ती भाण्डागारों के कार्यों का संचालन करना ;

(ii) कृषकों को नकद तथा वस्तुओं के रूप में अग्रिम उपलब्ध करवा कर वित्तपोषण करना, ; तथा

(iii) सीमांत बाजारों में कमिशन के आधार पर थोक व्यापार करना।

7.8.3. संगठनात्मक रचना

कम्पनी का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 15 सदस्यों वाले निदेशक मण्डल में निहित

है । प्रबन्ध निदेशक को जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी हैं दैनिक कार्य में वित्तीय सलाहकार मुख्य (विपणन) तथा मुख्य अभियन्ता से सहायता मिलती है ।

7.8.4. पूंजीगत संरचना

7.8.4.1. शेयर पूंजी

कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि को पूरा करने के लिए एक अप्रैल 1982 से कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी को 2.20 करोड़ रु० से 4 करोड़ रु० तक बढ़ा दिया था जोकि सौ-सौ रुपये के 4,00,000 शेयरों में बंटी हुई थी। 31 मार्च 1985 को प्रदत्त पूंजी 352 लाख रु० (एक अनुबन्ध के अनुसार अतिरिक्त प्रतिफल स्वरूप समायोजित 63.49 लाख रु० सहित) थी।

7.8.4.2. ऋण

कम्पनी ने वर्ष 1977–78 से 1984–85 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन तथा राज्य सरकार से कुल 6,24.86 लाख रु० के ऋण प्राप्त किये। 31 मार्च 1985 को 9,37.24 लाख रु० (मूलधन 6,20.23 लाख रु० तथा दण्ड स्वरूप ब्याज सहित 3,17.01 लाख रु०) की राशि भुगतान के लिए अतिदेय थी। वर्ष 1982 के सेब मौसम के दौरान फसल मन्दी होने तथा अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का वाणिज्यिक उपयोग करने में बिलम्ब होने के कारण कम्पनी ने ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि बैंक से ऋणों की किश्त के पुनःनिर्धारण का अनुरोध किया (मई 1983)।

ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि बैंक ने अपने अध्यक्ष की सलाह पर (दिसम्बर 1984) कम्पनी के विस्तृत अध्ययन हेतु विशेषकर इसके वित्तीय, संगठनात्मक तथा प्रबन्धकीय पहलुओं का अध्ययन करने और इस विषय में एक महीने के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया (मार्च 1985)। किन्तु प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (नवम्बर 1985)।

कम्पनी ने कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से 1,95.26 लाख रु० की रोकड़ क्रैडिट सुविधाएं भी प्राप्त की थीं। 31 मार्च 1985 को ब्याज (24.91 लाख रु०) सहित 1,75.26 लाख रु० की राशि देय तथा बकाया थी।

7.8.4.3. सहायता अनुदान

कम्पनी ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार से कुल मिलाकर 3,00.02 लाख रु० की अनुदान सहायता भी प्राप्त की थी जैसे कि नीचे सारणीबद्ध है :—

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	उद्देश्य जिसके लिये संस्वीकृत है	वर्ष जिसमें संस्वीकृत हुई	अवधि जब तक अनुदान को प्रयुक्त किया जाना था	राशि (लाख रुपयों में)	अनुदानों में से किया गया व्यय (लाख रुपयों में)
(i)	जनजाति विकास अनुदान	भरमौर तथा रिकांग पिओ में ग्रेडिंगहाउस और जनजातीय क्षेत्रों में केबलवे की स्थापना हेतु निर्माण कार्य	1978–79 से 1982–83	मार्च 1984	18.32	10.23
(ii)	प्रचार हेतु सहायक अनुदान	टेलीविजन, रेडियों तथा होर्डिंग आदि पर इस के उत्पादन का प्रचार	1980–81 से 1984–85	जुलाई 1985	21.00	21.00
(iii)	नालीदार डिब्बों हेतु सहायता उपदान	नालीदार डिब्बों को लोकप्रिय बनाना	1980–81 से 1984–85	मार्च 1985	20.20	19.19
(iv)	निकृष्ट फलों की खरीद हेतु सहायता उपदान	विधायन श्रेणी सेब की खरीद	1980–81 से 1982–83	मार्च 1984	82.50	82.50
(v)	निकृष्ट फलों की खरीद की हानियों पर सहायता उपदान	श्रेणी सेब के विधायन का व्यापार	1980–81	मार्च 1981	117.00	117.00
(vi)	सीमांत धन परवाणु संयंत्र	साख पत्र की स्थापना	1979–80	मार्च 1981	40.00	40.00
(vii)	खुम्ब परियोजना हेतु सहायता उपदान	खुम्ब परियोजना को स्थापित करना	1977–78	मार्च 1979	1.00	1.00

लेखापरीक्षा (मई/जुलाई 1985) के दौरान अनुदानों की प्रयुक्तता के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान में आई :—

(i) जनजातीय विकास अनुदान (अनुदान की राशि: 18.32 लाख रु०) के अन्तर्गत किये गये 10.23 लाख रु० के कुल व्यय में से 6.26 लाख रु० (कर्मचारियों को वेतन व भत्ते : 1.23 लाख रु० और वाहनों की खरीद : 5.03 लाख रु०) अनुदान की शर्तों के अधीन जो उद्देश्य व्यवस्थित न थे उन पर प्रयुक्त किये गये। 8.09 लाख रु० की शेष राशि कम्पनी की कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की गई ।

(ii) कम्पनी ने निर्मलीकृत सेब रस 'ला गापुन' प्रचार पर अक्तूबर 1982 तक 21 लाख रु० के कुल प्रचार अनुदान में से 3.84 लाख रु० की राशि खर्च की थी। मार्च 1985 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान "ला-गापुन" की कुल बिक्री 2.99 लाख रु० रही । इस प्रकार प्रचार पर किया गया व्यय (3.84 लाख रु०) "ला–गापुन" की बिक्री (2.99 लाख रु०) के सम्मेय नहीं था।

(iii) कम्पनी ने दूरदर्शन पर फिल्म दिखाने के लिए प्रभारों को अभिनिश्चित किए बिना ही 0.74 लाख रु० की लागत पर 20 मिनट की एक वीडियो फिल्म तैयार की (1983–84) । दूरदर्शन पर प्रदर्शन के अत्यधिक प्रभारों के कारण फिल्म को तैयार होने के उपरान्त केवल एक बार ही प्रदर्शित किया जा सका ।

(iv) कम्पनी ने आवश्यकताओं के उचित आंकलन किये बिना नालीदार डिब्बों की खरीद के प्रति उपदान (प्राप्त उपदान : 14.00 लाख रु०) के अन्तर्गत 1982–83 में 26,069 नालीदार डिब्बे तथा 1984–85 के दौरान 1,03,818 डिब्बे खरीदे । इन में से 1,18,752 डिब्बे अभी भी स्टाक में पड़े थे (जुलाई 1985)। परिणामत: 12.44 लाख रु० को निधियों का अवरोधन हुआ । 1.01 लाख रु० की अनुदान राशि राज्य सरकार को प्रत्यर्पित नहीं की गई थी (अक्तूबर 1985)।

7.8.5. कार्यचालन परिणाम

31 मार्च 1985 को समाप्त चार वर्षों के लिए कम्पनी के कार्यचालन परिणाम नीचे सारांशित है :—

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
	(लाख रुपयों में)			
आय—				
बिक्री	119.42	136.50	272.32	433.36
अन्य आय	63.17	56.06	82.79	93.54
स्टाक में वृद्धि (+)/ कमी (—)	(+)89.67	(—)16.69	(+)30.36	(—)38.82
योग	272.26	175.87	385.47	488.08
निर्माण तथा व्यापार खर्चे	140.50	78.59	178.76	322.70
प्रशासनिक बिक्री तथा वितरण खर्चे	126.21	136.66	237.04	180.44
मूल्य ह्रास	58.78	48.00	105.29	85.14
ब्याज	29.57	68.39	107.58	109.78
योग	355.06	331.64	628.67	698.06
निवल हानि	82.80	155.77	243.20	209.98

कम्पनी वर्ष–प्रति वर्ष हानियां उठा रही थी। वर्ष 1984–85 तक समुचित 762.20 रु० की हानियां 352 लाख रु० शेयर पूंजी से अधिक हो गई थीं।

प्रबन्धकारिणी द्वारा बताये गये हानियों के कारण थे :—

(i) फल उत्पादों के बिक्री मूल्य का निर्धारण ऋण सेवा लागत तथा स्थायी परिसम्पतियों के मूल्य ह्रास को लेखें में लिये बिना किया गया ।

(ii) भारी स्थापना लागत तथा ऊपरी व्यय । कर्मचारियों पर हुए व्यय की राजस्व पर प्रतिशतता 1976–77 में 16.97 प्रतिशत से 1982–83 में 35.51 प्रतिशत की सीमा में थी ।

(iii) वाणिज्यिक तथा अवाणिज्यिक वाहनों के परिचालन पर अधिक व्यय।

(iv) संयंत्र क्षमताओं का अधोपयोग (नीचे अनुच्छेद 7.8.6.4)।

(v) उपार्जन, उत्पादन तथा विपणन शाखाओं के बीच कोई समन्वय नहीं था।

7.8.6. सेब विधायन तथा विपणन परियोजना

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1980–81 प्रतिवेदन के अनुच्छेद 7.8 में आई०डी०ए० क्रेडिट 456 आई०एन० के अन्तर्गत सेब विधायन तथा विपणन परियोजना के विभिन्न वाणिज्यिक घटकों के निष्पादन का उल्लेख किया गया था । सेब विधायन तथा विपणन परियोजना के वाणिज्यिक घटकों के कार्यचालन परिणाम निम्न अनुच्छेदों में दिये गये हैं :—

7.8.6.1. श्रेणीकरण तथा पैकिंग गृह

प्रत्येक 0.82 लाख बाक्सों की क्षमता वाले चार श्रेणीकरण (जिला सिरमौर में राजगढ़, जिला मण्डी में चिन्दी तथा चायल चौक और जिला शिमला में टूटू पाणी) एवं प्रत्येक 2.75 लाख डिब्बों को पैकिंग व श्रेणीकरण की क्षमता वाले छः पैकिंग तथा श्रेणीकरण गृह (जिला कुल्लू में पतली कूहल व भून्तर और जिला शिमला में ओड्डी, रोहड़ू, जड़ोल टिक्कर (कोटगढ़) एवं गुम्मा) 93.40 लाख रु० की कुल लागत से जुलाई 1978 से अगस्त 1981 के मध्य स्थापित तथा चालू किये गये थे। गत चार वर्षों के दौरान पैकिंग तथा श्रेणीकरण गृहों की कुल क्षमता एवं पैक किये गये तथा श्रेणीकृत डिब्बों की संख्या नीचे सारणीबद्ध है :—

	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85
		(डिब्बे लाखों में)		
कुल क्षमता	7.96	19.78	19.78	19.78
पैक किये गये तथा श्रेणीकृत	0.84	0.38	1.01	1.43
कमी	7.12	19.40	18.77	18.35
		(प्रतिशत)		
प्रयुक्तता	10.55	1.92	5.11	7.23

प्रबन्धकारिणी ने अधोप्रयुक्तता को निम्नलिखित कारणों से सम्बद्ध बताया (जुलाई 1984) :—

(i) आवश्यकता से अधिक क्षमता के संयंत्र व मशीनरी की स्थापना। वास्तविक अनुभव के आधार पर प्रत्येक 2.75 लाख डिब्बों की विद्यमान संस्थापित क्षमता वाले संयंत्र के स्थान पर 36,000 डिब्बों को पैक करने वाले संयंत्र की आवश्यकता थी।

(ii) कर्मचारियों एवं कामगारों के वेतन, पूंजी निवेश पर ब्याज के भुगतान और निर्धारित परिसम्पतियों पर मूल्य ह्रास के अधिक प्रभारों के कारण पैकिंग तथा श्रेणीकरण का खर्च परम्परागत प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादकों द्वारा वहन किये जा रहे खर्च की अपेक्षा अधिक होना।

(iii) इन पैकिंग व श्रेणीकरण गृहों में फलों के श्रेणीकरण तथा पैकिंग हेतु परिष्कृत उपकरणों की अनुपलब्धता।

(iv) एक हेक्टेयर से कम जोत वाले लघु किसानों से सीधी खरीद करके पैकिंग/श्रेणीकरण गृहों के लिए पर्याप्त व्यापार करने में कम्पनी की असमर्थता।

यह भी देखा गया कि कम्पनी ने जड़ोल टिक्कर में 5.07 लाख रु० (मशीनरी : 4.47 लाख रु०, तालाब : 0.60 लाख रु०) की लागत पर जल भण्डार, तालाब धोने तथा ब्रुश करने का तरीका संस्थापित किया (नवम्बर 1982)। परन्तु निधियों की कमी के कारण जल आपूर्ति लाईन नहीं बिछाई गई (नवम्बर 1985) और परिणामतः 5.07 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा।

7.8.6.2. ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों के शीत भंडारण

मूल परियोजना प्रतिवेदन (1974) के अन्तगर्त शहरी बाजारों में प्रत्येक 2,000 टन (1.10 लाख बक्सों) की क्षमता वाले चार शीत भण्डारणों का निर्माण किया जाना था। किन्तु कम्पनी ने उत्पादन क्षेत्रों में अर्थात् पतली कूहल (कुल्लू) गुम्मा, रोहड़ू, जड़ोल, टिक्कर (कोटगढ़) तथा औड्डी (शिमला) में प्रत्येक में 1,000 टन (0.55 लाख बक्से लागत 2,10.18 लाख रु०) की क्षमता वाले पांच शीत भण्डारों का निर्माण इस आधार पर किया कि फलों को तोड़ने के बाद सम्भाव्य कम से कम समय (24 घण्टे) में भण्डारण किया जा सके जिससे फलों की गुणावस्था का संरक्षण हो पाये तथा परीक्षण अवधि बढ़ पाये। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षेत्रों में रोधन सामग्री एवं प्रशीतन उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निवेश तथा संचालन व्यय में महत्वपूर्ण कमी होगी। ये जुलाई-अगस्त 1982 में चालू किये गये थे।

निम्न तालिका वर्ष 1984–85 पर्यन्त तीन वर्षों के लिए स्थापित क्षमता, हस्तगत बक्से तथा शीत भण्डारणों की प्रयुक्ति में कमी को इंगित करती है :—

	1982–83	1983–84	1984–85
		(बक्से लाखों में)	
स्थापित क्षमता	2.75	2.75	2.75
व्यवहृत बक्से	0.09	0.34	0.19
कमी	2.66	2.41	2.56
		(प्रतिशत)	
प्रयुक्तता	3.27	12.36	6.91

यह ध्यान में आया (जुलाई 1985) कि कम्पनी ने 31 मार्च 1985 पर्यन्त गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित 2.99 लाख रु० के राजस्व के प्रति अन्य खर्चों के अतिरिक्त (ब्यौरा उपलब्ध नहीं) विद्युत पर न्यूनतम प्रत्याभूति प्रभारों पर 7.74 लाख रु० वहन किये ।

प्रबन्धकारिणी द्वारा उत्पादन क्षेत्रों में शीत भण्डारों की अन्य प्रयुक्ति निम्न कारणों से सम्बद्ध बताई गई थी (जुलाई 1985) :—

(1) किसानों द्वारा अपने उत्पाद के बिक्री मूल्य की महीनों इन्तजार करने की उपेक्षा तत्काल उगाही के लिए प्राथमिकता देना ।

(2) भण्डार किये गये सेबों के अन्तस्थ मण्डियों तक परिवहन हेतु प्रशीतित वाहनों की अनुपलब्धता ।

7.8.6.3. आरा मिलें

सरकार ने पतली कूहल तथा ओड्डी में दो आरा मिलों को स्थापित करने का अनुमोदन किया यद्यपि परियोजना प्रतिवेदन में आरा मिल की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं था ।

पतली कूहल में आरा मिल को 1979-80 में स्थापित तथा चालू किया गया था । पतली कूहल आरा मिल के कार्य चालन का उल्लेख भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1982–83 के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 7.10.1 (V) में किया गया था ।

औड्डी में द्वितीय आरा मिल में स्थापित करने के लिए मार्च 1981 में 0.23 लाख रु० मूल्य की दो, 42 भारी ड्यूटी बैंड आरा मशीनें खरीदी गई थी। मशीनों को 0.61 लाख रुपये की कुल लागत पर मई 1984 में चालू किया गया था ।

आरा मिल को प्रयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि जिस भूमि पर इसकी स्थापना की गई थी वह कम्पनी की न होने के कारण कम्पनी इस मिल को चलाने हेतु सरकार से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर पाई। इस प्रकार ओड्डी में आरा मिल की स्थापना पर किया गया 0.61 लाख रु० का व्यय निष्फल रहा (दिसम्बर 1985) ।

7.8.6.4. फल विधायन संयंत्र

कम्पनी ने सेब विधायन तथा विपणन परियोजना के अधीन परवाणु में 4,06.69 लाख रु० की लागत पर फल विधायन संयंत्र स्थापित किया (सितम्बर 1981)। संयंत्र ने वर्ष 1981 की सेब ऋतु से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया। कम्पनी ने सरकार से एक रुपया प्रति वर्ष के नाम मात्र वार्षिक किराये पर जड़ौल (सुन्दर नगर) में एक और फल विधायन संयंत्र भी पट्टे पर लिया (अप्रैल 1975)। 31 मार्च 1985 पर्यन्त गत चार वर्षों के दौरान इन संयंत्रों के कार्यचालन के समक्ष राज्य में सेबों का कुल उत्पादन तथा उपार्जन नीचे सारणी कृत है :—

लाइसेंस स्थापित क्षमता	1981–82		1982–83		1983–84		1984–85	
	परवाणु	जड़ोल	परवाणु	जड़ोल	परवाणु	जड़ोल	परवाणु	जड़ोल
					(टनों में)			
सेब	18,000	25,000	18,000	25,000	18,000	25,000	18,000	25,000
आड़ू	190	..	190	..	190	..	190	..
टमाटर	10,080	..	10,080	..	10,080	..	10,080	..
शुष्क फल शेष	2,600	..	2,600	..	2,600	..	2,600	..
(ii) राज्य में सेबों का कुल उत्पादन	3,06,798	..	1,39,086	..	2,57,913	..	1,70,629	..
(iii) निकृष्ट सेब (परियोजना प्रतिवेदन में किये गये प्रावधानों के आधार पर कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत)	61,359	..	27,817	..	51,582	..	34,126	..

(iv) उपार्जित कच्चा माल सेब	13,546	2,634	2,706	333	3,798	846	717	317
आड़ू	..	..	19	..	45	..	52	..
(v) विधायित कच्चा माल								
सेब	5,643	2,634	2,616	333	3,798	846	717	317
आड़ू	..	..	19	..	45	..	52	..
(vi) निकृष्ट सेब की उपलब्धता की तुलना में उपार्जन में कमी	45,179	..	24,778	..	46,938	..	33,092	..
(vii) स्थापित क्षमता की तुलना में विधायन में कमी								
सेब	12,357	..	15,384	2,167	14,202	1,654	17,283	2,183
आड़ू	190	..	171	..	145	..	138	..
			(प्रतिशत)					
(viii) अल्प प्रयुक्ति सेब	68.65	..	85.47	86.68	88.90	66.16	96.02	87.32
आड़ू	100	..	90.00	..	76.32	..	72.63	..

उपरोक्त (iv) एवं (v) का अन्तर मण्डियों में भेजा गया (संदर्भ: वर्ष 1982–83 के प्रतिवेदन का अनुच्छेद 9.10.1 (vii)।

लाइसेंस स्थापित क्षमता	1981–82		1982–83		1983–84		1984–85	
	परवाणु	जड़ोल	परवाणु	जड़ोल	परवाणु	जड़ोल	परवाणु	जड़ोल
			(टनों में)					
(ix) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार तैयार माल का अपेक्षित उत्पादन								
साबित सेब	590	..*	274	..*	393	..*	75	..*
सुगन्धि युक्त सेब बीज	6	..	3	..	4	..	0.1	..
आधे-आधे आड़ू	..	..	20	..	46	..	53	..
(x) प्राप्त तैयार माल								
सुगन्धि युक्त सांद्रित सेब	495	..	270	..	378	..	62	..
सेब बीज	..	..	..	..	..	..	..	..
आधे-आधे आड़ू	..	..	11	..	..	..	22	..

*जड़ोल संयंत्र हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था ।

(xi) कभी सुगन्धि युक्त								
सांद्रित सेब	95	..	4	..	15	..	13	..
सेब बीज	6	..	3	..	4	..	0.1	.
आधे-आधे आड़ू	..	..	9	..	14	..	31	..

पूर्वोक्त से यह दृष्टिगोचर होगा कि परियोजना प्रतिवेदन में इंगित अपेक्षित उत्पादन की तुलना में कम तैयार माल का मूल्य 33.81 लाख रु० था। प्रबन्धकारिणी ने तैयार माल के उत्पादन में कमी के कारणों की जांच नहीं की थी तथा संयंत्रों की अल्प प्रयुक्ति को वर्ष 1983–84 में कम फसल तथा स्कैब संदूषण के कारण बताया गया था (जुलाई 1985)। प्रबन्धकारिणी का उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि स्कैब संदूषित फसलों के समायोजन के पश्चात भी फसल की उपलब्धता पर्याप्त थी।

7.8.7. आम के मुरब्बे का निर्यात

(i) कम्पनी ने भारतीय राज्य व्यापार निगम सीमित के माध्यम से सोवियत संघ को 120 टन आम के मुरब्बे के निर्यात का एक आदेश प्राप्त किया (फरवरी 1982)। कम्पनी ने 11.69 लाख रु० मूल्य का (उत्पादन मूल्य : 13.11 लाख रु०) 101 टन आम का मुरब्बा निर्यात किया (सितम्बर 1982) उत्पादन मूल्य (13.11 लाख रु०) तथा निर्यात बीजक के मूल्य (11.69 लाख रुपये) में 1.42 लाख रु० का अन्तर निर्यात प्रोत्साहन के रूप में कम्पनी को प्रतिपूरित किया जाना था। कम्पनी ने प्रोत्साहन के प्रति 2.36 लाख रु० की राशि का दावा किया (अक्तूबर 1982) जिस में से अप्रैल 1985 में 1.74 रु० का दावा इस आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि कम्पनी ने नौपरिवहन बिल की निर्यात प्रोन्नति प्रतिलिपि मूलरूप में प्रस्तुत नहीं की थी। कम्पनी ने एक याचिका दायर की थी (मई 1985) जो कि अभी तक अनिर्णीत थी (अक्तूबर 1985)।

11.69 लाख रु० बिक्री मूल्य के प्रति विदेशी क्रेताओं ने विकृति (11.10 प्रतिशत) तथा टिनों के फूलने एवं स्राव (0.37 प्रतिशत) के कारण 1.32 लाख रु० की राशि की कटौती की। इसके कारणों की जांच अभी तक नहीं की गई है (अक्तूबर 1985)।

(ii) कम्पनी ने मार्च 1982 में आमों के मुरब्बे के उत्पादन तथा निर्यात हेतु अपेक्षित कैनों, पैकटिन, साइट्रिक एसिड आदि के उपार्जन के लिए अपने केन्द्रीय बिक्री प्रबन्धक को प्राधिकृत किया। किन्तु अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ (जुलाई 1985) कि पैकटिन जून 1982 तक उपार्जित नहीं किया जा सका जिसके परिणाम-स्वरूप 7 जून 1982 से 19 जून 1982 के मध्य उपार्जित 0.13 लाख रु० मूल्य के 36,930 किलो ग्राम आमों में से 15.78 प्रतिशत खराब हो गये।

7.8.8. मिश्रित फलों के मुरब्बे का निर्यात

कम्पनी ने 0.10 लाख रु० प्रति टन की दर से सोवियत रूस को 100 टन मिश्रित फलों के मुरब्बे का निर्यात करने हेतु एक आदेश प्राप्त किया (जनवरी 1981)। जड़ोल संयंत्र द्वारा महाप्रबन्धक फल विधायन संयंत्र परवाणु को भेजे (जून 1981) अनुमान के अनुसार मुरब्बे के उत्पादन में खुबानी, सेब, आड़ू तथा आलू-बुखारे की लुगदी प्रयोग की जानी थी। केनों का उपार्जन समय पर न होने के कारण लुगदी के अवयवों को सेब, अनानास तथा पपीते में बदल दिया गया क्योंकि स्थानीय फलों अर्थात खुबानी, आड़ू तथा आलूबुखारे की ऋतु समाप्त हो गई थी। परिणाम-स्वरूप 335 किलोग्राम पैकटिन (मूल्य 0.77 लाख रु०) की अधिक खपत तथा फलों के के मूल्य में अंतर 0.39 लाख रु० के कारण मिश्रित फल मुरब्बे के उत्पादन की लागत 1.16 लाख रु० अधिक हो गई। इस प्रकार केनों के क्रय में विलम्ब से कम्पनी को मिश्रित फल मुरब्बे के निर्यात पर 1.16 लाख रु० की हानि वहन करनी पड़ी।

7.8.9. केनों का आयात

कम्पनी ने सोवियत रूस को निर्यात हेतु आम के मुरब्बे की पैकिंग के लिए 1,15,200 केनों (मूल्य : 1.80 लाख रु०) की आपूर्ति के लिए एक विदेशी फर्म को आदेश भेजा (मार्च 1982)। दो मार्च 1983 को प्राप्त आयातित केनों को भारत सरकार की दिनांक 9 जून 1978 की अधिसूचना के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों से सीमा शुल्क के भुगतान किये बिना ही छुड़ा लिया। अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट था कि सीमा शुल्क के भुगतान से छूट इस शर्त पर होगी कि बन्दरगाह पर माल की प्राप्ति की तिथि से छः मास के भीतर केनों का निर्यात किया जायेगा। चूंकि कम्पनी ने 2 सितम्बर 1983 तक कोई माल निर्यात नहीं किया था अतः सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1.80 लाख रु० मूल्य की केनों के आयात पर 2.06 लाख रु० सीमा शुल्क की मांग का नोटिस दिया (जनवरी 1985) तथा अगस्त 1985 तक 0.90 लाख रु० के ब्याज की राशि के भुगतान की मांग की। आयातित केनों को छः महीनों के अन्दर उपयोग में लाने में असफलता के कारण कम्पनी को 2.06 लाख रु० का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कम्पनी को इस प्रेषण पर क्षति-प्रभारों के प्रति 0.35 लाख रु० का परिहार्य अतिरिक्त व्यय भी वहन करना पड़ा।

7.8.10. अचार का विधायन

मार्च 1982 में प्रबन्धकारिणी द्वारा अनुमोदित वर्ष 1982 के उत्पादन कार्यक्रम में अचार का विधायन शामिल नहीं था तथापि यह ध्यान में आया (जुलाई 1985) कि जून 1982 में शिमला के वरिष्ठ विपणन अधिकारी के निर्देशों पर जड़ोल संयंत्र ने वर्ष 1982–83 में 1938 किलोग्राम खुम्ब का अचार (मूल्य : 0.65 लाख रु०) विधायित किया जिसमें से 981 किलो ग्राम (मूल्य : 0.33 लाख रु०) अन्य शाखाओं को हस्तान्तरित किया गया था और 0.32 लाख रु० मूल्य का शेष 957 किलो ग्राम स्टॉक में पड़ा था (अक्तूबर 1985)।

इसी प्रकार वर्ष 1983–84 में उत्पादन के कार्यक्रम के बिना उत्पादित 0.89 लाख रु० मूल्य का 10,850 किलोग्राम नींबू का अचार अभी भी (अक्तूबर 1985) अविक्रीत पड़ा था।

7.8.11. वाहनान्तरण केन्द्र

कार्यकुशल सेब विपणन पद्धति को उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से कम्पनी ने कुण्डली (दिल्ली-हरियाणा सीमा) तथा कीरतपुर साहब (पंजाब) (लागत: 17.13 लाख रु०) में मार्गस्थ भाण्डागार स्थापित किये। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने सरकार से 0.33 लाख रु० के वार्षिक किराए पर परवाणु में एक भाण्डागार पट्टे पर लिया। वर्ष 1982–83 से वर्ष 1984–85 के दौरान 13.03 लाख रु० के राजस्व के प्रति इन तीनो ही भाण्डागारों से संचालन पर 21.88 लाख रु० का व्यय हुआ। इन भाण्डागारों द्वारा वर्ष 1982–83 में 5.45 लाख, वर्ष

1983–84 में 10.92 लाख तथा वर्ष 1984–85 में 6.92 लाख बक्सों की व्यवस्था की गई थी। इन वर्षों के दौरान राज्य से बाहर निर्यात किए गए (वर्ष 1982–83 : 61.20 लाख बक्से, वर्ष 1983–84 92.28 लाख बक्से, वर्ष 1984–85 : लाख 75.08 बक्से) कुल बक्सों पर व्यवस्थित बक्सों की प्रतिशतता क्रमश: 9.61, 8.91 तथा 7.37 थी।

7.8.12. सीमांत मण्डियों में शीत भण्डारण

धारक कम्पनी ने 24.77 लाख रु० की लागत पर 1 अप्रैल 1975 से बम्बई स्थित शीत भण्डार के स्वामित्व को हस्तान्तरित कर दिया। कम्पनी ने पूंजीगत लागत (84.50 लाख रु०) के 7 प्रतिशत वार्षिक किराए पर नई दिल्ली में भी एक शीत भण्डार पट्टे पर लिया। वर्ष 1984–85 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान शीत भण्डारों के कार्यचालन परिणाम नीचे सारणीकृत हैं :—

	1982–83		1983–84		1984–85	
	दिल्ली	बम्बई	दिल्ली	बम्बई	दिल्ली	बम्बई
			(मीट्रिक टनों में)			
लाइसेंसकृत स्थापित क्षमता	4,250	2,000	4,250	2,000	4,250	2,000
प्रयुक्त क्षमता	उपलब्ध नहीं	1,780	3,298	1,740	4,690	1,660
			(प्रतिशत)			
प्रयुक्तता	उपलब्ध नहीं	89	77.6	87	110.3	82
			(लाख रुपयों में)			
राजस्व	12.55	19.36	17.84	22.13	23.48	19.73
व्यय	8.27	6.68	13.83	8.56	15.83	7.59
			(राशि रुपयों में)			
प्रतिटन राजस्व	..	1,088	541	1,272	501	1,189
व्यय	..	375	419	492	338	497

वर्ष 1984–85 के दौरान बम्बई में क्षमता प्रयुक्ति में ह्रास वस्तुओं की अप्राप्यता के कारण था।

7.8.13. अल्प वसूलियां

शाखा प्रबन्धक को भण्डारण प्रभार तय करने के लिये इस शर्त के साथ प्राधि-

कृत किया था (मार्च 1978) कि इस प्रकार निश्चित प्रभार विगत वर्ष के दौरान वसूल किए गए प्रभारों से कम नहीं होंगे ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2.22 लाख रु० के परिमाण तक राजस्व की अल्प वसूली हुई थी जैसा कि निम्नांकित है :—

	मामलों की संख्या	धन राशि (लाख रुपयों में)
(i) दिल्ली स्थित शीत भण्डार द्वारा भारित दरें विगत वर्ष की दरों से कम थीं	2	0.74
(ii) पुरानी दरें (13.80 रु० प्रति बोरी प्रति मौसम) ही भारित की गई थीं जबकि मार्च 1984 से 16.80 रुपये प्रति बोरी प्रति मौसम की संशोधित दर प्रभारित की जानी थी	13	0.66
(iii) न्यूनतम भण्डारण प्रभारों की वसूली न होना	1	0.39
(iv) दिल्ली स्थित शीत भण्डारों ने पुरानी दरें ही प्रभारित की हालांकि ये दरें दिसम्बर 1983, मई 1984 तथा मार्च 1985 से उच्चोन्मुखी संशोधित की गई थीं	296	0.32
(v) मासिक बिल के निर्धारित सीमा से कहीं कम होने के बावजूद भी बम्बई स्थित शीत भण्डार ने ग्राहकों को छूट (25 पैसे से 50 पैसे प्रति बोरी प्रति मास) दी ।	..	0.11

7.8.14. सेबों का उपार्जन एवं विपणन

परियोजना प्रतिवेदन (1975) के अनुसार कम्पनी ने प्रेषण के आधार पर बिक्री हेतु सीमान्त मण्डियों में प्राप्त सेबों के अतिरिक्त विपणन के लिये प्रत्येक वर्ष 10,000 टन (5.80 लाख बक्से) सेब खरीदने थे । इसके आधार पर वर्ष 1976-77 से मुख्य विपणन के अधीन एक सम्पूर्ण विपणन मंडल सृजित किया गया था। निम्नांकित तथ्य ध्यान में आए :—

(क) 2.50 लाख बक्सों के विपणन लक्ष्यों के प्रति कम्पनी 31 मार्च 1985 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान 279, 2,916 तथा 2,725 बक्से ही उपार्जित कर सकी । इस प्रकार उपार्जित सेब के विपणन के फलस्वरूप वर्ष 1982–83 में 0.02 लाख रुपये का लाभ तथा वर्ष 1983–84 एवं वर्ष 1984–85 में 0.52 लाख रु० की हानि हुई।

(ख) सीमान्त मंडियों के 5 क्षेत्रीय एवं 9 उप-कार्यालयों के माध्यम से बिक्री के अतिरिक्त कम्पनी ने चण्डीगढ़, लुधियाना, अमृतसर, अम्बाला छावनी, कोयम्बटूर तथा अहमदाबाद में प्रेषण के आधार पर ताजे फलों के विपणन हेतु बिक्री एजेंट भी नियुक्त किए ।

इन शाखाओं/एजेंटों ने वर्ष 1981–82 में 4.19 लाख बक्सों, वर्ष 1982–83 में 1.18 लाख बक्सों, वर्ष 1983–84 में 4.19 लाख बक्सों तथा वर्ष 1984–85 में 1.45 लाख बक्सों का व्यापार किया जबकि इन वर्षों के दौरान राज्य के कुल निर्यात क्रमश: 134.99 लाख बक्से, 61.20 लाख बक्से, 92.28 लाख बक्से तथा 75.08 लाख बक्से था। इन वर्षों के दौरान राज्य के कुल निर्णय पर कम्पनी द्वारा व्यापारित सेबों की प्रतिशतता (क्रमश: 2.48, 1.45, 1.24 तथा 1,64) उद्यान निदेशालय द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित थीं। लेखापरीक्षण में यह पाया गया कि कुछ फलोत्पादकों को एक ही किस्म के लिये अन्य उत्पादकों की तुलना में ऊंची दरें दी गई थीं। बिक्री-दरों में अन्तर की सीमा 15 रु० से 45 रु० प्रति बक्स थी। इसी प्रकार बम्बई में भी सितम्बर 1984 में एक ही तिथि को बेची गई उसी किस्म पर दरों के अन्तर की सीमा 10 रु० से 35 रु० प्रति बक्से के बीच थी।

(ग) भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने निर्णय लिया (जुलाई 1983) कि कम्पनी वर्ष 1983–84 के दौरान राज्य व्यापार निगम के सहयोग से 2,500 सेब निर्यात करने की व्यवस्था करें । विदेशी क्रेताओं से बिना कोई वचन लिए ही कम्पनी ने डिब्बों की पैकिंग तथा लागत सहित 3.18 लाख रु० में जड़ोल टिक्कर (1,198 डिब्बे), किन्नौर (351 डिब्बे) तथा गुम्मा (855 डिब्बे) से 2,404 डिब्बे उपार्जित किए । चूंकि कम्पनी के पास कोई भी क्रेता नहीं थे, सेबों को ओड्डी, जड़ोल टिक्कर तथा गुम्मा के शीत भण्डारों में रखा गया। जनवरी 1984 में कम्पनी ने 0.70 लाख रु० में श्री लंका को 450 डिब्बे सेब निर्यात किए । शेष 1,954 सेबों के डिब्बे स्थानीय रूप से 0.80 लाख रु० में बेचे गये थे । इस प्रकार 2,404 डिब्बे सेबों की बिक्री से 1.68 लाख रु० की हानि हुई ।

यह भी ध्यान में आया कि इन क्रयों में कम्पनी के एक निदेशक से जड़ोल टिक्कर में क्रय किये गये 1084 डिब्बे (0.85 लाख रु०) भी शामिल थे। वर्ष 1983-84 के दौरान निर्यात हेतु सेबों के क्रय में निदेशक के हित को व्यक्त नहीं किया गया था जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित था।

प्रबन्धकारिणी के अनुसार (फरवरी 1984) निर्यात हेतु उपार्जित किये गये तथा जड़ोल टिक्कर (कोटगढ़) में श्रेणीकृत एवं पैक किये गये सेब घटिया किस्म के थे और निर्यात हेतु अनुपयुक्त थे।

7.8.15. दूषित सान्द्र

बम्बई की एक शाखा के आदेश पर जड़ोल संयंत्र ने 0.96 लाख रु० मूल्य के सेब के रस के सान्द्र की 12,800 बोतलें प्रेषित की (अगस्त 1980)। यह प्रेषण जिसे मानवीय उपयोग हेतु योग्य नहीं पाया गया 24 अप्रैल 1982 को विधायन संयंत्र परवाणू के माध्यम से पुर्नविधायन हेतु वापिस प्राप्त हो गया था। सेबों के रस के सान्द्र के पुर्नविधायन हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। जनवरी 1982 में मामले की छानबीन के लिए वित्तीय सलाहकार को पूछताछ अधिकारी के रूप में इस मामले की छानबीन के लिये नियुक्त किया गया। छानबीन सम्बन्धी रिपोर्ट अभी (नवम्बर 1985) प्रतीक्षित थी। चूंकि सेबों के रस के सान्द्र की संग्रहणावधि 2 वर्ष है, अतः निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 0.96 लाख रु० (चुंगी तथा बम्बई तक और बम्बई से भाड़े के अतिरिक्त) की हानि हुई।

इसी तरह वर्ष 1982 में लखनऊ स्थित इकाई को भेजा गया 0.08 लाख रु० (आगे-पीछे के भाड़े के अतिरिक्त) मूल्य के सेबों के रस के सान्द्र को भी दिल्ली स्थित शाखा द्वारा मई 1985 में वापिस प्राप्त किया गया था क्योंकि वह भी मानवीय उपभोग हेतु अयोग्य था।

इसके अतिरिक्त जनवरी 1981 से अप्रैल 1983 की अवधि में उत्पादित 4.05 लाख रु० के मूल्य का स्टाक भी मानवीय उपभोग हेतु अयोग्य हो चुका था और इसकी छानबीन और बेकार घोषित होना प्रतीक्षित था (जुलाई 1985)।

7.8.16. विक्रय का मूल्य निर्धारण

कम्पनी ने उत्पादन लागत निकालने के लिये कोई भी पद्धति तैयार नहीं की हैं। सेब के रस के सान्द्र और सेब सुरभि का विक्रय मूल्य लगाई गई लागत पर विचार किये बिना तदर्थ आधार पर तय किया जाता है। ऐतिहासिक लागत के अनुसार 15 रु० तथा 16 रु० प्रति कि० ग्रा० के विक्रय मूल्य के प्रति वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान उत्पादित सेबों के रस के सान्द्र और सेब सुरभि की उत्पादन लागत 22.98 रु० से 72 रु० प्रति किलो ग्रा० थी।

कम्पनी ने कोई समरूप बिक्री नीति प्रतिपादित नहीं की है।

लेखापरीक्षा (मई-जुलाई 1985) में अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि कम्पनी ने बम्बई, मद्रास और चण्डीगढ़ में क्षेत्रबद्ध रूप से एकमात्र बिक्री एजेंट नियुक्त किए थे। इसके अलावा भारतीय सेना के कैण्टीन भण्डार विभाग को कम्पनी के उत्पाद की बिक्री हेतु एक व्यवस्थापक ऐजेण्ट भी नियुक्त किया गया था (जुलाई 1984)। यह पाया गया कि किसी भी एकमात्र बिक्री एजेन्ट की नियुक्ति वार्षिक आम सभा से अनुमोदित नहीं करवाई गई थी जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपेक्षित था।

7.8.17 एकमात्र बिक्री एजेण्ट को अनुचित लाभ

प्रबन्धकारिणी ने सान्द्र की बिक्री हेतु मई-जून 1984 में एक मात्र बिक्री एजेण्टों की नियुक्ति का निर्णय लिया और तदनुसार जून 1984 में निविदाएं आमन्त्रित की गई और खोली गईं। कुल तीन फर्मों ने अपनी दरें पेश कीं। फर्म "क" के साथ बातचीत के पश्चात् कम्पनी ने सितम्बर 1984 से अगस्त 1985 तक 150 टन सान्द्र की बिक्री हेतु पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा संघ क्षेत्र चण्डीगढ़ वाले क्षेत्रों के लिए फर्म "ख" (फर्म "क" की एक ऐसी सहयोगी संस्था जिसने कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था) को एकमात्र बिक्री एजेण्ट नियुक्त करने का करार कर लिया (अगस्त 1984)। लेखा परीक्षा (अगस्त 1985) में अभिलेखों की छानबीन से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए :—

(i) अनुबन्ध के अनुसार एकमात्र बिक्रीय एजेण्ट ने उठाई न गई मात्रा के मूल्य पर 18 प्रतिशत ब्याज देना था। अनुबन्ध की अवधि में (सितम्बर 1984 से अगस्त 1985) एजेण्ट द्वारा सेबों के रस का 150 टन सान्द्र उठाया जाना अपेक्षित था जबकि केवल 61 टन सान्द्र ही उठाया गया। कम्पनी के 0.55 लाख रु० के ब्याज के दावे (जुलाई 1985) का एजेंट द्वारा भुगतान नहीं किया गया था (सितम्बर 1985)।

(ii) सान्द्र की बिक्री हेतु कम्पनी द्वारा नियत (जनवरी 1984) 17 रु० (आबकारी शुल्क सहित) प्रति कि० ग्रा० की बिक्री दर के प्रति एजेण्ट को केवल 16 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर प्रभारित की गई थी।

(iii) कम्पनी वितरकों के माध्यम से फिर से बनाये सेबों के रस को 1.25 रु० प्रति गिलास की दर से बेच रही थी। एकमात्र बिक्री एजेण्ट को फिर से बनाये सेबों का रस 1.50 रु० प्रति गिलास की दर से बेचने की अनुमति दी गई, इसके फलस्वरूप एक मात्र बिक्री एजेण्ट को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(iv) 16 रु० प्रतिकिलो ग्राम की घटी हुई दरों पर सान्द्र की बिक्री के कारण एजेण्ट के माध्यम से सितम्बर 1984 से जून 1985 तक की अवधि के दौरान 61 टन सेबों के रस के सान्द्र की बिक्री पर कम्पनी को 0.61 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि सेबों के रस के सान्द्र के अधिक एकत्रित होने के कारण बड़े क्रेता का अभिनिर्धारण लाभप्रद था। इस लिए फर्म 'ख' को एकमात्र बिक्री एजेण्ट नियुक्त किया गया और उसे भारी मात्रा के क्रय पर रियायत दी गई। प्रबन्धकारिणी का यह उत्तर मान्य नहीं क्योंकि कम्पनी की इकाइयों द्वारा 224 टन स्टॉक उठाने व बिक्री करने की वार्षिक क्षमता के प्रति 31 अगस्त 1984 को सेब के रस के सान्द्र का समापन स्टाक केवल 245 टन था।

7.8.18. वितरक मशीनें

7.8.18.1. वितरक मशीनों का आयात

सेब विधायन तथा विपणन परियोजना की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में पुनर्विधायित सेबों के रस की बिक्री के लिए वितरक मशीनों के क्रय का कोई उपबन्ध नहीं था। वाणिज्यिक अवयवों के निमित्त रखी गई शेष ऋण सहायता का लाभ उठाने के विचार से कम्पनी ने इटली की एक फर्म से 2.93 लाख रु० की लागत पर कार्बोनेटिड पेय वितरक मशीन सहित 50 रस वितरक मशीनों का आयात किया (दिसम्बर 1981)। आयात लाइसेन्स प्राप्त करते समय कम्पनी ने इन मशीनों को परियोजना सामग्री नहीं दर्शाया जिसके फलस्वरूप इन वितरकों पर 1.17 लाख रु० के रियायती शुल्क के स्थान पर 4.89 लाख रु० के सीमा शुल्क का भुगतान किया गया। जनवरी 1984 में कम्पनी ने 1.89 लाख रु० की अतिरिक्त मांग प्राप्त की थी तथा यह मामला सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़ा था (जुलाई 1985)। इस प्रकार कम्पनी द्वारा इन मशीनों को परियोजना सामग्री निर्दिष्ट करवाने में चूक के कारण 3.72 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

7.8.18.2. निष्क्रिय वितरक मशीनें

यद्यपि मदर डेरी के निर्गमों के माध्यम से सेब के रस की बिक्री हेतु शर्तें निर्धारित नहीं की गई थी तथापि दिल्ली की मदर डेरी के निर्गमों के माध्यम से सेब के रस की बिक्री हेतु कम्पनी ने 0.89 लाख रु० की लागत की सहायकियों सहित 24 मदर डेरी वितरक मशीनें खरीदीं (अप्रैल 1981)। इनमें से 5 मशीनें बेच दी गई तथा 0.70 लाख रु० मूल्य की शेष 19 मशीनें स्टाक में पड़ी थीं (अगस्त 1985)।

0.45 लाख रु० की लागत से दिसम्बर 1981 में आयातित एक कार्बोनेटिड वितरक मशीन (गैस से संचालित) इस तथ्य के कारण निष्क्रिय पड़ी थी (जुलाई 1985) कि सेब के रस को जमाने की लागत अन्य वितरक मशीनों की तुलना में अधिक थी।

7.8.19. विदेश भ्रमण तथा विदेशों में प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थ/अध्ययनार्थ भ्रमण)

संशोधित परियोजना प्रतिवेदन (सितम्बर 1975) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 13 अधिकारियों को विदेशों में 78 मास तक प्रशिक्षण देने हेतु 12.48 लाख रु० तथा देश

में प्रशिक्षण हेतु 8.30 लाख रु० की धनराशि की सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान करनी थी। लेखापरीक्षा (मई-जुलाई 1985) में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि :—

(क) 13 अधिकारियों के वैदेशिक प्रशिक्षण हेतु 12.48 लाख रु० के प्रावधान के प्रति कम्पनी ने 30 अधिकारियों के प्रशिक्षण पर 18.36 लाख रु० का व्यय किया।

(ख) 3.95 लाख रु० के व्यय से पैकिंग, श्रेणीकरण तथा फसलोपरान्त सेबों के प्रबंध में प्रशिक्षित 9 अधिकारियों में से प्रशिक्षणोपरान्त केवल एक अधिकारी ही पैकिंग तथा श्रेणीकरण गृह में नियुक्त किया गया और शेष 8 को भाण्डागारों तथा सीमान्त मण्डियों में नियुक्त किया गया।

(ग) 3.12 लाख रु० के व्यय से फल विपणन तथा वित्तीय नियंत्रण में सात अधिकारी प्रशिक्षित हुए जो परियोजना प्रतिवेदन में प्रदत्त कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं थे।

(घ) 1.38 लाख रु० के व्यय से विदेशों में प्रशिक्षित दो अभियन्ताओं में से एक को नियन्त्रित वातावरण भण्डारण में प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन कम्पनी के पास न तो कोई ऐसा भण्डारण था और न निकट भविष्य में ही ऐसा संस्थापित करना प्रस्तावित था।

(ङ) विदेशों में प्रशिक्षित अधिकारियों तथा अभियन्ताओं द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित था जिसके लिए परियोजना प्रतिवेदन में 8.30 लाख रु० का उपबन्ध था। यद्यपि कार्य के अभाव में विभिन्न परियोजना अवयवों में नियुक्त कर्मचारी बेकार बैठे रहे लेकिन फिर भी कम्पनी ने अभी तक (जुलाई 1985) अधीनस्थ कर्मचारियोंके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की थी।

(च) 0.93 लाख रु० के व्यय से विदेशों में प्रशिक्षित दो अधिकारियों को अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया (अगस्त 1983 तथा दिसम्बर 1984)।

7.8.20. विविध ऋणी

निम्नांकित तालिका 1984-85 तक के तीन वर्षों के खाता ऋणों तथा बिक्रियों का मूल्य इंगित करती है :—

खाता ऋण

31 मार्च को	वसूली योग्य समझे गए	संदेहास्पद समझे गए	योग	वर्ष के दौरान बिक्रियां	बिक्रियों पर ऋणों की प्रतिशतता
		(लाख रुपयों में)			
1983	34.32	21.29	55.61	136.50	40.74
1984	39.19	16.41	55.60	272.32	20.42
1985	37.55	30.46	68.01	433.35	15.69

विविध ऋणी वर्ष 1982–83 में लगभग 4.9 मास की बिक्री, वर्ष 1983–84 में 2.5 मास की बिक्री तथा वर्ष 1984–85 में 1.9 मास की बिक्री के तुल्य थे।

कम्पनी ने वर्ष 1979–80 से वर्ष 1984–85 की अवधि के दौरान 45.98 लाख रु० (ब्याज तथा कानूनी व्यय सहित) के देयों की वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों में 1413 मामले दायर किए। इनमें से 27.59 लाख रु० के 1,117 मामलों का निर्णय कम्पनी के पक्ष में गया है जिस के प्रति कम्पनी अभी तक (नवम्बर 1985) केवल 7.29 लाख रु० वसूल कर पाई है। 0.18 लाख रु० की धनराशि के 16 मामले न्यायालय द्वारा खारिज किये गए।

34 पार्टियों से वसूल की जाने वाली 0.61 लाख रु० की धनराशि कालातीत हो चुकी थी। कम्पनी ने खारिज किए गए मामलों तथा काल बाधित मामलों में मुकदमा दायर न किए जाने के कारणों की छानबीन नहीं करवाई थी (जुलाई 1985)।

7.8.21. लेखा नियमावली

कम्पनी ने अभी तक (जुलाई 1985) कच्चे माल के उपभोग, प्राप्त किए जाने वाले उत्पादों, विभिन्न अभिलेखों के अनुरक्षण, मुख्यालय को भेजे जाने हेतु विभिन्न विवरणियों का निर्देशन तथा मूल्य नियत करने हेतु प्रतिमानों के निर्धारण सम्बन्धी कोई लेखा नियमावली तैयार नहीं की थी।

7.8.22. अन्य रुचिकर प्रसंग

7.8.22.1. विद्युत फुहारकों का क्रय

कम्पनी ने 74.04 लाख रु० की कुल लागत से जापान से तीन माडलों के 2300 विद्युत फुहारक सेब उत्पादकों को बेचने के लिए आयात किए (सितम्बर 1985)।

इन फुहारकों पर सीमा शुल्क के भुगतान की छूट प्रदान करते समय भारत सरकार ने कम्पनी से यह घोषित करवाया (जुलाई 1984) कि प्रशासनिक तथा चढ़ाई-उतराई प्रभारों को माल उतारने तक पड़ी लागत (लागत तथा गन्तव्य स्थल तक भाड़ा) को 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा और इन्हें बिना लाभ बिना हानि के आधार पर बेचा जाएगा।

यह पाया गया (जुलाई 1985) कि कम्पनी ने फुहारकों को प्रशासनिक तथा चढ़ाई-उतराई प्रभारों एवं ब्याज के प्रति लागत पर 29 से 33 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार लगा कर बेचा था।

31 मार्च 1985 तक 66.68 लाख रु० (गन्तव्य स्थान तक भाड़े एवं ब्याज सहित) की लागत वाले 1727 विद्युत फुहारक 18.11 लाख रु० का अनभिप्रेत लाभ कमाकर 84.79 लाख रु० में बेचे गए थे। 16.53 लाख रु० मूल्य के 573 विद्युत फुहारक अविक्रीत पड़े थे (अगस्त 1985)।

निम्नांकित तथ्य भी ध्यान में आए :—

(क) 0.50 लाख रु० मूल्य के 153 माडल के 13 विद्युत फुहारक खराब पड़े थे (जुलाई 1985)।

(ख) 16.03 लाख रु० मूल्य के अन्य दो माडलों के 560 विद्युत फुहारक बेचे नहीं जा सके (जून 1985) क्योंकि सेब उत्पादकों से इसकी मांग नहीं हुई थी।

(ग) आपूर्ति करने वाली फर्म ने विक्रयोत्तर सेवा कार्यशाला स्थापित नहीं की जैसा कि अनुबन्ध में व्यवस्थित था।

7.8.22.2 निकासी एजेण्ट की नियुक्ति

खाद्य पदार्थों का एक ट्रक भार फल विधायन संयंत्र परवाणू से कलकत्ता शाखा को भेजा गया (जनवरी 1985)। कम्पनी ने सदाशयता निश्चित किये बिना चुंगी प्राधिकारियों से माल की निकासी के लिये देय चुंगी पर 10 प्रतिशत कमीशन की अदायगी के आधार पर एक चुंगी अभिकर्ता की नियुक्ति की थी (जनवरी 1985)। कम्पनी ने धारक चैक द्वारा 1,6031.30 रु० चुंगी और 171 रु० कमीशन का भुगतान किया (जनवरी 1985)। प्रवेश कर अधिकारी द्वारा निर्धारण के समय (फरवरी 1985 पाया गया कि अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कर की रसीद संबंधित कर अधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई थी। अभिकर्ता के ठौर-ठिकाने का कोई पता नहीं चल पाया और कम्पनी को ज्ञात हुआ कि मागरा चैक पोस्ट पर ऐसा कोई अभिकरण स्थित नहीं था। प्रवेश कर अधिकारी ने कम्पनी को 0.16 लाख रु० की राशि तथा जुर्माना के तौर पर समान राशि अर्थात् 0.16 लाख रु० 30 जुलाई 1985 तक जमा करवाने के आदेश दिये जिसे न करने पर जुर्माने की राशि बढ़ कर 1.60 लाख रु० तथा चुंगी और जुर्माने की कुल मांग 1.76 लाख रु० हो जानी थी। इस मामले की सूचना शाखा कार्यालय कलकत्ता ने जुलाई 1985 में दी थी और यह निर्णय लिया गया (जुलाई 1985) कि कर अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जाए। रिट याचिका इस कारण दायर नहीं करवाई कि शाखा में निर्धारण आदेश प्राप्त नहीं हुए थे (जुलाई 1985)।

7.8.22.3. मण्डपों का निर्माण

नौवें एशियाई खेलों की विशेष संगठनात्मक समिति ने कम्पनी से खाद्य पदार्थों, पेय एवं अन्य स्मारिका मदों के बिक्रय हेतु 0.15 लाख रु० प्रति मण्ड की दर से कलात्मक बनावट के मण्डपों के प्रयोजन हेतु अनुरोध किया था (मार्च 1982)। विशेष संगठनात्मक समिति द्वारा कम्पनी को मण्डपों पर एक उपाख्यान वहन करने का अवसर प्रदान किया जाना था। कम्पनी ने तीन मण्डपों के प्रति 0.56 लाख रु० (संस्थापनात्मक प्रभार : 0.45 लाख रु० एवं विक्रय शुल्क: 0.11 लाख रु०) का भुगतान किया (जुलाई 1982)। यद्यपि मण्डपों का आबंटन सितम्बर 1982 में किया गया था परन्तु कम्पनी को इसका अधिकार नहीं दिया गया। अंततः कम्पनीने नवम्बर 1982 में राशि के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध किया जिसे विशेष संगठनात्मक समिति ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया (दिसम्बर 1982) कि कम्पनी द्वारा एक कलात्मक

बनावट के मण्डल का प्रयोजन किया जाना था जिसके बदले में समिति द्वारा कम्पनी को मण्डप पर एक उपाख्यान वहन करने का अवसर दिया जाना था। यह भी कहा गया कि चूंकि अन्य कोई शर्त नहीं थी और कम्पनी का उपाख्यान एशियाई खेलों के दौरान मण्डप पर अंकित था अतः विशेष संगठनात्मक समिति द्वारा आश्वस्त आभार पूरा हो चुका था। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उन्हें न तो विशेष संगठनात्मक समिति ने उपाख्यान अंकित करने के लिये कहा न ही कम्पनी द्वारा उपाख्यान पर कोई व्यय किया गया था। कम्पनी द्वारा अदायगी के प्रत्यर्पण हेतु आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (जुलाई 1985)।

7.8.22.4. परिहार्य व्यय

भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों वित्तीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों राज्य तथा केन्द्रीय विभागों को विज्ञापन रेडियों तथा टेलीवीजन को सौंपने के लिये विज्ञापन अभिकरणों का उपयोग न करने की मन्त्रणा दी (मार्च 1984) तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्राधिकारियों को निर्देश दिये कि इन संगठनों के विज्ञापन बुक करते समय दरों पर 15 प्रतिशत छूट दी जाए। यह ध्यान में आया कि कम्पनी द्वारा दिल्ली की एक फर्म को अप्रैल 1985 में अपने विज्ञापनों को दूरदर्शन पर व्यवस्थित करने हेतु नियुक्त किया गया था और उसे 7 स्पाटों के लिये 0.71 लाख रु० के कमीशन का परिहार्य भुगतान किया गया था। प्रबन्धकारिणी ने बताया (जुलाई 1985) कि अभिकरण को विज्ञापन इस कारण से दिया गया था कि अप्रैल 1985 में छापी गई पुस्तिकाओं के प्रति उन्हें अभिकरण शुल्क तथा डिजाइन प्रभारों की कोई अदायगी नहीं की गई थी। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि फर्म को अभिकरण कमीशन तथा पुस्तकालयों के डिजाइन प्रभार के रूप में 0.11 लाख रु० का भुगतान किया गया था।

7.8.23. सारांश

--जनजातीय अनुदान के प्रति 10.23 लाख रु० के व्यय में से कर्मचारियों के वेतन और वाहनों के क्रय पर किया गया 6.26 लाख रु० का व्यय अनुदान में व्यवस्थित नहीं था। ला-गापून के प्रचार के प्रति इस आशय के लिये प्राप्त अनुदान में से किया गया व्यय (3.84 लाख रु०) इसकी बिक्री (2.99 लाख रु०) के सम्मेय नहीं था।

--विज्ञापन हेतु 0.74 लाख रु० की लागत पर वर्ष 1983-84 में तैयार की गई वीडियो फिल्म पर्दे पर प्रदर्शन के अत्यधिक प्रभारों के कारण निर्माणोपरान्त दूरदर्शन द्वारा एक ही बार (निःशुल्क) प्रदर्शित की गई।

--3.52 लाख रु० की प्रदत्त पूंजी के प्रति कम्पनी की समुच्चित हानियों की राशि 762.20 लाख रु० हो गई थी।

--पैकिंग तथा श्रेणीकरण गृहों की प्रयुक्तता जो वर्ष 1981-82 में 10.55 प्रतिशत थी वर्ष 1984-85 में घट कर 7.2 प्रतिशत रह गई थी।

—उच्चस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के शीत भंडारण केवल 3.27 प्रतिशत से 12.36 प्रतिशत की सीमा तक ही प्रयुक्त किये गये थे।

—मई 1984 में 0.61 लाख रु० की लागत पर ग्रोड्डी में प्रारम्भ की गई आरा मिल राज्य सरकार के पास पंजीकरण के अभाव में प्रयोग में नहीं लाई जा सकी।

—परवाणू में फल विधायन संयंत्र 68.65 प्रतिशत से 96.02 प्रतिशत सीमा तक और जड़ोल में 66.16 प्रतिशत से 87.32 प्रतिशत की सीमा तक अल्प प्रयुक्त हुआ। वर्ष 1982–83 से 1984–85 के कालांतर में प्रत्याशित तैयार माल के उत्पाद में ह्रास का मूल्य 33.81 लाख रु० था।

—वर्ष 1982–83 में आम के मुरब्बे के निर्यात में 3.06 लाख रु० की निवल हानि हुई।

—आम के मुरब्बे के निर्यात हेतु 1.80 लाख रु० की लागत के 'केनों के आयात में विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी को 2.41 लाख रु० सीमा शुल्क एवं ब्याज के रूप में देने पड़े।

—वर्ष 1983–84 में बिना उत्पादन कार्यक्रम के विधायित 1.21 लाख रु० के अचार अविक्रीत पड़े थे।

—सीमान्त मण्डियों में शीत भण्डारणों में वस्तुओं का भण्डारण करने वाले पक्षों से 2.22 लाख रु० की राशि कम वसूल की गई।

—2.50 लाख बक्सों के विपणन लक्ष्य के प्रति कम्पनी वर्ष 1982–83 से 1984–85 तक केवल क्रमशः 279, 2916 और 2725 बक्सों का ही व्यापार कर पाई।

—निर्यात के लिये उपार्जित सेबों को स्वदेशी मण्डी में 1.68 लाख रु० की हानि पर बेचा गया था। इनमें एक निदेशक के बगीचे से निम्न स्तर के सेबों की खरीद भी सम्मिलित है।

—अगस्त 1980 से अप्रैल 1984 के कालान्तर में उत्पादित 5.09 लाख रु० के स्टॉक का जो मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो गया था दूषित घोषित होना प्रतीक्षित था।

—मिश्रित फलों के मुरब्बे की पैकिंग के लिए डिब्बों के उपार्जन में विलम्ब के कारण 1.16 लाख रु० का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294(2) के अंतर्गत अपेक्षित एक मात्र बिक्री अभिकर्ता की नियुक्ति का अनुमोदन भी महासभा से नहीं करवाया गया था।

—वर्ष 1981 में 0.70 लाख रु० में खरीदी गयी 19 औषधि वितरक मशीनें निष्क्रिय पड़ी थीं।

—7.32 लाख रु० के व्यय से विदेश से प्रशिक्षित कम्पनी के 16 अधिकारी उस कार्य पर तैनात नहीं किये गये थे जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था।

—कम्पनी ने विद्युत फुहारकों की बिक्री पर बागबानों से, जिन्होंने मूल्य अग्रिम जमा किया हुआ था, 10 प्रतिशत अधिकतम लाभ के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित करने के अतिरिक्त 29 प्रतिशत से 33 प्रतिशत की सीमा तक लाभ अर्जित किया।

—विश्वसनीयता की जांच किये बिना कलकत्ता शाखा द्वारा नियुक्त किये गये चुंगी अभिकर्ता ने कम्पनी के साथ 0.16 लाख रु० की धोखाधड़ी की और फलतः चुंगी तथा जुर्माने के रूप में 1.76 लाख रु० की मांग हुई थी।

—कम्पनी द्वारा नवम् एशियाई खेलों के दौरान तीन क्रीड़ाङ्गणों में निर्मित मण्डपों पर उपाख्यान अंकित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 0.56 लाख रु० का व्यर्थ व्यय हुआ।

—सीधे दूरदर्शन को विज्ञापन दे कर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने हेतु भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को दिये गये निर्देशों के बावजूद कम्पनी ने इस कार्य के लिये दिल्ली की एक फर्म को नियुक्त किया तथा उसे कमीशन के रूप में 0.71 लाख रु० का भुगतान किया।

इस मामले में सरकार को अगस्त 1985 में सूचित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 1985)।

7.9. हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित

7.9.1. मशीनरी का अविवेकपूर्ण क्रय

गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवा कर गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कम्पनी ने पांवटा साहब में 14.50 लाख रु० की लागत पर 150 टन गन्ना प्रतिदिन (100 कार्य दिवसों के प्रति मौसम में 15,000 टन) की पिराई क्षमता वाला एक खाण्डसारी संयन्त्र संस्थापित किया (दिसम्बर 1981)। विगत तीन मौसमों के दौरान इस इकाई द्वारा गन्ने का वास्तविक उपार्जन एवं पीड़न क्रमशः 5,736 टन (नवम्बर 1981 से मई 1982), 7,644 टन (दिसम्बर 1982 से जून 1983) तथा 9,503 टन (दिसम्बर 1983 से अप्रैल 1984) था। वर्ष 1984–85 तक इस इकाई की एकत्रित हानियां 96.63 लाख रु० थी। यद्यपि इस क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने की मात्रा के पीड़न हेतु 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला विद्यमान संयन्त्र पर्याप्त था लेकिन फिर भी प्रबन्धकारिणी ने इस मान्यता के आधार पर पीड़न क्षमता में 250 टन प्रतिदिन की वृद्धि का निर्णय लिया (जून 1982) कि पांवटा घाटी (जिला सिरमौर) के कृषकों ने गन्ने की खेती लगभग तिगुनी बढ़ा दी है किन्तु यह मान्यता सही नहीं थी क्योंकि अर्थ एवं सांख्यिकी तथा कृषि विभागों के अभिलेखों ने दर्शाया कि वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983–84 के दौरान सिरमौर जिले में गन्ने की खेती क्रमशः 1,032 हेक्टेयर, 934 हेक्टेयर, 1,018 हेक्टेयर तथा 1,227 हेक्टेयर ज़मीन में हुई थी। 16.38 लाख रु० की लागत पर जनवरी 1983 में प्रतिष्ठापित 200 टन प्रतिदिन की पीड़न क्षमता वाली अतिरिक्त मशीनरी निष्क्रिय पड़ी रही। इस प्रकार अतिरिक्त पीड़न संयन्त्र के क्रय एवं प्रतिष्ठापन पर 16.38 लाख रु० का निवेश निष्फल सिद्ध हुआ।

सरकार/प्रबन्ध कारिणी ने बताया (अगस्त 1985) कि यह इकाई 30,000 टन की पीड़न क्षमता पर जीव्य थी। हिमाचल परामर्शदाता संगठन समिति (हिमकोन) जिन्होंने तकनीकी

व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया, वर्ष 1983–84 के दौरान गन्ने की उपलब्धता 40,000 टन ली थी तथा बीज एवं स्व-उपभोग हेतु 40 प्रतिशत का प्रावधान करने के पश्चात् शेष 60 प्रतिशत (24,000 टन) इकाई के लिए उपलब्ध बताया गया। अतः फैक्टरी की पीड़न क्षमता 150 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 टन प्रतिदिन की गई थी तथा कम्पनी ने गन्ने की उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार के क्षेत्र सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया और न ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से विशेषज्ञता परामर्श लिया जैसा कि हिमाचल परामर्शदाता संगठन सीमित ने अपनी तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट में राय दी थी।

7.9.2. आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान

वर्ष 1982–83 तथा 1983–84 के दौरान कम्पनी ने निविदाएं आमन्त्रित करने के पश्चात् परवाणु स्थित पशु आहार संयंत्र में प्रयोगार्थ निजी आपूर्तिकर्ताओं से मक्की खरीदी। सफल निविदाकारों द्वारा मक्की की आपूर्ति हेतु एक शर्त यह थी कि सामग्री में 4 प्रतिशत से अधिक असंगत सामग्री नहीं होनी चाहिए और विश्लेषण पर 10 प्रतिशत (भार द्वारा) से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। यदि नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक होती तो यथानुपात कटौती की जानी थी।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1985) में अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि 1982–83 तथा 1983–84 के वर्षों के दौरान किए गए मक्की के कुल क्रय में से कम्पनी ने क्रमशः 5,021 क्विंटल (मूल्य: 8.67 लाख रु०) तथा 3,705 क्विंटल (मूल्य: 5.83 लाख रु०) ऐसी मक्की खरीदी जिसमें नमी 10 से 14.2 प्रतिशत तक थी किन्तु अधिक नमी के कारण की जाने वाली 0.32 लाख रु० की यथानुपात कटौती नहीं की गई और परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान किया गया।

सरकार को यह मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 1985)।

7.9.3. निष्फल व्यय

कम्पनी ने कन्दरोड़ी स्थित जस्तीकरण संयंत्र सहित एक तारकशी संयंत्र को स्थापित करने का निर्णय लिया (सितम्बर 1980) हालांकि कम्पनी ने न तो औद्योगिक परियोजना अनुमोदन तथा समीक्षा प्राधिकारी (आई०पी०ए० आर० ए०—राज्य सरकार का एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय) से इसका अनुमोदन ही प्राप्त किया और न ही परियोजना के संस्थापन हेतु औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन लाईसेंस सुनिश्चित किया। 48.60 लाख रु० (तारकशी संयंत्र: 35.69 लाख रु० तथा जस्तीकरण संयंत्र: 12.91 लाख रु०) मूल्य की मशीनरी क्रय करके (मई 1981) मार्च 1983 में प्रतिष्ठापित की गई थी। तत्पश्चात् भारत सरकार ने 12 एस०डब्ल्यू०जी० तथा मोटे आकारों में सभी श्रेणी

के तारों के 3,000 टन के निर्माण हेतु लाईसेंस दे दिया (नवम्बर 1981) । चूंकि जस्तीकृत तार के निर्माण हेतु कम्पनी को लाईसेंस प्रदान नहीं किया गया था और 12 एस० डब्ल्यू० जी० गेज के तारों की मांग नहीं थी, अतः जस्तीकरण संयंत्र हेतु क्रय की गई मशीनरी (12.91 लाख रु०) निष्क्रिय पड़ी रही (अप्रैल 1985) इसके अतिरिक्त कम्पनी ने जस्तीकृत तार के निर्माण हेतु अपेक्षित कच्चा माल (10.15 लाख रु०) भी खरीदा (अगस्त/सितम्बर 1983) जो अप्रयुक्त पड़ा था (अक्तूबर 1985) ।

इस प्रकार जस्तीकरण संयंत्र हेतु मशीनरी के उपार्जन और कच्चे माल पर 23.06 लाख रु० का निवेश निष्फल रहा (अक्तूबर 1985)।

सरकार को यह मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था ; उत्तर प्रतिक्षित है (अक्तूबर 1985) ।

7.9.4. श्रम ठेकेदार को क्षतिपूर्ति भुगतान

गन्ने की पिराई और खाण्डसारी के विधायन हेतु मजदूरी का ठेका सितम्बर 1982 में एक ठेकेदार 'क' को दिया गया था । करारनामे के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान 230 रु० प्रति टन उत्पादित चीनी की दर से किया जाता था तथा चीनी की उपलब्धि 6.5 प्रतिशत से अधिक होने पर उचित प्रोत्साहन भी देय था। ठेकेदार की गलती के अतिरिक्त अन्य कारणों से कार्य रुकने की स्थिति में कम्पनी ने ठेकेदार को 31 जनवरी 1983 तक 2,000 रु० प्रतिदिन की दर से तथा 1 फरवरी 1983 से 25,000 रु० प्रतिदिन के हिसाब से क्षति पूर्ति देनी थी जिसे कार्य में लगाए गए श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी से सीमित किया जाना था ।

अभिलेखों की छानबीन (जनवरी-फरवरी 1985) ने दर्शाया कि ठेकेदार द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों की अपेक्षित संख्या एवं कार्य के रुकने की दशा में अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का परिमाण निर्धारित करते समय कम्पनी ने मौसम के दौरान 76 टन प्रतिदिन के वास्तविक पेरन तथा पेरित गन्ने की 5 प्रतिशत की अधिकतम उपलब्धि के प्रति जनवरी 1983 तक औसत पेरन 150 टन प्रतिदिन तथा तत्पश्चात 200 से 250 टन प्रतिदिन एवं चीनी की उपलब्धि दर 6.5 प्रतिशत ली थी ।

ठेकेदार ने 6 दिसम्बर 1982 से कार्य आरम्भ किया तथा 15 मार्च 1983 को छोड़ दिया ।

ठेके की अवधि के दौरान फैक्टरी ने 44 दिन कार्य किया तथा 55 दिन (24 दिन कृषकों की हड़ताल के कारण था तथा 31 दिन खराब मौसम के कारण) बन्द रही। ठेकेदार को 1.46 लाख रु० (44 कार्य दिवसों के लिए ठेकेदार को 0.28

लाख रु० तथा 55 निष्कार्य दिवसों के लिए क्षतिपूर्ण के रूप में 1.18 लाख रु० दिए गए) का भुगतान किया गया । कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाए गए वास्तविक श्रमिकों का अभिलेख नहीं रखा था जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी से क्षतिपूर्ति को सीमित नहीं किया जा सका जैसे कि अनुबन्ध में परिकल्पित था ।

इस प्रकार गन्ने के पेरन के अवास्तविक आंकलन के परिणामस्वरूप ठेकेदार की प्रतिदिन की वास्तविक आय की तुलना में अधिक दरों पर क्षतिपूर्ति का निर्धारण हुआ और 0.83 लाख रु० का अधिक भुगतान हुआ ।

सरकार को यह मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 1985)।

7.9.5. अतिरिक्त व्यय

परवाणु में कीट एवं कृमिनाशक संयंत्र के लिए भवन निर्माण हेतु कम्पनी द्वारा आमन्त्रित निविदाओं के प्रत्युत्तर में पांच फर्मों ने कार्य की अनुमानित मात्रा के लिए 6.79 लाख रु० से 9.11 लाख रु० तक की सीमा में अपनी दरें निवेदित की (फरवरी 1983) । फर्म 'क' की न्यूनतम दर (6.79 लाख रु०) को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि कंकरीट, ईंट तथा इस्पात कार्यों में से दरें व्यवहार्यता से अतीव कम थीं । कम्पनी के सहायक अभियन्ता ने अपने स्तर पर यद्यपि वह सक्षम नहीं था लेकिन फिर भी सभी फर्मों से तदनुसार अपनी संशोधित दरें प्रस्तुत करने के लिए कहा (मार्च 1983)। तदनुसार तीन फर्मों ने 7.12 लाख रु० से 8.19 लाख रु० की सीमा में संशोधित दरें निवेदित की और फर्म 'ख' की 7.12 लाख रु० की न्यूनतम दर स्वीकृत कर ली गई। जनवरी 1985 में लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंकरीट, ईंट तथा इस्पात कार्यों (जिनकी दरें अव्यवहार्यता का आधार थीं) के लिए फर्म 'क' द्वारा मूलरूपेण निवेदित दरों तथा फर्म 'ख' की तदनुरूपी संशोधित दरों के मध्य 0.42 लाख रु० का अन्तर था जो कुल प्रदत्त राशि (6.79 लाख रु०) का केवल 6.2 प्रतिशत था ।

निवेदित मद दरों एवं निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा के सन्दर्भ में संगणित फर्म 'क' की 5.44 लाख रु० की दरों के प्रति यह कार्य सितम्बर 1984 में 6.03 लाख रु० (अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों को छोड़कर) की लागत में पूर्ण किया गया था । इस प्रकार फर्म 'ख' को यह कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप 0.59 लाख रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

प्रबन्धकारिणी ने दरों की न्यूनता के कारण उनकी अव्यवहार्यता दोहराते हुए बताया (अगस्त 1985) कि फर्म 'क' तकनीकी रूप से समर्थ नहीं थी और

प्रस्तावित भवन का डिजाइन और नक्शा भी इस फर्म के ज्ञान से परे था क्योंकि इसे किसी अन्य निष्पादक अभिकरण द्वारा कभी इस प्रकार का कार्य नहीं दिया गया था। कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रस्ताव की अस्वीकृति के समय ये तथ्य कभी भी अभिनिश्चित एवं अभिलेखबद्ध नहीं किए गए थे। इसके विपरीत अन्य फर्मों के साथ-साथ इस फर्म को भी संशोधित दरें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह फर्म वर्ष 1962 से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास अनुमोदित श्रेणी 'ख' सरकारी संविदाकार थी।

सरकार को यह मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 1985)।

7.10. हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम सीमित

7.10.1. आयात संपूर्ति लाइसेंसों की बिक्री

वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान नाइजीरिया को साइकिल के पूर्जों के निर्यात के प्रति कम्पनी को क्रमश: 0.95 लाख रु० तथा 1.69 लाख रु० के दो आयात सम्पूर्ति लाइसेंस प्राप्त हुए (अक्तूबर 1980) ये लाइसेंस हल्की इस्पात चादर कतरनों, इस्पात के गोलों, काटने वाले औजारों, टिन प्लेट डब्ल्यू० डब्ल्यू० तथा नापने वाले उपकरणों के आयात हेतु 30 सितम्बर 1980 से एक वर्ष के लिए वैध थे। प्राप्ति की तिथि (अक्तूबर 1980) से जनवरी 1981 तक लाइसेंसों के निपटान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कम्पनी द्वारा 15 पार्टियों से की गई सीमित निविदा पूछताछ (फरवरी 1981) के प्रत्युत्तर में मार्च/अप्रैल 1981 में 15 से 58 प्रतिशत परिमाण के प्रीमियम पर लाइसेंसों के क्रय हेतु 4 पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। 58 प्रतिशत प्रीमियम पर फरवरी 1981 में प्राप्त लुधियाना की फर्म 'क' के उच्चतम प्रस्ताव की शर्त यह थी कि लाइसेंसों की वैधता हस्तान्तरण की तिथि से कम से कम छः महीने होनी चाहिए। ये लाइसेंस बेचे नहीं गए क्योंकि कम्पनी उस विशिष्ट माल से अवगत नहीं थी जिसे पूर्वोक्त लाइसेंसों के प्रति आयात किया जा सकता था आयात एवं निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के साथ मामले के निपटान तक (मई 1981) उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था और तत्पश्चात नए सिरे से निविदा पूछताछ की गई (अगस्त 1981)। किसी भी प्रस्ताव के प्राप्त न होने पर लाइसेंसों की पुनर्वैधता हेतु सितम्बर 1981 में कम्पनी ने मामले को आयात निर्यात मुख्य नियन्त्रक, नई दिल्ली के साथ उठाया। लाइसेंसों को 23 अप्रैल 1982 तक पुनर्वैधता प्रदान की गई। इतने में 16 सितम्बर 1981 को 60 प्रतिशत के प्रीमियम पर लाइसेंसों के क्रय हेतु बम्बई की फर्म 'ख' का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यद्यपि समय की अवधि सारतत्व थी और प्रीमियम की दर लाइसेंसों की वैधता अवधि पर निर्भर थी फिर भी 20 नवम्बर 1981 अर्थात् दो माह पश्चात् फर्म 'ख' को स्वीकृति सूचक पत्र भेजा गया जिसके प्रति फर्म से कोई

उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अन्ततोगत्वा कम्पनी ने उन पार्टियों से सम्पर्क स्थापित करने का निर्णय लिया (फरवरी 1982) जिन्होंने अप्रैल 1981 में प्रस्ताव भेजे थे और फिर 38 प्रतिशत के प्रीमियम पर इन लाइसेंसों को फरवरी 1982 में दिल्ली स्थित फर्म 'ग' के पास बेचा गया । इस प्रकार 58 प्रतिशत प्रीमियम पर प्रथम प्रस्ताव की अस्वीकृति तथा लाइसेंसों के निपटारे में बिलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी को 0.53 लाख रु० की हानि हुई ।

सरकार को यह मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (अक्तूबर 1985)।

7.11 प्रवर्ग घ––विभागीय प्रबन्धित सरकारी वाणिज्यिक एवं अर्धवाणिज्यिक उपक्रम

31 मार्च 1985 को विभागीय रूप से व्यवस्थित निम्नलिखित तीन वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक योजनाएं तथा उपक्रम थे :—

(i) आयुर्वैदिक फार्मेसी, माजरा,

(ii) आयुर्वैदिक फार्मेसी, जोगिन्द्र नगर तथा

(iii) काष्ठ आधारित उद्योग, शमशी (कुल्लू)।

समस्त विभागीय योजनाओं/उपक्रमों (विभागीय रूप से बिरोजा निकालने तथा इमारती लकड़ी के विभागीय निस्सारण सहित जो कि क्रमशः 1 अप्रैल 1975 तथा 8 जून 1978 से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के रूप में विद्यमान नहीं रहे) के निदर्श लेखे आपूर्ण थे (अक्तूबर 1985) जैसे कि निम्नांकित हैं :—

नाम	बकायों की अवधि
(i) विभागीय रूप से बिरोजा निकालना*	1969–70 से 1974–75
(ii) इमारती लकड़ी का विभागीय निस्सारण *	1969–70 से 1977–78
(iii) आयुर्वैदिक फार्मेसी, माजरा	1976–77 से 1984–85
(iv) आयुर्वैदिक फार्मेसी जोगिन्द्र नगर	1977–78 से 1984–85
(v) काष्ठ आधारित उद्योग, शमशी (कुल्लू)	1969–70 से 1984–85

*बिरोजा निकालने तथा इमारती लकड़ी के निस्सारण के कार्य क्रमशः मई 1975 एवं जून 1978 में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित को हस्तान्तरित कर दिए गए थे ।

दो योजनाओं अर्थात् उर्वरक वितरण योजना तथा बीज वितरण योजना को मार्च 1977 में राज्य सरकार द्वारा अवाणिज्यिक घोषित कर दिया गया था और वर्ष 1971–72 से 1975–76 तक की अवधि के लिए इनके निदर्श लेखे तैयार करने के कार्य से भी छूट दे दी गई थी (दिसम्बर 1980)।

(सु० लक्ष्मीनारायणन)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश

शिमला,
दिनांक : 8 सितम्बर 1986

प्रतिहस्ताक्षरित

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक : 11 सितम्बर 1986

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ : अनुच्छेद 2.2.3, पृष्ठ : 11)

वर्ष 1984-85 के दौरान कुल अनुदान/विनियोग पर व्यय का आधिक्य

अनुदान/विनियोग का क्रमांक तथा नाम		कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
राजस्व प्रवर्ग:				
2—राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् —				
दत्तमत	..	54,07.000	60,39.281	6,32,281
6—आबकारी तथा कराधान—				
दत्तमत	..	1,84,69,500	1,85,60,774	91,274
8—शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान—				
दत्तमत	..	62,53,41,400	64,82,49,047	2,29,07,647
10—लोक निर्माण कार्य—				
दत्तमत	..	36,00,47,000	48,73,31,093	12,72,84,093
12—लघु सिंचाई—				
दत्तमत	..	11,24,20,000	13,08,25,271	1,84,05271
16—वन—				
दत्तमत	..	15,98,09,000	16,33,66,832	35,57,832
17—सड़कें तथा पुल—				
दत्तमत	..	12,2625,000	13,47,69,608	1,21,44,60 8
29—श्रम एवं रोजगार—				
दत्तमत	..	1,62,50,000	1,63,10,936	1,60,936
30—आवास—				
दत्तमत	..	69,11,000	79,68,823	10,57,823
33—वित्त—				
दत्तमत	..	10,14,97,000	,11,51,18,257	1,36,21,257
35—जनजातीय विकास—				
दत्तमत	..	24,31,32,300	25,48,94,198	1,17,61,898
पूंजी प्रवर्ग:				
5—भू-राजस्व—				
दत्तमत	..	8,75,000	10,15,400	1,40,400

अनुदान/विनियोग का क्रमांक तथा नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
8–शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान—			
दत्तमत ..	1,40,78,000	1,62,30,069	21,52,069
12—लघु सिंचाई—			
दत्तमत ..	2,58,08,000	2,68,20,779	10,12,779
13–भू एवं जल संरक्षण—			
दत्तमत ..	49,50,000	50,46,543	96,543
16—वन —			
दत्तमत ..	1,80,00,000	1,80,00,005	5
17—सड़कें तथा पुल—			
दत्तमत ..	27,31,35,881	28,69,02,533	1,37,66,652
20— जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति—			
दत्तमत ..	17,27,35,000	17,31,34,030	3,99,030
26—लेखन सामग्री तथा मुद्रण—			
दत्तमत ..	33,30,000	37,78,031	5,48,031
28—पर्यटन—			
दत्तमत ..	1,29,12,000	1,29,15,498	3,498
32—अन्य प्रशासनिक सेवाएं—			
दत्तमत ..	69,52,000	1,07,84,553	38,32,553
33—वित्त—			
प्रभारित ..	1,47,98,90,000	1,57,56,36,834	9,57,46,834
योग—(राजस्व तथा पूंजी प्रवर्ग)	3,78,45,75,081	4,11,38,98,395	32,93,23,314

परिशिष्ट—2.2

(संदर्भ : अनुच्छेद 2.8, पृष्ठ : 20)

भौतिक उपलब्धियां एवं व्यय

योजना का नाम	भौतिक						वित्तीय					
	लक्ष्य			उपलब्धियां			लक्ष्य			उपलब्धियां		
	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
	(संख्या)											(लाख रुपयों में)
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग												
राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम												
(i) नये मामलों का पता लगाना	500	500	500	401 (80)	324 (65)	253 (51)	37	39	43	40 (108)	39 (100)	44 (102)
(ii) उपचार के बाद पता लगाना ..	200	200	200	135 (68)	142 (71)	90 (45)						

पशुपालन विभाग

भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास

(i) विजातीय भेड़ प्रजनन फार्मों से कृषकों को नर तथा मादा भेड़ का वितरण ..	500	500	500	344 (69)	573 (115)	543 (110)						
	(प्रति भेड़ वार्षिक उत्पादन ग्राम में)						23	26	29	25 (109)	28 (108)	29 (100)
(ii) ऊन का उत्पादन	3,500	3,500	3,500	1,106 (32)	1,095 (31)	1,116 (32)						

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उपलब्धियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

परिशिष्ट--2.3

(संदर्भ : अनुच्छेद 2.9, पृष्ठ : 20)

आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	मामलों की संख्या	आहृत राशि	अव्ययित राशि	बकाया का अंतिम उपलब्ध मास
		ग्रामीण विकास विभाग		
1977-78	1	0.44	0.16	सितम्बर से दिसम्बर 1985 तक
1978-79	3	1.98	0.37	
1979-80	3	2.19	1.55	
1980-81	2	0.10	0.10	
1981-82	2	1.09	0.42	
1982-83	7	1.19	1.13	
1983-84	15	25.35	10.06	
1984-85	1	0.05	0.05	
योग (i)	34	32.39	13.84	
		तकनीकी शिक्षा विभाग		
1982-83	1	0.18	0.18	दिसम्बर 1985
1983-84	2	0.97	0.97	
योग (ii)	3	1.15	1.15	
		सहकारिता विभाग		
1979-80	1	0.78	0.73	दिसम्बर 1985
1981-82	1	0.47	0.41	
1982-83	1	0.08	0.03	
1983-84	1	0.03	0.01	
योग (iii)	4	1.36	1.18	
		सामाजिक तथा महिला कल्याण विभाग		
1978-79	1	0.28	0.34	अक्तूबर 1984
1979-80	1	0.58	..	
1982-83	1	0.01	0.01	
योग (iv)	3	0.87	0.35	
कुल योग	44	35.77	16.52	

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ : अनुच्छेद 4.12, पृष्ठ : 125)

अपूर्ण कार्यों की विवरण तालिका

क्रमांक	मण्डल का नाम	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति का मास/वर्ष	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	कार्य को पूरा करने की नियत अवधि	कार्य आरम्भ करने का मास/वर्ष	मार्च 1985 तक व्यय (लाख रुपयों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डलहौजी मण्डल	0/0 से 20/0 कि० मी० चवाड़ी से कैंथली सम्पर्क सड़क का निर्माण	मार्च 1973	20.06	उल्लिखित नहीं	मार्च 1976	1.29	0/0 से 0/50 कि० मी० के बीच 5/7 मीटर और 18/0 से 20/00 कि० मी० के बीच 2.5 मीटर सड़क को चौड़ा करने का कार्य हो चुका था। संरेखण में पड़ने वाले वृक्षों को हटाने के सम्बन्ध में वन विभाग के साथ विवाद के कारण दिसम्बर 1981 से काम ठप्प था। अभी अनुज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	शिमला मण्डल–II	0/0 से 7/0 कि०मी० समरहिल से नेरी सड़क का निर्माण	सितम्बर 1979	4.83	तीन वर्ष	1977–78	0.66	2/0 से 5/0 कि० मी० में एक मीटर पगडण्डी और 4/0 से 4.550 कि मी० में 3.66 मी० तक चौड़ा करने का कार्य पूरा था। भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से वृक्षों को गिराने हेतु अनुज्ञा देने में विलम्ब तथा मार्ग संरेखण के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण वर्ष 1980-81 से कोई कार्य नहीं हुआ।
3.	शिमला मण्डल–II	0/0 से 7/300 कि० मी० घनाहट्टी से शकराह सड़क का निर्माण	जुलाई 1980 ———— मार्च 1982	9.79 ———— 12.16	उल्लिखित नहीं	जून 1980	0.85	0/0 से 4/010 कि० मी० के बीच चौड़ा करने का कार्य पूरा हो गया है। वन भूमि तथा पगडण्डी में पड़ने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में विवाद होने के कारण मार्च 1981 से कोई कार्य नहीं हुआ।

4.	फतेहपुर मण्डल	0/0 से 4/00 कि० मी० बलदोआं से जरपाल सड़क का निर्माण	अक्तूबर 1980	6.81	दो वर्ष	जनवरी 1981	0.49	0/0 से 2/0 कि० मी० में 5/7 मीटर की चौड़ाई का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया। सड़क के संरेखण के विषय में विवाद के कारण अगस्त 1982 से कार्य बन्द है।
5.	नूरपुर मण्डल	0/0 से 6/0 कि० मी० गंगथ बस्सा से ग्राम सुक्कर (चहौड़ी द्वारा) सम्पर्क सड़क का निर्माण	अगस्त 1980	11.80	तीन वर्ष	सितम्बर 1980	1.01	निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य बन्द है।
6.	नूरपुर मण्डल	0/0 से 2/0 कि० मी० तलारा स्टेशन सम्पर्क सड़क का निर्माण	जुलाई 1981	4.63	$1\frac{1}{2}$ वर्ष	अगस्त 1981	0.47	निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य बन्द है।
7.	नूरपुर मण्डल	0/0 से 6/0 कि० मी० सड़क भटोली—जोलना सड़क का निर्माण	अगस्त 1980	11.80	तीन वर्ष	सितम्बर 1980	0.75	निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य बन्द है।
8.	नूरपुर मण्डल	0/0 से 6/300 कि० मी० पनारा भटोली गंगथ सड़क का निर्माण	अप्रैल 1977	4.76	पांच वर्ष	जून 1977	1.03	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	नूरपुर मण्डल	0/0 से 3/0 कि०मी० पनियाला तक शहीद ईश्वर देवी सड़क का निर्माण	अप्रैल 1977	4.40	दो वर्ष	जुलाई 1977	0.46	तदैव
10.	बिलासपुर मण्डल—II	0/0 से 12/0 कि० मी० नमहोल आशा-मझारी सड़क का निर्माण	सितम्बर 1980	25.20	चार वर्ष	जून 1980	0.67	6/400 से 12/0 कि०मी० के बीच पगडण्डी बनने का कार्य पूर्ण है। भूमि तथा संरेखण में पड़ने वाले वृक्षों के विषय में विवाद के कारण मार्च 1981 से कार्य बन्द है।
11.	राजगढ़ मण्डल	0/0 से 9/500 कि० मी० कुलच कोटी जोल्ला सड़क का निर्माण	फरवरी 1979	2.72	दो वर्ष	1972	2.08	0/0 से 5/500 कि० मी० के बीच 2.75 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया है। सड़क के संरेखण के विषय में विवाद होने के कारण मार्च 1981 से कोई कार्य नहीं हुआ।

12.	बैजनाथ मण्डल	0/0 से 32/0 कि० मी० बीड–पालमपुर सड़क का निर्माण	फरवरी 1964 अक्तूबर 1970	2.50	उल्लिखित नहीं	1965	10.23	27/0 से 28/0, 30/900 से 32/0 कि०मी० को छोड़ कर सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सड़क के विषय में विवाद, सड़क के संरेखण तथा निर्मित किये जाने वाले विभिन्न पाट के पुलों के अन्तिम न किये जाने के कारण कार्य बन्द है।
				111·67		19.99		

परिशिष्ट 5.1
(संदर्भ : अनुच्छेद 5.5.1, पृष्ठ : 144)
प्राप्त न हुए वार्षिक लेखाओं का विवरण
कृषि विभाग

क्रमांक	जिले का नाम	बीज	पौध संरक्षण	औजार	उर्वरक
1.	बिलासपुर	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 से 1977–78
2.	हमीरपुर	1970–71 से 1972-73 तथा 1982–83 और आगामी वर्ष	1970–71 से 1972–73 तथा 1982–83 और आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष
3.	कांगड़ा/धर्मशाला	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष
	पालमपुर	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष
4.	कुल्लू	1970–71 से 1982–83	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 से 1972–73 तथा 1982–83 और आगामी वर्ष	1970–71 से 1977–78 तथा 1982–83 और आगामी वर्ष
5.	मण्डी	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1982–83 तथा आगामी वर्ष
6.	सिरमौर	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1970–71 से 1977–78 तथा 1984–85
7.	शिमला	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष
8.	सोलन	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1983–84 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 से 1977–78 तथा 1982–83 और आगामी वर्ष
9.	ऊना	1970–71 से 1971–72 तथा 1982–83 और आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 से 1972–73
10.	लाहौल तथा स्पिति	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष
11.	चम्बा	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष	1970–71 तथा आगामी वर्ष
12.	किन्नौर	1975–76 तथा आगामी वर्ष	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1982–83 तथा आगामी वर्ष	1970–71 से 1973–74 तथा 1984–85

परिशिष्ट 7.1

परिशिष्ट

(संदर्भ : अनुच्छेद

सांविधिक निगमों के

क्रम संख्या	निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण की तारीख	लेखा अवधि	कुल निवेशित पूंजी	लाभ (+) हानि (—)
1	2	3	4	5	6	7
						(लाख
1	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	बहु उद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत	1 सितंबर 1971	1984-85	2,88,54.82	(—)7,16.57
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	परिवहन	2 अक्तूबर 1974	1984-85	25,88.77	(—)5,24.13
3	हि०प्र० वित्तीय निगम	उद्योग	1 अप्रैल 1967	1984-85	39,62.77	(+)47·86

टिप्पणी:— (i) निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी जमा दीर्घकालिक ऋण जमा मुक्त आरक्षित

*(ii) नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्ति (प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के

**(iii) नियोजित पूंजी (क) प्रदत्त पूंजी (ख) ऋण तथा बंध पत्रों और को दर्शाती है।

7.1

7.2, पृष्ठ : 180)

सारांशित वित्तीय परिणाम

लाभ-हानि के लेखे को प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+9)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ (7+8)	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता	नियोजिता पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतते
8	9	10	11	12	13	14
रुपयों में)						
7,90.56	7,90.56	73.99	64,01.86	73.99	0.26	1.16
1,83.22	1,48.72	(–)3,75.41	15,41.99*	(–)3,40.90	..	..
2,12.86	2,12.86	2,60.72**	35,74.65	2,60.72	6.58	7.29

निधि को दर्शाती है।

अतिरिक्त) जमा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है।

(ग) आरक्षित के आदि और अन्त शेषों के योग के मध्यमान

परिशिष्ट

(संदर्भ : अनुच्छेद

सरकारी कम्पनियों के

(लाख

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण की तारीख	लेखा अवधि	सकल निवेशित पूंजी	कर तथा पूर्वावधि समायोजन से पूर्व लाभ (+) हानि (—)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	उद्यान	24 सितम्बर 1970	1984–85	11,14.97	(–) 23.79
2.	हिमाचल प्रदेशराज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	खाद्य एवं आपूर्ति	6 सितम्बर 1980	1984–85	2,82.16	(–) 3.83
3.	हिमाचल उर्वरक सीमित	उद्योग	23 नवंबर 1972	1984–85	1,04.26	(+) 1.02
4.	हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	उद्यान	10 जून 1974	1984–85	13,28.86	(–) 209.93
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित	उद्योग	20 अक्टूबर 1966	1983–84	1,10.57	(–) 0.85
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य दस्तकारी एवं हथकरघा निगम सीमित	उद्योग	30 मार्च 1974	1982–83	1,57.72	(—) 5.88

7.2

7.6.2, पृष्ठ : 204)

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

लाभ-हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रति लाभ (7+9)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रति लाभ (7+8)	निवेशित पूंजी पर प्रति लाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी पर प्रति लाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
रुपयों में)						
37.27	25.15	1.39	7,87.74	13.51	0.12	1.72
47.01	1.30	(—)2.53	(—)6,78.64	43.18	..	6.36
12.32	3.36	4.38	88.55	13.34	4.20	15.06
109.93	84.86	(—)1,25.07	7,28.20	(—)1,00.15	..	..
3.24	0.58	(—)0.27	1,38.01	2.39	..	1.73
1.74	1.73	(—) 4.15	1,08.21	(—)4.14	..	..

परिशिष्ट

(संदर्भ : अनुच्छेद

सरकारी कम्पनियों के

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण की तारीख	लेखा अवधि	सकल निवेशित पूंजी	कर तथा पूर्वावधि समायोजन से पूर्व लाभ(+) हानि(—)
1	2	3	4	5	6	7
7	हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित	उद्योग	25 नवम्बर 1966	1982-83	12,94.72	(+) 36.55
8	हिमाचल वर्स्टेड मिल्ज़ सीमित	उद्योग	11 अक्तूबर 1974	1980-81	2,22.55	(—) 27.57
9	हिमाचल प्रदेश राज्य फल पैकिंग कम्पनी सीमित	वन	3 नवम्बर 1982	1983	20.50	*

(i) निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी जमा दीर्घकालिक ऋणों जमा मुक्त आरक्षित

(ii) नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिरत में पूंजीगत

*वर्ष के दौरान किये गये सकल व्यय को पूंजी में परिणत कर दिया

7.2

7.6.2, पृष्ठ 204)

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

लाभ-हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घ कालिक ऋणों पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रति लाभ (7+9)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रति लाभ (7+8)	निवेशित पूंजी पर प्रति लाभ की प्रतिशतता	नियोजित पूंजी पर प्रति लाभ की प्रतिशतता
8	9	10	11	12	13	14
58.84	42.27	78.82	11,66.59	95.39	6.08	8.18
20.55	13.53	(—)14.04	2,10.33	(—)7.02	..	..
..	..	..	18.94	..	..	..

निधियों को प्रदर्शित करती है।

कार्य के अतिरिक्त) जमा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है।

गया था।